KUDREMUKH

44वां वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

मिनीरत्न से नवरत्न में रूपांतरण

केआईओसीएल लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L13100KA1976G0I002974

kioclltd.in
kioclltd
@KIOCLLimited
rb.gy/vdqpxb

श्री एम वि सुब्बा राव, सीएमडी को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 9 वें पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स में दिनांक 29.08.2019 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. अजय दुआ द्वारा पीएसयू के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

श्री एम वि सुब्बा राव, सीएमडी को प्रतिष्ठित लीडरशिप इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज से उपलब्धि का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार श्री जगदीश शेट्टार, वृहत और मध्यम उद्योग मंत्री, कर्नाटक सरकार के द्वारा दिनांक 06.03.2020 को प्रदान किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केंद्रीय संसदीय मामले और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा श्रेणीवार विकास (टर्नअराउंड) श्रेणी में प्रतिष्ठित गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड से सम्मानित किया गया।

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	03
2.	निगमित सूचना	05
3.	दस वर्षों की झलकियां	06
4.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का संदेश	08
5.	मंडल की रिपोर्ट	10
6.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट	30
7.	निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	33
8.	प्रबंधन के विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	48
9.	उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन	53
10.	दिनांक 31.03.2020 को वित्तीय वर्ष यथा समाप्त वार्षिक विवरणी (एमजीटी-9) का सार	54
11.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट	59
12.	कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट	64
13.	सीईओ/सीएफओ का प्रमाणीकरण	72
14.	आचार संहिता का अनुपालन	72
15.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म सं. एमआर-3)	73
16.	निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र	76
17.	निदेशकों के गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र	77
18.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	78
19.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	87
20.	तुलन पत्र	88
21.	लाभ व हानि खाते का विवरण	89
22.	नकदी प्रवाह विवरण	90
23.	वित्तीय विवरण की टिप्पणियां	102
24.	खंड रिपोर्टिंग	125
25.	सूचना – 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक	126
26.	केआईओसीएल कार्यालय	139

लक्ष्य

- विश्वास और परस्पर लाभ के आधार पर सहज आपूर्ति कडी सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ सुदृढ़/स्थायी संबंध रखना।
- नैतिकता और ईमानदारी के साथ व्यापार।
- कंपनी के उत्पादन केन्द्रों के आसपास सामाजिक–आर्थिक दशा में सुधार लाने में कामयाब होना।
- सतत ज्ञानार्जन।
- प्रौद्योगिकी और बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ गति बनाए रखना।
- कर्मचारियों को विकास के अवसर, मान्यता और प्रतिफल प्रदान करना।

दूरदृष्टि

गुणवत्ता और उत्पादकता के उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों, प्रौद्योगिकीय एवं पर्यावरणीय उत्कृष्टता से युक्त विश्वस्तरीय खनन कंपनी के रूप में उभरना और भारत में अनुलाभीकरण एवं पैलेटीकरण उद्योग में अग्रणी बनना और वैश्विक विश्वसनीयता स्थापित करना।

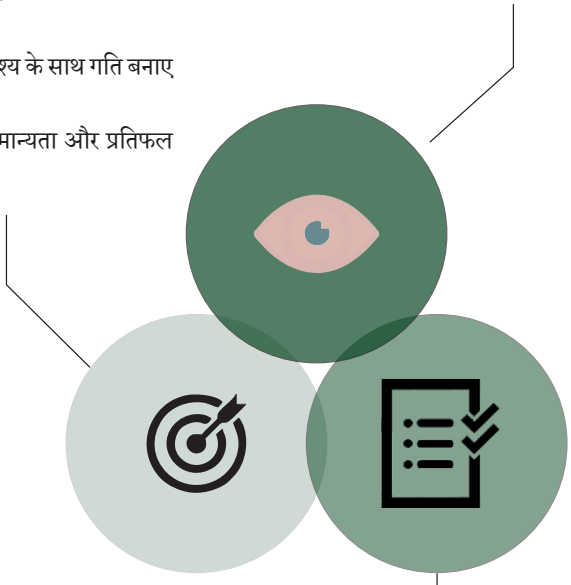

उद्देश्य

- विस्तारण और विविधीकरण द्वारा प्रगति।
- नए बाज़ार और अवसरों का पता लगाना।
- प्रक्रमों में परिवर्तन लाते हुए लागत कटौती द्वारा प्रतिस्पर्धी बनना।
- विविधीकृत कारोबारी यूनिटें बनाते हुए कारोबार के नए क्षेत्रों का पता लगाना।
- ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति में सुधार लाने के लिए कार्मिकों के क्षमता निर्माण में लगातार निवेश करना हमारे मुख्य नैतिक मूल्य।

KUDREMUKH
KIOCL LTD

केआईओसीएल
लक्ष्य
दूरदृष्टि
उद्देश्य

हमारे मुख्य नैतिक मूल्य					
ग्राहक केंद्रित संस्कृति	**सत्यनिष्ठा**	**टीम**	**सम्मान**	**उत्कृष्टता**	**स्वामित्व**
हम लगातार सुरक्षा प्रदान करने का और ग्राहक तुष्टिकरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।	हम सभी के साथ अपने लेंदेनों में निष्ठावान, विनम्र और न्यायसंगत रहते हैं।	हम एक दूसरे की वैक्तिकता का सम्मान करते हुए ज्ञान व विचारों के आदान प्रदान के साथ पारस्परिक विकास करते हैं।	हम लोगों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार हम स्वयं चाहते हैं।	हम निर्वहनीय दीर्घकालीन सफलता के लिए कार्यनिष्पादन के मानकों तथा क्षमता निर्माण में सुधार करने के लगातार प्रयास करते हैं।	हम डेटा और पारदर्शिता के साथ संप्रेषण करते हुए स्वामित्व लेते हैं, समझ पैदा करते हैं और समाधान विकसित करते हैं।

केआईओसीएल का नेतृत्व-निदेशक मंडल

कार्यात्मक निदेशक

श्री एम वि सुब्बा राव
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री एस के गोराई
निदेशक (वित्त)

श्री टी सामिनाथन
निदेशक (वाणिज्य)

श्री के वी भास्कर रेड्डी
निदेशक (उ. एवं परि) दिनांक 01.03.2020 के प्रभाव से

श्री एन विद्यानंद
निदेशक (उ. एवं परि) दिनांक 29.02.2020 तक

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री विजॉय कुमार सिंह
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार (17.03.2020 के प्रभाव से)

श्री टी श्रीनिवास
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सरस्वती प्रसाद
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार (22.01.2020 तक)

डॉ. रोहित यादव
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार (22.01.2020 के प्रभाव से 25.02.2020 तक)

स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीश पी जोशी

श्री निर्मलेंदू महापात्रा
21.10.2019 के प्रभाव से

श्री रंजीत श्रीनिवास
21.10.2019 के प्रभाव से

श्री जी रामासामी
07.12.2019 के प्रभाव से

श्री माधव लाल
25.11.2019 तक

डॉ दीपिका शर्मा
30.01.2020 तक

मंडल की उपसमिति
यथा तिथि 18/05/2020

लेखापरीक्षा	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
श्री जगदीश पी. जोशी, अध्यक्ष श्री जी. रामासामी, सदस्य श्री रंजीत श्रीनिवास,सदस्य, श्री टी. सामिनाथन, सदस्य श्री एस. के. गोराई, स्थायी आमंत्रिती	श्री निर्मलेंदु महापात्रा, अध्यक्ष श्री एस. के. गोराई, सदस्य श्री के. वी. भास्कर रेड्डी, सदस्य
हितधारक संबंध	**नामांकन एवं पारिश्रमिक**
श्री जी. रामासामी, अध्यक्ष श्री जगदीश पी. जोशी, सदस्य श्री रंजीत श्रीनिवास, सदस्य श्री टी. सामिनाथन, सदस्य श्री के. वी. भास्कर रेड्डी, सदस्य	श्री निर्मलेंदु महापात्रा, अध्यक्ष श्री जगदीश पी. जोशी, सदस्य श्री जी. रामासामी, सदस्य श्री एम. वि. सुब्बा राव, सदस्य
जोखिम प्रबंधन	**निवेश, परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी**
श्री रंजीत श्रीनिवास, अध्यक्ष श्री एस. के. गोराई, सदस्य श्री टी. सामिनाथन, सदस्य श्री के. वी. भास्कर रेड्डी, सदस्य श्री राम गोपाल जी., जोखिम अधिकारी पदेन आमंत्रिती	श्री जगदीश पी. जोशी, अध्यक्ष श्री एस. के. गोराई, सदस्य श्री टी. सामिनाथन, सदस्य श्री के. वी. भास्कर रेड्डी, सदस्य

दिनांक 21.06.2019 को केआईओसीएल के निगमित कार्यालय में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित।

निगमित सूचना

कंपनी सचिव

श्री पी के मिश्रा

सूचीकरण

एनएसई
एक्सचेंज प्लाज़ा,
सी-1, ब्लॉक जी,
बीकेसी, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई – 400 051
स्टॉक कोड: केआईओसीएल

बीएसई
25वां तल, पी. जे. टॉवर्स,
दलाल स्ट्रीट,
फोर्ट,
मुंबई – 400 001
स्ट्रिप कोड :540 680

एमएसईआई
विब्योर टॉवर्स, 4था तल,
प्लॉट सं. सी 62, जी-ब्लॉक,
बीकेसी, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400 098
स्टॉक कोड: केआईओसीएल

निक्षेपागार पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोज़ीटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपोज़ीटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
30, रमणा रेजीडेंसी
4था क्रॉस, सम्पिगे रोड,
मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560 003
टेली. नं.: 080 2346 0815 - 818
फैक्स नं.: 080 2346 0819
ईमेल: irg@integratedindia.in

हमारे बैंकर हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडसइंड बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यस बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

आईसीआरए लिमिटेड
3रा तल, इलेक्ट्रिक मैंसन
अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई - 400 025

हमारे लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
मे. आनंद एवं पोन्नप्पन
फ्लैट सी, पहला तल
रोफिनी मैनर अपार्टमेंट,
II मेन,I क्रॉस, सं. 187, एसजीएस
पाल्या, मेन रोड, सीवी रमण नगर,
बेंगलूरु – 560 093

आंतरिक लेखा परीक्षक
मे. मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
#71, 2रातल, 8वांमेन,
2राब्लॉक, जयनगर,
बेंगलूरु – 560 011

लागत लेखा परीक्षक
मे. पीकेआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी
लागत लेखाकार
प्लॉट सं. 440, एचएमटी हिल्स,
रामालयम मंदिर के पास, कुकटपल्ली,
हैदराबाद – 500 085

सचिवीय लेखा परीक्षक
श्री एस. विश्वनाथन,
पेशेवर कंपनी सचिव
फ्लैट 'बी', सुशील चंद्र अपार्टमेंट्स,
17वीं 'ए' क्रॉस, 10वां 'ए' मेन, मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु – 560 055

पंजीकृत कार्यालय

केआईओसीएल लिमिटेड
II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु - 560 034,
कर्नाटक, भारत
टेलीफोन नं.: 080 2553 1461- 466 फैक्स: 080 2553 2153 - 5941
वेबसाइट: www.kioclltd.in
सीआईएन नं.: L13100KA1976GOI002974

10 वर्षों की झलकियां

प्रमात्रा ' 000 ड्राई मेट्रिक टन में/ रुपये लाख में

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
उत्पादन(मात्रा)										
क) पैलेट	2375	2238	2327	1460	100	785	1710	1265	1710	2124
ख) पिग आयरन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षमता उपयोग (%)										
क) पैलेट	68	64	66	42	3	22	49	36	49	61
ख) पिग आयरन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री (मात्रा)										
क) पैलेट	2356	2206	2301	1387	409	680	1615	1236	1716	2090
ख) पिग आयरन	3	2	3	-	-	1	2	4	10	20
कुल बिक्री (यूएस$मिलियन)*	265.71	261.06	241.07	128.68	29.82	102.57	-	-	315.59	385.03
निर्यात बिक्री (यूएस$मिलियन)*	222.45	178.45	148.93	75.95	10.74	12.14	-	-	93.16	164.73
डीटीए बिक्री (यूएस $ मिलियन)*	43.26	82.61	92.14	52.73	19.08	90.43	-	-	222.43	220.31
कुल बिक्री (रु. लाख में)**	188417	182877	157015	86753	19980	62884	153237	115912	152108	180346
निर्यात बिक्री (रु. लाख में)	157413	124698	99959	51751	7217	7391	-	-	41818	74727
डीटीए एवं स्वदेशी बिक्री(रु. लाख में)**	31004	58179	57056	35002	12763	55493	153237	115912	110290	105619
परिचालनों से सीमांत लाभ	(1845)	8610	(3483)	(9133)	(22358)	(11535)	(5037)	(6847)	3252	7026
जमा/म्यूचुअल फंडों आदि से प्राप्त आय	10923	11692	12503	14393	15618	17508	15663	14439	13511	9230
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	39	37	1454	64	24	63	4	7	4	5
भुगतान किया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नकद लाभ	9117	20339	10474	5324	(6716)	6036	10630	7599	16767	16261
मूल्यह्रास एवं डीआरई	2749	1927	1865	2202	2251	3209	4232	4322	4090	3707
पूर्वावधि समायोजन / असाधारण मद पूर्व लाभ	6368	18412	8609	3122	(8967)	2827	6398	3277	12677	12554
समायोजन / असाधारण मद पूर्वावधि	-	-	-	-	-	299	(258)	(43)	(1138)	(2559)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	6368	18412	8609	3122	(8967)	3126	6140	3234	11539	9995
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	4348	11186	8148	4793	(8015)	3082	3994	3105	9430	7627
लाभांश - सरकार को***	4312	8194	6659	2324	-	628	816	628	1884	1570
- अन्य***	42	78	67	24	-	6	8	6	19	16
- लाभांश कर	-	1700	1369	481	-	127	140	108	316	263
- शेयर पूंजी का%	7.00	13.30	10.60	3.70	-	1.00	1.30	1.00	3.00	2.50
सामान्य आरक्षिति में अंतरण	-	-	-	1964	(8015)	2321	3029	2362	7210	5778
प्रदत्त पूंजी	62193	62193	63451	63451	63451	63451	63451	63451	63451	63451
शिपमेंट की सं. (डिस्पैच)	44	42	44	26	7	15	42	24	38	44
वर्धित मूल्य	28605	37314	28403	18552	3431	23095	29987	23530	33171	43848
कर्मचारियों की सं.	805	841	888	922	938	947	957	1251	1319	1347
प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य	35.53	44.37	31.99	20.12	3.66	24.39	31.33	18.81	25.15	32.55
कर्मचारी को प्रति रुपया भुगतान वर्धित मूल्य	1.69	2.22	1.46	1.24	0.29	1.75	1.98	1.52	2.33	3.43

पैलेटों में पैलेट फाइन शामिल है

* पैलेट प्लांट से संबंधित विदेशी मुद्रा में मूल्य (निर्यातोन्मुख इकाई)

** रुपये लाख मूल्य में स्वदेशी बाजार में पिग आयरन की बिक्री शामिल है।

पांच वर्षों की झलकियां

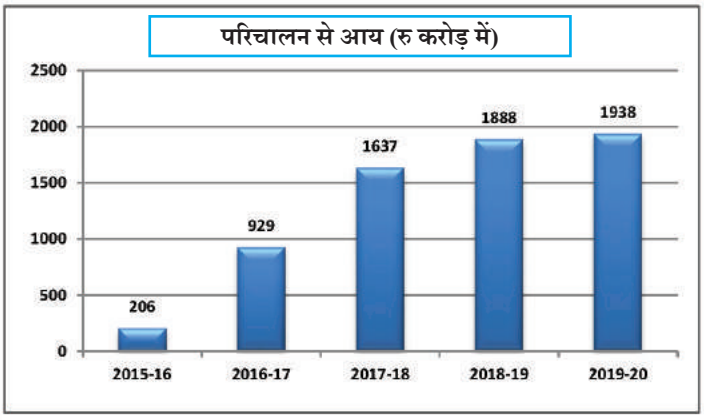
परिचालन से आय (रु करोड़ में)
2500
2000
1500
1000
500
0
206
929
1637
1888
1938
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

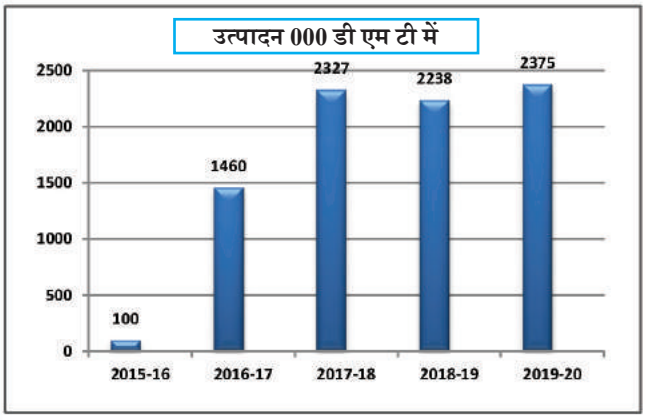
उत्पादन 000 डी एम टी में
2500
2000
1500
1000
500
0
100
1460
2327
2238
2375
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

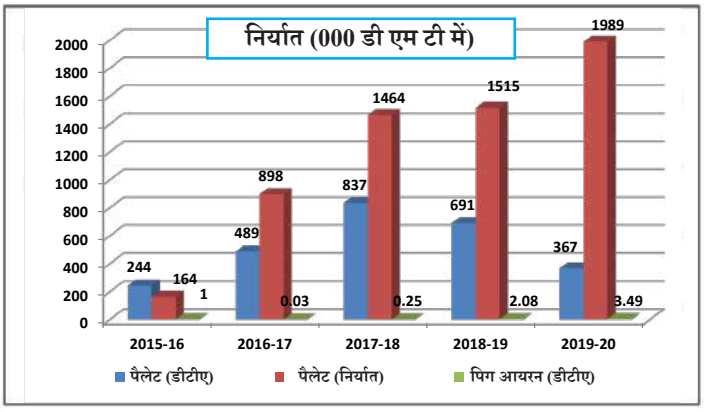
निर्यात (000 डी एम टी में)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
244
164
1
489
898
0.03
837
1464
0.25
691
1515
2.08
367
1989
3.49
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
पैलेट (डीटीए)
पैलेट (निर्यात)
पिग आयरन (डीटीए)

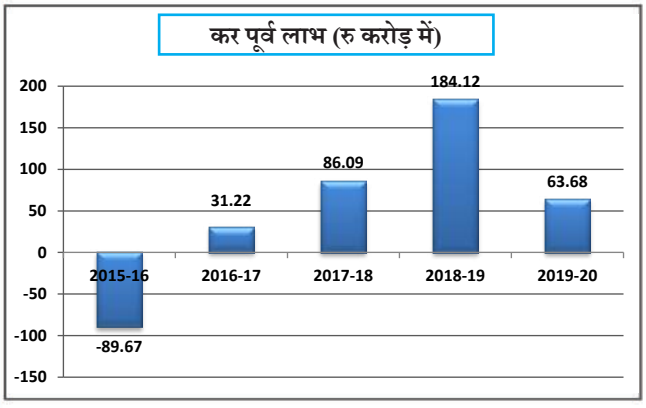
कर पूर्व लाभ (रु करोड़ में)
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-89.67
31.22
86.09
184.12
63.68
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

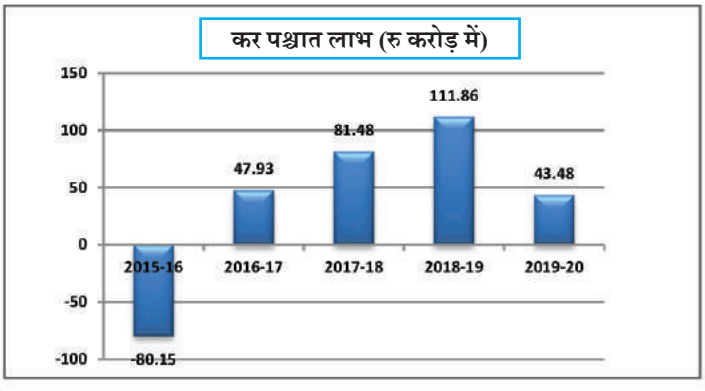
कर पश्चात लाभ (रु करोड़ में)
150
100
50
0
-50
-100
-80.15
47.93
81.48
111.86
43.48
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

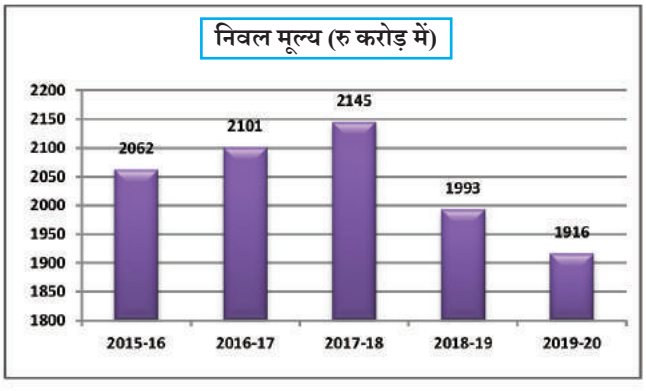
निवल मूल्य (रु करोड़ में)
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
2062
2101
2145
1993
1916
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

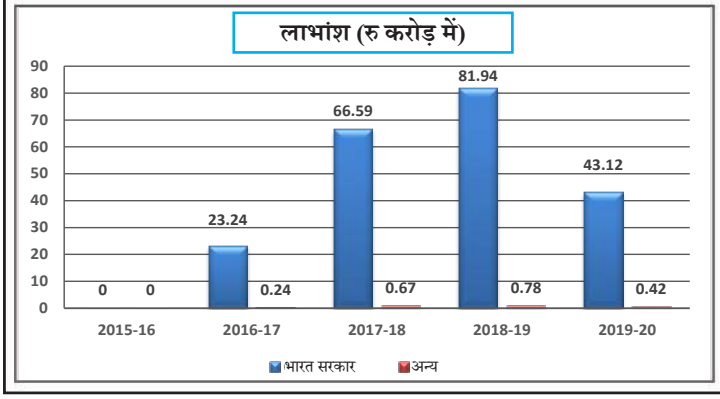
लाभांश (रु करोड़ में)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0
23.24
0.24
66.59
0.67
81.94
0.78
43.12
0.42
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
भारत सरकार
अन्य

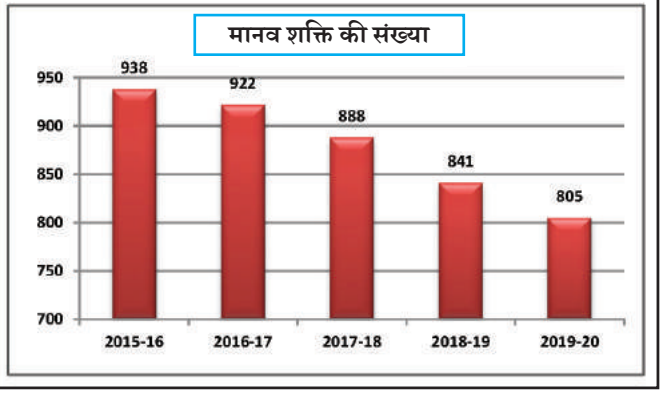
मानव शक्ति की संख्या
950
900
850
800
750
700
938
922
888
841
805
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

अध्यक्ष सह-प्रबंध- निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय शेयरधारक परिवार,

मुझे आपके साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिणाम प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। कोविड-19 महामारी एक अप्रत्याशित स्वास्थ्य आपदा है तथा प्रभाव वैश्विक बाजारों पर होने की आशंका है जिसके लिए नीति निधारकों को इसके प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना होगा।

इस सब के बावजूद आपकी कम्पनी 2056.53 करोड़ रुपये का रिकार्ड टर्नओवर करने में सफल हो पाई है जो कि इसकी स्थापना के पश्चात से सर्वाधिक एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2012.68 करोड़ रुपये की टर्नओवर की तुलना में 2 % अधिक विकास वृद्धि है।

वर्ष के दौरान कोविड 19 महामारी ने हमारे व्यवसाय पर भी प्रभाव डाला है। महामारी के प्रकोप के पश्चात से विश्व भर में निर्माण एवं आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित होने के कारण लौह एवं अयस्क पैलेट का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी दबाव में आ गया था। केआईओसीएल की पैलेट बिक्री जनवरी – मार्च 2020 की तिमाही के दौरान वर्ष 2018-19 की समान अवधि में 7.66 लाख टन की बिक्री की तुलना में लगभग 22% घटकर 5.96 लाख टन हुई। जनवरी-मार्च 2020 के बिक्री लक्ष्य 7.00 लाख टन थे। देश में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाईयों के कारण बिक्री प्राप्यों की प्राप्ति बैंक के माध्यम से करने के लिए शिपिंग / बिक्री के दस्तावेजों का समय पर संग्रहण एवं परक्रामण करने में काफी कठिनाईयां हुई। परिचालनों एवं जनशक्ति के नियोजन पर लगे प्रतिबंधों के कारण संयंत्र उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। तथापि, कम्पनी स्थिति की अपेक्षाओं से जूझने का संज्ञान करने के कारण इन बाधाओं से निपटने में सफल हुई तथा इस अस्थाई कष्ट का सामना प्रभावी रूप से किया गया है। इस सब के बावजूद कम्पनी संवहनीय विकास करने के प्रति संतुलित रही हैं।

कोविड – 19 के प्रसार से बचाव के लिए किए गए उपाय

आपकी कम्पनी ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सभी निदेशों का अनुपालन किया है तथा अपने कर्मचारियों एवं अन्य आंगुतकों की थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर डिवाइस से दैनिक जांच, कार्यस्थल का नियमित सैनीटाइजेशन करने, कैंटीन का समय अलग करने, दैनिक जांच एवं कार्य को रोटेशन आधार पर करने सहित कोविड-19 के प्रसार से बचाव के लिए प्रत्येक संभव उपाय करने सहित अनेक प्रकार के बचाव उपाय किए गए हैं। ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप कम्पनी तथा इसके स्टेकधारक, यथासंभव स्वरूप में सुरक्षित रहे हैं।

प्रमुख निष्पादन विशिष्टताएं

आइए, अब मैं आपको वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रमुख निष्पादन उपलब्धियां सूचित करता हूं। आपकी कम्पनी ने:

- पैलेट का 2.375 मिलियन टन उत्पादन एवं 2.356 मिलियन टन प्रेषण किया है; जो कुद्रेमुख की कैप्टिव खान को बंद किए जाने के पश्चात से सर्वाधिक है।
- 1574.63 करोड़ रुपये मूल्य के 1.99 मिलियन टन का निर्यात किया गया है जो कि कुद्रेमुख की कैप्टिव खान को बंद किए जाने के पश्चात से सर्वाधिक है।
- कर पूर्व लाभ 63.68 करोड़ रुपये तथा कर पश्चात लाभ 43.48 करोड़ रुपये है।
- खनन क्रियाकलापों के अंवेषण किए गए हैं तथा भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार से 105 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 43.45 करोड़ रुपये का कुल लाभांश देना प्रस्तावित है जो कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी का 7% है तथा शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अध्याधीन है।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां / क्रियाकलाप

आपकी कम्पनी को : -

- सरकार से 836.90 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत पर डक्टाइल आयरन स्प्न पाइप (डीआईएसपी) (0.2 एमटीपीए), कोजेन कैप्टिव पावर संयंत्र (10एमडब्ल्यू) सहित नॉन-रिकवरी कोक ओवन संयंत्र 0.18 एमटीपीए) के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तैयार उत्पाद अर्थात डक्टायल आयरन स्पून पाइप का उपयोग देश के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए पेय जल की आपूर्ति एवं साफ सफाई के लिए किया जा सकता है;
- खान एवं भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार के साथ कर्नाटक के बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों में संज्ञान में लिए गए नौ (9) ब्लॉकों में मैंगनीज और लौह अयस्कों के खनिज अन्वेषण के लिए 6 नवंबर 2019 को कुल अनुमानित लागत 81.53 करोड़ रुपये जमा जीएसटी के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
- "खेलो इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत खेलों को संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा 7/8 दिसंबर 2019 को मंगलूरु में ऑल इंडिया ओपन फेडरेटिंग रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था;
- प्रशिक्षुओं को उद्योग सम्बद्ध प्रशिक्षण/प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष कुल जनशक्ति के 10% से 15% के बैंड में प्रशिक्षु - प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षुता नियम 1992 के अंतर्गत केआईओसीएल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;
- डिप्लोमा प्राप्त कर चुके अनेक युवाओं को उद्योग कौशल प्रशिक्षण / प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिससे वे भारत सरकार की ध्वजारोहक योजना प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें;

- दो प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों अर्थात, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलूरु तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल के साथ सीपीएसई कॉन्क्लेव में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और सिफारिशों के अनुसार नवोपाय और अनुसंधान और ज्ञान सहभाजन के एकीकरण के लिए सहबद्धता की गई है।

अर्थव्यवस्था एवं इस्पात सेक्टर का परिदृश्य

वर्ष 2019 में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक था। वर्ष 2019 में 111.2 मिलियन टन (एमटी) के कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत जापान से आगे बढ़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक हो गया था। भारत में, भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 में इस्पात की मांग 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2020 में, भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन और तैयार इस्पात उत्पादन क्रमशः 108.5 मीट्रिक टन और 101.03 मीट्रिक टन था। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के प्रवर्तन सहित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं तथा स्वचालित मार्ग के तहत इस्पात क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में 2030-31 तक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 160 किलोग्राम तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने नीतिगत प्रोत्साहन किए हैं जिसके अनुसार अधिमान्य प्रापण के अंतर्गत इस्पात उत्पादों में न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन किया गया है।

कल के केआईओसीएल का निर्माण

आपकी कंपनी एकल उत्पाद और संयंत्र स्थान की स्थिति अपने खनन क्षेत्र एवं उपभोक्ताओं के स्थलों से दूर होने की अपनी अंतर्निहित चुनौतियों को दूर करने के लिए संवहनीय भविष्य के निर्माण के लिए तैयार खड़ी है।

संतोषजनक इक्विटी बेस और तकनीकी जनशक्ति के पूल के साथ एक शून्य ऋण कंपनी होने के नाते, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न दीर्घकालिक / अल्पकालिक विस्तार / विविधताओं के प्रति लगभग 3553 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय आंका गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रियाएं एवं प्रधान मंत्री – केयर निधि में योगदान

वित्तीय वर्ष 2020 में, आपकी कंपनी ने अपने विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा, खेल को बढ़ावा देने, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल और आकांक्षात्मकजिला के विकास आदि के साथ अपने विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के लिए 3.31 करोड़ रुपये व्यय किए थे। आपकी कंपनी ने परीक्षा के काल में सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री केयर निधि में 10.10 करोड़ रुपये का योगदान दिया था जिसमें से 31 मार्च 2020 को 2019-20 के लिए सीएसआर बजट में से 2.10 करोड़ रुपये तथा शेष 8.00 करोड़ की राशि का भुगतान 2 अप्रैल 2020 को सीएसआर बजट में से वित्तीय वर्ष 2020 के लिए किया गया था। आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने भी एक दिन के वेतन के समतुल्य23.72 लाख रुपये का योगदान प्रधान मंत्री केयर निधि में किया है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी कंपनी द्वारा कर्नाटक में मुख्य मंत्री रिलीफ फंड में 15.00 लाख रुपये का योगदान दिया गया था। कोविड-19 से प्रभावित मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों का समर्थन करने के लिए आपकी कंपनी ने चावल, मास्क, सैनिटाइजर, मुफ्त भोजन, किराने आदि के ट्रक लोड का भी योगदान दिया था।

निगमित सुशासन

कॉर्पोरेट शासन के संबंध में आपकी कंपनी का तत्वविचार पारदर्शिता, प्रकटीकरण और संगठन में स्टेकधारकों के मूल्य में संवर्धन के उद्देश्य से नैतिक आचरण और व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के प्रति देश के कानूनों और नियमों के अनुरूप रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। आपकी कंपनी निगमितसुशासन से संबंधित सेबी के प्रावधानों (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन एवं और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निगमितसुशासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है।

हमारी यात्रा के साथी

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों और विशेष रूप से सरकार द्वारा नामित मान्य निदेशकों के प्रति आपकी अपनी ही कम्पनी तथा इसके कर्मचारियों को नेतृत्व सहायता प्रदान करने के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मैं विभिन्न सरकारी / विनियामक प्राधिकरणों, कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, निवेशकों, बैंकरों तथा स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग, विश्वास और समर्थन का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आपका निरंतर समर्थन और विश्वास वर्ष प्रति वर्ष हमें अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करने की शक्ति अर्जित करने में सहायता प्रदान करता रहेगा।

हस्ताक्षर /-
एम. वि.सुब्बा राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
केआईओसीएल लिमिटेड

निदेशक मंडल की रिपोर्ट - 2020

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को केआईओसीएल लिमिटेड (कंपनी या केआईओसीएल) के व्यवसाय एवं परिचालनों के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ 44वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, इस्पात क्षेत्रों में अनुसूचित गतिविधियां कम होने और व्यावसायिक वातावरण में अनिश्चितता के कारण परिचालन परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है। तथापि, विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, आपकी कंपनी संवहनीय निष्पादन का एक और वर्ष रिकार्ड कर लिया है तथा अब इसने 2.375 मिलियन टन के उत्पादन एवं 2.356 मिलियन टन के रिकार्ड पैलेट प्रेषण स्थापित किया है जो 01.01.2006 के पश्चात से कुद्रेमुख खानों के बंद होने के बाद की सर्वकालिक उच्च उपलब्धि है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2056.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2012.68 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में यह 2.18% की वृद्धि की पंजीकृत बढ़त है। .

1. वित्तीय परिणाम तथा कम्पनी के कार्यों की स्थिति

(ईपीएस के अलावा रुपये करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2019
कुल राजस्व	2,056.53	2,012.68
परिचालनों से राजस्व	1,937.65	1,887.71
अन्य आय	118.88	124.97
ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईटी)	73.65	184.92
कर पूर्व आय(पीबीटी)	63.68	184.12
कर व्यय (आस्थगित कर सहित)	20.20	72.26
कर पश्चात लाभ(पीएटी)	43.48	111.86
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (कर के अलावा)	(0.21)	10.90
अन्य व्यापक आय	43.27	122.76
ईपीएस (बेसिक एवं डाय्ल्यूटिड)	0.70	1.78
औसत निवल सम्पति	1,954.94	2,069.80
औसत नियोजित पूंजी	2,104.38	2,204.94
प्रति शेयर बही मूल्य	30.81	32.06
औसत नियोजित पूंजी से लाभ (ईबीडीआईटीए) (%)	4.81	9.26
औसत निवल सम्पति से लाभ (%)	2.22	5.40
पूंजी व्यय	21.93	17.93

कोविड-19 महामारी का केआईओसीएल के व्यापार पर प्रभाव

वित्त वर्ष 2020 के अंतिम माह में, कोविड-19 महामारी का तेजी से एक वैश्विक संकट के रूप में प्रसार हुआ है, जिसने सरकारों को सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए लॉक-डाउन को लागू करने के लिए बाध्य कर दिया था। इस स्थिति में कम्पनी का प्रमुख ध्यान अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं उनकी सुविधा की ओर केन्द्रित हो गया था तथा मंगलूर के पैलेट संयंत्र में उत्पादन क्रियाकलाप न्यूनतम व्यवधान के साथ किए जाने की व्यवस्था की गई थी। चीन के वुहान नगर में कोविड-19 का प्रकोप प्रारंभ होने को ध्यान में रखकर समुद्र मार्ग से लाए गए लौह अयस्क बाजार को जनवरी, 2020 के अंतिम सप्ताह से ही अनेक दबावों का सामना कर पड़ रहा था।

कोरोना वायरस के प्रकोप की गंभीरता के कारण चीनी नव वर्ष की छुट्टियां, जो 24 जनवरी,2020 से 30 जनवरी 2020,तक थीं, को 3 फरवरी,2020 तक बढ़ा दिया गया था। चीनी बाजार में उच्च स्तर की अनिश्चितता के कारण बाजार अस्थिर था। चीन सरकार बाहरी गतिविधियों को कम से कम करने और वायरस के प्रसार से बचाव के लिए संगरोध उपाय की क्रियाओं को प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसा सूचित किया गया है कि कुछ नगरों में, निर्माण गतिविधियों पर 16 मार्च 20 तक रोक लगा दी गई थी। अधिकांश चीनी इस्पात मिलों के लिए प्रवासी श्रमिकों को काम पर लेने से पहले दो सप्ताह के लिए सेल्फ क्वारंटाइन की आवश्यकता होती थी, जिससे कुछ मिलों ने अपने कार्य पुनरारंभ करने के समय स्थगित कर दिए थे।

इसके परिणामस्वरूप तैयार इस्पात की मालसूचियां बढ़ती जा रही थी और अंत उपयोगकर्ता अपनी अभिमुखता के प्रति सजग हो गए थे और कुछ इस्पात बाजार में व्याप्त अनिश्चितता को देखकर मध्यम एवं न्यून ग्रेड के लौह अयस्कों का प्रापण कर रहे थे। ऐसा ज्ञात हुआ था कि अनेक पोत स्वामी कोरोना वायरस के प्रकोप और भविष्य में व्यापार के नुकसान की आशंका के कारण चीन जाने के प्रति अनिच्छुक थे।

विभिन्न देशों द्वारा उन जहाजों और चालक दल को अपने देश में प्रवेश की अनुमति देने पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध, जिन्होंने हाल ही में चीन का दौरा किया था, लगा दिए थे जिनसे कार्गो मूवमेंट में अत्यधिक कठिनाई हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, केआईओसीएल को भी बाजार में अनिश्चितता का सामना करना पड़ा और पैलेट की बिक्री के लिए किए गए प्रयासों के प्रति काफी कम प्रतिक्रिया मिली थी।

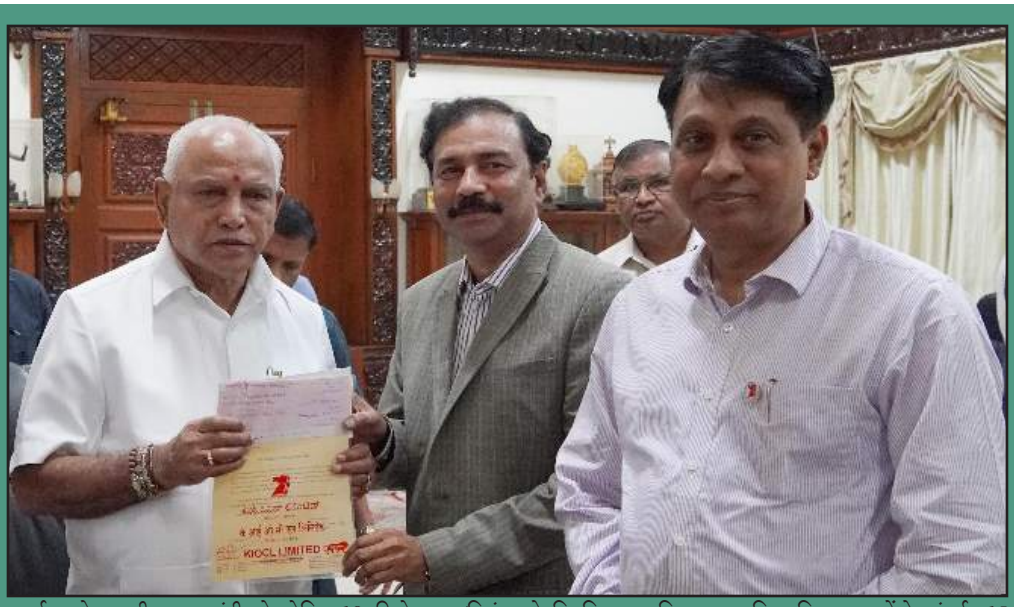

कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री को कोविड-19 की रोकथाम/नियंत्रण के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के अंतर्गत 15 लाख रुपये की राशि का चैक सौंपते हुए श्री एम. वि .सुब्बा राव, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा श्री एस.के. गोराई, निदेशक (वित्त)।

कोविड19 के प्रकोप से विश्व भर में निर्माण एवं आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित होने के कारण लौह अयस्क पैलेट का अंतर्राष्ट्रीय बाजार गंभीर दबाव में है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी ने कर्नाटक सरकार और भारत सरकार के विभिन्न कोविड-19 राहत और निगरानी कार्यक्रमों में योगदान दिया है। कंपनी द्वारा अपना ध्यान रोकड़ द्रव्यता, सुदृढ़ तुलन पत्र से समर्थित और लागत इष्टतम प्रयासों के समर्थन में लगाने से मांग में हो रहे परिवर्तन की चुनौतियों से जुझने में समर्थ हो सकेगी।

राजस्व

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने 2.26% की राजस्व वृद्धि के साथ पिछले वर्ष 1887.71 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 1937.65 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है जो पिछले वर्ष 1246.98 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री की तुलना में 26% की बढ़ोतरी होने से इस वर्ष 1574.13 करोड़ रुपये है।

आपकी कंपनी ने 1.99 मिलियन टन पैलेट की निर्यात बिक्री की है जो कुद्रेमुख कैप्टिव खानों के बंद होने के पश्चात से पिछले वर्ष 1.52 मिलियन टन निर्यात की तुलना में एक बार फिर से अधिक है। आपकी कंपनी को निर्यात के माध्यम से किए गए परिचालनों से 81% कुल राजस्व प्राप्त हुआ है जिससे समझौता ज्ञापन में लक्षित उत्कृष्टता के लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हुई है।

वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री (ओ एंड एम परिचालन और खनिज गवेषण सेवाएं) से आय पिछले वर्ष के 43.49 करोड़ के मुकाबले 41.30 करोड़ थी। ट्रेजरी ऑपरेशन और अन्य विविध आय से आय सहित अन्य आय 116.92 करोड़ रुपये से घटकर 109.93 करोड़ रुपये हो गई है।

लाभ

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष 184.12 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 63.68 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 65.41% कम है। इस कमी का प्रमुख कारण पिछले वर्ष 1208रुपये प्रति टन की तुलना में 464रुपये प्रति टन की कटौती करके अंशदान को 744रुपये प्रति टन किया जाना है। आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष 111.86 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 43.48 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

माननीय इस्पात मंत्रियों द्वारा दिनांक 11.6.2019 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय एवं केआईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में केआईओसीएल के निष्पादन की समीक्षा

लाभांश

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान किए जाने तथा वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से सदस्योंतथा शेयरधारकोंके रजिस्टर की दिनांक 23.09.2020 से 29.09.2020 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखी जाएगी। आपके निदेशकों ने कम्पनी के निष्पादन के आधार वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 10/- रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के प्रति 0.70 रुपये का अंतिम लाभांश दिए जाने की अनुशंसा की है जो दिनांक 29.09.2020 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम सभा में सदस्यों से अनुमोदन

प्राप्त किए जाने की शर्त पर है। इक्विटी शेयरों के अंतिम लाभांश, सदस्यों से अनुमोदित होने की शर्त पर, से कम्पनी के 100 प्रतिशत लाभ में से लाभांश के भुगतान के लिए 43.54 करोड़ रुपये का बर्हिप्रवाह होगा।

रोकड़ प्रवाह

आपकी कम्पनी निर्बाध परिचालनों के लिए विवेकसम्मत रोकड़ प्रवाह का अनुरक्षण करने में सफल रही है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य शेष 31.03.2019 की स्थिति 1569.18 करोड़ रुपये की तुलना में 1530.09 करोड़ रुपये था। आपकी कम्पनी ने अपने शून्य ऋण स्तर को बरकरार रखा है जिससे इसकी पूर्ण क्षमता तुलन पत्र के संवर्धन के लिए, जब कभी आवश्यकता होती है, उपयोग में लाई जा रही है।

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष के दौरान बैंक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आपकी कम्पनी क्रेडिट पात्रता रेटिंग का मूल्यांकन आईसीआरए लिमिटेड द्वारा किया गया था तथा उनके द्वारा निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की गई है:-

एजेंसी का नाम	सुविधाएं	राशि (रुपये करोड़ में)	रेटिंग	टिप्पणी
आईसीआरए लिमिटेड	लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी)	1,050	दीर्घकालिक रेटिंग: आईसीआरए एए- (आईसीआरए डबल ए माइनस; आउटलुक: स्टेबल) अल्पकालिक रेटिंग:आईसीआरए ए1+ (आईसीआरए ए वन प्लस)	निर्दिष्ट

बाजार पूंजीयन – सर्वोच्च 500 कम्पनियां

31 मार्च, 2020 की बाजार पूंजीयन स्थिति के आधार पर आपकी कम्पनी को एनएसई एवं बीएसई में बाजार पूंजीयन के अनुसार 500 सर्वोच्च सूचीबद्ध कम्पनियों में शामिल किया गया है तथा यह क्रमश: 299 एवं 304स्थान पर स्थापित है।

समझौता ज्ञापन निष्पादन

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आपकी कम्पनी का निष्पादन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ''काफी अच्छा'' आंका गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्यांकन की प्रक्रिया की जा रही है तथा यह संभावना है कि इसके लिए ''मध्यम'' रेटिंग प्राप्त होगी जो कि मुख्यत: इस्पात सेक्टर में मंद क्रियाकलापों तथा व्यवसाय परिवेश में अनिश्चितता के कारण है।

ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत आपकी कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था।

संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्था के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के विनियम 34(3) एवं पैरा क के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में की गई परिभाषा के अंतर्गत किसी सम्बद्ध पक्षकार के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, तदनुसार एओसी -2 की प्रस्तुति नहीं की गई है। संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के हित संघर्ष से मेल न खाने से संबंधित कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं किए गए थे। निदेशक मंडल ने सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार की भौतिकता और सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के संबंध में एक नीति अनुमोदित की गई है,जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो

31 मार्च, 2020 को समाप्त इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने के लिए कोई भौतिक परिवर्तन / प्रतिबद्धता नहीं हुई है और इस वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

फॉलो-अप पब्लिक ऑफर के माध्यम से विनिवेश

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के माध्यम से आपकी कंपनी के 15% केआईओसीएल इक्विटी शेयरों के विनिवेश का अनुमोदन दिया गया था। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 06-08-2019 को आयोजित बैठक में, एफपीओ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 15% के विनिवेश को स्वीकृति दी थी। निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा भी एफपीओ की प्रक्रिया के लिए मध्यस्थ नियुक्त किए गए थे। एफपीओ की स्थिति की समीक्षा के लिए, वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग में 15.11.2019 को एक बैठक आयोजित की गई और सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति पर विचार किया गया तथा भारत में, मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) की प्रस्तुति करने की समयसीमा पुन: अनुसूचित करने के संबंध में सहमति हुई थी, जिसके लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या प्राप्त होने के पश्चात संशोधित समय अनुसूची तैयार की जानी है। आपकी कंपनी नियमित रूप से स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ अनुसरण कर रही है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रस्तुति इस वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में की गई है।

व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी बाजार पूंजी के संदर्भ में शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में बनी रही है। (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) के अनुपालन में व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट के प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में एकीकृत किए गए हैं।

2. व्यापार और परिचालन समीक्षा

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष 2.238 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 2.375 मिलियन टन पैलेट का उत्पादन किया है। उत्पादित मात्रा समझौता ज्ञापन में निर्धारित 2.300 मिलियन टन के "बहुत अच्छा" लक्ष्य से अधिक है। आपकी कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में 2.206 मिलियन टन के मुकाबले 2.356 मिलियन टन पैलेट की बिक्री की गई थी। बेची गई कुल मात्रा में से निर्यात की गई मात्रा 1.989 मिलियन टन है जो कुल बिक्री का लगभग 84% है और शेष 0.367 मिलियन टन घरेलू ग्राहकों को बेची गई थी। तथापि, वर्ष के दौरान पैलेट प्रीमियम काफी गिर गया था, जो कि सिन्टर एवं लम्प जैसे सस्ते विकल्पों के उपयोग तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण था।

अव्यवहार्य परिचालनों के कारण ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू) निलंबित रही। कच्चे लौहे और उच्च कोक मूल्य के मंहगे मूल्य के कारण बीएफयू को फिर से शुरू नहीं किया जा सका।

चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्ष के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में क्षमता उपयोग और बिक्री निष्पादन की प्रस्तुति तालिका 1 और 2 में की गई है।

तालिका 1: क्षमता उपयोग

(मात्रा मिलियन टन में)

वर्ष	समझौता ज्ञापन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता का उपयोग % में
2019-20	**2.300**	**2.375**	**68**
2018-19	2.170	2.238	64
2017-18	1.925	2.327	66
2016-17	1.300	1.460	42
2015-16	1.800	0.100	3

(पैलेट संयंत्र की संस्थापित क्षमता 3.500 मिलियन टन है)

तालिका 2: बिक्री निष्पादन

(मात्रा मिलियन टन में, मूल्य लाख में)

वर्ष	पैलेट		कच्चा लोहा		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2019-20	**2.356**	**1878.97**	**0.003**	**5.20**	**2.359**	**1884.17**
2018-19	2.206	1,825.97	0.002	2.80	2.208	1,828.77
2017-18	2.301	1,553.09	0.003	0.40	2.304	1,553.49
2016-17	1.387	868.72	0.000	0.07	1.387	868.79
2015-16	0.409	198.45	0.001	1.35	0.410	199.80

(टिप्पणी : कच्चे लोहे में पूरक मदें शामिल हैं)

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निकल एवं क्रोम जोन के लिए आबंटित ऊद्बुर ब्लॉक, मैसूर (जिला), कर्नाटक में किया जा रहा ड्रिलिंग कार्य।

खनिज पदार्थ अंवेषण अनुबंध

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपको कम्पनी को खान एवं खनिज पदार्थ (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957के अनुच्छेद4 की उप अनुच्छेद (1) के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत अंवेषण कम्पनी के रूप में अधिसूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कम्पनी ने कुल अनुमोदित 127,89,93,379/- रुपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) संचित परियोजना लागत के साथ 13 खनिज अंवेषण परियोजनाओं का संचलन किया तथा खनन अंवेषण परियोजना कार्य से उत्पन्न राजस्व 9,71,76,067/- रुपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) है।

खनिज अंवेषण परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

➢ राष्ट्रीय खनिज अंवेषण ट्रस्ट, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित एवं निधियन की गई परियोजनाएं:-

(वस्तु एवं सेवा कर सहित)

क्र. सं.	परियोजना	कार्य विवरण	परियोजना स्थिति	कुल परियोजना अनुमोदित लागत	किए गए कार्य के प्रति व्यय का दावा
1	उदबूर गोल्ड ब्लॉक (यूजीबी) (एसआर_ केएआर_07), मैसूर जिला, कर्नाटक	202 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में स्वर्ण एवं सम्बद्ध तत्वों (निकल फेस) के लिए जी4 स्तर खनिज अंवेषण :	• पूर्ण क्षेत्र कार्य जिसमें पिटिंग, ट्रेंच और स्काउट ड्रिलिंग कार्य शामिल हैं। • - खनिज के चरण की स्थापना के लिए रॉक नमूनों का पेट्रोलॉजिकल अध्ययन प्रगति पर है।	5,90,88,050/-	2,61,41,359/-
2	नीरबुधीहल चूना पत्थर और डोलोमाइट ब्लॉक्स (पूर्व और पश्चिम), बगलकोट, कर्नाटक	चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए जी 4 स्तर खनिज अन्वेषण	• बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक मैपिंग कार्यों को पूरा किया और संभावित खनिज जोनों की पहचान की। • संभावित क्षेत्रों में खनिज की स्थापना के लिए ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर हैं।	1,85,63,906/-	12,37,779/- 11,92,801/- ***(पूर्ण भुकतान के लिए लंबित)***

क्र. सं.	परियोजना	कार्य विवरण	परियोजना स्थिति	कुल परियोजना अनुमोदित लागत	किए गए कार्य के प्रति व्यय का दावा
3	रेड्डीपाल्यम समामेलित चूना पत्थर ब्लॉक - लॉट 01, अरियालुर (तहसील एवं जिला), तमिलनाडु	जी3 और जी2 स्तर चूना पत्थर के लिए खनिज अंवेषण	- साइट कार्य शुरू करने के लिए सम्पर्क कार्य (विस्तृत भूवैज्ञानिक मैपिंग और ड्रिलिंग) प्रगति पर हैं	2,62,07,494/-	शून्य
	कुल योग			**10,38,59,450/-**	**2,85,71,939/-**

➢ कर्नाटक सरकार द्वारा आबंटित एवं निधियन की गई परियोजनाएं :-

(वस्तु एवं सेवा कर सहित)

क्र. सं.	परियोजना	कार्य विवरण	परियोजना स्थिति	कुल परियोजना अनुमोदित लागत
1	लौह अयस्क और मैंगनीज - बेल्लारी और चित्रा दुर्गा जिला में स्थित जी 3 और जी 2 स्तर के लिए 09 ब्लॉक (लॉट नंबर 01 और 02)	• विस्तृत भूवैज्ञानिक मैपिंग और टोपो सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। • तकनीकी समिति ने 05 ब्लॉकों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करके बोरहोल योजना अनुमोदित की है। • फॉर्म सी की प्रस्तुति द्वारा ड्रिलिंग कार्य लेने के लिए वन अनापत्ति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।	96,21,66,102/-	5,84,06,606/- ***(पुनर्भुगतान के लिए लंबित)***
2	बेल्लारी (जिला) में स्थित जी2 स्तर के लिए हदीनपेड आयरन ओर ब्लॉक (एचआईओबी)	• विस्तृत भूवैज्ञानिक मैपिंग कार्यों को पूरा किया। • टोपो सर्वेक्षण और नमूना विश्लेषण कार्य प्रगति पर हैं।	21,29,56,026/-	1,01,97,522/- ***(पुनर्भुगतान के लए लंबित)***
	कुल राशि		**117,51,22,128/-**	**6,86,04,128/-**

➢ खनिज अंवेषण कार्य का चित्रण नीचे प्रस्तुत है:-

[कुल परियोजना मूल्य (वस्तु एवं सेवा कर सहित)**]**

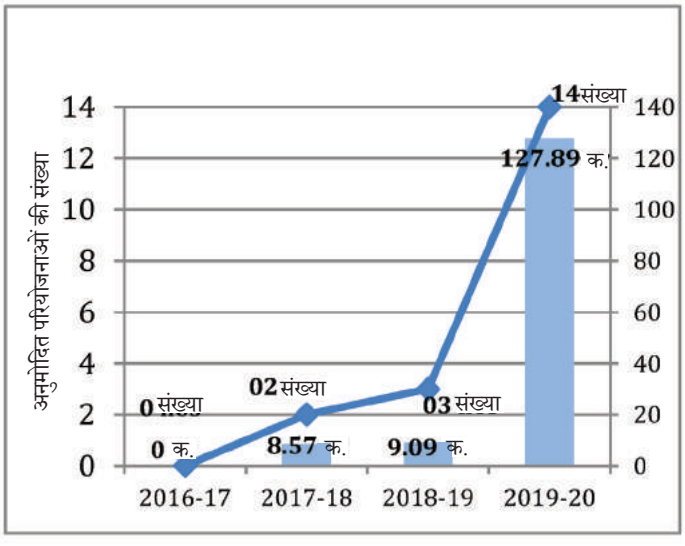

[कुल राजस्व उत्पति (वस्तु एवं सेवा कर सहित)**]**

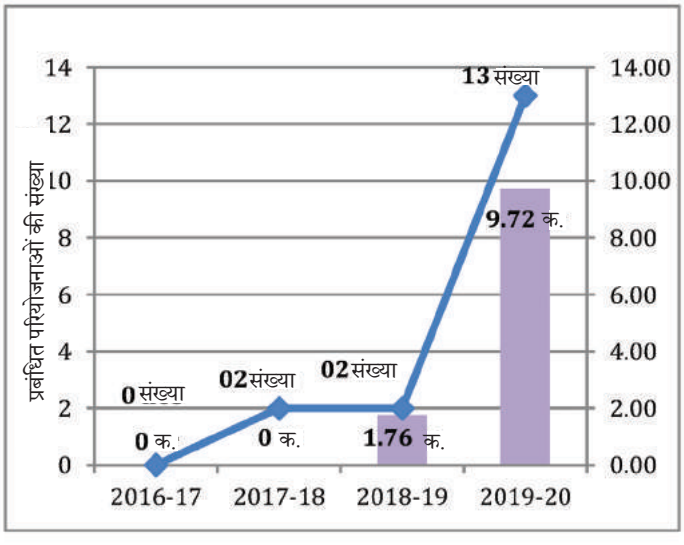

परिचालन एवं अनुरक्षण पोर्टल

मैसर्स एनएमडीसी, डोनिमलाई: - आपकी कंपनी ने अगस्त 2015 के दौरान दोनिमलाई, कर्नाटक में एनएमडीसी के 1.89 एमटीपीए बेनिफिसियेशन प्लांट एवं 1.2 एमटीपीए पैलेट प्लांट के संचालन और रखरखाव का काम संभाला था और प्री-कमीशनिंग गतिविधियों के लिए कंपनी की तकनीकी जनशक्ति को तैनात किया गया था, उपकरण के ट्रायल रन आदि और संयंत्र को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया था। तथापि, एनएमडीसी ने अनुबंध को 31.10.2019 से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला

किया, इसलिए कंपनी ने एनएमडीसी, दोनिमलाई के साथ किए गए परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध को01.11.2019 से समाप्त कर दिया था। उक्त कार्य के लिए तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपनी के विभिन्न स्थानों पर फिर से तैनात किया गया था।

मैसर्स ओएमसी द्वारा दक्षिण कलियापानी में किए जा रहे फेब्रिकेषन एवं संस्थापन के कार्य

दक्षिण कालियापानी,उड़ीसा राज्य में मैसर्स ओएमसी :-

मैसर्स ओएमसी द्वारा आपकी कम्पनी को संयंत्र को कमीशन करने के शेष कार्य पूरे करने का कार्य सौंपा गया है। शेष कार्य के लिए अनुबंध का कूल मूल्य 28.60 करोड़ रुपये जमा जीएसटी था तथा परिचालन के पश्चात कम से कम पांच वर्ष तक परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाने अपेक्षित थे। आपकी कम्पनी ने अनुबंध के अंतर्गत सिविल, संरचना एवं इलैक्ट्रिकल तथा उपकरण कार्य पूरे कर लिए हैं। शेष कार्य प्रगति पर है तथा इनके 30.11.2020 तक पूरे होने की संभावना है।

बाजार परिदृश्य

वर्ष 2019 के दौरान वर्ष 2018 की तुलना में 3.4% की वृद्धि के साथ विश्व कच्चे इस्पात का उत्पादन 1,869.9 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष 2019 में एशिया और मध्य पूर्व को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कच्चे इस्पात का उत्पादन कम हुआ था। एशिया ने 2019 में 1,341.6 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो वर्ष 2018 की तुलना में 5.7% की वृद्धि है। चीन का कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2019 में 2018 की तुलना में 8.3% की वृद्धि के साथ 996.3 मिलियन टन तक पहुंच गया था। चीन के वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन का भाग 2018 के 50.9% से बढ़कर 2019 में 53.3% हो गया था। वर्ष 2019 में भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 111.2 मिलियन टन था, जो 2018 की तुलना में 1.8% बढ़ा था और ऐसा करके भारत विश्व दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों द्वारा चेम्पियन कनाडा एंड ग्लेनकोर ऑफ कार्पोरेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ दिनांक 12.05.2020 को हमारे पैलेट संयंत्र के लिए उच्च रसायन के संघटन से युक्त कच्ची सामग्री के नए स्रोतों के संबंध में चर्चा की गई।

जापान ने वर्ष 2019 में 99.3 मिलियन टन उत्पादन किया था जो 2018 की तुलना में 4.8% कम है। यूएसए ने वर्ष 2018 में किए गए 86.6 मिलियन टन की तुलना में 1.39% बढ़त के साथ 87.9 मिलियन उत्पादन किया। दक्षिण कोरिया ने 2019 में 71.4 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया जो 2018 की तुलना में 1.4% कम है। मध्य पूर्व में 45.3 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन 2019 में हुआ जो 2018 की तुलना में 19.2 % अधिक है।

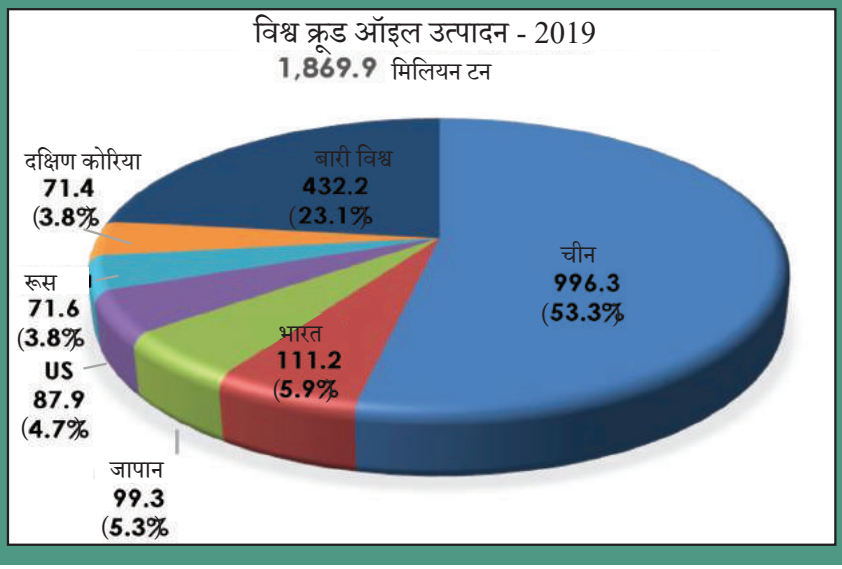

वर्ष 2019-20 के दौरान, सीबोर्न पैलेट बाजार में कमजोरी देखी गई। यूरोपीय इस्पात उत्पादकों, जो पैलेट का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं, ने इस्पात की खराब मांग के कारण अपने उत्पादन में कटौती कर दी थी। यूरोप में कच्चे इस्पात का उत्पादन लगभग 3.9% बढ़ा था। जापान में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भी लगभग 4.8% की कमी आई है। उपरोक्त के मद्देनजर, पैलेट की मांग काफी कम हो गई और पैलेट प्रीमियम लगभग 55% - 60% तक गिर गया जबकि लौह अयस्क का बाजार पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा।

यूरोप, जापान इत्यादि के लिए तैयार आपूर्तियां चीन के लिए पथांतरित कर दी गई जिससे पैलेट के मूल्य दबाव में आ गए। औसत पैलेट मूल्य वर्ष प्रति वर्ष की तुलना में 7% तक गिर गया।

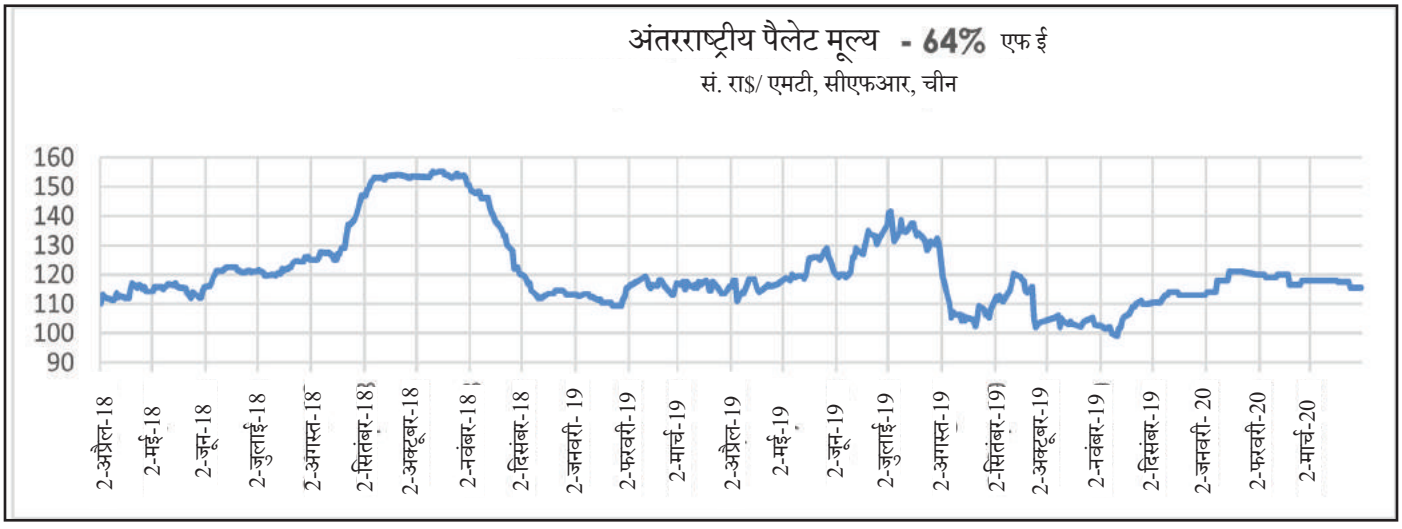

वर्ष 2019-20 के दौरान खराब मांग के कारण पैलेट की बिक्री वर्ष प्रति वर्ष की तुलना में 46.4% कम हुई। कुल बिक्री में घरेलू बिक्री का अंशभाग पिछले वर्ष के 31.3% की तुलना में सिकुड़कर 15.6 % हो गया।

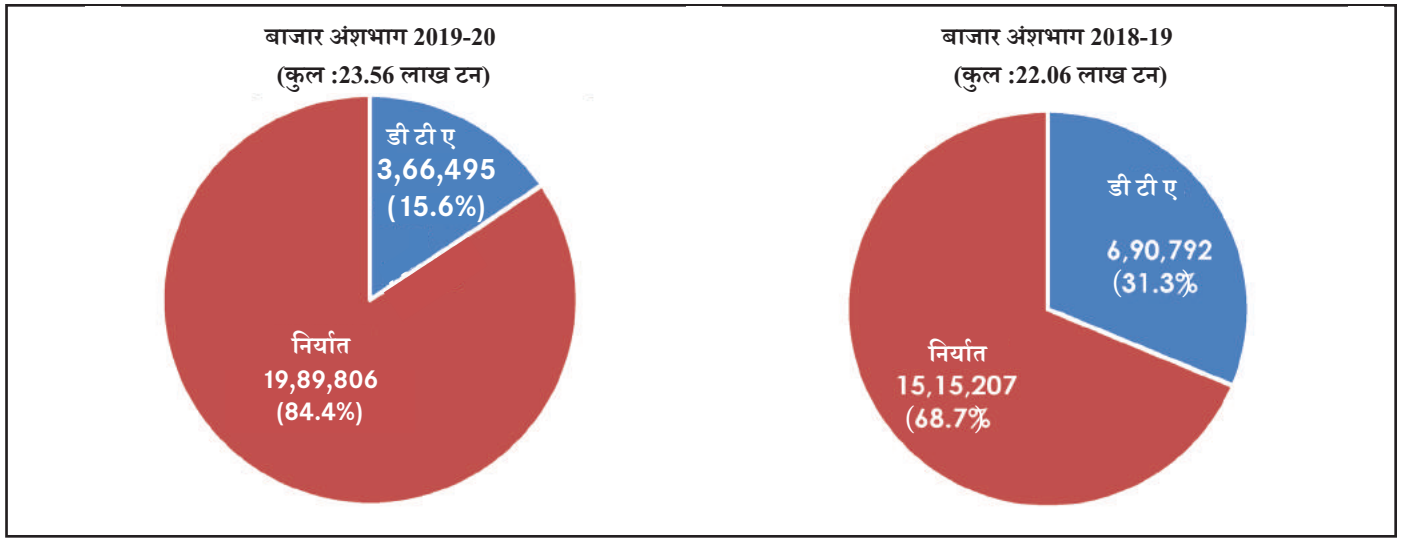

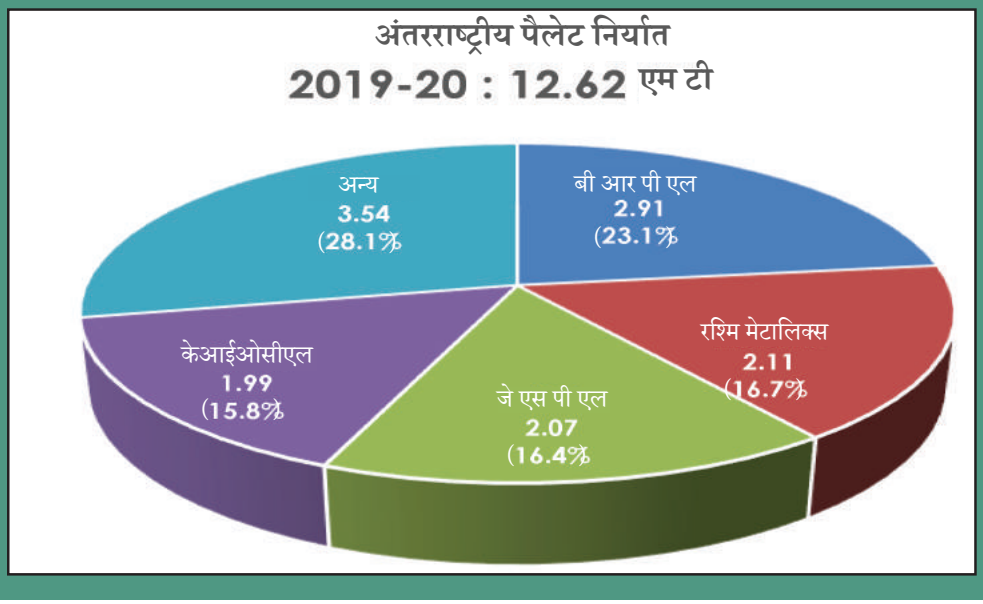

केआईओसीएल अपने बाजार आधार में विविधता लाने और कुछ बाजारों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान चीन के अलावा अन्य बाजारों से किए गए कुल निर्यात के लगभग 43% भाग में से अकेले मध्य पूर्व ने 29.3% योगदान दिया था जो कि पिछले वर्ष 10% था। भारत से पैलेट निर्यात 2019-20 के दौरान लगभग 12.62 मिलियन टन रहा। केआईओसीएल द्वारा बीआरपीएल, रश्मी मेटालिक्स एवं जेएसपीएल के पश्चात चौथे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में 1.99 मिलियन टन की मात्रा निर्यात की गई है।

पूंजीगत व्यय एवं विकास योजना :

प्रतिस्पर्धी बाजार में आपकी कम्पनी की संवहनीयता / व्यवहार्यता के लिए तथा भविष्य में संतुलित विकास के उद्देश्य से आपके निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

श्री प्रह्लाद जोशी, माननीय खनन, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.9.2019 को माइनिंग माजमा-2019 के आयोजन अवसर पर केआईओसीएल के स्टॉल का उद्घाटन

देवदारी लौह अयस्क खान का प्रारंभ एवं विकास

कर्नाटक द्वारा दिनांक 23/01/2017 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत देवदारी रेंज, संदुर तालुक, बेल्लारी जिले में लौह एवं मैंगनीज अयस्क का मंगलुरू में स्थित पैलेट संयंत्र एवं ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में कैप्टिव उपयोग के लिए 470.40 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है। कंपनी ने खनन लीज डीड के निष्पादन के उद्देश्य से प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। खनन योजना दिनांक 8.3.2018 को 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क के उत्पादन करने तथा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्रशिंग, कंवेयिंग एवं बेनफिकेशन संयंत्र के लिए अनुमोदित की गई थी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आधार रेखा अध्ययन करने के लिए दिनांक 16/05/2018 को संदर्भ शर्तें जारी की गई थीं। पर्यावरण अनापत्ति की प्रस्तुति दिनांक 19/12/2019 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष की गई थी। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 07/02/2020 को पर्यावरण मूल्यांकन की बैठक के सारांश रिकॉर्ड जारी किए थे और केआईओसीएल को परियोजना की वन अनापत्ति की स्थिति सहित अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने और तुंगभद्रा बांध से परियोजना के लिए पानी के निर्धारण कोप्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। इसके संबंध में प्रक्रिया की जा रही है। कंपनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आनलाइन पोर्टल के माध्यम से फार्म 'ए' में वन अनापत्ति का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।

वन अनापत्ति के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव (वन), कर्नाटक सरकार द्वारा अनुशंसा प्रदान करने तथा सैद्धांतिक अनुमोदन (चरण 1) की प्राप्ति के लिए इसकी प्रस्तुति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को करने से संबंधित प्रक्रिया की जा रही है।

देवाद्री लौह अयस्क खनन परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप लॉक-डाउन के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है।

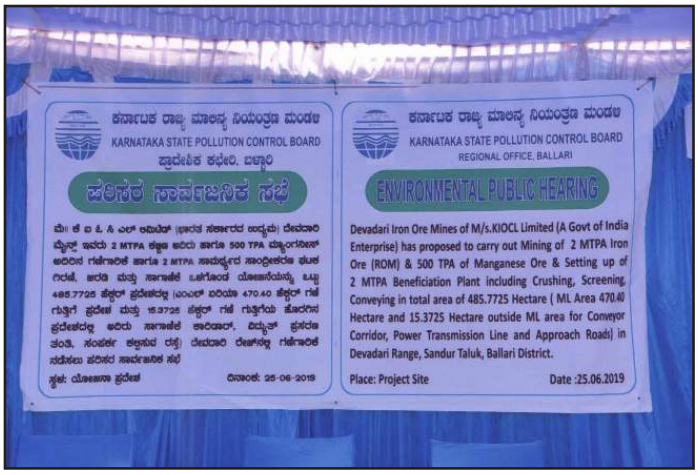

देवदारी रेंज, संदुर तालुक, बेल्लारी जिला में दिनांक 25.6.2019 को आयोजित जन सुनवाई का दृश्य

कंपनी द्वारा लगभग 1500 - 2000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के साथ खान विकास, बेनिफिकेशन संयंत्र की कमीशनिंग के साथ साथ अवसंरचना विकास के कार्यों यथा रेलवे साइडिंग, पानी की पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, कन्वेयर कॉरिडोर के कार्य किए जाएंगे। इस खान से उत्पादित लौह अयस्क का उपयोग मंगलुरु में मौजूदा पैलेट और कच्चे लौहे के अयस्क संयंत्रों के लिए किया जाएगा। साइट पर पैलेट प्लांट स्थापित करने की परिकल्पना बाद के चरण के लिए है।

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू), मंगलूरु की कोक ओवन संयंत्र (बैकवर्ड) और डीआईएसपी (फॉरवर्ड इंटीग्रेशन) परियोजनाओं की स्थापना।

केआईओसीएल के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13.11.2018 को केआईओसीएल की मंगलौर में स्थित मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना के रूप में 1.80 लाख टीपीए क्षमता के गैर-रिकवरी कोक ओवन प्लांट और 2 लाख टीपीए क्षमता वाले डक्टाइल लौह स्पन पाइप (डीआईएसपी) परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 20.11.2019 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे 836.90 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है, जिनमें से 276.17 करोड़ रुपये की पूर्ति कंपनी के रिजर्व के माध्यम से और शेष ऋण के माध्यम से की जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 27.02.2020 को परियोजना के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रदान कर दी है। कंपनी ने इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण प्रबंधन (ईपीसीएम) सेवाओं के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में मेसर्स मेकॉन को नियुक्त किया है जो विस्तृत इंजीनियरिंग, प्रापण सेवाएं एवं परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करेगी। डीआईएसपी, कोक ओवन, अपशिष्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट और प्लवराइज्ड कोल इंजेक्शन संयंत्र परियोजनाओं के लिए एजेंसी को अंतिम रूप देने की निविदा प्रक्रिया चल रही है। तथापि, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वप लॉक-डाउन के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है।

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू), मंगलौर की कोक ओवन संयंत्र (बैकवर्ड) और डीआईएसपी (फॉरवर्ड इंटीग्रेशन) परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में दिनांक 10.10.2019 को आयोजित जन सुनवाई का दृश्य

5.0 एमडब्ल्यूएसी कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

मंगलूरु में कंपनी के संयंत्रों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और कुछ सीमा तक पैलेट उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, कंपनी द्वारा 5.0 एमडब्ल्यूएसी के कैप्टिव सोलर प्लांट की स्थापना की संकल्पना की गई है। इसके लिए कंपनी ने कर्नाटक में 5.0 एमडब्ल्यूएसी (6.5 एमडब्ल्यूपी) कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना के उद्देश्य से मैसर्स ऐश्वर्यागिरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु को ईपीएस ठेकेदार (इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण ठेकेदार) की सेवाएं प्राप्त की हैं। ईपीसी ठेकेदार द्वारा एक भूखंड को संज्ञान में लिया गया है और भूखंड के दस्तावेजों पर कानूनी संवीक्षा की जा रही हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, कैप्टिव खपत के लिए 5 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने की आवश्यक अनापत्ति के लिए इसे जिला प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा।

मंगलुरू में केआईओसीएल के बीएफयू परिसरों में 1.3 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र का दृश्य

मंगलुरू में केआईओसीएल के बीएफयू परिसरों में 1.3 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कैप्टिव खपत के लिए ब्लास्ट फर्नेस यूनिट के परिसर में 1.3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू कर दिया था। सौर ऊर्जा संयंत्र प्रति दिन औसतन 5,300 केडब्ल्यूएच बिजली उत्पन्न कर रहा है और इससे प्रति वर्ष लगभग 19 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न हो रही है। मंगलूरु में भारी मानसून, जो कि सामान्य मानसून की चार महीने की अवधि से अधिक, के कारण सौर संयंत्र की पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी,, जिसके कारण बिजली उत्पादन कम होकर प्रति दिन 1500 - 2000 केडब्ल्यूएच हो रहा है।

संयुक्त उद्यम / समझौता ज्ञापन

केआईओसीएल तथा आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम आधार पर 2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र की स्थापना

केआईओसीएल ने आरआईएनएल विशाखापत्तनम के परिसर में 2 एमटीपीए क्षमता के पैलेट संयंत्र की संयुक्त उद्यम आधार पर स्थापना के लिए मैसर्स आरआईएनएल विशाखापत्तनम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना को आगे ले जाने के लिए, केआईओसीएल ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और शेयरधारकों की सहमति के दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, जिसे केआईओसीएल और आरआईएनएल दोनों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। केआईओसीएल द्वारा अपने परिसर के भीतर आरआईएनएल द्वारा संज्ञान में लिए गए 92 एकड़ माप के नए स्थान के अनुसार संदर्भ शर्तें प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सम्मुख आवश्यक आवेदन फिर से प्रस्तुत किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरण अनापत्ति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनापत्ति तथा स्थापना स्वीकृति (सीओई) प्राप्त करने के लिए मेसर्स मेकॉन की सेवाएं तकनीकी सलाहकार के रूप में प्राप्त की गई हैं। इसके अलावा, मैसर्स आरआईएनएल ने मैसर्स यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक एंड सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई की सेवाएं उस भूमि का मूल्यांकन करने के लिए प्राप्त की गई है जो परियोजना के लिए उनकी ओर से इक्विटी का भाग बनेगी।

मैसर्स सेल के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने संयुक्त उद्यम (जेवी) के अंतर्गत पैलेट संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अंवेषण के उद्देश्य से मैसर्स सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। पैलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए मेसर्स सेल के सर्वोत्तम अनुकूल आईएसपी की पहचान के लिए विश्वसनीय टीईएफआर को तैयार करने का कार्य मेसर्स मेकॉन को सौंपा गया था। उचित परामर्श के पश्चात मैसर्स सेल के बोकारो स्टील लिमिटेड में 4 एमटीपीए पैलेट संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप देने और संयुक्त उद्यम के अंतर्गत पैलेटसंयंत्र स्थापित करने की अन्य शर्तें निर्धारित करने के लिए मैसर्स सेल के साथ प्रक्रिया की जा रही है।

पैलेट संयंत्र यूनिट का आधुनिकीकरण

ब्लेंडर रिक्लेमर का दृश्य

1000टीपीएच क्षमता वाले बैरेल टाइप ब्लेंडर रिक्लेमर का प्रापण एवं संस्थापन

आपकी कंपनी ने संबंधित सिस्टम और सुविधाओं और सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क्स सहित 1000 टीपीएच क्षमता के बैरल प्रकार ब्लेंडर के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, उतराई, साइट पर हैंडलिंग, भंडारण, संस्थापन, मौजूदा प्रणाली के साथ एकीकरण, कमीशनिंग और निष्पादन गारंटी परीक्षण तथा सम्बद्ध सिस्टम एवं सुविधाओं सहित पैलेट के विद्यमान शैड नम्बर 2 में सिविल एवं संरचनात्मक निर्माण के लिए जीएसटी के अलावा 17.60 करोड़ रुपये का ऑर्डर जारी किया है।

संयंत्र यूनिट का एकीकरण कन्वेयर सीबी-86 जैसी विद्यमान व्यवस्था के साथ लॉग टैवल इत्यादि के लिए समान रेल्स का उपयोग करके किया जाना है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने बैरेल टाइप ब्लेंडर रिक्लेमर का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं इसकी प्रक्रिया से संबंधित अंतिम कमीशनिंग कर ली है।

मंगलूरु में केआईओसीएल के फ़िल्टर संयंत्र के लिए प्रेशर फिल्टर का प्रापण और स्थापना

उड़ीसा से स्रोत किए जाने वाले लौह अयस्क में उच्च एल्यूमिना घटक, उच्च ब्लेन एवं पतले प्रकार का स्वरूप होता है। विद्यमान वैक्यूम डिस्क फिल्टर के साथ, निस्पंदन दर 120 टन प्रति घंटे की डिज़ाइन की गई क्षमता की तुलना में प्रति फिल्टर प्रति 20 टन तक कम होती है और फ़िल्टर किए गए केक में 9 से 10% की अपेक्षा के स्थान पर 12% से अधिक नमी का स्तर होता है। यह उच्च नमी उत्पादित पैलेट सामग्री की भौतिक गुणवत्ता के संदर्भ में पैलेटाइजेशन की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और जिसके परिणामस्वरूप जले हुए चूने, बेंटोनाइट, फर्नेस ऑयल और इलेक्ट्रिक ऊर्जा की उच्च विशिष्ट खपत के साथ उत्पादकता में भी कमी आती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को विचार में लेकर मेसर्स मेकॉन की सेवाएं इसका अध्ययन करने एवं तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त की गई थी। मैसर्स मेकॉन ने अध्ययन पूरा करके अपनी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट विद्यमान एसपीएफ़ भवन में 4 वर्टिकल प्रेशर फ़िल्टर स्थापित करने की सिफारिश के साथ प्रस्तुत कर दी है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के प्रति केआईओसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। सर्किट में वर्टिकल प्रेशर फिल्टर के उपयोग से विभिन्न स्रोतों से बेहतर लौह अयस्क का उपयोग करने से कंपनी के परिचालन लोचक हो सकेंगे और पैलेट निर्माण के लिए उड़ीसा से बेहतर लौह अयस्क की वृद्धि के साथ परिचालन व्यय कम हो जाएगा।

कंपनी ने मंगलौर के पैलेट संयंत्र में 04 वर्टिकल प्लेट प्रेशर फिल्टर्स के निर्माण, टेस्टिंग और कमीशनिंग के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति और पर्यवेक्षण के लिए ओपन निविदा जारी कर दी है। ओपन टेंडर के प्रति प्राप्त दो प्रस्तावों पर तकनीकी जांच की जा रही है।

3. डिजिटल इंडिया - एकल एकीकृत सूचना प्रणाली / ईआरपी

डिजिटल परिवर्तन की ओर अग्रसर बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने के लिए नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से कंपनी ने मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग, एलएलपी की, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सलाहकार के रूप में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संगठनात्मक संरचना आदि सहित विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का आकलन करने और भविष्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सिफारिश करने के लिए, सेवाएं प्राप्त की गई हैं। परामर्शदाता की सिफारिश के आधार पर कंपनी ने सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में कंपनी की सहायता तथा कम्पनी में ईआरपी समाधान के लिए मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन एलएलपी को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया था। उपर्युक्त प्रयासों को जारी रखते हुए, दिनांक 11.02.2020 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित किए गए सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए कार्य आदेश जारी करने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है तथा कार्यात्मक निदेशकों को मूल्य के संबंध में सिस्टम इंटीग्रेटरों के साथ परक्रामण करने तथा ईआरपी के संबंध में कार्य आदेश जारी करने के लिए अंतिम निर्धारण के लिए कहा गया है जो ऐसी व्यवस्था के पश्चात कार्यान्वयन एवं वार्षिक आवृति लागत के रूप में की जानी है। कार्यात्मक निदेशकों की समिति ने संज्ञान में लिए गए एसआई के साथ एक परक्रामण बैठक थी और कंपनी के अनुमान की तुलना में प्रस्तावित उच्च कीमत को देखते हुए, कार्यात्मक निदेशकों की समिति ने निविदा रद्द करने की सिफारिश करते हुए नई निविदा जारी करने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात, ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए दिनांक13.07.2020 को एक खुली निविदा जारी की गई थी जिसके अंतर्गत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05.08.2020 है।

4. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध

मानव सम्पदा

आपकी कंपनी ने मानव संसाधन प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में कर्मचारियों की पहल, नवाचारों और आकांक्षाओं को पोषण करने के लिए सकारात्मक कर्मचारी-नियोक्ता संबंध बनाने के उद्देश्य से अग्रसक्रिय उपाय करके परिवर्तन को प्रबंधित करने और निरंतर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए, आपकी कंपनी की मानव संसाधन नीतियों और व्यवहारों को कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सदैव संवेदनशील रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आपकी कम्पनी में 805 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 219 (27%) अधिकारी, गैर-यूनियन सुपरवाइजर 41 (5%) और 545 गैर-कार्यकारी कर्मचारी (68%) हैं।

तालिका: 3 नीचे 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वर्गों में कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है:

समूह	योग	अजा	अजजा	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कर्मचारियों की संख्या
क	219	46	13	-	4	10
ख	41	3	2	-	-	7
ग	534	78	30	-	5	6
घ तथा घ (एस)	11	5	5	-	3	1
योग	**805**	**132**	**50**	**-**	**12**	**24**

दिव्यांग जन अधिनियम, 1995के अंतर्गत अनुपालन

आपकी कम्पनी दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अनुपालन का सुनिश्चय करती है। दिव्यांग जनों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर उचित प्रावधान / सुधार किए गए हैं।

महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

आपकी कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्टिंग की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करती है।

आपकी कंपनी की यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रक्रियाएं कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध, एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। कम्पनी ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का विधिवत गठन किया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के दायरे में आते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध, एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष के दौरान दर्ज किए गए और मामलों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

(i)	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या:	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या:	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या:	शून्य

डब्ल्यूआईपीएस,कार्पोरेट विंग द्वारा कर्नाटक पब्लिक स्कूल, अगोरा, बेंगलूरु के विद्यार्थियों के लिए 10.1.2020 को आयोजित चिकित्सा कैम्प

महिलाओं का सशक्तीकरण

आपकी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र में फोरम ऑफ वूमेन ऑफ पब्लिक सेक्टर (डब्लूआईपीएस), जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मानक सम्मेलन (एससीओपीई) के स्थायी सम्मेलन के तत्वावधान में कार्य कर रहा व्यावसायिक निकाय है, की कार्पोरेट लाइफ सदस्य है। सभी महिला कर्मचारी उक्त फोरम में आजीवन सदस्य हैं। को-ऑर्डिनेटरों को कंपनी से रोटेशन के आधार पर डब्ल्यूआईपीएस की एपेक्स बॉडी और दक्षिण क्षेत्र के साथ सम्पर्क कार्य के लिए नामित किया जा रहा है।

कंपनी महिला कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष डब्ल्यूआईपीएस के फोरम के वार्षिक मीट एंड रीजनल मीट में शामिल होने के लिए नामित करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 को मंगलूरु में धूमधाम से मनाया गया। केआईओसीएल को दिनांक 11 और 12 फरवरी,2020 को हैदराबाद में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के फोरम की 30 वीं राष्ट्रीय बैठक के दौरान स्कोप के महानिदेशक श्री अतुल सोबती द्वारा वर्ष

सार्वजनिक उद्यम प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एक समर्पण" के रूप में केआईओसीएल की डब्ल्यूआईपीएस विंग को "डब्ल्यूआईपीएस एक्टिविटीज अवार्ड की पहचान से सम्मानित किया।

2018-19 के लिए मिनिरत्न श्रेणी के अंतगर्त "लोक उद्यम प्रबंधन में उत्कृष्ट क्रियाकलापों की मान्यता के लिए डब्ल्यूआईपीएस सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है।

औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी द्वारा कर्मचारियों और प्रबंधन के चुने हुए प्रतिनिधि निकायों के साथ सहयोग एवं सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बरकरार रखा गया है जिससे मानव दिवस की कोई क्षति नहीं हुई है। मानव संसाधन नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ लगातार संरेखित किया गया था और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त संशोधन किए गए थे, व्यापार की स्थिति आदि को मान्यता दी थी। मान्यता प्राप्त यूनियनों ने गैर-अधिशासी कर्मचारियों के लिए 01.01.2017 से वेतन संशोधन लागू करने के लिए प्रबंधन को चार्टर ऑफ डिमांड प्रस्तुत किया था। निदेशक मंडल ने दिनांक 18-05-2020 को आयोजित बैठक में गैर-अधिशासी कर्मचारियों के लिए वेतनमान के संशोधन को 01.01.2017 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी थी।। इसके बाद, इस्पात मंत्रालय को इसकी मंजूरी के लिए वेतन संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है।

भर्ती, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अधिवार्षिता

वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न स्तरों पर इक्कीस (21) अधिशासी भर्ती किए थे और सात (7) कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान की गई थी तथा 48 (अड़तालीस) कर्मचारियों ने अधिवार्षिता की अवधि पूरी की थी

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश / निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन योजना और सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजनाएं निष्पादित की गई। केआईओसीएल ने कार्यकारी और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए 1.1.2017 से लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा इस्पात मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 7.10.2019 के आदेश संख्या 5(21)200-केआईओसीएल के अनुदेशों के अनुसार वेतन संशोधन का कार्यान्वयन किया गया था।

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य के आधार पर लोक क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) के स्तर -2 को प्राप्त करने के लिए आकलन किया है। यह अध्ययन बाह्य एजेंसी मैसर्स क्यूएआई इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया गया था।

कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, बेंगलूरु द्वारा रिट याचिका संख्या 42152-42620 / 20 [एलपीएफ] के संबंध में जारी आदेश के अनुसरण में 469 याचिकाकर्ताओं के हित के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदानों के ब्याज सहित अंतर की राशि का आकलन नवम्बर,1995 से 58 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने अथवा कम्पनी से अलग होने की तिथि, जो भी पहले हो, के अनुसार किया गया था तथा कम्पनी से अलग हुए कर्मचारियों को केआईओसीएल भविष्य निधि ट्रस्ट में इस राशि को जमा कराने की सूचना दी गई थी तथा इसके प्रति केआईओसीएल भविष्य निधि ट्रस्ट इसे आगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करवाएगा। तदनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) बेंगलूरु को राशि जमा करवाने के लिए बैंक खाता विवरण सूचित किया गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) से बैंक खाता विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के अंतर्गत तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं के निर्माण के उद्देश्य से कर्मचारियों के विशेष समूह के लिए वेब लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) मंगलूरु में आयोजित किया गया था। कर्मचारियों के कौशल स्तर के संवर्धन के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाहरी सेमिनार के लिए नामांकन, सम्मेलन, लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के श्रम दिवस 2253 थे।

कर्मचारियों का विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक5 जून,2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कम्पनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की प्रयोज्यता के प्रति छूट दी गई है। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठनीय धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

सार्वजनिक / कर्मचारी शिकायत निवारण

आपकी कंपनी ने एक विधिवत परिभाषित शिकायत प्रक्रिया तैयार की है, जो 'अनुशासन संहिता' के अंतर्गत निर्मित्त की गई है। कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया जाता है। जब कभी सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके समाधान के लिए भी आवश्यक निवारक उपाय किए जाते हैं। कर्मचारियों की शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतों / समस्याओं को ग्राहक / उपभोक्ता शिकायतों / ठेकेदारों, गैर सरकारी संगठनों / आम जनता आदि की शिकायतों में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित परियोजना प्रमुखों को अपने क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों के निपटान का अधिकार है। 1 मई, 2011 से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीगीआरएएमएस) के लिए लिंक प्रदान किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। एक सार्वजनिक सेवा वितरण (सेवोत्तम) पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया है। भारत में नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन और सुधार करने के लिए। प्रणाली में वितरित सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, उद्देश्य, गुणवत्ता में सुधार, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग करना और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक जानकारीपूर्ण होना शामिल है। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

5. कार्पोरेट गवर्नेंस

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के 34(3) तथा पैरा सी के अनुसरण में पेशेवर कम्पनी सचिव से अनुपालन के स्तर के प्रमाण पत्र के साथ निगमित सुशासन से संबंधित एक अलग खंड संलग्न किया गया है जो निदेशक मंडल की रिपोर्ट का भाग है।

निदेशक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

निदेशक मंडल में दस सदस्य हैं, जिनमें से चार कार्यपालक अथवा पूर्णकालिक निदेशक, दो गैर-कार्यकारी निदेशक होते हैं, जो इस्पात मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं और चार स्वतंत्र निदेशक होते हैं। पारिश्रमिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अन्य विवरण वार्षिक विवरण में दिए गए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता से संबंधित घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25 में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते है। निदेशक मंडल की दिनांक 18.05.2020 को आयोजित 264 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा को संज्ञान में लिया गया है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कम्पनी (स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबेस का निर्माण एवं अनुरक्षण) नियमावली, 2019 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अहर्ता) पांचवा संशोधन नियमावली, 2019 के अंतर्गत लॉन्च किए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से अधिकांश ने अपना पंजीकरण करवा लिया है।

महिला निर्देशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) (क) के द्वारा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में 30.01.2020 तक निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक थी।

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

समावेशन

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को समय-समय पर कंपनी के निदेशकों को नियुक्त करने और ऐसे निदेशकों के पद का कार्यकाल का भी निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है। तदनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित नियुक्तियां की गई थी:-

1. श्री रंजीत श्रीनिवास और श्री निर्मलेंदु महापात्र को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और कंपनी के निदेशक मंडल में उनका पदनामन 21.10.2019 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर किया गया था। इस नियुक्ति के प्रभाव से श्री रंजीत श्रीनिवास और श्री निर्मलेंदु महापात्रा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत अगली वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक पद का धारण करेंगे।
2. श्री जी. रामासामी की नियुक्ति दिनांक 22.11.2019 के आदेश के अंतर्गत अपर निदेशक के पद पर की गई थी और कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में उन्हें दिनांक 07.12.2019 से पदनामित किया गया था। इस नियुक्ति के प्रभाव से श्री जी. रामासामी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत अगली वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक पद का धारण करेंगे।
3. डॉ. रोहित यादव, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय को अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया और श्री सरस्वती प्रसाद, एसएस एवं एफए, इस्पात मंत्रालय के स्थान पर उनका पदनामन सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर दिनांक 22.1.2020 से किया गया था।
4. श्री के.वी. भास्कर रेड्डी को अपर निदेशक के के पद पर नियुक्त किया गया था और निदेशक (उत्पादन और परियोजना) के पद पर उनका पदनामन दिनांक 01.03.2020 से किया गया था। इस नियुक्ति के प्रभाव से, श्री के.वी. भास्कर रेड्डी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत अगली वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक पद का धारण करेंगे।
5. इस्पात मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त श्री विजय कुमार सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय को अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा डॉ रोहित यादव, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय के स्थान पर कम्पनी के निदेशक मंडल में दिनांक 17.3.2020 से उन्हें सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के प्रभाव से श्री विजय कुमार सिंह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत अगली वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक पद का धारण करेंगे।

कार्यकाल समापन

1. दिनांक 25.11.2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने के प्रभाव से श्री माधव लाल कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।
2. दिनांक 25.11.2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने के प्रभाव से डॉ. दीपिका शर्मा कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं हैं। .
3. इस्पात मंत्रालय के दिनांक 22.1.2020 के आदेश संख्या 1/16/2015-बीएलए के अनुसरण में दिनांक 22.1.2020 से कम्पनी के निदेशक मंडल में श्री सरस्वती प्रसाद, सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नहीं हैं।
4. श्री एन. विद्यानंद, निदेशक (उत्पादन और परियोजनाएं) अपनी अधिवार्षिता की आयु के प्रभाव से दिनांक 29.02.2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हैं।
5. सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ. रोहित यादव ने अपने दिनांक 27.02.2020 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया था कि वे दिनांक 25.2.2020 की अपराह्न से इस्पात मंत्रालय में अपने कार्यभार से मुक्त होने तथा उनकी प्रतिनियुक्ति प्रधान मंत्री कार्यालय में होने के प्रभाव से निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद से त्याग पत्र दे रहे हैं तथा इस प्रकार वे 25.02.2020 से कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हैं।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति / त्यागपत्र

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति / त्यागपत्रका कोई मामला नहीं है।

रोटेशन से सेवानिवृत्त निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के उपबंधों के अनुसार श्री एस.के. गोराई और श्री टी. श्रीनिवास कार्यालय में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल के पश्चात आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण वे स्वयं की पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने उनकी पुन:नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 6 बैठकें आयोजित की गई हैं तथा इससे संबंधित विवरण कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है। किन्हीं भी दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं थी। बैठकों का आयोजन सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के सम्बद्ध विनियमों तथा द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित साचिवीय मानक (एसएस-1) के अनुसार किया गया था।

निदेशकों की उत्तरदायित्व अभिव्यक्ति

अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार और अपने द्वारा प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में निम्नलिखित अभिव्यक्ति करते हैं कि:

क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करने की प्रक्रिया में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सामग्रीगत डिपार्चर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया था।

ख) कंपनी ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका निरंतर उपयोग किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमानों का उपयोग किया जो औचित्यपरक एवं विवेकपूर्ण रूप में वित्तीय वर्ष को समाप्त कम्पनी के कार्यों तथा इस अवधि के लाभ एवं हानि की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं।

ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और जालसाजी और अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकॉर्ड के पर्याप्त रखरखाव की दिशा में कंपनी ने उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

घ) कंपनी ने वार्षिक लेखा का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर किया है।

ड़) कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा वे पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

च) कंपनी ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की है और यह व्यवस्था पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

वार्षिक विवरण का संक्षेप सार

अधिनियम की धारा 92(3) तथा उसके अध्याधीन निर्मित्त नियमों के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक विवरण का संक्षेप सार फार्म संख्या एमजीटी-9 के निर्धारित प्रारूप में संलग्न है। यह कम्पनी की वेबसाइट के वेबलिंक https://www.kioclltd.in/user/cms/39. पर भी देखा जा सकता है।

लागत रिकार्ड एवं लागत लेखापरीक्षा

कम्पनी द्वारा लागत रिकार्डों एवं लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षाओं का अनुपालन कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 148(1) के प्रावधानों में किए गए निर्धारण के अनुसार किया जा रहा है।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (रिकार्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में कंपनी के पैलेट प्लांट यूनिट के लागत लेखा-परीक्षण रिकॉर्ड का लेखापरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर निदेशक मंडल मैसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए प्राप्त की हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक को अनुसमर्थन के लिए वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तदनुसार, मैसर्स मैसर्स आर एम बंसल एंड कंपनीको देय पारिश्रमिक का एक प्रस्ताव वार्षिक आम सभा के आयोजन के नोटिस की मद संख्या 11 (ग्यारह) में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 09-09-2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे निर्धारित अवधि के भीतर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

साचिवीय लेखा परीक्षकS

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनियों (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के लिए साचिवीय लेखा परीक्षा के लिए श्री एस. विश्वनाथन, पेशेवर कम्पनी सचिव की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए साचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए प्राप्त की हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 की सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखों के संबंध में "शून्य" टिप्पणियां दिनांक 20.08.2020 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित की गई हैं। इस पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाया जाना

मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन (एओए) कंपनी अधिनियम, 1956 पर आधारित है जो कंपनी के निगमन के समय प्रचलित था। यद्यपि अनुच्छेदों में परिवर्तन विधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कंपनी को कुछ गतिविधियों को वैधानिक रूप से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए किए गए थे, फिर भी मौजूदा अनुच्छेदों के कई विनियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 के विशिष्ट खंडों के संदर्भ शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और अधिनियम के मूल खंडों के अधिनियमन के साथ, जो कंपनी के सामान्य कामकाज से संबंधित है, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसके कई अनुच्छेदों में एमओए / एओए में परिवर्तन या विलोपन की आवश्यकता है। तदनुसार, बोर्ड ने 11/02/2020 को आयोजित अपनी 263 वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी व लोक उपक्रम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/13(26)/98-फिन.जी.II दिनांक 27 नवंबर, 1998 के अनुरूप इसके अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय इस्पात मंत्रालय को प्रस्ताव लेने के लिए और उसके बाद विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी के लिए अगली आम बैठक की सूचना में शामिल करने के लिए अधिकृत किया। प्रस्ताव को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय को कंपनी के पत्र दिनांक 11 मार्च, 2020 द्वारा उसके अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया गया था। इस्पात मंत्रालय के अनुमोदन का इंतजार है।

6. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल द्वारा अंगीकार की गई कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति कंपनी द्वारा किए गए प्रयास का विवरण इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में निर्धारित प्रारूप में है। निगमितसामाजिक उत्तरदायित्व नीति वेबलिंक https://www.kioclltd.in/user/cms/344 के माध्यम से उपलब्ध है।

7. पुरस्कार और मान्यताएँ

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार और मान्यताएँ प्राप्ति हुई हैं:-

क) रेसिलिएंट ग्रोथ (टर्नअराउंड) के अंतर्गत 7 वां गवर्नेंस नॉव पीएसयू अवार्ड।

ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्रथम पुरस्कार

ग) मिनी-रत्न और अन्य श्रेणी के अंतर्गत डब्ल्यूआईपीएस क्रियाकलाप अवार्ड की मान्यता।

8. प्रमुख क्रियाकलाप

पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

आपकी कंपनी अपने निर्माण क्रियाकलापों में पारिस्थितिकी के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001: 2015 मानकों के लिए प्रमाणित है। वर्ष के दौरान संयंत्र स्तर पर की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- पैलेट प्लांट यूनिट में विभिन्न स्थानों में कार्यालय स्थलों पर पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब के स्थान पर एलईडी फिटिंग (200 नग) लगाई गई है।
- पानी पंप (110 किलोवाट)और ब्लोअर मोटर्स (22 किलोवाट)को ऊर्जा कुशल मोटर्स के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और चरणबद्ध स्वरूप में शेष मोटरों को भी बदलना प्रस्तावित है।
- पैलेट प्लांट यूनिट के कैप्टिव पावर प्लांट क्षेत्र में ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। संयंत्र की कुल क्षमता 83.2 किलोवाट है। संयंत्रों को पानी ठंडा करने के संयंत्र और सीपीपी कार्यालय भवनों के ऊपर संस्थापित किया गया है।

- 293 किलोवाट की कुल क्षमता के साथ ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू) में एक समान ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र भी स्थापित किया गया है। भंडार (140 किलोवाट), कल्याण भवन (51 किलोवाट), प्रशासन भवन (64 किलोवाट) और एमएसडीएस भवन (38 किलोवाट) के ऊपर चार इकाइयां स्थापित की गई हैं। सभी इकाइयाँ परिचालन कर रही हैं।
- नवंबर 2018 से 1 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड आधारित सौर प्रणाली चालू है। उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग पीपीयू में किया जा रहा है।
- पीपीयू की छत पर सीपीयू से वर्ष 2019-20 के लिए कुल सौर उत्पादन 0.85 लाख यूनिट था।
- खपत की गई ऊर्जा की लागत में कटौती की दिशा में हमारे प्रयासों के अंतर्गत हमने आईईएक्स से पीपी यूनिट में उपयोग की गई हमारी कुल ऊर्जा की लगभग 13.35% लागत (30 जीडब्ल्यूएच) कम की है।
- आपकी कंपनी ने व्हीलिंग के माध्यम से 93.5 लाख यूनिट की नवीकरणीय ऊर्जा भी खरीदी है जो कि ऊर्जा लागत को बचाने के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए भी है और यह कुल आवश्यकता का लगभग 6% है।
- आपकी कंपनी ने मेसकॉम से "विशेष प्रोत्साहन योजना" का चयन किया है जो आईईएक्स ऊर्जा बिडिंग की तुलना में जोखिम मुक्त है और इससे होने वाली बचत आईईएक्स बिडिंग की बचत के बराबर है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईईएक्स बिडिंग और अक्षय ऊर्जा की व्हीलिंग से हुई कुल बचत 6 करोड़ रुपये थी।
- मेसकॉम के साथ 20 एमवीए की अनुबंधित मांग को 23 एमवीए तक बढ़ाने के लिए लागत बचत उपाय विचार में लिए गए हैं जिससे डीजी परिचालनों की संख्या में कमी तथा आईईएक्स, जो मेसकॉम ऊर्जा की तुलना में सस्ती है, बिडिंग को बढ़ाकर बिजली के मासिक बिल को कम करने के उपाय किए गए हैं।

संरक्षा दिवस का आयोजन मंगलुरू में स्थित पैलेट संयंत्र में किया गया था

संरक्षा

फैक्टरी निदेशक द्वारा अनुमोदित ऑनसाइट आपातकालीन योजना कंपनी के पैलेट प्लांट यूनिट और ब्लास्ट फर्नेस यूनिट दोनों के लिए उपयोग की जा रही है। कंपनी द्वारा क्षेत्रवार सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। इन सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। संरक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर 22.04.2019, 10.07.2019, 20.12.2019 और 19.03.2020 को पैलेट संयंत्र यूनिट और दिनांक 04.04.2019, 18.07.2019, 04.11.2019 और 02.03.2020 को ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में क्रमशः आयोजित की गई हैं।

संरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग के इंजीनियरों और संरक्षा समिति के सदस्यों के साथ दो माह में एक बार संरक्षा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान किए गए प्रेक्षण की ओर ध्यान देकर और अनुपालन के लिए संबंधित विभागीय प्रमुखों को सूचना दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानक चैकलिस्ट आईएस 14489 के अनुसार एक आंतरिक क्रॉस विभागीय संरक्षा ऑडिट किया गया था। कार्य स्थल के खतरों से बचाने के लिए अनुबंध कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को उपयुक्त व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण (पीपीई) जारी किए गए हैं। कर्मचारियों के बीच संरक्षा चेतना को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुसार, कंपनी ने 4 मार्च, 2020 से 10 मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह का किया है। पैलेट संयंत्र एवं ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में ऑनसाइट इमरजेंसी मॉक ड्रिल 6 महीने में एक बार की जाती है।

आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001: 2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001: 2018 के साथ प्रमाणित है। सभी प्रमाणपत्र 08.11.2021 तक मान्य हैं।

विश्व हिन्दी परिषद द्वारा कम्पनी को 14.9.2019 को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं राजभाषा कार्यान्वयन में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कम्पनी समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में प्राप्त होने वाले निदेशों का अनुसरण एवं कार्यान्वयन कर रही है। कम्पनी के कर्मचारियों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित प्रशिक्षण, नकद पुरस्कार एवं वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने के माध्यम से हिन्दी में कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनमें जागरूकता जागृत करने, ज्ञान प्रदान करने के लिए नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाएं, अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें सभी स्थलों पर नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा प्रत्येक बैठक में पिछली तिमाही में प्राप्त प्रगति की समीक्षा की जाती है। सितम्बर, 2019 माह के दौरान कम्पनी के सभी स्थलों पर हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। अनेक हिन्दी कार्यक्रम तथा हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी एवं विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए थे। 29 सितम्बर, 2019 को समापन दिवस का आयोजन किया गया था। आपकी कम्पनी 30 सितम्बर, 2019 तक बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) (उपक्रम) की संयोजक थी बंगलौर में स्थित सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित बैठकों एवं संयुक्त हिन्दी मासिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए4 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर, 2019 में राजभाषा सेमिनार आयोजित किया गया था। 30 सितम्बर, 2019 को समापन दिवस का आयोजन किया गया था।

सतर्कता

आपकी कंपनी के सतर्कता विभाग का पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण ध्यान केन्द्रण क्षेत्र निवारक सतर्कता रहा है और इस वर्ष के दौरान भी इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहारों के दुष्प्रभावों के बारे में सभी स्तरों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए निवारक सतर्कता का माहौल तैयार किया जाता है। प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित व्यवस्था के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती है और ई-गवर्नेंस, प्रभावन क्षमता तकनीक, निविदा प्रबंधन, कार्य आदेश जारी करने, भर्ती नीति के संबंध में चर्चा की जाती है।

सतर्कता विभाग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र 9001-2015 मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित है। यह प्रमाण पत्र 29 जनवरी 2022 तक वैध है। केआईओसीएल लिमिटेड के सभी स्थानों / कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के दौरान किया गया था। सप्ताह के दौरान कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया गया। स्कूल / कॉलेज के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

इस अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व और सतर्कता गतिविधियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया। ई-प्रापण का उपयोग किया जा रहा है और इसके लिए 5 लाख रुपये और उससे अधिक का सीमा मूल्य निर्धारित है। 2019-20 के दौरान, मूल्य मूल्य के अनुसार 98.38% मामले इसके अंतर्गत कवर होते हैं। एक लाख रुपये के सीमा मूल्य से अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि से किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान, सत्यनिष्ठा संधि खंड को शामिल करते हुए 139 कार्य / खरीद / बिक्री आदेश जारी किए गए हैं, जो मूल्य द्वारा 98.70% अनुबंधों को कवर करते हैं। सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं मिली है। वर्ष के दौरान 51 संवीक्षा / जाँच, 54 जाँच / निरीक्षण किए गए हैं और अपेक्षित सुधार कार्रवाई, यदि कोई है, की गई है। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सतर्कता विभाग ने तीन अलग-अलग स्थानों पर 12 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे, जिसमें 1240 श्रम घंटे उपयोग में लाए गए हैं। इनमें गुड गवर्नेंस - सतर्कता एवं अन्य विकास, सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता आदि जैसे विषयों को कवर किया गया था।

सचेतक तंत्रव्यवस्था

कंपनी के व्हिसल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) स्थापित है और इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 177 (9) और सूचीकरण विनियमों के विनियम 22 के अनुसार निदेशकों एवं कर्मचारियों की अनाचार के व्यवहारों के प्रति सम्बद्धता की रिपोर्ट के लिए आवश्यक सतर्कता तंत्र व्यवस्था स्थापित है। नीति विवरण के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकटीकरण किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है और यह वेबलिंक https://www.kioclltd.in/user/cms/99 पर भी उपलब्ध है।

सदन (राज्य सभा) के पटल पर प्रपत्र प्रस्तुति से संबंधित समिति द्वारा अपनी 150वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं का अनुपालन

वर्ष 2019-20 के दौरान कार्रवाई किए गए /निपटान किए गए मामलों का विवरण :-

31.03.2019की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित नहीं था तथा वर्ष 2019-20 में 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित न होने के कारण किसी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लंबित लेखा परीक्षण पैरा:

क्र. सं.	पैरा सं./ लेखापरीक्षा रिपोर्ट /शीर्ष का संदर्भ	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	स्थिति
1	2009-10 की रिपोर्ट सं. 2 का पैरा संख्या 3.7.2.2 मालसूची धारण – भंडार एवं स्पेयर्स	केआईओसीएल द्वारा भंडार एवं स्पेयर्स की सभी मदों के स्तर निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, इसके पास 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 55 करोड़ रुपये के नॉन-मूविंग भंडार थे।	मालसूची धारण के मापदंड अप्रैल, 2014 में कच्ची सामग्रियों एवं प्रमुख भंडार एवं स्पेयर्स के लिए निर्धारित किए गए थे तथा इसकी जानकारी इस्पात मंत्रालय को दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को दी गई थी। नॉन-मूविंग भंडार एवं स्पेयर्स के मूल्य 4.53 करोड़ रुपये हैं जिनमें 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार 1.48 करोड़ रुपये के अतिरेक भंडार शामिल हैं।
2	2009-10 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 9 का पैरा संख्या 19.1.1 लौह अयस्क के परिवहन के लिए उच्चतर मूल्यसूची एवं संकुलन प्रभार के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय	कम्पनी द्वारा परिचालन प्रारंभ करने के तत्काल पश्चात अपनी रेलवे साइडिंग को ''स्टेशन/ साइडिंग सेवा पोर्ट के अलावा'' घोषित न किए जाने के कारण लौह अयस्क के परिवहन पर 6.05 करोड़ रुपये की उच्चतर मूल्य सूची एवं 73.15 करोड़ रुपये के सरचार्ज का भुगतान।	कम्पनी द्वारा बंगलौर एवं भुवनेश्वर में रेलवे दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष धनवापसी के अपने दावे प्रस्तुत किए गए थे। रेलवे दावा ट्रिब्यूनल, भुवनेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक दावा खारिज होने के पश्चात कम्पनी ने जनवरी, 2018 में उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर में एक मामला फाइल किया था। ट्रिब्यूनल द्वारा कम्पनी के आवेदन पर अपने दिनांक 7.12.2018 को पारित एक आदेश के माध्यम से दक्षिण पश्चिम रेलवे को राशि का आकलन करने तथा 1.4.2019 से 6% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करने तथा आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में 9% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
3	2012-13 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 का पैरा संख्या 15.2 लैम कोक के प्रापण एवं मालसूची प्रबंधन में अनियितताएं	फरवरी 2008 में आयोजित शक्ति प्राप्त संयुक्त समिति (ईजेसी) की बैठक में लैम कोक की तीसरी शिपमेंट का प्रापण न किए जाने के निर्णय के कारण 54.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है। 32.41 करोड़ रुपये मूल्य के 9,144,153 मीट्रिक टन कोक की भंडार शार्टेज की क्षति के कारण औचित्यपरक नहीं थे।	ओवरलैपिंग और लॉजिस्टिक कारणों से बचाव के लिए कंपनी ने अलग-अलग ले कैन्स के साथ दो शिपमेंट का प्रापण किया था। साथ ही, केवल दो शिपमेंट के प्रापण का यह निर्णय दिनांक 27.1.2008 की बाजार रिपोर्ट 'स्टीलगुरू' पर आधारित था जिसमें मार्च, 2008 के पश्चात कोक के मूल्य में कमी आने की संभावना के संकेत दिए गए थे। लैम कोक के 9,144.153 मीट्रिक टन का अंतर कंपनी की स्थापना के बाद 10,08,308 मीट्रिक टन की प्राप्ति के पश्चात संचलन करने में 0.906% की भिन्नता होने के संचयी प्रभाव के रूप में उत्पन्न हुआ था। इस कमी के कारण (क) आर्द्रता समायोजन (ख) पारगमन हानि के कारण अंतर (ग) संचलन हानि के कारण अंतर तथा उत्पन्न शुद्धता का कम आकलन किया जाना है।। कुल हानि में से 0.356% पारगमन हानि और हैंडलिंग हानि कुल मात्रा का 0.173% थी। 9,144 मीट्रिक टन की कुल न्यूनता स्थापना के बाद से कुल प्राप्तियों का 0.906% है, जो इस्पात मंत्रालय के अन्य सार्वजनिक उपक्रम आरआईएनएल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले 3% के मानक से बहुत कम है।
4	2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 2 का पैरा संख्या 17.1 ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में पिग कास्टिंग मशीन पर अविवेकपूर्ण व्यय	यह ज्ञात होने के बावजूद भी कि ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू) स्टैंडएलोन आधार पर व्यवहार्य नहीं है तथा अपने प्रचालनों के बंद होने के पश्चात केआईओसीएल ने तीसरी पिग कास्टिंग मशीन (पीसीएम) की स्थापना के लिए आर्डर जारी किया था जो पिछले 26 माह से उपयोग में नहीं लाई जा रही है तथा यह आगे भी आशय पत्र जारी किए जाने की तिथि से 24 माह तक उपयोग में नहीं लाई जाएगी, जो अभी तक (सितम्बर 2013) जारी नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निधियों में निष्क्रियता हुई है और 4.20 करोड़ रुपये का विवेकहीन व्यय हुआ है।	ब्लास्ट फर्नेस यूनिट की उत्पादकता में सुधार करने के लिए मैसर्स मेकॉन ने कई संशोधनों का सुझाव दिया है। इसके लिए तीसरे पीसीएम की स्थापना और पल्वराइजिंग कोल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग करने के दो प्रमुख प्रस्ताव थे। चूंकि कोयले के इंजेक्शन की प्रणाली में उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए संशोधन के पहले चरण में केवल तीसरे पीसीएम की स्थापना की गई थी। तथापि, जब स्थापना पूरी हो गई, तब तक इसे व्यावसायिक गैर-व्यवहार्यता के कारण ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में परिचालन निलम्बित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका। जब संयंत्र अपने परिचालन शुरू करेगा तब मशीन का उपयोग किया जाएगा। इसके लाभ / सुधार निम्नलिखित हैं: (a) (क) अनुरक्षण कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण; (b) (ख) लैडल्स में संग्रह किए जाने वाले हॉट मेटल के लिए कम प्रतीक्षा अवधि। इससे लेडल में धातु की ऊपरी परत का घनीकरण होने से बचाव होता है। (स्क्ल की उत्पति कम होती है) (c) (ग) पिग आयरन क्यूब्स / ब्लॉक्स की बेहतर सतह फिनिश (विपणन क्षमता बढ़ाता है); और

क्र. सं.	पैरा सं./ लेखापरीक्षा रिपोर्ट /शीर्ष का संदर्भ	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	स्थिति
			(d) (घ) ब्लास्ट फर्नेस से धातु की टैपिंग में कम बाधा उत्पन्न होती है। निरंतर ब्लास्ट मात्रा और सुचारू फर्नेस परिचालन से उच्चतर उत्पादकता। अगस्त 2009 से आर्थिक रूप से गैर-व्यवहार्यता के कारण ब्लास्ट फर्नेस यूनिट को बंद कर दिया गया है। कच्चे माल की लागत, विशेष रूप से लैम कोक में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है और पिग आयरन के उत्पादन के लिए नकारात्मक योगदान हो पा रहा है। केआईओसीएल सकारात्मक योगदान के लिए सभी कच्चे माल की विशेष रूप से लैम कोक के मूल्य में उतार चढ़ाव की लगातार निगरानी कर रहा है। जब कभी ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में परिचालन फिर से शुरू होंगे, तो तीसरे पीसीएम को उपयोग में लाया जाएगा। इस्पात मंत्रालय द्वारा मंगलौर में 836.90 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए अनुदान सहायता

कंपनी को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से दयानंद सागर कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलूरु के सहयोग से केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा ''निर्माण उद्योग में फ्लाई एश का उपयोग प्रिकर्सर के रूप में करके जियोपॉलिमर एग्रेगेट्स आधारित कुद्रेमुख आयरन ओर माइन टेलिंग के संश्लेषण'' के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के उद्देश्य से दिनांक 5.12.2018 को 11,20,260/- रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। कम्पनी द्वारा दिनांक 23.3.2019 को दयानंद सागर कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर को 10,62,207/- रुपये की राशि जारी की गई है। 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार 8,27,508.04रुपये का व्यय होने की सूचना प्राप्त हुई तथा उपलब्ध निधि अब 1,94,284/- रुपये है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रापण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- सूक्ष्म एव लघु उद्यमों से प्राप्त की जा सकने वाली मदों के घटकों की सूची कम्पनी की वेबसाइट www.kioclltd.inपर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती है।
- सूक्ष्म एव लघु उद्यमों से समग्र खरीद प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त नीति के संबंध में सभी पंजीकृत विक्रेताओं को सूचना भेजी जाती है। इसके अलावा, अजा / अजजा के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एव लघु उद्यमों से खरीद बढ़ाने के लिए, आवश्यक विवरण प्राप्त करने और डेटा बैंक को अपडेट करने के लिए सभी विक्रेताओं से संपर्क किया जाता है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 18.12 करोड़ रुपये के माल और सेवाओं के लिए ऑर्डर दिए, जो 36.48 करोड़ रुपये के कुल प्रापण मूल्य का 49.67% है।

सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) से प्रापण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने सरकारी ई-मार्केट (GeM) पर 48 ऑर्डर जारी किए थे, जिनकी राशि 2.98 करोड़ है।

सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने भारत के नागरिकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया है और आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों को नामित किया है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को ऑनलाइन 22 आवेदन सहित 54 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय व्यय

कम्पनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) में किए गए निर्धारण के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय व्यय का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के उपबंधों के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति अंगीकार की गई है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट पर वेबलिंक https://www.kioclltd.in/ user/ cms/344. के अंतर्गत उपलब्ध है।

प्रशंसा और आभार अभिव्यक्ति

आपके निदेशक माननीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, सचिव, इस्पात मंत्रालय और भारत सरकार, कर्नाटक सरकार,उड़ीसा, तमिलनाडु के अन्य मंत्रालयों तथा अन्य सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों / एजेंसियों से प्राप्त समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के प्रति अपना आभार अभिव्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक हमारे मूल्यवान और सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों, स्टेकधारकों, बैंकरों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए आभार प्रस्तुत करते हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण हुई जीवन हानि के प्रति आपके निदेशक अत्यंत दु:ख व्यक्त करते हुए उन कोरोना योद्धाओं के लिए अपना सम्मान अभिव्यक्त करते हैं जिन्होंने इस महामारी के विरूद्ध युद्ध में अपने जीवन एवं सुरक्षा को जोखिम में डाला है।

आपके निदेशक केआईओसीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हैं और उसे महत्व देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर

(एम. वि.सुब्बा राव)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 10/08/2020

स्थान: बेंगलूरु

रिक्लेमर ऑफ पैलेट प्लांट, मंगलूरु के माध्यम से पैलेटों की यार्ड में अनलोडिंग किए जाने का दृश्य

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

माननीय मुख्य मंत्री, कर्नाटक को दिनांक 22.8.2020 को बाढ़ राहत के लिए 50 लाख रुपये की राशि का एक चैक सौंपा गया था।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ऐसे स्टेकधारकों, समुदाय और समाज तक अपनी पहुंच बनाकर, जो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में व्यवसाय संचलन में अपना योगदान दे रहे हैं, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के मॉडल के अंतगर्त 'लोगों के जीवन में परिवर्तन' स्थापित करने के कार्य कर रही है। अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के अंतर्गत प्रमुख ध्यान समाज में वितरण की मौजूदा प्रणाली में अंतराल की पहचान करने और उनके साथ सार्थक हस्तक्षेप करने की ओर दिया जाता है जिससे उनका संवहनीय प्रभाव लम्बे काल तक बना रहे।

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समाज कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास गतिविधियों को लागू किया है। जिनका विवरण इस प्रकार हैं: -

कर्नाटक में जोखिम प्रबंधन के लिए योगदान

अगस्त-2019 के माह के दौरान, कर्नाटक में सबसे खराब और अप्रत्याशित वर्षा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ आई थी। अप्रत्याशित वर्षा और बाढ़ ने आम लोगों और जानवरों जैसे मवेशियों की मृत्यु हुई, हजारों लोगों के घर ध्वस्त हुए, स्कूल, इमारते, सड़कें, पुल इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गए। पुनर्वास कार्य में सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 27.30 लाख का योगदान दिया है।

पेय जल सुविधा

कम्पनी द्वारा मंगलूरु के जिला कारागार में आर.ओ.संयंत्र एवं कपड़े धोने तथा सुखाने की मशीन की संस्थापना, आकांक्षाशील जिला के रूप संज्ञान में लिए गए रायचुर के विभिन्न ग्रामों के 18 प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिवर्स ओसमोसिस संयंत्र के साथ निर्मल पेय जल की सुविधा स्थापित की गई है। डीकेज़ेडपीउच्चतर प्राथमिक विद्यालय, बैकमपडी, मीनाकाया, मंगलौर में निर्मल पेय जल की सुविधा स्थापित की गई है।

उपायुक्त, मंगलुरू को जिला कारावास, मंगलुरू में आरओ संयंत्र तथा कपड़े धोने एवं सुखाने की मशीन की संस्थापना के लिए चैक सौंपे जाने का दृश्य।

बैकमपडी में डीकेजैडपी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में
निर्मल पेय जल की व्यवस्था

स्वास्थ्य केन्द्रों में आर.ओ.संयत्र की स्थापना के लिए अपर उपायुक्त,
रायचुर को चैक सौंपे जाने का दृश्य

इससे रोटेरी बाल भवन, केएचबी कॉलोनी, मंगलुरू को पेय जल की सुविधा प्राप्त हो सकी है। डीकेजैडपी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, बैकमपडी, मीनाकाया, मंगलौर में में निर्मल पेय जल की सुविधा

शिक्षा का प्रसार

अमर सेवा संगम, अयिकुडी, तमिलनाडु द्वारा अन्यथा सक्षम दिव्यांग व्यक्तियों को आईटीआई पाठ्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से अपेक्षित उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री की खरीद के लिए समर्थन। आपकी कंपनी ने अमर सेवा संगम को सहायता प्रदान की है जो कौशल विकास कार्यक्रम के लिए अन्यथा सक्षम दिव्यांग व्यक्तियों को आईटीआई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा और कौशल विकास प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान कंपनी ने मंगलुरु में मिड-डे मील की आपूर्ति के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन का समर्थन किया है। यह परियोजना कक्षाओं में भूख के उन्मूलन के लिए भारत सरकार के "पोषण भारत अभियान" को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

लड़कों के लिए मंगलूरू में नि:शुल्क छात्रावास के निर्माण में सहायता

वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी द्वारा शासकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, मेस्त्रीपल्या, बेंगलूरु को गरीब छात्रों द्वारा उपयोग के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और अल्मारी प्रदान करके प्राथमिक विद्यालय, सहायता प्रदान की गई है। इस परियोजना से लगभग 50 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस परियोजना से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लगभग 30 छात्र लाभान्वित हुए हैं। कंपनी ने बालसंरक्षण केंद्र, मुन्नार ग्राम, मंगलूरु में अनाथालय के लिए लड़कों के नि: शुल्क छात्रावास और सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

शासकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, मेलुकोटे के लिए वित्तीय सहायता। यह विद्यालय कर्नाटक के सबसे पुराने विद्यालयों में से एक है जो वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। ग्रामों तथा समाज में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिए कम्पनी ने इस विद्यालय को मिड डे भोजन विद्यार्थियों को परोसे जाने के उद्देश्य से रसोई उपकरण उपलब्ध करवाए हैं तथा विद्यार्थी द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए कम्प्यूटर प्रिंटर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस परियोजना से लगभग 118 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

जिला प्राधिकरण, मदिकेरी को आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीकरण के लिए चैक सौंपे जाने का दृश्य

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने मदिकेरी में आंगनवाड़ी केंद्र के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है जो भारी बारिश के कारण नष्ट हो गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना का समर्थन करने के लिए केआईओसीएल द्वारा नेलयादका एवं केन्या ग्राम, बाल्पा एवं ग्नाना मंदिरा में प्राथमिक विद्यालय भवन के लिए कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है। केआईओसीएल ने डीकेजैडपी प्राथमिक विद्यालय, थान्निरभवी, मंगलौर के लिए पेंटिंग तथा व्हाइट वॉश करवाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान की है।

कम्पनी द्वारा उच्च शिक्षा के समर्थन के लिए गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

खेल प्रोत्साहन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने मंगलूरु में राष्ट्रीय स्तर का शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया है। आयोजन में लगभग 337 बच्चों ने भाग लिया

पर्यावरणीय संवहनीयता

प्लास्टिक बैग के स्थान पर भारत सरकार के ''अपना थैला लेकर आओ'' अभियान को प्रोत्साहित करने के कंपनी ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लगभग 800 जूट बैग खरीदे हैं।

कोविड-19 के निवारण के लिए सरकार को योगदान

कोविड-19 महामारी ने देश भर में तबाही मचाई है और अब तक दस लाख से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और देश में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए सरकार के हाथों को मजबूत करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कर्नाटक सरकार को 10.10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बेंगलुरु और मंगलुरु में आम जनता के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र भी वितरित किए हैं।

स्वास्थ्य देखभाल

वर्ष के दौरान कंपनी ने एक बीपीएल परिवार की लड़की के कैंसर के इलाज के लिए भी सहायता प्रदान की है जो बेंगलुरु के शंकर कैंसर अस्पताल में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करके की गई है।

****

सामूहिक शासन पर रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V के पैरा 17, 27 और पैरा सी, डी और ई में निर्दिष्ट सामूहिक शासन के प्रावधानों के अनुसार, रिपोर्ट में शामिल सामूहिक शासन की प्रणाली और प्रक्रियाओं के विवरण नीचे दी गई हैं:

कंपनी का दर्शन

आपकी कंपनी की सामूहिक शासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और निष्पक्षता के चार स्तंभों पर निर्भर करती है। कंपनी का मानना है कि इन चार स्तंभों के साथ व्यापार करने का तरीका इस तरह के शेयरधारकों को दीर्घकालिक रिटर्न, ग्राहकों के अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करने और आपूर्तिकर्ताओं को प्रगति में भागीदार बनाने के लिए सक्षम बनाता है जिसके परिणामस्वरूप समाज संवर्द्धन होता है। कंपनी ने खुद को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और अपने व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनने के उद्देश्यों को निर्धारित किया है। अपने विकास पथ पर इसकी प्रगति के रूप में, कंपनी 'सर्वोत्तम प्रथाओं' को अपनाने में विश्वास करती है जो अपने सभी हितधारकों को टिकाऊ मूल्य के सामूहिक शासन उद्देश्यों को मजबूत करती है। आपकी कंपनी का बोर्ड खुद को अपने शेयरधारकों के एक ट्रस्टी के रूप में मानता है और उनकी संपत्ति को सृजन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है।

नीतियाँ

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कुछ नीतियों के निर्माण को अनिवार्य किया। तदनुसार, आपकी कंपनी ने अपनी सामूहिक प्रशासन नीतियां तैयार की हैं, जिन्हें इसकी वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। इन नीतियों की समय-समय पर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यकता और नई अनुपालन आवश्यकताओं के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

निदेशक मंडल

बोर्ड की संरचना

आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है। इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्तियां/नामांकन किए जाते हैं। कंपनी के मौजूदा संस्था के अंतर्नियम निर्धारित करते हैं, कि निदेशकों की संख्या पांच से कम नहीं होगी और तेरह से अधिक नहीं होगी। कंपनी के वर्तमान निदेशक मंडल में दस निदेशक शामिल हैं, जिनमें चार कार्यात्मक निदेशक, इस्पात मंत्रालय द्वारा नामित दो निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुपालन में कंपनी के बोर्ड पर एक महिला स्वतंत्र निदेशक है। वर्तमान में, एक कार्यात्मक निदेशक का पद रिक्त है। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और सीपीएसई के लिए सामूहिक शासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसरण में 2 (दो) स्वतंत्र निदेशकों के पदों सहित एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति की आवश्यकता है। कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से इन रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में जो व्यक्तित्व शामिल हैं, वे उच्च स्तर के प्रतिष्ठित पेशेवरों को पूरा कर चुके हैं, विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैक रिकॉर्ड साबित हुए हैं और वे सामूहिक रूप से बोर्ड के कौशल और अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला को सामने लाते हैं, जो बोर्ड के निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, अंतिम वार्षिक आम बैठक और धारित निदेशक पद

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 53(एफ़) के साथ पठनीय जैसा अनुसूची V के पैरा 'सी' द्वारा अनिवार्य है कि कोई भी निदेशक दस से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों के सदस्य नहीं होंगे, न ही वे पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष हैं, जिनमें वे सदस्य हैं। वर्ष 2019 -20 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: निदेशक मंडल की संरचना और उपस्थिति रिकॉर्ड

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति/ निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद कुल बैठकें	क्या पिछले वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे (हाँ/नहीं)	निदेशक पद की संख्या**	समितियों की कुल संख्या#	
					सदस्य	अध्यक्ष
एम वि सुब्बा राव (डीआईएन 06495576)	कार्यकारी	6/6	हाँ	-	0	0
एस के गोराई (डीआईएन 07223221)	कार्यकारी	6/6	हाँ	-	0	0
टी. सामिनाथन (डीआईएन 08291153)	कार्यकारी	6/6	हाँ	-	2	0
के वी भास्कर रेड्डी[1] (डीआईएन 08672764)	कार्यकारी	लागू नहीं	लागू नहीं	-	1	0
एन. विद्यानंद[2] (डीआईएन 06729244)	कार्यकारी	6/6	हाँ	-	-	-
विजॉय कुमार सिंह*[3] (डीआईएन 00592638)	गैर - कार्यकारी	लागू नहीं	लागू नहीं	6	0	0
टी. श्रीनिवास* (डीआईएन 07238361)	गैर - कार्यकारी	6/6	नहीं	1	0	0

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति/ निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद कुल बैठकें	क्या पिछले वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे (हाँ/नहीं)	निदेशक पद की संख्या**	समितियों की कुल संख्या#	
					सदस्य	अध्यक्ष
डॉ. रोहित यादव[4] (डीआईएन 07008782)	गैर - कार्यकारी	1/1	लागू नहीं	-	-	-
सरस्वती प्रसाद[5] (डीआईएन 07729788)	गैर - कार्यकारी	5/5	नहीं	-	-	-
जगदीश पी जोशी (डीआईएन 03385677)	स्वतंत्र	6/6	हाँ	1	1	1
निर्मलेंदु मोहपात्र[6] (डीआईएन 07352648)	स्वतंत्र	3/3	लागू नहीं	-	0	0
रंजीत श्रीनिवास[6] (डीआईएन 08539909)	स्वतंत्र	3/3	लागू नहीं	-	2	0
जी रामासामी[7] (डीआईएन 08632590)	स्वतंत्र	2/2	लागू नहीं	-	1	1
माधव लाल[8] (डीआईएन 06547581)	स्वतंत्र	4/4	हाँ	-	-	-
डॉ. दीपिका शर्मा[9] (डीआईएन 07734495)	स्वतंत्र	5/5	हाँ	-	-	-

टिप्पणियाँ:

केआईओसीएल लिमिटेड में ऑडिट और स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी की अध्यक्षता और सदस्यता पर ही विचार किया जाता है। सभी समितियों की स्थिति यथातिथि 18/05/2020 को दी गई है।

* सरकार के नामिती (गैर कार्यकारी निदेशक) श्री टी. श्रीनिवास एमोआईएल (सूचीबद्ध कंपनी) के बोर्ड में नामित निदेशक हैं और श्री विजय कुमार सिंह दो सूचीबद्ध कंपनियों नामतः एनएमडीसी एवं सेल के साथ 6 अन्य सरकारी कंपनियों के बोर्ड में नामिती निदेशक हैं।

** केआईओसीएल के अलावा

1. इस्पात मंत्रालय के पत्र एफ.सं.5 / 2/2018-बीएल दिनांक 07/11/2019 के अनुसार दिनांक 01/03/2020 के प्रभाव से कार्यभार ग्रहण किया।
2. दिनांक 29/02/2020 के प्रभाव से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर निदेशक के पद की सेवा समाप्त।
3. इस्पात मंत्रालय के पत्र संख्या 1/16/2015-बीएलए दिनांक 17/03/2020 द्वारा नियुक्त।
4. इस्पात मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1/16/2015-बीएलए दिनांक 22.01.2020 द्वारा नियुक्त किया गया। बाद में, इस्पात मंत्रालय में कर्तव्यों से मुक्त होने पर दिनांक 25.02.2020 के प्रभाव से निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।
5. इस्पात मंत्रालय के पत्र सं. 1/16/2015-BL दिनांक 22/01/2020 के अनुवर्ती निदेशक पद की सेवा समाप्त।
6. इस्पात मंत्रालय के पत्र एफ. नंबर.1 /10/2015-बीएलए (खंड- IV) दिनांक 21.10.2019 द्वारा नियुक्त किया गया।
7. इस्पात मंत्रालय के पत्र एफ. नंबर 1/10/2015-बीएलए (खंड- IV) दिनांक 22/11/2019 द्वारा नियुक्त किया गया।
8. कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 25/11/2019 के प्रभाव से स्वतंत्र निदेशक के पद की सेवा समाप्त।
9. कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 30/01/2020 के प्रभाव से स्वतंत्र निदेशक के पद की सेवा समाप्त।

बोर्ड की बैठकों की संख्या तिथि के साथ आयोजित नीचे तालिका 2 में दी गई है:

तालिका 2: बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा बैठक की तिथि

क्रम सं.	बैठकें की संख्या	बैठकें की तिथि	बैठक के बीच अंतराल
1.	258वीं	21/05/2019	-
2.	259वीं	02/07/2019	41
3.	260वीं	06/08/2019	34
4.	261वीं	13/11/2019	98
5.	262वीं	13/12/2019	29
6.	263वीं	11/02/2020	59

बैठक के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर था।

निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण

निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचित कार्यक्रम

कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर उचित प्रशिक्षण/कार्यक्रम/संगोष्ठियों/संयंत्र संदर्शन के लिए मनोनीत होते हैं। कंपनी अपनी नियुक्ति पर सभी निदेशकों को एक कॉर्पोरेट किट भी प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी और उसके उत्पादों के बारे में जानकारी, संघ के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम, भूमिका, अधिकार और स्वतंत्र निदेशकों की जिम्मेदारियां आदि शामिल हैं।

चार्ट या मैट्रिक्स निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता / क्षमता का निर्धारण

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के साथ निहित है। कंपनी के व्यापार और क्षेत्र के संदर्भ में विशिष्ट कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता रखने वाले प्रभावी रूप से कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से सक्षम को कार्यात्मक निदेशक के रूप में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक भी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न हस्तियों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों के मिश्रण से नियुक्त किए जाते हैं। इसके मद्देनजर, निदेशक मंडल ने कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में एक निदेशक द्वारा आवश्यक कोर कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की सूची को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत आवश्यक नहीं माना है।

परिसंचरण के माध्यम से संकल्प

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पारित परिपत्र संकल्प कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 5 और निदेशक मंडल की बैठक पर सचिवीय मानक के नियम 6 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175 के उप-धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार था। इसे निदेशक मंडल की आगामी बैठक के समक्ष रखा गया था और मंडल की बैठक के कार्यवृत्त पर शामिल किया गया था।

स्वतंत्रता की घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत घोषणा की है कि वे अधिनियम के धारा 149(6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से अधिकांश ने पहले ही स्वतंत्र रूप से निदेशकों (कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक के डेटाबेस के निर्माण और रखरखाव) नियमों, 2019 और कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवें संशोधन नियम, 2019 के अनुपालन में एमसीए द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्र निदेशकों डेटाबैंक के साथ खुद को पंजीकृत किया है।

बोर्ड की बैठक और और प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें व्यापक टिप्पणियों के साथ समर्थित संरचित कार्यसूची मद द्वारा शासित होती हैं, जिसमें सभी प्रासंगिक जानकारी होती है, ताकि निदेशकों को बैठक में चर्चा और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग क के साथ पठनीय विनियम 17(7) में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक जानकारी और डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुलग्नक - IV बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के पहले निदेशकों को कार्यसूची टिप्पणियाँ परिचालित की जाती हैं। जहां भी कार्यसूची कागजात के हिस्से के रूप में प्रासंगिक जानकारी भेजने के लिए व्यावहारिक नहीं है, वही बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी के प्रदर्शन, संचालन और व्यापार रणनीति को कवर करने वाली प्रस्तुति भी बोर्ड को दी जाती है। बोर्ड समय-समय पर सभी लागू कानूनों की अनुपालन स्थिति की भी समीक्षा करता है। बोर्ड के सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने और कंपनी में जानकारी तक पहुंचने और पूर्ण पहुंच प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।प्रक्रिया के एक अनिवार्य अंश के रूप में, कंपनी आगामी बैठकों में निदेशक मंडल को पिछली बैठकों की एक व्यापक कार्रवाई की गई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करती है।

आचार संहिता

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने बोर्ड स्तर पर तथा बोर्ड स्तर के नीचे याने महाप्रबंधक कैडर तक के लिए लागू आचार संहिता तैयार की है। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आचार संहिता में कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल किया गया है और कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है और कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस प्रभाव से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा इस रिपोर्ट का एक हिस्सा बनता है।

व्हिस्ल ब्लोअर तंत्र

कंपनी ने नैतिक, कर्तव्यपरायण और कानूनी व्यापार आचरण के उच्चतम संभावित मानकों और खुले संचार की प्रतिबद्धता के लिए और अच्छे विश्वास में ध्यानाकर्षण करने के लिए, निंदा या पीड़ित होने से निदेशकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंपनी की वचनबद्धता के अनुरूप निदेशकों और कर्मचारियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए एक व्हिस्ल ब्लोअर नीति तैयार की है और अपनाया है।

इन्साइडर व्यापार का निषेध

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी के इन्साइडर सूत्रों द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण और व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग की आचरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं के संहिता" को मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन्साइडर अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम सं. 8 और 9 के अनुपालन में, और यह कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक शेयरधारण

सिवाय श्री के.वी. भास्कर रेड्डी, निदेशक (उत्पादन और परियोजनाएं), जो कंपनी के 200 इक्विटी शेयरों को 1996 से संभाल रहे हैं, आपके किसी भी निदेशक के पास 31 मार्च, 2020 तक कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड के कंपनी के सर्वोत्तम हित में सूचित निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। ये समितियां संदर्भ के अधीन आनेवाली गतिविधियों की निगरानी रखती हैं।

31 मार्च, 2020 तक छह बोर्ड समितियाँ हैं, जिनमें पाँच वैधानिक समितियाँ और एक अन्य गैर-वैधानिक समिति शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1. लेखा परीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;
4. शेयरधारक संबंध समिति;
5. जोखिम प्रबंधन समिति; और
6. निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अपनी संबंधित बैठकों में निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया है, उसके बारे में जानकारी निम्नानुसार है: -

तालिका : 3

क्रम सं.	बोर्ड की बैठक	बैठकें की तिथि	पुनर्गठित समितियों का नाम
1.	258वीं	21/05/2019	1. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 2. सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 3. शेयरधारक संबंध समिति 4. निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति
2.	260वीं	06/08/2019	1. लेखा परीक्षा समिति
3.	261वीं	13/11/2019	1. लेखा परीक्षा समिति; 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति; 3. सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति; 4. शेयरधारक संबंध समिति; 5. जोखिम प्रबंधन समिति; और 6. निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति
4.	263वीं *	11/02/2020	1. लेखा परीक्षा समिति 2. सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
5.	264वीं	18/05/2020	1. शेयरधारक संबंध समिति 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

** परिपत्र संकल्प के माध्यम से दिनांक 30/01/2020 और 11/02/2020 को आयोजित 263 वीं बैठक में नोट किया गया।*

1. लेखा परीक्षा समिति

संदर्भ शर्तों का संक्षिप्त विवरण

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 कंपनियों के नियम, 2014 के नियम 6 (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां), विनियम 18 और सेबी की अनुसूची 11 के भाग ग (दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाओं का सूचीकरण) विनियमन, 2015 और समय समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देश, तत्समय प्रभावी किसी सांविधिक आशोधन(नों) या उनके पुनर्विधिनियमों को सम्मिलित करते हुए पढ़ें की सम्मति में होगी।

वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित की गई बैठकों की तारीख के साथ कुल बैठकों की संख्या तालिका 4 में दी गई हैं

तालिका 4: लेखा परीक्षा समिति की बैठक

क्रम सं.	बैठक सं.	बैठकें की तिथि	बैठक के बीच अंतराल
1	98वाँ	21/05/2019	-
2	99वाँ	01/07/2019	40
3	100वाँ	06/08/2019	35
4	101वाँ	03/09/2019	27
5	102वाँ	13/11/2019	70
6	103वाँ	11/02/2020	89

31 मार्च, 2020 तक समिति की संरचना और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5: लेखा परीक्षा समिति की संरचना और उपस्थिति रिकॉर्ड

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	उपस्थिति
जगदीश पी जोशी, अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	6/6
रंजीत श्रीनिवास, सदस्य (सदस्य 13/11/2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
जी रामासामी, सदस्य (सदस्य 30/01/2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
टी.सामिनाथन, सदस्य	कार्यात्मक निदेशक	6/6
माधव लाल, सदस्य (सदस्य 25/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	5/5
डॉ. दीपिका शर्मा, सदस्य (सदस्य 30/01/2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	5/5
एन विद्यानंद, सदस्य, (सदस्य 06/08/2019 तक)	कार्यात्मक निदेशक	3/3

2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड ने एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जो दिनांक 16 मई, 2014 के प्रभाव से कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 178 के अनुपालन के संदर्भ में, कंपनी के नियम 6 (बोर्ड की बैठक और इसके शक्तियां) नियम, 2014 और विनियम 19 और सेबी (एलओडीआर) के अनुसूची II के भाग घ के साथ पढ़ें) विनियम, 2015 द्वारा कार्यशील है। समिति का गठन 18/05/2020 को किया गया था।

समिति की संरचना

समिति में, तीन स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक शामिल हैं। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष के दौरान बैठक और उपस्थिति

वर्ष के दौरान बैठक की तारीख के साथ-साथ बैठक की कुल संख्या तालिका 6 में दी गई है और सदस्यों की उपस्थिति क्रमशः तालिका 7 में दी गई है:

तालिका 6. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्रम सं.	बैठक सं.	बैठकें की तिथि	बैठक के बीच अंतराल
1	28वीं	01/07/2019	-
2	29वीं	06/08/2019	35
3	30वाँ	10/02/2020	187

तालिका 7 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और उपस्थिति रिकॉर्ड

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	उपस्थिति
निर्मलेंदु महापात्रा अध्यक्ष (13/11/2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
जगदीश पी जोशी, सदस्य, (13/11/2019 से अध्यक्ष 12/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3/3
जी रामासामी, सदस्य (18/05/2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
एम वी सुब्बा राव, सदस्य	अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक	3/3
माधव लाल, सदस्य (25/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	2/2
डॉ. दीपिका शर्मा,सदस्य (30/01/2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	2/2

3. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के आधार पर और दिनांक 01/04/2014 के प्रभाव से कंपनियों के (निगमित सामाजिक उत्तरादायित्व नीति) नियम, 2014 कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसार) समिति का गठन किया है।

सीएसआर समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की सीएसआर नीति तैयार करना और सिफारिश; सीएसआर व्यय की सिफारिश; सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन करना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैठकों के आयोजन की तारीख के साथ कुल बैठकें तालिका 8 में दी गई हैं

तालिका 8: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक

क्रम सं.	बैठक सं.	बैठकें की तिथि	बैठक के बीच अंतराल
1	17वीं	01/07/2019	-
2	18वीं	03/09/2019	63
3	19वीं	12/11/2019	69

सीएसआर समिति की संरचना और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति तालिका 9 में दी गई है।

तालिका 9: सीएसआर समिति की बैठकों की रचना और उपस्थिति रिकॉर्ड

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	उपस्थिति
डॉ. दीपिका शर्मा, अध्यक्ष (30/01/2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3/3
निर्मलेंदु मोहपात्र, अध्यक्ष (सदस्य 30/01/2020 से व अध्यक्ष 11/02/2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
माधव लाल, सदस्य (25/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3/3
जगदीश पी. जोशी, सदस्य (13/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3/3
एन विद्यानंद, सदस्य (29/02/2020 तक)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	3/3
के वी भास्कर रेड्डी, सदस्य (01/03/2020 से)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	लागू नहीं
एस के गोराई, सदस्य	निदेशक (वित्त)	3/3

नोट: 1 समिति का पुनर्गठन 21/05/2019, 13/11/2019 और 30/01/2020 को किया गया था।

4. शेयरधारक संबंध समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग घ के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा शेयरधारक संबंध समिति (एसआर) का गठन किया गया है तथा 16 मई, 2014 से प्रभाव देकर कंपनी में उक्त समित कार्यरत है। एसआर समिति की भूमिका के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण / प्रसारण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की गैर-प्राप्ति, नई/ डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि शामिल हैं।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
3. 3सेवा मानकों विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाई के पालन की समीक्षा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की गई है।

4. बिना दावा किए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / कंपनी के शेयरधारकों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

संविधान और एसआर समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति तालिका 10 में दी गई है।

तालिका 10: शेयरधारकों के संबंध समिति की बैठकों की संरचना और उपस्थिति रिकॉर्ड*

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	उपस्थिति
रंजीत श्रीनिवास, अध्यक्ष (अध्यक्ष 17/05/2020 तक एवं सदस्य 18/05/2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
जी रामासामी, अध्यक्ष (अध्यक्ष 18/05/2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
जगदीश पी. जोशी, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1/1
एन विद्यानंद, सदस्य (29/02/2020 तक)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	1/1
के वी भास्कर रेड्डी, सदस्य (नियुक्त सदस्य 01/03/2020 से)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	लागू नहीं
टी सामिनाथन, सदस्य	निदेशक (वाणिज्य)	1/1

*नोट: * समिति का पुनर्गठन 21/05/2019, 13/11/2019 और 18/05/2020 को किया गया था।*

कंपनी सचिव कंपनी का अनुपालन अधिकारी होता है। वर्ष के दौरान शेयरधारकों में से किसी से कोई शिकायत नहीं मिली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरएस) अर्थात् ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है। वर्ष के दौरान, एससीओआरएस के माध्यम से कोई शिकायत नहीं मिली।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैठकों के आयोजन की तारीख के साथ बैठक की कुल संख्या तालिका 11 में दी गई है।

तालिका 11: हितधारकों संबंध समिति की बैठकें

क्रम सं.	बैठक सं.	बैठकें की तिथि	बैठक के बीच अंतराल
1	2nd	10/02/2020	-

5. जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और जो कंपनी में दिनांक 26 मार्च 2019के प्रभाव से कार्य कर रही है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. समय-समय पर कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन योजना और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा और निगरानी करना।
2. बोर्ड को जोखिम पहचान, मूल्यांकन, नियंत्रण और शमन प्रक्रिया के बारे में अनुमोदन और सूचित करना।
3. साइबर सुरक्षा जोखिमों की समीक्षा और निगरानी।
4. परियोजना जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा।
5. जोखिम प्रबंधन अनुपालन प्रमाणन और कार्यान्वयन की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना।

जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों का संगठन तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 12: जोखिम प्रबंधन समिति और उपस्थिति रिकॉर्ड की संरचना

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	उपस्थिति
रंजीत श्रीनिवास, अध्यक्ष (अध्यक्ष 13/11/2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
के वी भास्कर रेड्डी (अध्यक्ष 01/03/2020 से)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	लागू नहीं
एस के गोराई, सदस्य	निदेशक (वित्त)	2/2
टी सामिनाथन, सदस्य	निदेशक (वाणिज्य)	2/2
माधव लाल, अध्यक्ष (अध्यक्ष 12/11/2019 तक एवं सदस्य 25/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
एन विद्यानंद, सदस्य (सदस्य 29/02/2020 तक)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	2/2

नोट: समिति का गठन 13/11/2019 को किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैठकों के आयोजन की तारीख के साथ बैठक की कुल संख्या तालिका 13 में दी गई है।

तालिका 13: जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्रम सं.	बैठक संख्या	बैठकें की तिथि	बैठक के बीच अंतराल
1	1वाँ	12/11/2019	-
2	2वाँ	10/02/2020	89

6. निवेश, परियोजना का मूल्यांकन और निगरानी (आईपीएएम) समिति

निवेश पर प्रमुख प्रस्तावों की जांच करने और निवेश की प्रगति की निगरानी करने और निर्णय लेने के लिए बोर्ड को उपयुक्तता की सलाह देने के लिए, एक निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी (आईपीएएम) समिति का गठन बोर्ड द्वारा दिनांक 16 मई 2014 के प्रभाव से किया गया है। समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उन सभी योजनाओं स्कीमों / परियोजनाओं की जांच करना जिनके लिए बोर्ड द्वारा 5 करोड़ रुपये या अधिक या समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय की गई ऐसी अन्य सीमाओं के वित्तीय निहितार्थ के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
2. कंपनी द्वारा निवेश के लिए पहचानी गई परियोजनाओं का प्रारंभिक मूल्यांकन करना और परियोजना का अनुगम करने के लिए सिफारिश करना।

3. अनुमोदित समय और लागत के भीतर लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और सुधारात्मक उपायों का सुझाव / कार्यान्वयन।
4. व्यवहार्यता रिपोर्ट / डीपीआर तैयार करने के उद्देश्य से परामर्शदाताओं को संलग्न करने के लिए बोर्ड की जांच और सिफारिश करना।
5. परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट / डीपीआर की संवीक्षा करना और निवेश के लिए बोर्ड को संस्तुति करना।

यथातिथि 31/03/2020 को आईपीएएम समिति की संरचना और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति तालिका 14 में दी गई है।

तालिका 14: निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति की संरचना, बैठकों में उपस्थिति रिकॉर्ड

निदेशक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	उपस्थिति
माधव लाल, अध्यक्ष (अध्यक्ष 12/11/2019 से एवं सदस्य 25/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
जगदीश पी. जोशी, अध्यक्ष (अध्यक्ष 13.11.2019 से)	स्वतंत्र निदेशक	2/2
डॉ. दीपिका शर्मा, सदस्य (सदस्य 12/11/2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1/1
एन विद्यानंद, सदस्य (सदस्य 29/02/2020 तक)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	2/2
के वी भास्कर रेड्डी, सदस्य (सदस्य 01/03/2020 तक)	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)	लागू नहीं
एस के गोराई, सदस्य	निदेशक (वित्त)	2/2
टी सामिनाथन, सदस्य	निदेशक (वाणिज्य)	2/2

नोट: समिति का पुनर्गठन 21/05/2019 और 13/11/2019 को किया गया था.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैठकों के आयोजन की तारीख के साथ कुल बैठकों की संख्या तालिका 14 में दी गई है।

तालिका 15: निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति की बैठकें

क्रम सं.	बैठकें की संख्या	बैठकें की तिथि	बैठकें के बीच अंतराल
1	17वीं	12/11/2019	-
2	18वीं	13/12/2019	30

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 25 (3) के अनुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों की 6 वीं बैठक वर्ष के दौरान एक बार दिनांक 12/02/2020 को आयोजित की गई थी ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VII और डीपीई दिशानिर्देश में परिभाषित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। बैठक में सभी चार स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया जो बोर्ड के लिए प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है।

दिनांक 5 जुलाई, 2017 की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची IV केउप-अनुच्छेद (3) के खंड (क) और (ख) की प्रयोज्यता, जिसके अनुसार अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक अपनी अलग बैठक में कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन, समग्र रूप में बोर्ड के प्रदर्शन, कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड

भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) की प्रयोज्यता से छूट दी है जो बोर्ड द्वारा इसके प्रदर्शन और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन को बयान करने को सम्मिलित करते हुए बोर्ड की रिपोर्ट को देखता है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए ने सामान्य परिपत्र दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति और निदेशक द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के निष्पादन मूल्यांकन के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एमसीए के पूर्वोक्त परिपत्र ने इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से छूट प्रदान की जिसमें आवश्यक्ता होती है बोर्ड की समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के तरीके का बोर्ड की उल्लेख यदि निदेशक मंत्रालय या केंद्र सरकार के विभाग जो कंपनी के प्रशासनिक प्रभार में है या जैसा मामला हो राज्य सरकार इसकी अपनी मूल्यांकन पद्धति से मूल्यांकित किए जाएंगे।इस संबंध में, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने पहले से ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू किया है।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि केआईओसीएल प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करती है, जिसमें कंपनी के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन मानदंड होते हैं। समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को कम किया जाता है और व्यक्तियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनता है। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में किया जाता है। इसलिए, बोर्ड द्वारा बोर्ड के सदस्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कोई अलग नीति नहीं बनाई गई थी।

अन्य केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में नियुक्ति / पारिश्रमिक और अन्य मामले कंपनी के भर्ती और पदोन्नति नियमों और अन्य संबंधित मैनुअल के रूप में संचालित होते हैं जो समय-समय पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित / संशोधित होते हैं।

इसलिए, बोर्ड ने मुख्य प्रबंधन कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति / पारिश्रमिक आदि को कंपनी की भर्ती और पदोन्नति नियमों और अन्य संबंधित मैनुअल के अनुसार अपनाया है।

निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

पूर्णकालिक निदेशक

केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार के आदेश में नियुक्ति की अवधि सहित निदेशकों की नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तों को इंगित करता है। कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 -20 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

गैर - सरकारी अंशकालिक सरकार नामांकित निदेशक

गैर - सरकारी अंशकालिक सरकार नामांकित निदेशकों को न तो किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और न ही बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई भी सरकार नामांकित निदेशक के कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ है।

स्वतंत्र निदेशक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2015 के नियम 4 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (6) के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अनुसार बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक 20,000 / का बैठक शुल्क तथा प्रति बैठक रु .15,000 / - का शुल्क भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त शुल्क का विवरण इस रिपोर्ट में संलग किया गया है। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल को कमीशन का कोई भुगतान नहीं था और न ही उन्हें स्टॉक विकल्प योजना दी गई।

वार्षिक रिटर्न का सार कंपनी

(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के संदर्भ में पढ़ा गया फॉर्म एमजीटी 9 में, वार्षिक रिटर्न का एक सार इस रिपोर्ट में संलग किया गया है।

लेखापरीक्षक द्वारा की गई हर योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग किया गया है।

कंपनी (नियम), 2014 के वित्तीय विवरणों (नियम 8 (5) (VIII) के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता

कंपनी के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो इसके संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य का दायरा और अधिकार अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। अपनी निष्पक्षता और स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर निगरानी रखता है और मूल्यांकन करता है, कंपनी के सभी स्थानों पर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेखा प्रक्रियाओं और नीतियों के साथ इसका अनुपालन करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी के विभिन्न विभाग अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं और इस तरह नियंत्रण को मजबूत करते हैं। कंपनी के एआरएम समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन और सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है।

न्यायालय / नियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित नहीं करते हैं।

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

17 (8) और सेबी के -2 के सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (8) तथा अनुसूची- || के भाग ख के अपेक्षानुसार सीईओ और सीएफओ प्रमाणीकरण को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में जोड़ा गया है।

कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (3), डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.3 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान के संदर्भ में, बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लिए लागू विभिन्न कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की।

जोखिम प्रबंधन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 21 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। समिति का विवरण और संदर्भ की शर्तों को बोर्ड की रिपोर्ट के हिस्से बनाने वाली निगम संचालन रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है। व्यापार जोखिम और अवसरों की पहचान करने, मूल्यांकन करने के लिए कंपनी का एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा प्रचलित है। यह ढांचा पारदर्शिता बनाने, व्यापार उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और कंपनी के प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाने का प्रयास करता है। व्यवसाय जोखिम ढांचा दस्तावेज और रिपोर्टिंग सहित विभिन्न स्तरों पर उद्यम में जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। ढांचे में विभिन्न जोखिम मॉडल होते हैं जो जोखिम के रुझान, जोखिम और संभावित प्रभाव का विश्लेषण को कंपनी स्तर पर और व्यापार खंडों के लिए अलग - अलग पहचानने में सहायता करते हैं।

निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने इस रिपोर्ट से जुड़ी सूचना में आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति की मांग करनेवाले निदेशकों के संक्षिप्त विवरण प्रदान किए हैं।

शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आवश्यकतानुसार, कंपनी की शेयर पूंजी का त्रैमासिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ भर्ती कुल शेयर पूंजी को सुलझाने के लिए और जारी और सूचीबद्ध पूंजी के साथ भौतिक रूप में आयोजित किया गया। प्रमाण पत्र नियमित रूप से स्टॉक एक्सचेंजों को जमा किया जाता है।

सामान्य आम बैठकें

पिछले तीन एजीएम के स्थान और समय और पास हुए विशेष प्रस्ताव के विवरण

दिनांक	एजीएम	स्थान	समय	पारित किए गए विशेष संकल्प
03/09/2019	43वाँ	सम्मेलन हॉल नंबर 1, गोल्डन जुबली ब्लॉक, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, सर्जापुर मेन रोड, कोरमंगला, बेंगलुरु - 560 034	12:00बजे	कोई विशेष संकलपा पारित नहीं
31/08/2018	42वाँ	बेंगलूरु स्थित पंजीकृत कार्यालय		
31/08/2017	41वाँ			

एजीएम का आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस -2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में किया गया था।

प्रस्तुत किए जाने वाले विशेष संकल्प का विवरण

44 वें एजीएम के दौरान दो विशेष प्रस्तावों की प्रस्तुति प्रस्तावित है। उसका विवरण 44 वीं एजीएम के नोटिस में दिया गया है, जिसे इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

असाधारण आम बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई थी।

संचार का माध्यम

निम्नलिखित तिथियों पर आवश्यकतानुसार दैनिक समाचार पत्रों में तिमाही परिणाम प्रकाशित किए गए हैं:

त्रैमासिक समापन	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019	31/03/2020
प्रकाशन की तिथि	07/08/2019	14/11/2019	13/02/2020	27/06/2020 & 29/06/2020
समाचार पत्रों का नाम				
अंग्रेजी	बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड
कन्नड	प्रजावाणी	प्रजावाणी	प्रजावाणी	प्रजावाणी

त्रैमासिक / वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kioclltd.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय परिणामों को अपनाने के लिए बोर्ड की बैठकों की तिथि और वार्षिक आम बैठक की तिथि आदि, व्यापक रूप से परिचालित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाती हैं।

लाभांश भुगतान की तारीख

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार घोषणा के 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया गया था।

(ख) 25.06.2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए अंतिम लाभांश रुपये 0.70 प्रति शेयर की सिफारिश की गई थी और उसी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा।

मार्च 31, 2020 के अनुसार शेयरधारण का वितरण

धारित शेयरों की संख्या	धारकों की सं.	धारकों का %	शेयरों की सं.	इक्विटी का %
1	406	4.17	406	0.00
2-10	1338	13.75	9043	0.00
11-50	2580	26.52	84204	0.01
51-100	1997	20.52	180727	0.03
101-200	1343	13.80	227944	0.04
201-500	1089	11.19	385886	0.06
501-1000	470	4.83	361486	0.06
1001-5000	452	4.65	935245	0.15
5001-10000	27	0.28	178674	0.03
10001 और अधिक	28	0.29	619561950	99.62
कुल	**9730**	**100.00**	**621925565**	**100.00**

03-09-2019 को आयोजित 43वीं वार्षिक आम बैठक का दृश्य

सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2019 -20 के लिए वार्षिक आम बैठक

दिन और समय	मंगलवार, 29 सितंबर, 2020
समय	12 : 00 बजे
स्थान	कंपनी 5 मई, 2020 को एमसीए के परिपत्र के अनुवर्ती वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एक बैठक आयोजित कर रही है और इस तरह से एजीएम के लिए एक स्थान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकारी के लिए कृपया इस एजीएम की सूचना देखें।

वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है।

कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक/स्क्रिप कोड के साथ निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं।

क्रम सं.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं	सुरक्षा कोड/चिह्न
1.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	केआईओसीएल
2.	बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	540680 / केआईओसीएल
3.	मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआई)	केआईओसीएल

वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।

डिपॉजिटरी के लिए अभिरक्षा शुल्क

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान किया था।

बीएसई और एनएसई में मासिक उच्च और निम्न कीमतें (` में)

महीना	एनएसई			बीएसई		
	उच्च	निम्न	व्यापार की गई मात्रा	उच्च	निम्न	व्यापार की गई मात्रा
अप्रैल, 2019	145.60	126.10	129.70	145.75	115.00	129.20
मई, 2019	147.00	114.80	138.70	146.50	114.55	138.25
जून, 2019	139.00	116.15	130.45	149.00	118.10	131.45
जुलाई, 2019	137.35	108.00	112.95	133.80	109.20	113.50
अगस्त, 2019	144.85	109.90	122.80	137.30	110.00	122.80
सितंबर, 2019	135.00	116.65	122.15	135.00	117.15	122.40
अक्टूबर, 2019	133.80	116.00	120.10	135.00	110.00	118.75
नवंबर, 2019	141.90	115.40	116.95	141.85	116.55	117.00
दिसम्बर,2019	119.50	104.25	113.75	118.50	107.65	114.30
जनवरी, 2020	130.95	110.95	116.85	130.00	112.00	116.70
फरवरी, 2020	120.55	93.00	94.25	124.95	93.15	94.00
मार्च, 2020	101.90	44.70	59.20	99.00	46.35	59.40

कंपनी का शेयर प्रदर्शन

एनएसई निफ्टी 500 की तुलना में

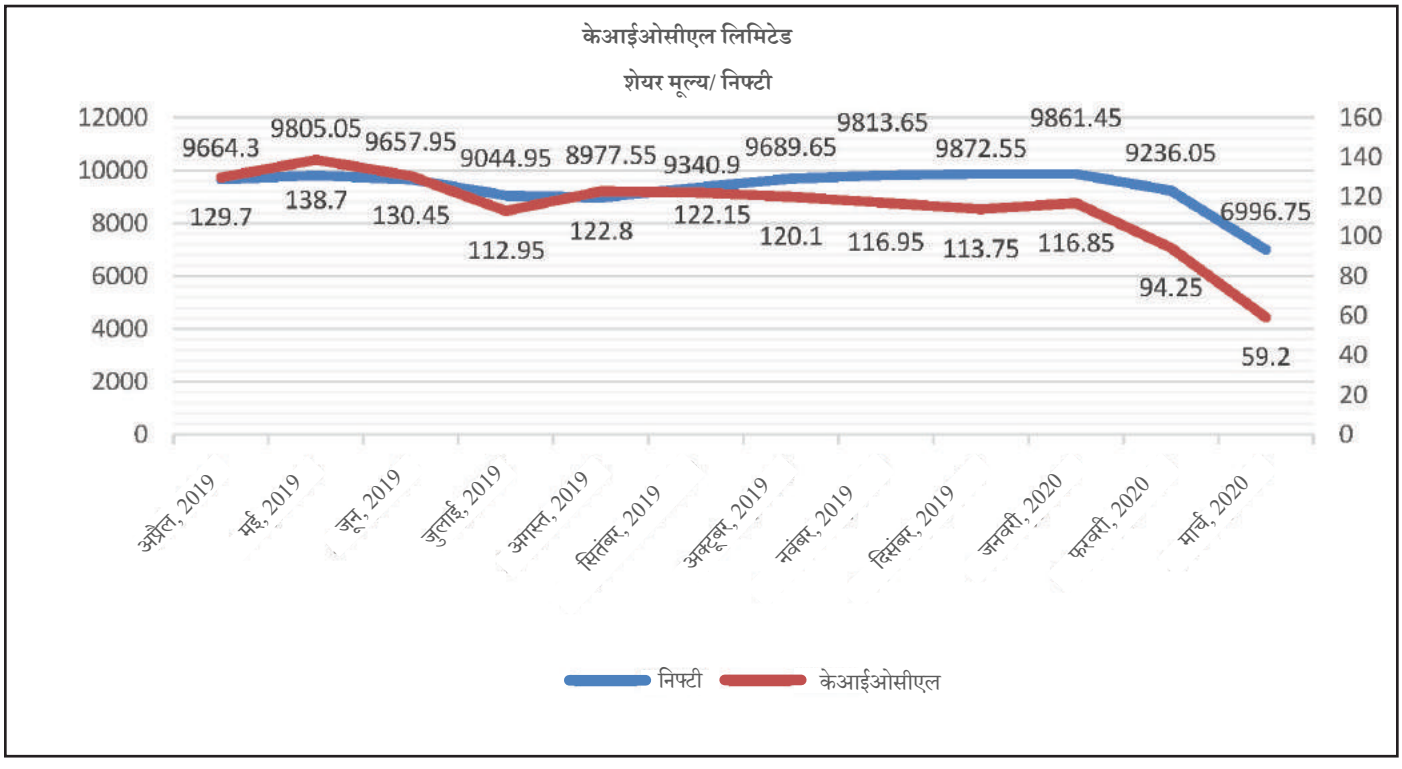

बीएसई सीपीएसई सेंसेक्स की तुलना में

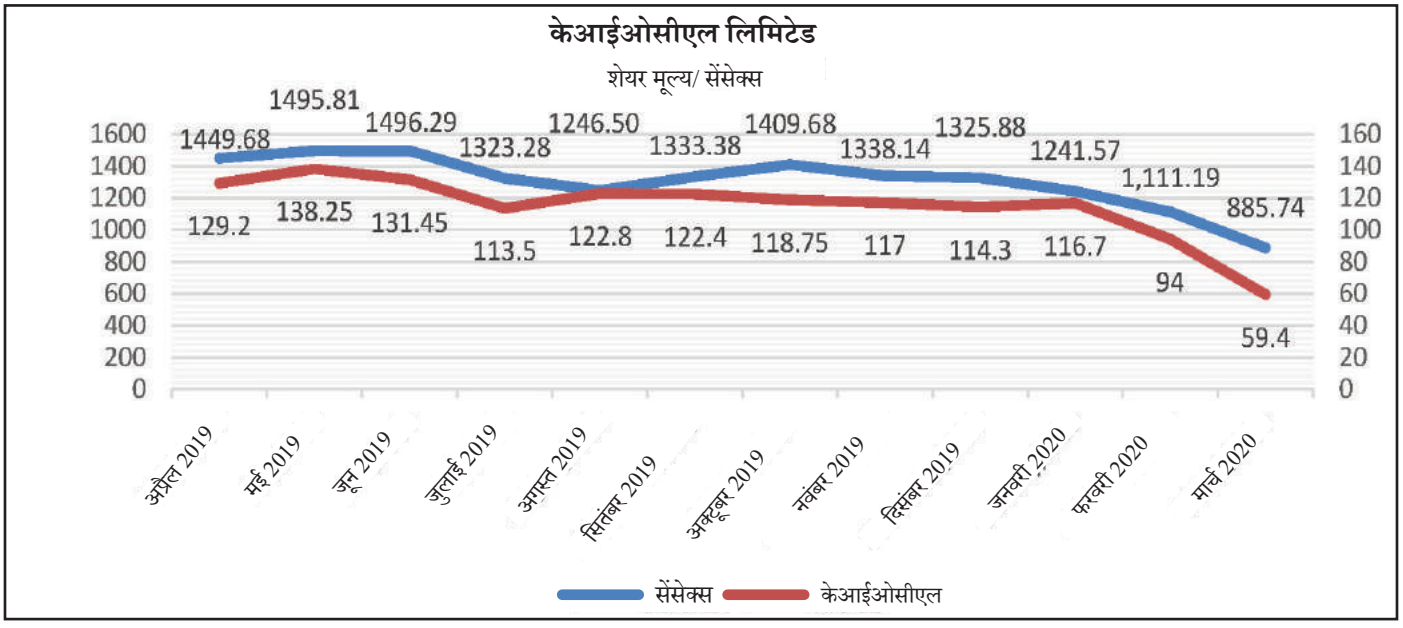

रजिस्ट्रर और स्थानांतरण एजेंट

मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : 30, रमना रेजीडेंसी,
चौथा क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु – 560 003
दूरभाष सं.: 080-23460815-818
ईमेल आईडी: irg@integratedindia.in

दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार शेयरधारण पैटर्न होल्डिंग पैटर्न

कोटि	शेयरों की संख्या	डीमैट मोड में शेयर	फिजिकल मोड में शेयर	शेयरधारिता %
केंद्र सरकार	61,60,51,204	61,60,51,204	0	99.06
म्यूचुअल फंड / यूटीआई	6,77,612	6,77,612	0	0.11
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	12,97,870	12,97,870	0	0.21
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0	0	0	0
बीमा कंपनियाँ	8,90,300	8,90,300	0	0.14
कॉर्पोरेट निकाय	2,37,584	2,37,284	300	0.04
निवासी भारतीय और अन्य	27,70,995	27,20,529	50,466	0.44
कुल	**62,19,25,565**	**62,18,74,799**	**50,766**	**100.00**

शेयर ट्रांसफर सिस्टम

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40 (1) के संदर्भ में, यथा संशोधित, प्रतिभूतियों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण कंपनी की किसी भागीदारी के बिना डिपॉजिटरी के माध्यम से साधित होते हैं।

शेयरों और तरलता का विभौतिकीकरण

कंपनी के शेयर आईएसआईएन नंबर INE880L01014 के साथ सीडीएसएल और एनएसडीएल द्वारा विभौतिकीकृत रूप में योग्य सुरक्षा जारी है। 31 मार्च, 2020 तक, कंपनी की कुल भुगतान पूंजी का 99.99% प्रतिनिधित्व करनेवाले 621,874,799 शेयर विभौतिकीकृत रूप में हैं।

बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट्स

कोई बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं।

कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी को वस्तुओं के लिए जोखिम था।

संयंत्र के स्थान

कंपनी की पैलेट संयंत्र यूनिट और ब्लास्ट फर्नेस यूनिट कर्नाटक के मेंगलूरु में स्थित हैं।

निवेशक पत्राचार के लिए पता

शिकायत/प्रश्नों के त्वरित निवारण की सुविधा के लिए, निवेशक और शेयरधारक किसी भी सहायता के लिए नीचे उल्लिखित पते पर कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
केआईओसीएल लिमिटेड
II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु – 560034
टेलीफैक्स: 080-25531525
ई-मेल: cs@kioclltd.com

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ('नियम') के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, सभी अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश को सात वर्ष के पूरा होने के बाद कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नियमों के मुताबिक, जिन शेयरों पर लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्ष या उससे अधिक के लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 (अंतरिम) और आईईपीएफ प्राधिकरण के संबंधित शेयरों तक अनिवार्य और अवैतनिक लाभांश राशि को स्थानांतरित कर दिया है। आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित शेयरों के विवरण के साथ दावा न किए गए/अवैतनिक लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाएं और दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो, का दावा करें।

दावा न किए गए लाभांश

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 ('नियम') के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार, जिन लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्ष या उससे अधिक के लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, नियमों का जनादेश है कि जिन शेयरों पर लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्ष या उससे अधिक के लिए दावा किया गया है, उन्हें आईईपीएफ में स्थानांतरित नहीं किया जाए।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2020 को दावा न किए लाभांश के लिए वर्षों और उनके संबंधित शेयर नीचे उल्लिखित तिथियों पर आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के योग्य होंगे की एक सूची प्रदान करती है: -

वर्ष के लिए लाभांश	लाभांश का प्रकार	खाता संख्या	प्रति शेयर लाभांश (₹)	घोषणा की तारीख	आईईपीएफ़ को अंतरण के लिए नियत तिथि	बेदावा राशि (₹ में)
2012-13	अंतिम	0693103000000091	0.10	11/09/2013	12/10/2020	35,020.00
2013-14	अंतिम	0693103000000107	0.13	15/09/2014	16/10/2021	5,825.82
2014-15	अंतिम	0693103000000116	0.10	09/09/2015	10/10/2022	4,233.00
2016-17	अन्तरिम	0693103000000125	0.11	10/02/2017	11/03/2024	4,219.27
2016-17	अंतिम	0693103000000134	0.26	15/09/2017	16/10/2024	13,376.74
2017-18	अन्तरिम	0693103000000143	0.27	31/03/2018	01/04/2025	15,984.27
2017-18	अंतिम	201002713091	0.79	14/09/2018	15/10/2025	44,890.96
2018-19	अंतिम	21003694672	1.33	01/10/2019	02/10/2026	60883.41

कंपनी समय-समय पर सूचना भेजती है और संबंधित शेयरधारकों को समाचार पत्रों में नोटिस देती है, जिससे उन्हें अदावाकृत लाभांश के संबंध में अपने दावों की पैरवी करने की सलाह दी जाती है। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि आईईपीएफ को हस्तांतरित दोनों लावारिस लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ से वापस लेने का दावा किया जा सकता है, जिसके लिए वेबसाइट www.iepf.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध आईईपीएफ -5 द्वारा प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता है। रिफंड का दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया लिंक http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आईईपीएफ को प्रेषित लाभांश

वर्ष	लाभांश का प्रकार	लाभांश घोषणा करने की तिथि	आईईपीएफ़ को अंतरण की तिथि	आईईपीएफ़ को अंतरित राशि (₹)
2011-12	अंतिम	21/06/2012	25/07/2019	102,963.00
2010-11	अंतिम	06/08/2011	03/10/2018	6,405.00
	अन्तरिम	14/01/2011	09/01/2018	855.00
2008-09	अंतिम	22/08/2009	27/08/2019	4,832.00

आईईपीएफ को अंतरित शेयर

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 28/08/2019 को आईईपीएफ प्राधिकरण को 1,750 शेयर हस्तांतरित किए। स्थानांतरित किए गए शेयर लगातार सात वर्षों से अदावाकृत लाभांश के वास्ते थे।

नोडल अधिकारी आईईपीएफ प्राधिकरण के साथ समन्वय

श्री पी के मिश्रा, कंपनी सचिव आईईपीएफ प्राधिकरण के साथ समन्वय के प्रयोजन के लिए कंपनी के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार हैं ई-मेल आईडी: - cs@kioclltd.com, टेलीफैक्स: -080-25531525

डाक मतपत्र के माध्यम से पारित प्रस्ताव का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, डाक मतपत्र के प्रयोग के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

शेयरधारकों का वोटिंग

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर अपने वोट डालें : -

- **बैठक से पहले और बैठक के दौरान मतदान -**

  दूरस्थ ई-वोटिंग और https://www.evotingindia.com/ पर बैठक के दौरान। कंपनी ने उन सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की स्थापना की है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर पर 22/09/2020 तक दिखाई देते हैं।

- **प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान**

  चूंकि यह एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति को अलग किया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी नोटिस और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के लिए संलग्न नहीं हैं।

- **बैठक में व्यक्तिगत मतदान**

  कृपया वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रवेश आवश्यकताओं के विवरण के लिए सूचना में नोट्स भाग देखें।

  8 अप्रैल, 13 अप्रैल और 5 मई, 2020 को सेबी सर्कुलर दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पढ़े गए एमसीए के सामान्य परिपत्रों में सूचीबद्ध कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से एजीएम आयोजित करने और एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम रखने की यह आवश्यकता इस वर्ष केवल कोविड - 19 महामारी के कारण है। उक्त परिपत्रों के मद्देनजर बैठक में व्यक्तिगत रूप से कोई मतदान नहीं होगा और एजीएम में किसी भी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

2020-21 के लिए वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

जून 30, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही	14/08/2020 को या उसके पहले
सितंबर 30, 2020 को समाप्त द्वितीय तिमाही	14/11/2020 को या उसके पहले
दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही	14/02/2021 को या उसके पहले
मार्च 31, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही	30/05/2021 को या उसके पहले
वर्ष 2020-21के वार्षिक आम बैठक	30/09/2021 को या उसके पहले

ये तिथियां अस्थायी हैं और परिवर्तन के अधीन हैं और स्टॉक एक्सचेंज को गैर लेखापरीक्षित तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणाम को जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक तिमाही के अंत के पैंतालीस दिनों के भीतर (अंतिम तिमाही को छोड़कर) है। अंतिम तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिनों के भीतर है।

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही दि. 23.09.2020 से 29.09.2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

अनुपालन प्रमाण पत्र

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के नियमन 34 (3) और पैरा ई के तहत अपेक्षित अनुसार आवश्यक है, सामूहिक शासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित सामूहिक शासन की आवश्यकताओं के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भी भेजी जाती है।

डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है।

पंजीकृत कार्यालय

केआईओसीएल लिमिटेड
II ब्लॉक, कोरमंगला,
बेंगलूरु – 560034, कर्नाटक
फोन: 080-25531461-466
फैक्स: 080-25532153-5941
वेबसाइट: www.kioclltd.in

अन्य प्रकटीकरण

ऊपर वर्णित अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V(ग)(10) में विनिर्दिष्ट अन्य प्रकटीकरण नीचे दोहराया जाता है।

क.	भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण जो सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ अत्याधिक संभावित संघर्ष हो सकता है।	वित्तीय वर्ष 2019 -20 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के नियमन 53(एफ) और पैरा A के तहत परिभाषित सम्बद्ध पार्टियों के साथ कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान को आकर्षित करता है, इस तरह के अनुबंध एओसी-2 प्रस्तुत नहीं किया गया है।
ख.	पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर शेयर बाज़ारों या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए लिस्टिंग इकाई, जुर्माना, बाध्यताओं द्वारा अनुपालन का विवरण।	सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी / सीआईआर / पी / 2018/77 दिनांक 03/05/2018 की अनुपालना में स्टॉक एक्सचेंज (जों) ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के गैर अनुपालन के लिए बोर्ड की संरचना के संबंध में दिनांक 30 सितंबर 2018 से 31 मार्च 2020 के प्रभाव से जुर्माना लगाया है।

		बोर्ड ने एक्सचेंज (जों) द्वारा लगाए गए गैर-अनुपालन और जुर्माना का उल्लेख किया था और कंपनी को सलाह दी कि वह स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद को भरने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित करे यथा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने का एकमात्र अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है और स्टॉक एक्सचेंज (भुगतान) से छूट की मांग करे। कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन कर रही है।
ग.	सतर्क तंत्र की स्थापना, व्हीसल ब्लोअर नीति और पुष्टि की जानकारी कि किसी भी कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है।	निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित व्हीसल ब्लोअर नीति को कंपनी वेबसाइट पर होस्ट की जाती है और किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से इनकार नहीं किया गया है।
घ.	अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण	अनुपालन किया गया।
ड़.	वेबलिंक जहां "महत्वपूर्ण" सहायक कंपनियों का निर्धारण करने के लिए नीति का प्रकटीकरण किया गया है।	लागू नहीं
च.	वेबलिंक जहां संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति है	https://www.kioclltd.in/user/cms/90
छ.	वस्तु कीमत जोखिम और वस्तु कमोडिटी प्रतिरक्षा गतिविधियों का प्रकटीकरण	लागू नहीं
ज.	नियमन 32 (7 ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से उठाए गए धन के उपयोग का विवरण।	लागू नहीं
झ.	अभ्यास में एक कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र है कि कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों में से कोई भी वंचित कर दिया गया है या नियुक्त या कारपोरेट मामलों के बोर्ड / मंत्रालय या किसी तरह के वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में जारी किए जाने से अयोग्य घोषित कर दिया।	बोर्ड की रिपोर्ट में प्रैक्टिस में एक कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाता है।
ञ.	जहां बोर्ड ने प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया है, वही उसके कारणों के साथ खुलासा किया जाना चाहिए: बशर्ते कि खंड केवल वहीं लागू होगा जहां समिति द्वारा सिफारिश / जमा करने की सिफारिश की गई हो निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए आवश्यक है और उन नियमों के तहत किसी भी लेनदेन को करने के लिए संबंधित समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।	लागू नहीं
ट.	सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर, सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म / नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं के लिए भुगतान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है।	सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क का भुगतान वैधानिक लेखा परीक्षकों को प्रतिपूर्ति, लेखा परीक्षा, कराधान और अन्य सेवाओं की फीस सहित 11.35 लाख रुपये के लिए किया जाता है। वैधानिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं प्रतिपूर्ति, लेखा परीक्षा, कराधान और अन्य सेवाओं सहित कुल शुल्क की राशि 11.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
ठ.	कार्यस्थल (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण	प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

गैर-अनुपालन

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V(ग)(11) के अनुसार, हम निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1) के गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि दो स्वतंत्र निदेशक पद सहित एक महिला स्वतंत्र निदेशक पद पद रिक्त पड़ी हैं।

अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को किस हद तक अपनाया गया है:

क.	बोर्ड एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के हकदार हो सकते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे सकते हैं,	वर्तमान में अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
ख.	शेयरधारक अधिकार पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्धवार्षिक घोषणा, शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जा सकती है।	परिणाम कंपनी की वेबसाइट और प्रमुख समाचार पत्रों पर रखे जाते हैं।
ग.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय सूचीबद्ध इकाई अनमोडिड ऑडिट राय के साथ वित्तीय विवरणों के दायरे की तरफ बढ़ सकती है।	सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय परिणामों पर असम्बद्ध राय दी है और सेबी विनियमन के विनियमन 33 (3) (डी) के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित करते समय स्टॉक एक्सचेंज को उस प्रभाव की घोषणा दी गई थी।
घ.	अध्यक्ष और सीईओ के अलग-अलग पद अध्यक्ष और सीईओ की अलग-अलग पद सूचीबद्ध इकाई अलग-अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकती है।	इस्पात मंत्रालय ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध नियुक्त किया है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए कोई अलग व्यक्ति नहीं है।
ड.	आंतरिक लेखा परीक्षक को रिपोर्ट करना आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करना	आंतरिक लेखा परीक्षक आंतरिक लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

सामूहिक शासन की आवश्यकता के साथ अनुपालन

सामूहिक शासन प्रमाणपत्र और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में देखी गई उन अनुपालनों को छोड़कर, कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियमन 17 से 27 तक तथा नियमन 46 के उप नियमन (2) के खंड (ख) से (ट) तक में विनिर्दिष्ट अपेक्षानुसार अनुपालन किया है।

प्रबंधन का विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

क. कारोबारी परिदृश्य

भारत वर्तमान में 2019 में 111.2 मिलियन टन का उत्पादन करने वाले कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि दर 1.8% है। 2019 में 4.9% की वृद्धि के साथ भारत 2019 में 101.50 मिलियन टन पर तैयार इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 2019 में 3.9% बढ़कर 74.3 किलोग्राम हो गई।

भारतीय इस्पात क्षेत्र में वृद्धि लौह अयस्क और लागत प्रभावी श्रम जैसे कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता से प्रेरित है।नतीजतन, भारत के विनिर्माण उत्पादन में इस्पात क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है।भारतीय घरेलू कच्चे इस्पात उत्पादन की क्षमता 2014-15 में 109.85 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2018-19 में 142.24 एमटीपीए हो गई है, जो इस पांच साल की अवधि में 6.8% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। इसके अलावा, कच्चे इस्पात का उत्पादन 7.6% सालाना (सीएजीआर) 2014-15 में 88.98 एमटीपीए से बढ़कर 2018-19 में 110.92 एमटीपीए हो गया।

कोविड-19 महामारी का प्रकोप दुनिया भर में उच्च और बढ़ती मानव लागतों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, और आवश्यक सुरक्षा उपाय आर्थिक गतिविधि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आईएमएफ की भविष्यवाणी है कि, महामारी के परिणामस्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में सिकुड़ कर 3 प्रतिशत तक नीचे जा सकती है जो, 2008-09 के दौरान आए वित्तीय संकट की तुलना में बहुत खराब है।एक बेसलाइन परिदृश्य में - जो मानता है कि 2020 की दूसरी छमाही के दौरान महामारी धीमी पड़ेगी और रोकथाम के प्रयासों का धीरे-धीरे प्रसार हो सकते हैं - जब आर्थिक गतिविधि सामान्य हो जाती है, नीतियों के समर्थन से मदद मिलती है वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2021 में 5.8 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, अधिक गंभीर परिणामों के लिए पर्याप्त जोखिम हैं।वैश्विक विकास पूर्वानुमान के आसपास अत्यधिक अनिश्चितता है।आर्थिक नतीजे उन कारकों पर निर्भर करते हैं, जो उन तरीकों पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, जिनकी भविष्यवाणी करना कठिन है, जिसमें महामारी के मार्ग, रोकथाम के प्रयासों की तीव्रता और प्रभावकारिता, आपूर्ति में व्यवधान की सीमा, वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थितियों में नाटकीय रूप से कसने के नतीजे, खर्च करने के तरीके में बदलाव, व्यवहार परिवर्तन, आत्मविश्वास प्रभाव, और अस्थिर वस्तु की कीमतें शामिल हैं। कई देशों में एक बहुस्तरीय संकट का सामना करना पड़ता है जिसमें एक तरह से स्वास्थ्य पर चोट, घरेलू आर्थिक व्यवधान, बाहरी मांग में गिरावट, पूंजी प्रवाह में बदलाव और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट शामिल है।खराब परिणाम के जोखिम की भविष्यवाणी की जाती है।

विश्वस्तरीय पूर्वानुमान है कि 2020 में, कोविड-19 संकट के कारण इस्पात की मांग 6.4% घटकर 1,654 मीट्रिक टन हो जाएगी।वर्ष 2020 की तुलना में 3.8% की वृद्धि के साथ वर्ष 2021 में इस्पात की मांग सुधर कर 1,717 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। 2020 में चीनी इस्पात की मांग में 1.0% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, 2020 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात की मांग में 17.1% की कमी होने की उम्मीद है और 2020 में भारत में इस्पात की मांग में 18% की कमी होने की उम्मीद है। प्रमुख इस्पात उत्पादक देश चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2019 में 6.1% की तुलना में 2020 में केवल 1.2% बढ़ने की संभावना है जबकि 2021 में इसमें 9.2% की वृद्धि होगी।भारत की जीडीपी वृद्धि 2019 के 4.2% की तुलना में 2020 में केवल 1.9% बढ़ने की उम्मीद है और 2021 में 7.4% बढ़ने की उम्मीद है।

ख. पैलेट परिदृश्य

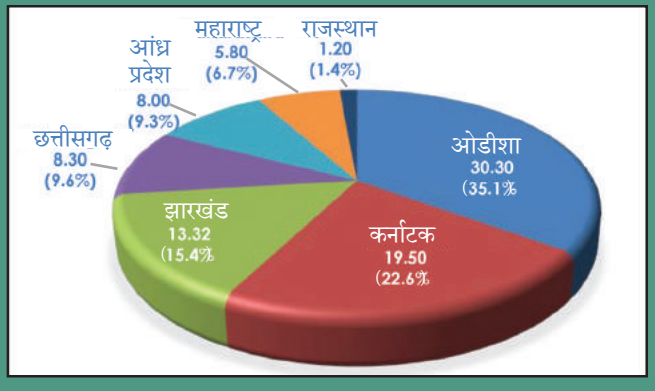

भारत में वर्तमान में पैलेट उत्पादन क्षमता लगभग 86 मिलियन टन है।ओडिशा 30.30 मिलियन टन की कुल क्षमता के 35% के साथ उत्पादन क्षमता में सबसे ऊपर है और कर्नाटक 19.50 मिलियन टन की क्षमता के साथ 22.6% के साथ दूसरे स्थान पर है।लगभग 50% पैलेट की क्षमता एकीकृत स्टील मिलों द्वारा है जो कैप्टिव खपत के लिए पैलेटों का उपयोग करते हैं और शेष व्यापारी पैलेट निर्माताओं से है।

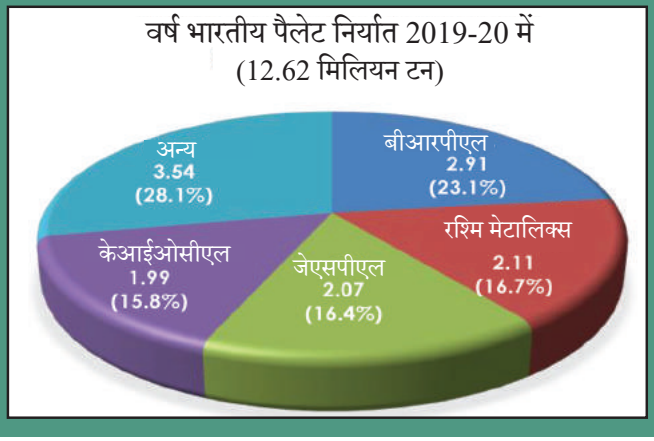

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत में पैलेटों की कुल उत्पादन लगभग 69.00 मिलियन टन थी और केआईओसीएल ने 2.375 मिलियन टन पैलेटों का उत्पादन किया। भारत से पैलेटों का निर्यात 2019-20 के दौरान 12.62 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले साल यह 9.22 मिलियन टन था। 1.99 मिलियन टन के निर्यात की मात्रा के साथ केआईओसीएल, बीआरपीएल, रश्मि मेटालिक्स और जेएसपीएल के बाद 4 वें स्थान पर रहा, जिसके निर्यात की मात्रा क्रमशः 2.91, 2.11 और 2.07 मिलियन टन था।

2019-20 के दौरान, केआईओसीएल ने 2.375 मीट्रिक टन का उत्पादन किया और 2.356 मीट्रिक टन पैलेटों का डिस्पैच किया। 2006 में कुद्रेमुख में कैप्टिप खानों के बंद होने के बाद से उत्पादन और बिक्री सबसे अधिक है।केआईओसीएल ने 1.99 मीट्रिक टन पैलेटों का निर्यात किया जो कैप्टिव खानों के बंद होने के बाद भी सबसे अधिक

है।वर्ष के दौरान डिस्पैच की प्रमुख विशेषता के रूप में चीन के अलावा मध्य पूर्व, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील आदि में स्टील मिलों को कुल डिस्पैच का लगभग 43% निर्यात किया गया था।अकेले मध्य पूर्व ने कुल निर्यात का 29.3% योगदान दिया।

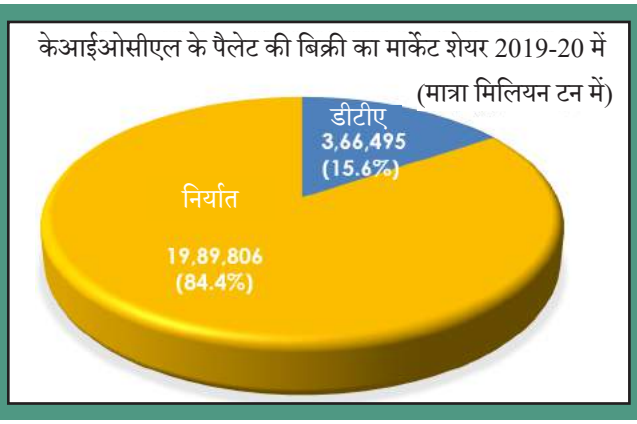

केआईओसीएल अपने बाजार आधार में विविधता लाने और कुछ बाजारों पर निर्भरता को कम करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।वर्ष के दौरान किए गए कुल निर्यात का लगभग 43% चीन के अलावा मध्य पूर्व, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील आदि में स्टील मिलों के लिए था।पिछले वर्ष के दौरान 10% से बढ़कर मध्य पूर्व ने अकेले कुल निर्यात में 29.3% का योगदान किया।

ग. केआईओसीएल के शेयरों के संदर्भ में घरेलू पैलेट उत्पादन एवं निर्यात

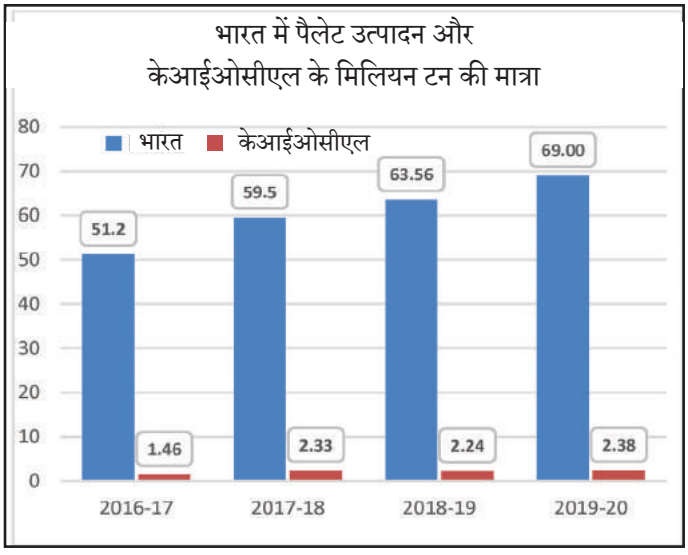

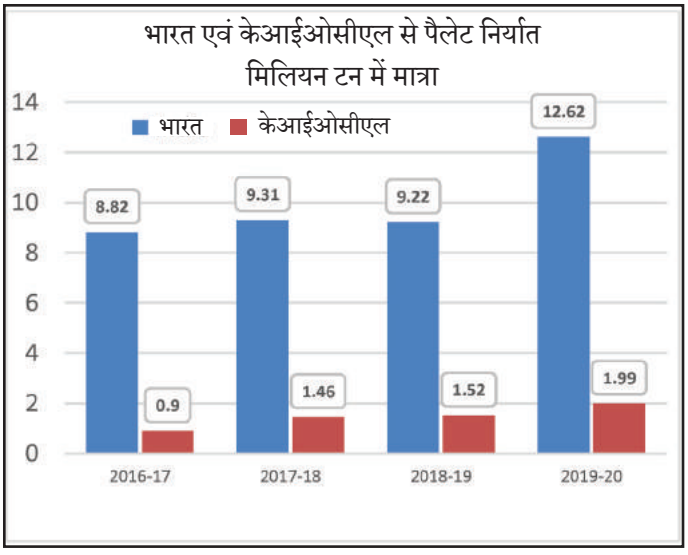

घ. परिचालनगत प्रदर्शनों के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन

क) संक्षेप में वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे प्रस्तुत है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
परिचालनों से राजस्व	**1937.65**	1887.71
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ /(हानि)	**63.68**	184.12
कर पश्चात लाभ / (हानि)	**43.48**	111.86

ख) नकदी प्रवाह सूचना: - 31 मार्च,2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का सार निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

क)	यथातिथि 01.04.2019नकदी और नकदी समतुल्य9	515.19
ख)	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	(21.76)
ग)	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	48.54
घ)	वित्तीयन गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	(112.17)
ङ)	यथातिथि 31.03.2020 नकदी और नकदी समतुल्य	429.80

ङ. उत्पाद-वार प्रदर्शन

चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग के साथ वास्तविक उपलब्धि सहित उत्पादन लक्ष्य को नीचे दर्शाया गया है: --

(मात्रा मिलियन टनों में)

वर्ष	एमओयू लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता की उपयोगिता % में
2019-20	2.300	2.375	68
2018-19	2.170	2.238	64
2017-18	1.925	2.327	66
2016-17	1.300	1.460	42
2015-16	1.800	0.100	3

(पैलेट संयंत्र की संस्थापित क्षमता 3.500मिलियन टन/वर्ष है)

च. स्वॉट विश्लेषण

सदैव बदलते व्यावसायिक परिवेश में, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित शक्तियों, कमजोरी, अवसरों और खतरों की पहचान की है:

सामर्थ्य

- अच्छी वित्तीय और क्रेडिट योग्यता
  - अधिशेष निधियों के साथ ऋण मुक्त कंपनी जिसका इसके विकास के लिए निवेश किया जा सकता है।
  - भूमि जिसे संभावित रूप से मुद्रीकृत किया जा सकता है।
- कर्नाटक सरकार द्वारा देवदारी रेंज में आयरन और मैंगनीज अयस्क खान के 470.40 हेक्टेयर के आवंटन की अधिसूचना।
- आला विशेषज्ञता
  - पैलेट बनाने में विभिन्न अयस्क विशेषताओं के साथ विभिन्न स्रोतों (मैग्नेटाइट/हेमेटाइट) से लौह अयस्क को संभालने में विशेषज्ञता।
- खनन, अनुलाभीकरण, पैलेटीकरण और गवेषण में गहन विशेषज्ञता।
- सामग्री हैंडलिंग लाभ
  - राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइन और बंदरगाह से निकटता।
  - समर्पित बर्थ और स्वचालित जहाज लोडिंग सुविधा से सुसज्जित पैलेट संयंत्र।
  - अन्य आगामी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त अधिकारियों और गैर - अधिकारियों दोनों के कैडर में योग्य, कुशल और अनुभवी जनशक्ति।
  - अच्छी तरह से परिभाषित मानव संसाधन नीतियां।
  - प्राधिकृत आर्थिक संचालक निर्यातोन्मुख इकाई।
  - सशक्त पर्यावरण और सामाजिक प्रतिबद्धता।
  - उच्च पेशेवर कौशल के साथ प्रतिबद्ध प्रबंधन टीम।
  - व्यापक पेशेवर विशेषज्ञता वाले सर्वसक्षम बोर्ड।
  - जोखिम प्रबंधन योजना और जोखिम रोकने का सुप्रबंध।

दुर्बलता

- कच्चे माल की सोर्सिंग
  - 2006 से कैप्टिव खान की कमी।
  - उच्च मूल कीमत और कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण ई-नीलामी के माध्यम से कर्नाटक से लौह अयस्क फ़ाइन खरीदना असंभव है।
  - कर्नाटक से प्राप्त लौह अयस्क से उत्पादित पैलेट के निर्यात पर प्रतिबंध।
  - पैलेट संयंत्र, खान के मुहाने और घरेलू उपभोक्ता स्थानों से दूर स्थित है।
  - लौह अयस्क फाइनों के परिवहन के लिए उच्च परिचालन लागत।
  - उच्च ग्रेड अयस्क की स्वदेश और लाभकारी सुविधाओं के अभाव एवं गैर उपलब्धता की वजह से केवल बीएफ ग्रेड पैलेट के उत्पादन तक सीमित।
  - बीएफयू ऑपरेशन बंद कर दिए जाने के बाद से एकल उत्पाद पोर्टफोलियो।
  - अपने ब्लास्ट फर्नेस ईकाई के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की कमी।
  - कैपेसाइज जहाजों को संभालने के लिए गहरे ड्राफ्ट बर्थ/सुविधाओं की अनुपलब्धता।

अवसर

- विनिर्माण और आधारभूत संरचना पर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने के कारण भारतीय इस्पात उद्योग में मजबूत विकास की उम्मीद है।
- मूल्यवर्धित उत्पादनों जैसे पैलेट डक्टाइल आइरन ओर स्पन पाइप की निरंतर मांग।
- प्रस्तावित खनन लाइसेंसिंग मुद्दों का शीघ्र समाधान, और पुनरुद्धार के लिए कदमों की शुरुआत।
- नई तैनाती या सेवाओं के अनुबंध के लिए परिसंपत्तियों और जनशक्ति की उपलब्धता।
- अन्य एसएमडीसी या पीएसयू के साथ नए कैप्टिव खनन पट्टे या संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को सुरक्षित करने का अवसर
- भारत और विदेशों में अन्य इस्पात कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से संभावित विकास।
- एक प्रतिबद्ध और सक्रिय प्रबंधन जो सक्रिय रूप से अन्य राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों और हाजिर बाजारों से सोर्सिंग के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था पर कच्चे माल के स्रोतों को सुरक्षित करने में लगा हुआ है।
- मेक इन इंडिया के अंतर्गत मध्य पूर्व देशों में एवं चीन में स्टील संयंत्र की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थित।

आशंका

- एनएमडीसी के साथ दीर्घकालिक अनुबंध के तहत मासिक मूल्य निर्धारण के कारण आईओएफ मूल्य में उतार चढ़ाव।
- नीति, नियामक और पर्यावरण सीमाओं की निरंतरता के कारण सीमित विकास।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों से पैलेट उद्योग में गंभीर प्रतिस्पर्धा।
- सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा कैप्टिव पैलेट संयंत्रों का गठन।
- विशेष रूप से नई खानों के साथ वैश्विक आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए कम दरों पर विदेशों से पैलेट और उच्च श्रेणी के लंपों की आवक।
- नीति और नियामक कार्यों के कारण कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता।
- विकल्पों की आशंका यथा पैलेटों के स्थान पर सिंटर या लंपों का उपयोग।
- पैलेटों की बिक्री के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर।

छ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

वर्ष 2011 से कंपनी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) सुस्थापित है। वर्ष 2019-20 के दौरान सभी विभागों में ईकाईवार जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) आयोजित की गई थी। वांछित सुधार लाने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए शीर्ष प्रबंधन को समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलती है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

ज. नियुक्त कर्मचारियों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

कंपनी का लक्ष्य अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा और विकास के अवसर प्रदान करना है। यह उन्हें प्रोत्साहित भी करता है और कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने कौशल का सर्वोत्तम उपयोग के लिए एक वातावरण बनाता है।समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 2253 मानव दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया।औद्योगिक संबंध की स्थिति पूरे वर्ष में सौहादपूर्ण रही।यथातिथि 31 मार्च, 2020, कंपनी के अपने रोल पर 805 कर्मचारी थे, जिनमें गैर-संघीकृत पर्यवेक्षक और गैर-कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं।

झ. प्रमुख वित्तीय अनुपात:

विवरण	2019-20	2018-19
चालू अनुपात	**7.90**	9.06
संचालनों से राजस्व % के रूप में परिचालन लाभ	**(2.85)**	3.56
निवल लाभ सीमा (%)	**2.24**	5.93
पीएटी / औसत निवल मूल्य (%)	**2.22**	5.40
परिसंपत्तियों पर रिटर्न (%)	**1.83**	4.82
औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	**2.22**	5.40
औसत नियोजित पूंजी (ईबीआईडीआईटीए) पर रिटर्न (%)	**4.81**	9.26
बुक अनुपात करने के लिए बाजार	**1.92**	4.43

ञ. वापसी के निवल मूल्य पर किसी भी परिवर्तन की जानकारी के लिए विस्तृत विवरण उसके साथ-साथ पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दर्शाए गए।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में औसत निवल मूल्य पर रिटर्न में 3.18% की कमी आई है। पैलेट्स की बिक्री से योगदान में कमी के कारण वृद्धि / कमी हुई है।

ट. भविष्य का दृष्टिकोण

विश्वस्तरीय पूर्वानुमान है कि 2020 में, कोविड-19 संकट के कारण स्टील की मांग 6.4% घटकर 1,654 मीट्रिक टन हो जाएगी। 2020 की तुलना में 3.8% की वृद्धि के साथ 2021 में स्टील की मांग ठीक होकर 1,717 मैट्रिक टन होने की उम्मीद है,। इस वर्ष वैश्विक इस्पात की मांग में कमी से शेष दुनिया की तुलना में चीन में तेजी से सुधार की संभावना से क्षतिपूर्ति हो जाएगी।पूर्वानुमान मान रहा है कि अधिकांश देशों के लॉकडाउन उपायों को जून और जुलाई के दौरान कम किया जाना जारी है, सामाजिक दूरी नियंत्रण के साथ सुव्यवस्थापित किया गया है, और प्रमुख इस्पात विनिर्माता अर्थव्यवस्थाएं महामारी की प्रभावी द्वितीयक प्रकोप से ग्रस्त नहीं हैं।

कोविड-19 संकट, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी परिणामों के साथ, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक भारी संकट का भी प्रतिनिधित्व करता है।इस्पात निर्माता खपत में सामान्य स्थिरता, शटडाउन द्वारा और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं।इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि अधिकांश देशों में स्टील की मांग में काफी गिरावट आएगी, खासकर दूसरी तिमाही के दौरान।मई में शुरू हुए प्रतिबंधों में ढील के साथ, स्थिति धीरे-धीरे सुधरने की उम्मीद है, लेकिन सुधार की रफ्तार धीमी होगी।

अधिकांश देशों द्वारा मध्य मई से धीरे-धीरे अपने लॉकडाउन को क्रमशः खोल दिया गया है और तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है।चूंकि अर्थव्यवस्थाएं वैक्सीन या इलाज के बिना फिर से खुल रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम मौजूद हैं। अन्य देशों से आगे लॉकडाउन से बाहर आते हुए, चीन में आर्थिक सुधार फरवरी के अंत में शुरू हुए।आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों को छोड़कर इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से सामान्य हो रही है। 2020 में चीनी स्टील की मांग में 1.0% की वृद्धि होने की उम्मीद है।इसके अलावा, 2020 में शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के 2021 में आगे बढ़ने की प्रत्याशा से स्टील की मांग को पूरा करने और समर्थन करने की उम्मीद है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्टील की मांग 2020 में 17.1% घटने की उम्मीद है और 2020 में भारत में स्टील की माँग 18% तक घटने की उम्मीद है।

इसके अलावा, संतोषजनक इक्विटी बेस और तकनीकी जनशक्ति के पूल के साथ एक शून्य ऋण कंपनी होने के नाते, आपकी कंपनी ने विभिन्न दीर्घकालिक / अल्पकालिक विस्तार / विविधताओं के प्रति रुपए 3553 करोड़ के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की है।निम्नलिखित परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं: -

देवदारी लौह अयस्क ब्लॉक का विकास

परियोजना का संक्षिप्त विवरण	• 2.0 एमटीपीए क्षमता के लौह अयस्क खान का विकास • 2.0 एमटीपीए क्षमता के बेनेफिसिएसन संयंत्र का निर्माण • 2.0 एमटीपीए क्षमता के पैलेट संयंत्र का निर्माण
समय-अनुसूची	बेनेफिसिएसन संयंत्र के लिए मुख्य तकनीकी पैकेज आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर दिए जाने की तारीख से 24 महीने
पूंजीगत व्यय	₹ 1500 – 2000 करोड़
स्थिति	• आईबीएम द्वारा अनुमोदित खान योजना. • पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण और वन अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

बीएफयू के आधुनिकीकरण के साथ 1.80 एलटीपीए कोक ओवन संयंत्र और 2.0 एलटीपीए डीआईएसपी संयंत्र की स्थापना

परियोजना का संक्षिप्त विवरण	केआईओसीएल द्वारा 2.0 एलटीपीए डीआईएसपी प्लांट का फॉर्वर्ड एवं 1.80 एलटीपीए कोक ओवन प्लांट का बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना के रूप में संस्थापना और इकाई को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए केआईओसीएल की ब्लास्ट फर्नेस इकाई में अत्यावश्यक आशोधनों को कराया जाना।
समय-अनुसूची	मुख्य तकनीकी पैकेज आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर दिए जाने की तारीख से 24 महीने।
पूंजीगत व्यय	₹ 836.90 करोड़
स्थिति	ईपीसीएम परामर्शदाता नियुक्त किए गए और डीआईएसपी, कोक ओवन, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट और पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन प्लांट परियोजनाओं के लिए निविदा कार्य को पूरा किए जाने की प्रक्रिया जारी है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने से प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।

कर्नाटक में 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना

परियोजना का संक्षिप्त विवरण	5.0 एमवीएसी कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना - भारत सरकार के राष्ट्रीय सोलर मिशन को समर्थन प्रदान करने के लिए केआईओसीएल की कर्नाटक राज्य में 5 एमवीएसी (6.5 एमडब्लूपी) सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है।
समय-अनुसूची	ऑडर दिए जाने की तारीख से 6 महीने।
पूंजीगत व्यय	₹ 24.17 करोड़
स्थिति	ईपीसी ठेकेदार ने एक भूमि की पहचान की है और शीघ्र ही भूमि पंजीकरण की बिक्री के लिए समझौते की उम्मीद है।

पैलेट प्लांट इकाई का अधुनिकीकरण, मंगलूरु

परियोजना का संक्षिप्त विवरण	• बैरल टाइप ब्लेंडर रिक्लाइमर की स्थापना • अदद 4 नग वर्टिकल प्रेशर फिल्टर की स्थापना • ईआरपी का कार्यान्वयन
समय-अनुसूची	• रिक्लाइमर के लिए 9 महीने • वर्टिकल प्रेशर फिल्टरके लिए 18 माह • ईआरपी के लिए 24 माह
पूंजीगत व्यय	• रिक्लाइमर के लिए` 17.60 करोड़ • वर्टिकल प्रेशर फिल्टरके लिए ` 158.60 करोड़ • ईआरपी के लिए ` 17.09 करोड़ [प्राक्कलित]
स्थिति	• परियोजना के पूरा होने की तारीख के रूप में 31 मार्च, 2020 के साथ रुपये 17.50 करोड़ व जीएसटी के मूल्य के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।हलांकि, कार्य रोक दिया गया है क्योंकि कंपनी ने कोविड-19 के कारण देश में व्याप्त महामारी की स्थिति के कारण अप्रत्याशित बलाघात खंड लागू किया। • कंपनी ने मंगलूरु के पैलेट प्लांट में अदद 4 वर्टिकल प्लेट प्रेशर फिल्टर को स्थापित कर जाँच उपरांत चालू करने के डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्यूफैक्चरिंग, सप्लाई और सुपरविजन के लिए खुली निविदा जारी की है। 02 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी तकनीकी जांच की जा रही है। • निविदा प्रक्रियाधीन है।

संयुक्त उद्यम के तहत विजाग में मेसर्स आरआईएनएल के साथ 2.0 एमटीपीए पैलेट प्लांट की स्थापना।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण	2.0 एमटीपीए क्षमता के पैलेट प्लांट की स्थापना - आरआईएनएल के ब्लास्ट फर्नेस में आवश्यकता के अनुरूप प्लांट में हाई फ्लक्स्ड बीएफ ग्रेड पैलेटों का उत्पादन किया जाएगा।
समय-अनुसूची	मुख्य तकनीकी पैकेज आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर प्रस्तुत करने की तारीख से 24 महीने।
पूंजीगत व्यय	₹ 1032.80 करोड़
स्थिति	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अनापत्ति और आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सम्मति (सीओई) प्राप्त करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता को रत किया गया है। स्थान में परिवर्तन के लिए टीओआर में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त पहलों के साथ, आपकी कंपनी एकल उत्पाद और संयंत्र स्थान की अंतर्निहित चुनौतियों को दूर करने के लिए एक स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर है, जो खान और उपभोक्ता स्थानों से दूर है।

ठ. सतर्क/सावधानी कथन

इस रिपोर्ट में हमारे व्यवसाय संचालन के बारे में कुछ बयान दूरंदेशी बयानों का गठन कर सकते हैं। इनमें ऐतिहासिक तथ्यों के बयानों के अलावा सभी बयान शामिल हैं, जिनमें वित्तीय स्थिति, व्यापार रणनीति, प्रबंधन योजनाओं और भविष्य के कार्यों के लिए उद्देश्य शामिल हैं।दूरंदेशी बयानों को भविष्य के संचालन या वित्तीय प्रदर्शन की चर्चा के संबंध में 'विश्वास', 'आकलन', 'प्रत्याशा', 'अपेक्षा', 'प्रयोजन', 'हो सकता है', 'इच्छा', 'योजना', 'दृष्टिकोण' और इसी तरह के अन्य समानार्थी शब्दों से पहचाना जा सकता है। दूरंदेशी बयान आवश्यक रूप से मान्यताओं, आंकडों या तरीकों पर निर्भर होते हैं जो गलत हो सकते हैं या अशुद्ध हो सकते हैं और जो पूर्ण किए जाने में असमर्थ हो सकते हैं, और इस तरह, भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है, लेकिन उचित मान्यताओं के आधार पर हमारी वर्तमान अपेक्षाओं का गठन करते हैं। वास्तविक परिणाम विभिन्न घटनाओं, जोखिमों, अनिश्चितताओं और अन्य कारकों के कारण किसी भी आगे की ओर देखने वाले बयानों में अनुमानित रूप से भिन्न हो सकते हैं। हम न तो नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणाम के रूप में किसी भी आगे की ओर देखने वाले बयानों को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं मानने का इरादा रखते हैं।

मंगलूरु में पैलेट प्लांट का हवाई दृश्य

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्वाह

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) (ड) जिसे कंपनी (लेखा), नियम 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ा जाना है।]

केआईओसीएल में ऊर्जा संरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है और सभी संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के प्रयास अबाधित रूप से चलते रहते हैं जो निर्वहनीयता कंपनी के कारोबारी सिद्धांत का अभिन्न हिस्सा है।

क: ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए किए गए उपाय: -

I. वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीएफयू रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट से 3.98 लाख यूनिट सोलर पावर उत्पन्न किया गया + 103827 यूनिट सीपीपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट से।

II. स्व-स्वामित्व वाले 1.3 एमडब्लूपीडीसी (1 एमडब्लूएसी) ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट बीएफयूमें स्थापित है और नवंबर, 2018 से चालू है। 31 मार्च, 2020 तक उत्पन्न कुल सौर ऊर्जा 17.1 लाख यूनिट है।

III. खपत की गई ऊर्जा की लागत में कटौती की दिशा में हमारे प्रयास के तहत, हमने आईईएक्स से पीपी यूनिट में उपयोग की गई हमारी कुल ऊर्जा का लगभग 13.38% खरीदा है।इसके अलावा, हमने एमईएससीओएमसे "विशेष प्रोत्साहन योजना" का चयन किया जो आईईएक्सऊर्जा बोली की तुलना में जोखिम मुक्त है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6.21 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

ख) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय

i) व्हीलिंग के माध्यम से 193.5 लाख यूनिट्स की अक्षय ऊर्जा की खरीद की गई, जिससे ऊर्जा लागत में बचत हुई और ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा किया गया।

ii) कन्वेयर के लिए ऊर्जा कुशल मोटर्स की खरीद की गई और स्थापित किए गए।

iii) पीपी यूनिट में विभिन्न स्थानों में पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब के स्थान पर एलईडी फिटिंग से 200 नगों को बदल दिया गया है।

iv) 110 किलोवाट के वाटर पंप और 22 किलोवाट के ब्लोअर मोटर को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदल दिया गया और चरणबद्ध तरीके से शेष मोटरों के लिए प्रस्तावित किया गया।

ग) ऊर्जा संरक्षण के लिए किया गया निवेश/ कार्यान्वित उपायों का प्रभाव

निवेशित

- पीपी इकाई में एलईडी फिटिंग की खरीद के लिए रु. 80,000 /-
- ऊर्जा कुशल मोटर की खरीद के लिए रु. 1,70,000/-

घ) ऊर्जा प्रबंधन

क) ताप खपत '000 किलो कैलोरी है: -
2018-19 - 229.73
2019-20 – 233.17

ख) पिछले दो वर्षों में ऊर्जा की खपत प्रति टन: -
2018-19 – 67.85 केडब्लूएच/टी
2019-20 – 66.99 केडब्लूएच/टी

ग) पीपी इकाई में ऊर्जा की खपत: -
2018-19 – 151.85 जीडब्लूएच
2019-20- 155.23 जीडब्लूएच

ख: प्रौध्योगिकी समावेश

अनुसंधान एवं विकास(अनु. व वि.)

✓ वे क्षेत्र जहां कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया गया।

क) ग्राइंडिंग मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन।

ख) उच्च क्रोमियम सामग्री की 28% ग्राइंडिंग मीडिया के खपत में कमी।

✓ उपरोक्त अनुसंधान व विकास का परिणाम

क) शुरुआत में हमने कम क्रोमियम सामग्री को 15.5% से 18% क्रोमियम के साथ आज़माया था, जो कि 450 से 500 ग्राम प्रति टन उत्पादन की दर के साथ अच्छे परिणाम देता था।

ख) इसके बाद, ग्राइंडिंग मीडिया की लागत को कम करने के दृष्टिकोण के साथ क्रोमियम सामग्री में 14% से कम की कमी किया जाना प्रस्तावित किया गया था।तदनुसार, 250 मीट्रिक टन वेरी लो क्रोम स्टील बॉलों (12% से 14% क्रोमियम) की कोशिश की गई थी।यह साबित हो गया कि 15.5% से 18% क्रोमियम के साथ नियमित रूप से ग्राइडिंग मीडिया जिसका उपयोग किया जा रहा था को अधिक किफायती पाया गया और फिर 12 से 14% क्रोमियम के साथ ग्राइडिंग मीडिया आर एंड डी के तहत आजमाया गया है।

✓ अनुसंधान एवं विकास में व्यय

(रु. लाख में)

	2018-19	2019-20
क) पूंजी।	शून्य	**शून्य**
ख) राजस्व	12.00	**151.00**
ग) योग	12.00	**151.00**
घ) कुल टर्नओवर का %	0.005	**0.07**

ग: विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं बहिर्वाह

(रु. लाख में)

	2018-19	2019-20
अर्जित विदेशी मुद्रा	124,697.88	**157,413.03**
प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	34,829.04	**29,718.49**

मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी का सार

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) के नियम और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

फॉर्म सं. एमजीटी– 9

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

सीआईएन	L13100KA1976GOI002974
पंजीकरण की तारीख	02.04.1976
कंपनी का नाम	केआईओसीएल लिमिटेड
कंपनी का वर्ग/उप-वर्ग	कंपनी की शेयर पूंजी है / कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) के तहत सरकारी कंपनी है।
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु – 560034, कर्नाटक
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	इनमें सूचीबद्ध है: - क) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. ख) बीएसई लिमिटेड ग) मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पंजीयक तथा अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि. पंजीकृत कार्यालय: 30, रमणा रेजीडेंसी, 4वां क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु – 560003 टेलीफोन: 080-23460815-81 ईमेल: irg@integratedindia.in

II. कंपनी के प्रमुख कारोबारी कार्यकलाप

कंपनी के कुल कारोबार में 10%या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ बताई जाएंगी:

मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का%
आयरन ऑक्साइड पैलेट	17100	96.97

III. होल्डिंग, सबसिडियरी और एसोसिएट्स कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग / सबसिडियरी /एसोसिएट्स	धारित शेयरों का %	लागू अनुच्छेद
---------- शून्य ----------				

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन%
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रमोटर	616051204	-	616051204	99.06	616051204	-	616051204	99.06	-
सार्वजनिक शेयरधारिता (संस्थागत)	3167274	100.00	3167374	0.51	2865782	-	2865782	0.46	-0.06
सार्वजनिक शेयरधारिता (गैर संस्थागत)	2649541	57446	2706987	0.44	2957813	50766	3008579	0.48	0.04
कुल	**621868019**	**57546**	**621925565**	**100.00**	**621874799**	**50766**	**621925565**	**100.00**	**-**

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

शेयरधारकों के नाम	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान परिवर्तन%
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	616051204	99.06	NIL	616051204	99.06	शून्य	-

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	616051204	99.06	616051204	99.06
वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरधारण में तारीख-वार बढ़ोत्तरी/घटौती, ऐसी बढ़ोत्तरी /घटौती के कारण सहित (जैसे आबंटन/ अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)-	लागू नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान प्रमोटर शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं हुआ है।			
वर्ष के अंत में	616051204		99.06	

iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों के शेयरधारण की प्रविधि (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और होल्डरों के अलावा अन्य)

	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	IN30081210000029 – भारतीय सामान्य बीमा निगम	1460953	0.23	1297870	0.21
2	IN30081210001728 – दि न्यू इंडिया एश्योरंश कंपनी लिमिटेड	730300	0.12	730300	0.12
3	IN30378610004683 – पीएनबी मोचित योजनाएं – अदावाकृत खाता	745209	0.12	625108	0.10
4	IN30081210000560 – दि ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड	160000	0.03	160000	0.03
5	IN30154931152417 – ललिथा महालिंगम	19550	0.00	94150	0.02
6	1601430101992349 – तुशार राणे	38679	0.01	70763	0.01
7	IN30300110049381 – जीएफसी सिक्योरिटीज एंड फिनांश लिमिटेड	70200	0.01	70200	0.01
8	IN30036010895597 – कुणाल आहूजा	0	0.00	70000	0.01
9	IN3037861002163 – मैग्नम बॉन्ड फंड 1994	52504	0.01	52504	0.01
10	1202470000502231 – सोनल अमृत गांधी	13500	0.00	36000	0.01
11	IN30113526464749 – एमएसपीएल लिमिटेड	50371	0.01	0	0.00
12	IN30211310008286 – अनिल कुमार बज़ाज़	46834	0.01	0	0.00

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	200	0.00
वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार बढ़ोत्तरी / घटौती, ऐसी बढ़ोत्तरी / घटौती के कारण सहित (जैसे-आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं		वर्ष के दौरान श्री के.वी. भास्कर रेड्डी ने निदेशक (पी एंड पी) का प्रभार दिनांक 01.03.2020 के प्रभाव से ग्रहण कियाऔर वह 1996 से कंपनी के 200 शेयरों का धरण कर रहे हैं।	
वर्ष के अंत में	200	0.00	200	0.00

V) ऋणग्रस्तता

बकाया / अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान देय नहीं

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	-	-	-	-
ii) ब्याज जो देय है परंतु अदा नहीं किया गया।	-	-	-	-
iii) ब्याज अर्जित है परंतु देय नहीं है।	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि	-	-	-	-
कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	-	-	-	-
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज पर देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निर्दशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण (सर्वश्री/सर्वसुश्री)	एम वि सुब्बा राव, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	एस. के. गोराई, निदेशक (वित्त)	के. वी. भास्कर रेड्डी, निदेशक (पी एवं पी) (01.03.2020 के प्रभाव से)	टी. सामिनाथन, निदेशक (वाणिज्य)	एन. विद्यानंद, निदेशक (पी एवं पी) (29.02.2020 तक)	कुल राशि (₹ में)
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	45,26,713	40,09,977	3,28,406	39,93,578	88,46,242	2,17,04,916
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार अनुलाभ	6,71,707	5,93,051	-	5,90,090	7,86,476	26,41,324
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण (सर्वश्री/सर्वसुश्री)	एम वि सुब्बा राव, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	एस. के. गोराई, निदेशक (वित्त)	के. वी. भास्कर रेड्डी, निदेशक (पी एवं पी) (01.03.2020 के प्रभाव से)	टी. सामिनाथन, निदेशक (वाणिज्य)	एन. विद्यानंद, निदेशक (पी एवं पी) (29.02.2020 तक)	कुल राशि (₹ में)
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-	-
	- अन्य, बताएं	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के लिए योगदान निर्दिष्ट करें	1,35,848	1,01,217	-	99,551	1,29,625	4,66,241
	कुल (क)	**53,34,268**	**47,04,245**	**3,28,406**	**46,83,219**	**97,62,343**	**2,48,12,481**

ख. निदेशकों को पारिश्रमिक:

1. स्वतंत्र निदेशक (सर्वश्री/सर्वसुश्री)

पारिश्रमिक का विवरण	जगदीश पी. जोशी	एन. महापात्रा (21.10.2019 के प्रभाव से)	रंजीत श्रीनिवास (21.10.2019 के प्रभाव से)	जी. रामासामी (07.12.2019 के प्रभाव से)	माधव लाल (25.11.2019 तक)	डॉ. दीपिका शर्मा (30.01.2020 तक)	कुल राशि (रु में)
बोर्ड / समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	3,45,000	75,000	1,05,000	55,000	2,60,000	2,65,000	**11,05,000**
-कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)(1)	**3,45,000**	**75,000**	**1,05,000**	**55,000**	**2,60,000**	**2,65,000**	**11,05,000**
2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक							
कुल (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)= (ख)(1) + (ख)(2)	**3,45,000**	**75,000**	**1,05,000**	**55,000**	**2,60,000**	**2,65,000**	**11,05,000**

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक (सर्वश्री/सर्वसुश्री)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
		पी. के. मिश्रा, कंपनी सचिव
1	सकल वेतन	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	17,44,376
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार अनुलाभ का मूल्य	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	-
2	स्टॉक विकल्प	-
3	स्वेट इक्विटी	-
4	कमीशन	-
	- लाभ के % के रूप में	-
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें	-
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें – रिटैरल्स	-
	कृपया विनिर्दिष्ट करें - रिटैरल्स	-
	कुल (ग)	**17,44,376**

VII. जुर्माना / दंड / दोषसिद्धि:					
प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना / दंड / दोषसिद्धि शुल्क का विवरण**	**प्राधिकारी [आरडी / एनसीएलटीT / न्यायालय]**	**यदि कोई अपील की गई हो तो (विवरण दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना			कोई नहीं		
दंड					
दोषसिद्धि					
ख. निदेशक					
जुर्माना			कोई नहीं		
दंड					
दोषसिद्धि					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना			कोई नहीं		
दंड					
दोषसिद्धि					

****

निगमित सामा जिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वनीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वनीति कंपनी की वेबसाइट https://www.kioclltd.in/user/cms/344 के तहत उपलब्ध है

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे पास मंडल की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है जिसमें श्री निर्मलेंदु महापात्र, अध्यक्ष, श्री एस.के. गोराई, सदस्य और श्री केवी भास्कर रेड्डी, सदस्य हैं।

3. पिछले तीन वर्षों में कंपनी का औसत निवल:

औसत निवल लाभ: रु.10047.47लाख

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त 3 की राशि का 2 प्रतिशत):

रु. 200.95 लाख

व व्यय की गई राशि जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया गया–रु.7.13 लाख वित्तीय वर्ष के लिए कुल आबंटित राशि: ` 208.08 लाख

5. वित्तीय वर्ष के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के विवरण:

क. व्यय की गई कुल राशि: ` 331.42 लाख

ख. न व्यय की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की गई राशि की विधि नीचे दी गई है:

(रु. लाख में)

क्र.. सं.	परियोजनाएं / गतिविधियां	क्षेत्र	स्थान जिला (राज्य)	परियोजना या कार्यक्रम-वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजना या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों का समर्थन करने के लिए बाढ़ राहत कोष में योगदान.	राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	27	27.31	27.31	27.31
2	कर्नाटक के रायचूर जिला, जिसकी आकांक्षापूर्ण जिला के रूप में पहचान की गई है में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के साथ शुद्ध पेयजल की सुविधा।	स्वास्थ्य देखभाल	रायचूर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	15	15	15	15
3	विश्वासपूर्थि समष्टि विद्यामंदिर, चोरानूर – संदुर(*) में कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा को प्रोत्साहन	चोरानूर-संदुर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	9	-	-	-
4	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रंजीथपुत्रा – संदुर में शौचालयों का निर्माण(*)	स्वच्छ विद्यालय अभियान	संदुर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	5	-	-	-
5	साईं बाबा प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, तारानगर में कक्षा-कक्ष (अदद 1) का निर्माण -संदुर	शिक्षा को प्रोत्साहन	संदुर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	9	-	-	-
6	प्रभुदेवरा विक्रथा मठ विद्यालय (बसवेश्वरा उच्चतर प्राथमिक में कक्षा-कक्ष का निर्माण),संदुर(*)	शिक्षा को प्रोत्साहन	संदुर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	10	-	-	-

क्र.. सं.	परियोजनाएं / गतिविधियां	क्षेत्र	स्थान जिला (राज्य)	परियोजना या कार्यक्रम-वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजना या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	ज्ञान भारती विद्यामंदिर, कृष्णा नगर में शौचालयों का निर्माण -संदुर(*)	स्वच्छ भारत अभियान	संदुर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	5	-	-	-
8	रामकृष्ण विद्या- मंदिर में कक्षा-कक्ष का निर्माण, संदुर (#)	शिक्षा को प्रोत्साहन	संदुर कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	7	-	-	-
9	गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल (जीएचएसएस), मुंडेरी स्कूल, कन्नूर, केरल में स्कूल भवन के निर्माण के लिए समर्थन (#)	शिक्षा को प्रोत्साहन	कन्नूर, केरल	5	-	-	-
10	इस्पात मंत्रालय के निर्देशानुसार "अपना खुद का बैग लाओ" अभियान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड से जूट बैग की खरीद	पर्यावरण संधारणीयता	बेंगलूरु/ मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	1	6.17	6.17	6.17
11	चिक्कनायकन्हल्ली में पौधे लगाने के लिए सहायता, (#)	पर्यावरण संधारणीयता	चिक्कनायकन्हल्ली, कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	2	-	-	-
12	अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना (**)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	7	4	4	4
13	विद्यालय परिसर के निर्माण के लिए सहायता, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मेस्त्रिपाल्या, बेंगलूरु को अलमीरा, कंप्यूटर और प्रिंटर प्रदान करना। (**)	शिक्षा को प्रोत्साहन	बेंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	3	1.15	1.15	1.15
14	अमर सेवा संगम, तमिलनाडु द्वारा दिव्यांग जनों के लिए आईटीआई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री खरीदने के लिए सहायता।	शिक्षा को प्रोत्साहन/ कौशल विकास	आयीकुडी, तमिलनाडु	5	6.64	6.64	6.64
15	ओडिशा में बच्चों के लिए पोषण संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समर्थन (#)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	ओडिशा	10	-	-	-
16	कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार को योगदान	स्वास्थ्य देखभाल - कोविड -19 / आपदा प्रबंधन	कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	-	15	15	15
17	संवेदना, नन्थूर, मंगलूरु में अनाथों को मासिक पोषण किराने के वस्तुओं की आपूर्ति।	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	3	3	3	3

क्र.. सं.	परियोजनाएं / गतिविधियां	क्षेत्र	स्थान जिला (राज्य)	परियोजना या कार्यक्रम-वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजना या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	मदिकेरी में आंगनवाड़ी केंद्र का नवीनीकरण जो 2018 के दौरान भारी बारिश के कारण नष्ट हो गया था।	शिक्षा को प्रोत्साहन	मडिकेरी कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	5.73	5	5	5
19	बालपा ग्राम, सूलिया तालुक में सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए सहायता क्लास रूम का निर्माण योग और ध्यान मंदिर का निर्माण (*)	सामुदायिक विकास	बालपा, सुलिया कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	20	4.79	4.79	4.79
20	स्कूल भवन, मूत्रालयों और शौचालयों की मरम्मत और पीने के पानी जैसी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके डीकेज़ेडपी, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, पद्मनूर, किनिगोली, मंगलूरु के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन। (*)	शिक्षा को प्रोत्साहन	किन्निगोलीi, मंगलूरु (स्थानीय क्षेत्र)	3	0.43	0.43	0.43
21	डीकेज़ेडपी प्राथमिक विद्यालय, थन्नीरभावी, मंगलूरु में विद्यालय के भवन में पेंटिंग और सफेदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना।	शिक्षा को प्रोत्साहन/ स्वच्छ विद्यालय अभियान	थन्नीरभावी, मंगलूरु (स्थानीय क्षेत्र)	0.20	0.35	0.35	0.35
22	डीकेज़ेडपी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, पंजीमोगरू, मंगलूरु को क्लास रूम का निर्माण, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि की संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन।(#)	शिक्षा को प्रोत्साहन	पंजीमोगरू, मंगलूरु (स्थानीय क्षेत्र)	4	-	-	-
23	डीकेजेडपी आदर्श उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, मुदाम्बेल, बंटवाला, मंगलूरु में विद्यालय परिसर, मूत्रालयों और शौचालयों जैसी संरचनागत सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा को प्रोत्साहन। (*)	शिक्षा को प्रोत्साहन	मुदाम्बेल, बंटवाला, मंगलूरु (स्थानीय क्षेत्र)	4	2.20	2.20	2.20
24	डीकेजेडपी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, बैकमपडी (मत्स्य) मीनाकाया, मंगलूरु को पेयजल सुविधा। (*)	पेय जल की सुविधा	बैकमपडी, मंगलूरु (स्थानीय क्षेत्र)	1	0.79	0.79	0.79
25	राजकीय उच्चतर प्राथमिकविद्यालय, होसमार (इडू), करकला तालुक, उडुपी के लिए टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण	शिक्षा को प्रोत्साहन	कर्कला कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	4	4.70	4.70	4.70
26	बालसंरक्षण केंद्र, अनाथालय, कुट्टर पाडव, मुन्नूर गांव, मंगलूरु के लिए लड़कों के नि:शुल्क छात्रावास और सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए सहायता	शिक्षा को प्रोत्साहन	कुट्टर, मंगलूरु (स्थानीय क्षेत्र)	2	2	2	2

क्र.. सं.	परियोजनाएं / गतिविधियां	क्षेत्र	स्थान जिला (राज्य)	परियोजना या कार्यक्रम-वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजना या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	कुद्रेमुख की गरीब और मेधावी छात्रा कुमारी दिव्या को वित्तीय सहायता	शिक्षा को प्रोत्साहन	कुद्रेमुख कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	0.15	0.15	0.15	0.15
28	कतिपल्ला, मंगलुरु में आंगनवाड़ी केंद्र के नवीनीकरण / पुनरोद्धार के लिए सहायता (*)	शिक्षा को प्रोत्साहन	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	5	-	-	-
29	थरमार, मंगलुरु के पास मुथूरु ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र के नवीनीकरण / पुनरोद्धार के लिए सहायता (*)	शिक्षा को प्रोत्साहन	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	9	-	-	-
30	मंगलुरु में शतरंज टूर्नामेंट के लिए वित्तीय सहायता (**)	खेल को बढ़ावा	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	7	4.60	4.60	4.60
31	मंगलुरु में जिला जेल में आरओ प्लांट और कपड़ा धोने और सुखाने के उपकरण की स्थापना के लिए सहायता	पेय जल की सुविधा	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	10	10	10	10
32	राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, मेलुकोटे को वित्तीय सहायता	शिक्षा को प्रोत्साहन	मेलुकोटे कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	1	1	1	1
33	शंकर कैंसर अस्पताल, बेंगलुरु, कैंसर के इलाज के लिए कु. भानु को वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य देखभाल	बेंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	1	1	1	1
34	रानी दुर्गावती शारीरिक खेल प्रशिक्षण संस्थान, मंडला जिला, मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	ग्रामीण कला और संस्कृति को बढ़ावा देना	मांडला मध्य प्रदेश	5	5	5	5
35	कर्नाटक पब्लिक स्कूल, अगारा, बेंगलुरु-डब्ल्यूआईपीएस में चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	बेंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	0.15	0.14	0.14	0.14
36	आम जनता को वितरण के लिए मास्क और सैनिटाइज़र की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल / कोविड -19 की रोकथाम	बेंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	0.41	0.41	0.41	0.41
37	रोटरी बाला भवन, केएचबी कॉलोनी, बॉन्डेल को पेयजल सुविधा / यूनिट प्रदान करना	पेयजल सुविधा	मंगलूरु कर्नाटक (स्थानीय क्षेत्र)	0.59	0.59	0.59	0.59
38	पीएम केयर फंड में योगदान	कोविड-19 आपदा प्रबंधन	-	1.85	210	210	210
			योग	**208.08**	**331.42**	**331.42**	**331.42**

नोट:

(*)

- क्र. सं. 3 -7 3 -7 निष्पादन चरण के तहत परियोजना।वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राशि जारी की जाएगी;
- क्र. सं. 19, 20, 23, 24 निष्पादन चरण के तहत परियोजना।वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शेष भुगतान किया जाएगा;
- क्र. सं. 28 एवं 29, आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण / नवीनीकरण की परियोजना को अलग स्थान पर लिया गया है।कार्य प्रगति पर है। भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किया जाएगा।

(**)

- क्र. सं.12 मंगलुरु में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की दिशा में रु. 4 लाख का व्यय किया गया है। कोविड -19 महामारी से निपटने में सरकार का समर्थन करने के लिए शेष राशि कोविड -19 के लिए व्यपवर्तित की गई है;
- क्र. सं. 13चूंकि स्कूल और स्थानीय लोगों के बीच भूमि विवाद था, परिसर का निर्माण रोक दिया गया।शेष वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, अलमीरा आदि विद्यालय को प्रदान किया गया;
- क्र. सं. 30- सीएसआर के तहत कुल व्यय रुपये 4.60 लाख है।

(#)

- क्र. सं.8 बजट की कमी के कारण, परियोजना को रोक दिया गया था
- क्र. सं. 9 कोविड -19 महामारी से निपटने में सरकार का समर्थन करने के लिए राशि को व्यपवर्तित करने के बाद परियोजना को नहीं लिया गया;
- क्र. सं. 11 परियोजना को नहीं कराया गया क्योंकि कार्य निष्पादन के लिए चिन्हित पार्टी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया;
- क्र. सं.15 कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार को राशि व्यपवर्तित की गई;
- क्र. सं. 22 स्कूल के आंतरिक मामले के कारण परियोजना को नहीं लिया जा सका

6. **यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत या उसके किसी हिस्से को खर्च नहीं कर पाती है, तो कंपनी अपने मंडल की रिपोर्ट में ऐसी राशि खर्च न करने का कारण प्रदान करेगी।**

   लागू नहीं

7. **सीएसआर समिति का यह दायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्य और नीति के अनुपालन में हैं।**

   हम एतद्द्वारा यह संपुष्ट करते हैं कि मंडल द्वारा यथा अनुमोदित सीएसआर नीति का कार्यान्वयन किया गया है और सीएसआर समिति अपने सीएसआर उद्देश्य के अनुसार सीएसआर की परियोजनाओं और कार्यकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

हस्ताक्षर /-
(एम वि सुब्बा राव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ताक्षर /-
(निर्मलेंदु महापात्रा)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

दिनांक: 10/08/2020
स्थान: बेंगलूरु

मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध

कारोबारी दायित्व रिपोर्ट 2019-20

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(च) के अनुसार]

1. परिचय

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार इस बात को अनिवार्य बनाया गया है कि बीईएसई और एनएसई के बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर सर्वोच्च 500 कंपनियों को उनके वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में कारोबारी दायित्व रिपोर्ट (बी. आर.आर.) में शामिल करना चाहिए। केआईओसीएल सेबी द्वारा बताए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी बीआरआर प्रस्तुत कर रही है। इस रिपोर्ट में जुलाई 2011 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कारोबार के सामाजिक पर्यावरण एवं आर्थिक तत्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा निर्देश के अनुसार मुख्य पहलुओं को शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की कारोबारी दायित्व रिपोर्ट में भारत के आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में केआईओसीएल द्वारा की गई पहल का वर्णन किया गया है।

खंड क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L13100KA1976GOI002974		
2	कंपनी का नाम	केआईओसीएल लिमिटेड		
3	पंजीकृत पता	II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु - 560034		
4	वेबसाइट	www.kioclltd.in		
5	ईमेल आईडी	cs@kioclltd.com		
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020		
7	क्षेत्र जिसमें कंपनी संचालित है (कोड-वार औध्योगिक कार्यकलाप)	उत्पाद	लौह अयस्क पैलेट	पिग आयरन
		एनआईसी कोड	17100	24101
8	ऐसे तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम बताएं जिसका निर्माण कंपनी करती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र में दिए गए अनुसार)	क) लौह अयस्क पैलेट ख) पिग आयरन		
9	कंपनी द्वारा किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के स्थलों की कुल संख्या			
	i. अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या (मुख्य विवरण दें)	कोई नहीं		
	ii. राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	विनिर्माण इकाइयां: 2 निगमित कार्यालय: 1 स्थल / संपर्क: 4		
10	कंपनी का बाज़ार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	केआईओसीएल राष्ट्रीय बाजार और दुनिया भर में लौह अयस्क पैलेटों का निर्यात करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आपूर्ति करती है।		

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण

1	चुकता पूंजी (आईएनआर)	₹ 621.93 करोड़
2	कुल टर्न ओवर (आईएनआर)	₹ 2056.53 करोड़
3	कर पूर्व कुल लाभ (आईएनआर)	₹ 63.68 करोड़
4	कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)	₹ 43.48 करोड़
5	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	7.61% (रुपये 43.48 करोड़ के कर पश्चात लाभ के अर्थात रुपये 3.31 करोड़)
6	सीएसआर गतिविधियों की सूची जिसमें व्यय किया गया है: क. प्रधान मंत्री केयर्स निधि में योगदान ख. आपदा प्रबंधन - बाढ़ राहत गतिविधियाँ ग. स्वास्थ्य देखभाल घ. पेयजल सुविधा ङ. शिक्षा को प्रोत्साहन / कौशल च. पर्यावरणीय स्थिरता छ. ग्रामीण कला और संस्कृति को बढ़ावा देना ज. सामुदायिक विकास झ. खेलों को बढ़ावा	

खंड ग: अन्य विवरण

1 क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी है / कंपनियां हैं?

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

2 क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी के बी. आर. कार्यकलापों में भाग लेती है? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या बताएं।

लागू नहीं

3 क्या कोई अन्य स्वत्व (जैसे पूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के बी.आर. कार्यकलापों में भाग लेते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे स्वत्वों की संख्या बताएं {30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक}

कंपनी को अपने पूर्तिकर्ताओं के किसी बी. आर. कार्यकलाप की जानकारी नहीं है।

खंड घ: कारोबारी दायित्व संबंधी सूचना

1. बी. आर. के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

क) बी. आर. नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

1	डीआईएन संख्या	:	08672764
2	नाम	:	श्री के वी भास्कर रेड्डी
3	पदनाम	:	निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं)
4	टेलीफोन नंबर	:	080-25531150
5	ई-मेल आईडी	:	dpp@kioclltd.com

ख) बी. आर. शीर्ष के विवरण

1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	: लागू नहीं
2	नाम	: श्री पी. के. मिश्रा
3	पदनाम	: कंपनी सचिव
4	टेलीफोन नंबर	:080-25531525
5	ई-मेल आईडी	:cs@kioclltd.com

2. एन.वी.जी. के सिद्धांत

कारोबार में उत्तरदायी ढंग से आर्थिक/सामाजिक/पर्यावरणीय क्षेत्रों में पालन किए जाने वाले नौ सिद्धांत हैं:

पी1	नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही
पी2	उत्पाद का जीवन चक्र
पी3	सभी कर्मचारियों की खुशहाली
पी4	हितधारकों की सहभागिता
पी5	मानवाधिकार
पी6	पर्यावरण
पी7	सार्वजनिक और विनियामक नीति
पी8	समावेशी विकास / सीएसआर
पी9	ग्राहकों के साथ जुड़ना और उन्हें प्रतिफल प्रदान करना

2 (क) अनुपालन के विवरण (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके यहां यह नीति/नीतियां हैं?	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	जी हाँ, हितधारकों से परामर्श करते हुए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार नीतियां तैयार की गई हैं, चूंकि कंपनी इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है।								
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	जी हाँ, सतत विकास (एसडी) नीति भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नौ एनवीजी सिद्धांतों का सार है।								
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह एमडी / स्वामी / सीईओ / यथोचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है?	जब भी आवश्यकता हो, बोर्ड सहित सक्षम प्राधिकरण द्वारा नीतियों को उचित स्तरों पर अनुमोदित किया जाता है।								
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें।	सभी नीतियों को कंपनी की वेबसाइट https://www.kioclltd.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।								
7	क्या नीति को सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	"जी हाँ", ऐसे मामलों पर आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ संचार एक सतत प्रक्रिया है।								
8	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों को लागू करने के लिए संस्थागत संरचना मौजूद है?	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
9	क्या कंपनी के पास पॉलिसी / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र है?	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के काम का स्वतंत्र ऑडिट मूल्यांकन किया है?	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ

2 (ख) यदि किसी भी सिद्धांत के समक्ष क्र. सं. 1 का उत्तर नहीं है तो बताएं क्यों : (2 विकल्प तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने नौ सिद्धांतो के आधार पर सभी नीतियां बनाई हैं।								
2	कंपनी एक ऐसे चरण में नहीं है जहां वह खुद को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और लागू करने की स्थिति में पाती है।									
3	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं हैं।									
4	अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है।									
5	अगले 1 वर्ष के भीतर किए जाने की योजना है।									
6	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बी.आर. से संबंधित अभिशासन

1 कंपनी के बीआर संबंधी कार्य - निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक मंडल, मंडल की समिति या सीईओ के बैठक की आवृति दर्शाएँ।

निदेशक मंडल समय - समय पर बीआरआर की समीक्षा करता है।

2 क्या कंपनी बी.आर या निर्वहनीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाईपर लिंक क्या है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया जाता है ?

बीआर स्टेटमेंट KIOCL की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए हाइपरलिंक https://www.kioclltd.in/user/cms/39 है।

भाग - ड . सिद्धांत- वार कार्य -निष्पादन

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

कंपनी का यह विश्वास है कि, छवि तथा प्रतिष्ठा, संगठन का मूल्य वर्धन करने के लिए बहुत आवश्यक होते है। इसका विश्वास है कि नैतिकता और पारदर्शिता, प्रकटण एवं स्वतंत्र निगरानी के स्तंभों पर कारोबार करने से कंपनी की प्रतिष्ठा के साथ - साथ हितधारकों का विश्वास बढ़ता है।

कंपनी में आचार संहिता का पालन किया जाता है, जिसमे कंपनी को सही दिशा में संचालित करने के लिए तथा प्रबंधन को सुकर बनाने हेतु इसके निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिक मार्ग निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को उनके सेवा नियमों में शामिल किया गया है।

1 नैतिकता, रिश्वत भ्रष्टाचार संबंधी नीति की समविष्टि (जैसे- संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, एनजीओ आदि)

रिश्वत तथा भ्रष्टाचार- निरोध पर कंपनी की नीति में सभी स्तरों और श्रेणियों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस कार्यप्रणाली में निदेशक, वरिष्ठ कार्यपालक, अधिकारी, कर्मचारी (स्थायी, नियत अवधि या अस्थायी) तथा तृतीय पक्षकार जिनमें सलाहकार, ठेकेदार या उनसे संबद्ध अन्य व्यक्ति शामिल होते है। इस सुपरिभाषित नीति में नैतिक कारोबारी आचरण, परिभाषाएँ एवं रिपोर्टिंग का ढांचा उल्लेखित होता है।

2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं और उनमें से कितना प्रतिशत समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया ? यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे पेश करे ?

कारोबारी दायित्व के भाग के रूप में, हितधारकों की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया मौजूद है। सभी हितधारक इस कार्य प्रणाली द्वारा केआईओसीएल को अपनी परेशानिया और शिकायत मुक्त रूप से साझा कर सकते है। हितधारकों की शिकायतों का विवरण नीचे दिए गए है :

हितधारक	प्राप्त शिकायतें	सुलझाई गई शिकायतें
कर्मचारी	0	0
विक्रेता	0	0
कंपनी	0	0
निवेशक	0	0
समाज	0	0
कुल	0	0

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हितधारकों द्वारा कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 2: निर्मित उत्पाद अपने पूरे जीवन काल में सुरक्षित होने चाहिए और निर्वहनीय के अनुरूप होने चाहिए।

1 अपने ऐसे 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दे जिनके डिज़ाइन को सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार, जोखिम तथा / या अवसरों में शामिल किया गया है।

केआईओसीएल वर्तमान में **पैलेट उत्पादन** कर रही है, जो खनन के दौरान मिलने वाले **लौह अयस्क फाइनों** से पैलेट बनाती है जो अन्यथा पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा सकती है।

केआईओसीएल पैलेटीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पैलेटों में मूल्यवर्धन करते हुए इन लौह अयस्क फाइनों को पैलेटों में बदलती है। इस प्रकार, केआईओसीएल ऐसा उत्पाद (पैलेट) बनाती है जिससे न केवल पर्यावरण की रक्षा की जाती है बल्कि खनिज संसाधनों का संरक्षण भी होता है।

केआईओसीएल इन लौह अयस्क फाइनों का उपयोग कर पैलेट बनाते हुए एक अवधि के दौरान सृजित लौह अयस्क फाइनो के ढेर के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है।

2 ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:

कंपनी बिजली, फर्नेस तेल, पानी तथा अन्य सामग्रियों का अनुकूलतम खपत करने में विश्वास करती है। यह प्रमुख परिमापियों की विशेष खपत के लक्ष्य तय करती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कंपनी परियोजना स्थलों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालित करती है। ऊर्जा लेखा परीक्षा करने से ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकीय उपायों तथा बचत करने के अवसरों की पहचान करने और प्राथमिकता तय करने में भी मदद मिलती है।

उत्पादन दर के अनुसार पिछले वर्ष और चालू वर्ष की ऊर्जा, पानी, फर्नेस तेल, कोयला, कच्चे माल जैसे प्रमुख घटकों से संबंधित परिमापियाँ नीचे दी गई हैं। संपूर्ण मूल्य कड़ी में स्रोतण / उत्पादन / वितरण के दौरान प्राप्त कटौती के विवरण नीचे दिए गए हैं :

लक्ष्य बनाम प्राप्ति के आंकड़े

विवरण	लक्ष्य	2018-19 में प्राप्त	लक्ष्य	2019-20 में हासिल
ग्राइंडिंग और फिल्टरन सहित पैलेटीकरण की ऊर्जा Kwh / MT	64	67.85	64	66.99
कोयले की खपत Kg / MT	17	14.87	17	16.62
बेनटोनाइट की खपत Kg / MT	7	7.97	7	6.57
फर्नेस तेल Ltr / MT	17	15.29	17	14.59
* पानी की खपत M3 / MT	<1	0.54 M3	<1	0.52 M3
चूना पत्थर Kg / MT	29	24.36	29	25.37
पैलेट का आईओएफ	1:1	1:1	1:1	1:1

टिप्पणी : कोक + एंथासाइट कोल= 16.22 (0.47+16.15=16.22)

ii. क्या पिछले वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (बिजली, पानी) में कटौती की गई ?

2019-20 में बेहतर पैलेट उत्पादन के कारण 2018-19 (66.99 KWH/T से 67.85 KWH/T) की तुलना में 2019-20 के लिए है पैलेट के प्रति मीट्रिक टन ऊर्जा में कमी (KWH/T)।

3 क्या कंपनी में निर्वहनीय स्रोतण (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है ?

पैलेट निर्माण में प्रयुक्त एकमात्र कच्चा माल लौह अयस्क फाइन होता है और कंपनी का इस संबंध में निर्वहनीय योजना इस प्रकार है:

अल्पकालीन योजना: कंपनी ने दीर्घकालीन करार द्वारा एनएमडीसी के बैलाडीला खानों से 3 मिलियन टन लौह अयस्क फाइनों की आपूर्ति के लिए इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सिस्टर सीपीएसई एनएमडीसी के साथ गठबंधन किया है। कंपनी ओडिशा राज्य से अन्य खानों से और अपतटीय से लौह अयस्क फाइनों और उच्च श्रेणी के लौह फाइनों / कंसेंट्रेट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी कर रही है।

दीर्घकालीन योजना: कुद्रेमुख में कंपनी की खदान जनवरी, 2006 से बंद है। कर्नाटक सरकार ने जनवरी, 2017 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले, में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की कैप्टिव खपत के लिए देवदारी आयरन ओर खदान के खनन पट्टे के लिए अधिसूचित किया है। खनन कार्य शुरू करने के लिए विभिन्न वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तय है।

कंपनी लगभग, 1500-2000 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ अवसंरचना विकास अर्थात रेलवे साइडिंग, पानी की पाइपलाइन, बिजली पारेषण लाइन, कन्वेयर कॉरिडोर के साथ लौह अयस्क की खदानों के निर्माण और निर्माण का काम शुरू करेगी। इस खदान से उत्पादित लौह अयस्क को सड़क, रेलवे के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा और मंगलुरु में मौजूदा पैलेट प्लांट और पिग आयरन प्लांट में उपयोग किया जाएगा। देवदारी साइट पर पैलेट प्लांट स्थापित किया जाना बाद के चरण के लिए परिकल्पित है।

4 क्या कंपनी ने अपने कार्य के आस - पड़ोस के समुदायों सहित, स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से माल और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो स्थानीय एवं छोटे पूर्तिकर्ताओं की क्षमता और सक्षमता को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए ?

सरकारी कंपनी होने के नाते, केआईओसीएल वर्ष 2015-16 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) की सरकारी खरीद नीति का पालन कर रही है।

कंपनी ने ऐसी मदों की पहचान की है जिन्हें इस खरीद नीति के भाग के रूप में सूक्ष्म व लघु उद्यमों से **अनन्य खरीद करने के लिए आरक्षित** किया गया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 की कुल खरीद **में से केवल एम.एस.ई.** (अ.जा. / अ.ज.जा . उद्यमियों के स्वामित्व वाले एम.एस.ई. सहित) से 49.66 % खरीद की गई है।

5 क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्टों का पुन : चक्रण करने की कोई व्यवस्था विद्यमान है ? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों का पुन : चक्रण करने का प्रतिशत क्या है (अलग - अलग इस प्रकार दर्शाएँ ₹ 5 %, 5-10 %, 10 %)। साथ ही, संबंधित ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें।

पैलेटों के निर्माण के दौरान जनित अपशिष्ट का पुन : चक्रण और पुन : प्रयोग किया जाता है। निर्माणी प्रक्रियाओं के दौरान जनित अपशिष्टों का पुन : चक्रण करने की प्रक्रिया विद्यमान है। उत्पादन के अपशिष्ट के अलावा, अन्य अपशिष्टों का भी पुन : चक्रण किया जाता है जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

1. विनिर्माण के दौरान सृजित अपशिष्ट

क) पैलेट निर्माणी प्रक्रिया में पैलेट फाइनों का लगभग 3 % (5 एमएम आकार) का अपशिष्ट जनित होता है। इस प्रकार जनित अपशिष्टों का पुन : चक्रपा प्रक्रिया द्वारा पैलेट बनाने में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।

ख) आईओएफ प्रसंस्करण, जनित अवशेष को एक तालाब में थिकनर ओवरफ्लो द्वारा डाला जाता है जिसे पुनः सूखे मौसम के दौरान पुन: चक्रित किया जाता है।

ग) डी - डस्टिंग और वेट स्क्रब्बिंग प्रक्रिया द्वारा एकत्रित पैलेट फाइनों का दोबारा प्रयोग पुनःचक्रण द्वारा पैलेट निर्माण लिए किया जाता है।

2. अन्य अपशिष्ट

क) **कैन्टीन और बगीचे का अपशिष्ट-** कैन्टीन का अपशिष्ट जिसमें बचे हुए खाद्य पदार्थ, सब्जियों का अपशिष्ट तथा बगीचे का अपशिष्ट जैसे सूखे और मृत पत्ते और फूल होते हैं, का प्रयोग संयंत्र के परिसरों में ही खाद बनाने के लिए किया जाता है ताकि कीटनाशकों और उर्वरकों के इस्तेमाल से बचा जा सके।

ख) **सीवेज के अपशिष्ट** को सीवेज उपचार संयंत्र में पुनर्चक्रित किया जाता है और बचे पानी को बागवानी में इस्तेमाल किया जाता है।

ग) **इस्तेमाल किए गए पानी का** पुन : चक्रण किया जाता है और उसका इस्तेमाल बागवानी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

घ) **चिकित्सा अपशिष्ट** का निपटान अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 3: सभी कर्मचारियों की खुशहाली

केआईओसीएल प्रगामी विकास के लिए अपने लोगों पर विश्वास करती है। उनका ज्ञान, अनुभव और कार्य - निष्पादन करने की तीव्र इच्छा संगठन की प्रगति और उसके आगे बढ़ने के आधारभूत तत्व है। केआईओसीएल अपने कर्मचारियों को ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे वे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और एक ऐसा कार्य परिवेश सुनिश्चित करते हैं जहाँ सभी की खुशहाली को बढ़ावा मिलता है। केआईओसीएल अपने वर्तमान कर्मचारियों और भर्ती की प्रक्रिया में धर्म, जाति, रंग, लिंग और अक्षमता की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करती है। सभी लोगों को समान अवसर प्रदान अपने कर्मचारियों के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी का एक अभिन्न अंग है।

केआईओसीएल का प्रबंधन संघ की स्वतंत्रता पर विश्वास करता है, इसलिए, कंपनी में तीन मान्यता प्राप्त कामगार संगठन हैं। कंपनी का प्रबंधन हर समय किसी भी कर्मचारी कामगार की समस्या और शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रिया द्वारा दूर करने के लिए तैयार रहता है।

केआईओसीएल अपने कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने का प्रवास करती है। कौशल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आईओसीएल में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने कार्यबल को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

रिपोर्टिंग वर्ष 2019-2020 के अंत में मुख्य नियोजन संबंधी आंकड़े नीचे के टेबल में दिए गए हैं:

1	कर्मचारियों की कुल संख्या (कंपनी रोल पर)	805
2	अस्थायी / ठेकाजन्य / अनियत आधार पर काम पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या	491
3	स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	24
4	दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या	12
5	क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?	हाँ
6	आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ / कर्मचारी और अधिकारी संघ के सदस्य हैं?	कर्मचारी - 95.96% - अधिकारी - 84%-

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत तक जो लंबित हैं, उनकी संख्या बताएँ।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अंत में, बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न, भेदभावपूर्ण रोजगार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए, केआईओसीएल ने एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है जिसके द्वारा कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कंपनी ने निश्चित समय - सीमा के भीतर निःशुल्क और न्यायसंगत पूछताछ संचालित करने के लिए एक यौन उत्पीड़न समिति गठित किया है।

8 नीचे उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष संरक्षा और कौशल - उन्नयन पदानुक्रम प्रशिक्षण दिया गया?

क.	स्थाई कर्मचारी	63%
ख.	स्थाई महिला कर्मचारी	75%
ग.	अनियत / अस्थायी / ठेकाजन्य कर्मचारी कर्मचारी	71%
घ.	दिव्यांग कर्मचारी	50%

सिद्धांत 4: कारोबार में सभी हितधारकों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो अभावग्रस्त हैं, समाज के निचले स्तर पर और हाशिए पर हैं।

1 क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों का मापन किया है ?

जी हाँ। केआईओसीएल ने अपने आंतरिक व बाह्य हितधारकों का मापन किया है जिनमें सम्मिलित हैं:

- सरकार और विनियामक प्राधिकारी
- कर्मचारी
- ग्राहक
- स्थानीय समुदाय
- निवेशक और शेयरधारक
- पूर्तिकर्ता
- श्रमिक संघ

2 उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने असुविधाग्रस्त, कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले हितधारकों की पहचान की है ?

हां, कंपनी अपनी परियोजनाओं / परिचालनों के आसपास के क्षेत्र में वंचित, कमजोर और हाशिए पर चल रहे हितधारकों की पहचान करती है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है। इसके अलावा, कंपनी संचार के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से समय पर प्रतिपुष्टि और अनुक्रिया की एक प्रणाली का पालन करती है।

3 क्या कंपनी ने असुविधाग्रस्त, कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले हितधारकों को नियोजित करने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट पहल की है ?

कंपनी आवश्यकता पड़ने पर समाज के असुविधाग्रस्त लोगों की मदद करती है और गांवों, शैक्षिक संस्थानों में चिकित्सा शिविर आयोजित करती है, चिकित्सा सहायता के लिए एम्बुलेंस प्रदान करती है और गरीब बच्चों को वजीफा प्रदान करती है। ऐसे विशेष पहलों को गुणावगुण आधार पर किया जाता है।

सिद्धांत 5: मानवाधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना

केआईओसीएल अपने सभी आंतरिक और बाहरी हितधारकों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उन्हें बढ़ावा देने में अटल विश्वास रखती है। अपनी इस नीति के अनुसार, केआईओसीएल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के दिशा - निर्देशों का पालन करती है, जिसमें सभी लागू नियमों और मानवाधिकारों संबंधी नियमों का पालन करने के लिए संगठन हेतु संपूर्ण ढांचा प्रदान किया गया है।

1 क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?

केआईओसीएल का विश्वास है कि निर्वहनीय संगठन नैतिक मूल्यों और मानवाधिकारों के सम्मान की आधारशिला पर निर्भर करता हैं। केआईओसीएल की ' मानवाधिकार ' नीति में मूल्य कड़ी में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता दर्शाई गई है।

केआईओसीएल अपनी मूल्य कड़ी में मानवाधिकारों का सम्मान करने और कुरीतियों को हतोत्साहित करने की महत्ता की जागरूकता को संवर्धित करती है।

2 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितना प्रतिशत संतोषजनक समाधान प्रबंधन द्वारा किया गया ?

वित्तीय वर्ष 2019 - 2020 में, कंपनी ने किसी शेयरधारक की शिकायत प्राप्त नहीं की है। कंपनी में हितधारकों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक पब्लिक पोर्टल सहित एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया विद्यमान है।

सिद्धांत 6: पर्यावरण प्रबंधन

व्यापार को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।

कंपनी के पास गुणवत्ता, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण नीति है और इसे प्रमुख ठेकेदारों और उप - ठेकेदारों तक विस्तारित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केआईओसीएल उत्पादन इकाई आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, (पर्यावरण प्रबंधन और प्रणाली) और आईएसओ 45001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों से स्वीकृत है। कंपनी लगातार अपने संचालन से जुड़े संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है और लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करती है।

1 क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या यह समूह / संयुक्त उद्यम पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?

केआईओसीएल की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण नीति एक व्यापक दस्तावेज है जो पर्यावरणीय संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम को प्रमुख ज़िम्मेदारी के रूप में पहचानता है। केआईओसीएल की नीति दूसरों पर नहीं दी जाती है। हालांकि, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों की अपनी नीतियां हो सकती हैं।

2 जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण मुद्दों का समाधान करने के लिए कंपनी में रणनीतियाँ / पहल मौजूद हैं ? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज आदिका हाइपरलिंक दें।

एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में केआईओसीएल ने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के कारणों को हल करने के लिए कई कार्यक्रमों की पहल की है और इस पहल के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

1) केआईओसीएल मेंगलुरु प्लांट ने अपने मेंगलुरु संयंत्र परिसर और अन्य क्षेत्रों में कई पेड़ लगाकर हरित क्षेत्र में वृद्धि की है।

2) केआईओसीएल ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया है।

3 क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है ? हाँ / नहीं

हाँ, कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति पर्यावरण प्रबंधन पर कंपनी के प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। कंपनी पर्यावरणीय मुद्दों का भी पालन करती है और यदि संयंत्र स्तर पर कोई समस्या आती है तो पर्यावरण कक्ष के माध्यम से इसका समाधान करती है। कंपनी को पर्यावरणीय प्रबंधन मानको हेतु प्रमाणित किया गया है, इसलिए इसके अनुपालन के एक हिस्से के रूप में, पहलू प्रभाव रजिस्टर ऐसे स्थान पर रखे गए हैं जो उपयुक्त शमन योजनाओं के साथ संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करते हैं। इसके अलावा, पर्यावरण जोखिमों तथा जोखिम मैट्रिक्स में पहचान की जाती है और आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा बैठक में चर्चा की जाती है।

4 क्या कंपनी में स्वच्छता विकास व्यवस्था संबंधी कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें। यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है ?

पैलेट प्लांट इंड्यूरेटिंग मशीन फर्नेस में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करता है। मेसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने कोचीन में एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया है और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक गैस (एनजी) प्रदान करने के लिए कोचीन से मंगलौर तक एक पाइपलाइन बिछा रहा है। प्राकृतिक गैस एक नए युग का ईंधन है। प्रति अणु में केवल एक कार्बन और चार हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ, प्राकृतिक गैस में कार्बन हाइड्रोजन अनुपात सबसे कम होता है, इसलिए यह पूरी तरह से जलता है, जो इसे सबसे साफ जीवाश्म ईंधन बनाता है। इसलिए मैंगलोर में उपलब्ध होने के बाद हमारी भट्ठी में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

5 क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, नवीनीकरण ऊर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की है ? हाँ / नहीं, अगर हाँ, तो संबंधित वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

स्वच्छता विकास तंत्र के एक हिस्से रूप में, उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा दक्षता प्रकाश, वायु गुणवत्ता में सुधार, लागत में कमी की प्रतिबद्धता के रूप में भी निम्नलिखित पहलों को अपनाया गया है।

1. पैलेट प्लांट यूनिट (पीपीयू) के कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) क्षेत्र में ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। संयंत्र की कुल क्षमता 83.2 किलोवाट है। संयंत्रों को शीतल जल संयंत्र और सीपीपी कार्यालय भवनों के ऊपर स्थापित किया गया है।

2. ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू) में 293 किलोवाट की कुल क्षमता के साथ एक समान ग्रिड कनेक्टेड प्लांट भी स्थापित किया गया है। स्टोर (140 किलोवाट), वेलफेयर बिल्डिंग (51 किलोवाट), एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग (64 किलोवाट) और एमएसडीएस बिल्डिंग (38 किलोवाट) के ऊपर चार इकाइयां स्थापित की गई हैं। सभी इकाइयाँ चालू हैं।

3. 1 मेगावॉट क्षमता का ग्राउंड बेस्ड सोलर सिस्टम चालू कर दिया गया है और नवंबर 2018 से चालू है। पैदा हुई ऊर्जा की खपत पीपीयू में की जा रही है।

4. पीपीयू की सीपीपी छत के शीर्ष से वर्ष 2019-20 के लिए कुल सौर उत्पादन 103827 इकाई है। रूफटॉप सोलर यूनिट - सीपीपी-103827 इकाइयाँ।

5. उपभोग की गई ऊर्जा की लागत में कटौती के प्रति हमारे प्रयास के भाग के रूप में, हमने भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) में बोली लगाकर 20 जीडब्लूएच का उपयोग किया है, जो कि हमारी कुल ऊर्जा का 13.38% है जिसका उपयोग पैलेट प्लांट यूनिट में किया जाता है।
6. कंपनी ने 19.35 जीडब्लूएच की अक्षय ऊर्जा को व्हीलिंग के माध्यम से खरीदा था जो कि पैलेट प्लांट यूनिट में उपयोग की गई हमारी कुल ऊर्जा का 12.5% है। इसने हमारी ऊर्जा लागत के साथ-साथ गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को भी पूरा किया है।
7. कंपनी ने एमईएससीओएम से "विशेष प्रोत्साहन योजना" का चयन किया था जो आईईएक्स ऊर्जा बोली की तुलना में जोखिम मुक्त है और बचत आईईएक्स बोली प्रक्रिया के बराबर है।
8. 8.आईईएक्स बिडिंग और अक्षय ऊर्जा की व्हीलिंग से कुल बचत वर्ष 2019-20 में रुपये 6.21 करोड़ है.
9. कॉन्ट्रैक्ट डिमांड (सीडी) को 20 एमवीए से बढ़ाकर 23 एमवीए करने के लिए मेस्कॉम के साथ एक और लागत बचत उपाय किया जाता है, जिससे डीजी ऑपरेशन की संख्या कम हो जाती है और आईईएक्स से बोली अधिकतम हो जाती है जो मेस्कॉम ऊर्जा से सस्ती होती है, जिससे मासिक बिजली बिल कम होता है।

6 क्या समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा सृजित उत्सर्जन / अपशिष्ट सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई स्वीकार्य सीमाओं के भीतर हैं ?

केएसपीसीबी द्वारा जारी 'कंसेंट टू ऑपरेट' में निर्धारित पर्यावरणीय निगरानी की जा रही है। विवरण इस प्रकार हैं।

1. उपचारित मलजल का विश्लेषण – केएसपीसीबी द्वारा महीने में एक बार (5 मानदंड)
2. परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी - 4 प्लांट परिसर के भीतर स्थित स्टेशन और सभी मानकों को राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
3. पैलेट प्लांट में स्टैक उत्सर्जन (अदद 10) – पार्टिकुलेट मैटर, सॉक्स और नोक्स.
4. डीजी सेट से स्टैक उत्सर्जन (सीपीपी में अदद 3 और पीपी में 3 डीजल डीजी सेटों में) 4 मापदंडों की निगरानी (पीएम, सीओ, नोक्स एवं एनएमएचसी)
5. चार स्टेशनों पर (दिन और रात के समय) पर शोर के स्तर की निगरानी की जा रही है

पर्यावरण निगरानी डेटा मासिक आधार पर केएसपीसीबी, मंगलूरु के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जा रहा है और अर्ध वार्षिक डेटा एमओईएफ को प्रस्तुत किया जा रहा है।

7 सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा प्राप्त कारण बताओ / कानूनी सूचनाओं की संख्या जो वास्तविक वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित (यानी संतोषजनक समाधान नहीं) किया गया हैं।

कंपनी पूरी तरह से पर्यावरण नियमों का अनुपालन करती है और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी तरह का कानूनी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावी करने में लगे होते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए।

1 क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल ऐसे प्रमुख ट्रेड, चैम्बर या एसोसिएशन का नाम बताएँ जिनके साथ आपका कारोबार होता है :

क. सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन, नई दिल्ली (एससीओपीई)
ख. भारतीय खनिज उद्योग महासंघ, नई दिल्ली (एफआईएमआई)
ग. भारतीय पैलेट निर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली (पीएमएआई)
घ. निदेशकों का संस्थान, नई दिल्ली (आईओडी)
ङ. कर्नाटक चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बेंगलुरु (एफकेसीसीआई)
च. भारतीय निर्यातकों के संगठन का संघ, नई दिल्ली (एफआईईओ)
छ. भारतीय धातु प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएम)

2 क्या आपने सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार करने के लिए उपरोक्त एसोसिएशनों के ज़रिए पक्ष - समर्थन / लॉबी किया है ? हाँ / नहीं ; यदि हाँ, तो व्यापक क्षेत्रों की व्याख्या करें (ड्रॉप बॉक्स - अधिशासन एवं क्रियान्वयन, आर्थिक सुधार, सम्मिलित विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, निर्वहनीय कारोबार सिद्धांत, अन्य)

केआईओसीएल ने अभी तक सार्वजनिक हित के उन्नयन या सुधार के लिए किसी भी संगठन के माध्यम से कोई वकालत / लॉबिंग नहीं की है।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए

सीएसआर गतिविधियों को, केआईओसीएल के दृष्टिकोण और नैतिक, मूल्य - आधारित एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली द्वारा मार्ग दर्शन किया जाता है। कंपनी स्थानीय प्राधिकरणों, बिजनेस एसोसिएशनों, प्रतिष्ठित और सिविल सोसाइटी के सामाजिक और दार्शनिक संगठनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर कंपनी की अपनी आंतरिक टीम के माध्यम से विभिन्न सीएसआर पहलों को लागू करती है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है।कंपनी का मानना है कि इसकी सफलता समाज के सभी वर्गों के कल्याण और इनके समान अवसरों के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी लगातार यह सुनिश्चित करती रही है कि कार्यस्थल पर सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ' समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास ' का मुख्य योगदान, केआईओसीएल की सीएसआर रिपोर्ट और 2019 -20 वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुक्रम में विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं ? अगर हाँ, तो उनके ब्यौरे पेश करें।

हाँ, केआईओसीएल एक सतत भविष्य को सक्षम करने और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालनों के आसपास के लोगों के लिए अवसर निर्माण करने में विश्वास रखता है।

केआईओसीएल की सामुदायिक विकास गतिविधियां स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

केआईओसीएल की सीएसआर पहलें, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल में वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास, खेल भावना / कौशल को बढ़ावा देने, दूसरों के बीच महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं के साथ गठबंधित है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ली गई विभिन्न पहले 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रकाशित सीएसआर रिपोर्ट का एक हिस्सा हैं।

2 क्या संस्थागत टीम / स्वयं के फाउंडेशन / बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से कोई कार्यक्रम / परियोजनाएं संपन्न किए गए हैं ?

कंपनी के पास कॉर्पोरेट एवं संयत्र और प्रत्येक स्तर पर सीएसआर टीमें है। समर्पित सीएसआर टीमें विभिन्न सामुदायिक विकास पहलों / कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, निगरानी करने और समीक्षा करने के लिए कार्यरत हैं।

कंपनी सीएसआर पहलों को लागू करने की दिशा में एक सहभागिता दृष्टिकोण में विश्वास करती है और कार्यक्रमों और परियोजनाओं को वितरित करने के लिए लाभार्थियों के साथ सीधे सहयोग करती है।

3 क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ?

सीएसआर नीति सोसाइटी शेयरधारकों, अन्य हितधारकों और समुदायों के लिए पर्यावरणीय चिंताओं गतिविधियों और समाज के लिए सतत् विकास के लिए पहल के माध्यम से मूल्य - सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोग्राम / प्रोजेक्ट आम तौर पर कंपनी की विनिर्माण इकाइयों के स्थानीय क्षेत्रों में चुना जाता है। ये कार्यक्रम / परियोजनाएं कंपनी की टीमों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, परियोजनाओं की प्रकृति को देखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है।

4 समुदाय विकास परियोजनाओं के प्रति आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या रहा - भारतीय मुद्रा राशि तथा की गई परियोजनाओं के ब्यौरे पेश करें ?

वित्त वर्ष 2019-20 में विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर ₹ 331 लाख की धनराशि खर्च की गई हैं। परियोजना विवरण हमारी 2019 -2020 वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित हमारी सीएसआर रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि समुदाय विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए जाते हैं, कोई कदम उठाए हैं ? कृपया लगभग 50 शब्दों में बताएँ।

हमारी सीएसआर पहल एक सहयोगी और सहभागिता दृष्टिकोण के आधार पर लागू की जाती हैं। समुदाय विकास एक सतत प्रक्रिया है और नियमित आधार पर की जाती है।

परियोजना का चयन स्थानीय प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोधों पर आधारित होता है और उनका चयन आवश्यकता, भौगोलिक स्थान और उपलब्ध धन को पढने और समझने के बाद किया जाता है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्थानीय प्रतिनिधियों की सहायता से परियोजना निष्पादन के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाती है। परियोजना की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए सीएसआर टीम परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में सहायक कंपनियों के साथ बातचीत करती है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से संलग्न करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

ग्राहक और उपभोक्ता सेवा केआईओसीएल फोकस का एक हिस्सा है, इसलिए ग्राहक केंद्रित मीट्रिक अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रकार की ग्राहक चिंता या शिकायत को संबोधित करने के लिए केआईओसीएल की एक संरचित ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली है।

दर्ज की गई किसी भी ग्राहक शिकायत को संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है। ग्राहक शिकायत को संबोधित करने के लिए कंपनी में एक निश्चित प्रक्रिया है। ग्राहकों से प्राप्त सभी शिकायतों को मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकार किया जाता है, जांच की जाती है और जवाब दिया जाता है।

1 वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत लंबित ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामलें हैं ?

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं है।

1 वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत लंबित ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामलें हैं ?

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं है।

2 क्या कंपनी स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य मानकों के अतिरिक्त, उत्पादों के लेबल पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है ? हाँ / नहीं / ला.न. / अभ्युक्तियाँ (अतिरिक्त जानकारी)

कंपनी लौह कणों से पैलेट / पैलेटों के निर्माण के कारोबार में है। उत्पाद का शिपमेंट थोक में होता है और स्थानीय कानून के अनुसार जरूरी चीज़ों के ऊपर कोई विशिष्ट उत्पाद लेबल प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

3 क्या कर के ख़िलाफ़ किसी हितधारक ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान, अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर - जिम्मेदार विज्ञापन तथा / या प्रतिस्पर्धा - विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मामला दर्ज किया है जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में दें।

पिचले पाँच वर्षों में अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कोई मामला लंबित नहीं है।

4 क्या आपकी कंपनी कोई ग्राहक सर्वेक्षण / उपभोक्ता तुष्टिकरण प्रवृत्ति संचालित करती है ?

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करने के लिए केआईओसीएल के पास एक सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित प्रक्रिया है। सर्वेक्षण वर्ष में दो बार किया जाता है और सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, केआईओसीएल ने अपने ग्राहकों से **"डिलाइटेड"** रेटिंग प्राप्त की है।

मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध

सीईओ/सीएफओ का प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरी, केआईओसीएल लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा निदेशक (वित्त) की अपनी संबंधित हैसियत से अपनी पूरी जानकारी और विश्वास से यह प्रमाणित करते हैं:

(क) हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण और नकदी प्राप्त विवरण का पुनरीक्षण किया तथा हमारे उत्तम विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार:

i) इन विवरणों में भौतिक असत्य विवरण या किसी भौतिक तथ्य का लोप या भ्रामक विवरण सम्मिलित नहीं है;

ii) ये सभी विवरण कंपनी के कार्यकलापों का सत्यनिष्ठ एवं स्वच्छ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा वर्तमान लेखा मानक, लागू कानून एवं विनियमन का अनुपालन करते हैं;

(ख) हमारे उत्तम विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन का कार्य नहीं किया गया है;

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण के संस्थापन व अनुरक्षण का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन एवं अभिकल्प की त्रुटियों की सूचना लेखा-परीक्षकों तथा लेखा कमेटी को दी है और उक्त त्रुटियों के सुधारण के लिए आवश्यक कदम उठाया है या उसके लिए प्रस्ताव रखा है;

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा कमेटी को निम्न सूचनाएँ दी हैं:

i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उन्हें वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा

iii) महत्वपूर्ण कपटपूर्ण मामलों में उसकी ओर सजगता तथा समाधान की भागीदारी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन या कार्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता./-
(एम वि सुब्बा राव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 06495576

हस्ता./-
(एस के गोराई)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 07223221

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25/06/2020

मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) जिसे उसकी अनुसूची-V के भाग-घ के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित घोषणा
(आचार संहिता का अनुपालन)

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) और 26 (3) जिसे उसकी अनुसूची-V के भाग-घ के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में मंडल के सभी सदस्यों तत्झा वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन को संपुष्ट किया है।

हस्ता./-
(एम वि सुब्बा राव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 20/07/2020

प्रपत्र एमआर-3

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
केआईओसीएल लिमिटेड
II ब्लॉक, कोरमंगला,
बेंगलूरु – 560 034

मैंने **केआईओसीएल लिमिटेड (सीआईएन सं: एल13100केए1976जीओआई002974)**, जिसका पंजीकृत कार्यालय II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु -560034, कर्नाटक **(इसके बाद कंपनी वर्णित होगा)** द्वारा अनुपालन हेतु प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों तथा सुशासन के प्रचलनों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है।

उक्त सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि यह मुझे हमें निगम आचरण /सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करवाता है तथा मुझे इन विषयों पर अपनी राय प्रकट करने का भी आधार प्रदान करवाता है।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी के खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा प्रस्तुत विवरणियों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार परतथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुझे दी **गई जानकारियों के आधार पर तथा संलग्नक के रूप में इसके साथ लगे अलग पत्र स्वरूप में** निम्नप्रकार से रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी के पास, दिनांक 3। मार्च2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान सूचीबद्ध प्रावधानों के साथ तथा यह मानते हुए की कंपनी की अपनी एक प्रचलित समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं नियम अनुपालन व्यवस्था है।

मैंने कंपनी के खतों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा प्रस्तुत विवर्णियों एवं अन्य दस्तावेजों की 3] मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में की है: -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्य ऋण के स्तर के अंतर्गत विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम; **लागू नहीं**

मैंने निम्न के लागू खंडों के अनुपालन / विनियम की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक और प्रकृति में अनिवार्य हैं।

ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआई) के साथ कंपनी द्वारा दर्ज लिस्टिंग अनुलग्नक;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग विनियम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का सबस्टेंशियल अधिग्रहण) विनियम, 2011

ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपगारों और प्रतिभागियों) विनियम, 2018

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम 2018

मैंने कंपनी द्वारा लागू अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के तहत **अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित प्रणाली** और तंत्र की भी समीक्षा की है और निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों / समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है;

क. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1975 के साथ पठनीय जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ख. पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम), 1986

ग. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1982 के साथ पठनीय वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) नियम, 1982

घ. कारखाना अधिनियम, 1948

ङ. संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

च. मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936

छ. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

ज. उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972

झ. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) 1946

ञ. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

ट. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

ठ. बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965

ड. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

ढ. कर्नाटक की दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961

ण. व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर कर्नाटक कर अधिनियम, 1976

त. कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

थ. प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961

द. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

ध. व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) अधिनियम, 1999

न. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961

अन्य कानूनों के संबंध में, अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित प्रणालियाँ और तंत्र मौजूद हैं,

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधानों का पालन किया है,

जो निम्नलिखित विशिष्ट अवलोकनों के अधीन हैं जो योग्यता या आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियों के समतुल्य नहीं है।

1. दिनांक 31.03.2020 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार थी:

क.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक / कार्यात्मक निदेशक	4
ख.	भारत सरकार के नामित निदेशक	2
ग.	स्वतंत्र निदेशक	4
	कुल	**10**

सेबी के नियमन 17 (1) (ख) (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियम, 2015 के अनुसार, जहां बोर्ड का अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक है, निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

यह देखा गया कि स्टॉक एक्सचेंजों ने कंपनी को नोटिस जारी किए थे और उपरोक्त शर्त का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था।

केआईओसीएल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 45 के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी हैके बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है जो इस्पात मंत्रालय के माध्यम से कार्य करती है। इस प्रकार, बोर्ड के 50% के रूप में स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता के अनुपालन के लिए, कंपनी के बोर्ड में शामिल होने हेतु एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी, इस्पात मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयासरत है।

दिनांक 30.06.2019 को समाप्त हुई पहली तिमाही के दौरान और दिनांक 30.09.2019 को समाप्त दूसरी तिमाही (05.08.2019 तक), लेखा परीक्षा समिति की संरचना सेबी के विनियमन 18 (1) (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में नहीं थी और स्टॉक एक्सचेंज ने उस के लिए जुर्माना लगाया था।

कंपनी ने 06.08.2019 को सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों के विनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था, और उल्लंघन को चिन्हित कर कंपनी द्वारा किए अनुपालन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया था। यथा तिथि 31.03.2020 तक, कंपनी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 18 (1) का अनुपालन कर रही है।

2. यथातिथि 31.03.2020 तक कंपनी में सार्वजनिक हिस्सेदारी 0.94% थी। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 38 जिसे प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 (2) के साथ पढें के अनुसार एक सूचीबद्ध संस्था के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% होना आवश्यक है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(क) के उप-नियम (1) को जोड़कर एक अधिसूचना जी.एस.आर. 738 (ङ) दिनांक 3 अगस्त 2018 जारी की व 25% से कम की सार्वजनिक शेयरधारिता वाली सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति देते हुए संशोधित नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% तक बढ़ाने की अनुमति दी।

जैसा कि कंपनी द्वारा हमें सूचित किया गया था, मामले को न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

आगे इस संबंध में, जैसा कि कंपनी द्वारा हमें सूचित किया गया है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) द्वारा कंपनी के 15% इक्विटी शेयरों के विनिवेश को मंजूरी दी थी। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 06.08.2019 को आयोजित अपनी बैठक में, एफपीओ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कंपनी के पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 15% के विनिवेश के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया था। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने एफपीओ को चलाने के लिए बिचौलियों की नियुक्ति की थी। एफपीओ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, वित्त मंत्रालय के डीआईपीएएम में 15-11-2019 को एक बैठक आयोजित की गई और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति पर विचार कर ड्रॉफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करने के लिए समयसीमा को फिर से निर्धारित करने निर्णय लिया गया जिसके लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) एक संशोधित समयसीमा, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के बाद तैयार करेगा। एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी, इस्पात मंत्रालय के साथ मिलकर नियमित अंतराल पर प्रयासरत है।

मैंने प्रत्यक्ष वित्तीय और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी का निदेशक मंडल और इसकी उप-समितियां विधिवत गठित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल और उप समितियों की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

कंपनी ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है-

1) लेखा परीक्षा समिति
2) जोखिम प्रबंधन समिति
3) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
4) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
5) शेयरधारक संबंध समिति
6) निवेश, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति

बोर्ड की बैठकों के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों को पहले ही भेजे जाते हैं, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए तथा बैठक से पहले कार्यसूची विषयों पर और जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड और इसकी उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त ठीक से बनाए रखे जाते हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। संबंधित विभागाध्यक्षों से अन्य लागू कानूनों के अनुपालन के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख असर होने वाली निम्नलिखित घटनाओं / कार्यों का लेखा-परीक्षण अवधि के दौरान हुआ: -

(i) शेयरों/डिबेंचरों/स्वीट इक्वटी, आदि का सार्वजनिक/राइट/अधिमानी इश्यू – शून्य

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन / वापसी-खरीद – शून्य

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसार सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय – शून्य

(iv) विलयन / एकीकरण / पुनर्निर्माण, आदि - शून्य

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग – सून्य

सामान्य रूप में, यह देखा गया कि निगम, एक सरकारी कंपनी होने के नाते सीएजी लेखा-परीक्षा के अधीन है, सभी आवश्यक अभिलेखों को सही तरीके से बनाए रखता है और विभिन्न लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करता है।

हस्ता./-
एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं.: 5284
सीपी सं.: 5284
यूडीआईएन: A005284B000327859

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 10/06/2020

अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्यगण
केआईओसीएल लिमिटेड

मेरी इसी तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है -

1) सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों एवं हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अनुपालन पर मेरी राय व्यक्त करना मात्र है।

2) मैंने सचिवीय अभिलेखों से संबन्धित विषयों की सच्चाई के बारे में तार्किक विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेखा परीक्षा प्रचलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिम्बित होना सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया। मैं विश्वास करता हूँ कि उन सभी प्रक्रियाएं एवं प्रचलनों का मैंने अनुसरण किया है, वे मुझे अपनी राय व्यक्त करने के लिए तार्किक आधार प्रदान करते हैं।

3) मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा बही खातों की सच्चाई एवं उचितता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां व जक है, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के साथ-साथ कंपनी में होनेवाली घटनाओं, आदि पर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन करती है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का आयोजन किया है।

हस्ता./-
एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं.: 5284
सीपी सं.: 5284
यूडीआईएन: A005284B000327859

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 10/06/2020

सामूहिक प्रशासन अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
केआईओसीएल लिमिटेड
बंगलूरु

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग विनियम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत सामूहिक प्रशासन के शर्तों के अनुपालन प्रमाणित करने के उद्देश्य के लिए केआईओसीएल लिमिटेड के सभी संबंधित दस्तावेज़ों का परीक्षण किया है।

सामूहिक प्रशासन के शर्तों के अनुपालन करना प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी उपर्युक्त विनियमों में निर्धारित अनुसार सामूहिक प्रशासन के शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के परीक्षण करने तक सीमित था।

हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के परीक्षण से संलग्न रिपोर्ट में अभिलेखित हमारे निष्कर्षों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 के अनुसार निम्नलिखितों को छोड़कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग विनियम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित सामूहिक प्रशासन के शर्तों का अनुपालन किया है: -

(i) एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग विनियम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) तथा सामूहिक प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप में नहीं है। बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाती है। हालांकि, कंपनी द्वारा इस बारे में इस्पात मंत्रालय को समय-समय पर लिख कर भी सूचित किया गया है। हालांकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षित संख्या अभी नहीं की जा सकती है।

हम आगे बताते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है, न कि प्रभावशीलता की दक्षता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यवहार का आयोजन किया है।

हस्ता./-
नाम : **वी. सुंदर**
पेशेवर कंपनी सचिव
सी.पी. सं. : 20920
एफसीएस सं. : 4542
यूडीआईएन : एफ004542बी000291158

स्थान: चेन्नई
दिनांक : 29/05/2020

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची V अनुच्छेद ग खंड (10) (i) के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण
केआईओसीएल लिमिटेड
II ब्लॉक, कोरामंगला,
बंगलूरु- 560034.

हमने केआईओसीएल लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और खुलासे की जांच की है, केआईओसीएल लिमिटेड निदेशकों के पास सीआईएन एल 13100केए1976जीओआई002974 है और पंजीकृत कार्यालय ॥ ब्लॉक, कोरामंगला, बेंगलुरु -560034 में है (जिसे इसके द्वारा कंपनी के रूप में जाना जाता है)। कंपनी द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन के लिए विनियमन 34 (3) की अनुसूची V अनुच्छेद ग खंड (10) (i) के अनुसरण में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)) विनियम, 2015 के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया।

हमारी राय में और मेरी / हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और कंपनी (www.mca.gov.in) पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति के अनुसार कंपनी और हमारे द्वारा सुसज्जित स्पष्टीकरण के रूप में) इसके अधिकारी, मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 3। मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा विमुक्त या अनर्हता घोषित नहीं किया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	सुब्बाराव वेंकेटा मुन्नंगी	06495576	30/08/2013
2.	विजॉय कुमार सिंह	00592638	17/03/2020
3.	श्रीनिवास तातिपमाला	07238361	07/09/2015
4.	स्वपन कुमार गोराई	07223221	11/11/2016
5.	सामिनाथन थिम्मलगुंडी	08291153	09/01/2019
6.	कुंचम वेंकटभास्कर रेड्डी	08672764	01/03/2020
7.	जगदीश पुरुषोत्तम जोशी	03385677	14/12/2018
8.	निर्मलेंदु महापात्र	07352648	21/10/2019
9.	रंजीत श्रीनिवास	08539909	21/10/2019
10.	गोविंदन रामासामी	08632590	07/12/2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है, न कि प्रभावशीलता की दक्षता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यावहार का आयोजन किया है।

कृते वी महेश एवं एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

हस्ता./-
नाम : **वी. सुंदर**
व्यवहाररत कंपनी सचिव
सी. पी. सं. : 20920
एफसीएस सं.: 4542
यूडीआईएन : F004542B000291158

स्थान : चेन्नई
दिनांक: 29/05/2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

केआईओसीएल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **केआईओसीएल लिमिटेड** (दि कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2020 की तारीख का तुलन - पत्र, लाभ व हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का नकदी प्राप्ति विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे यहाँ इसके बाद स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. विवरण कहा गया है) का सार शामिल है। हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा अन्य व्यापक आय, इसकी नकदी प्राप्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों के बारे में, भारतीय ए.एस. सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर इन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त हो सके कि स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं। कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हमने कंपनी के स्वतंत्र से इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार व्यक्ति करने का समुचित और औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले का विशेष महत्व

1. सुदूर लेखा परीक्षण

पूरे भारत में कोविड -19 महामारी के कारण कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के सुदूरवर्ती पहुंच के आधार पर कंपनी का संपूर्ण वैधानिक लेखा परीक्षण किया गया है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं पर भरोसा किया।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हमारे लेखा परीक्षण उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराए गए आंकडों के आधार पर लेखा परीक्षा किया गया, जिसे हमने बिना किसी अन्य मैनुअल संशोधनों के सही, पूर्ण रूप में सीधे कंपनी के लेखा प्रणाली द्वारा सृजित होने का भरोसा किया। इकाई का वित्तीय प्रदर्शन इस प्रकार तैयार किया गया है और कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों में लेखा परीक्षित किया गया है।

2. कुद्रेमुख खनन कार्य:

ध्यान दें कि कुद्रेमुख यूनिट पर स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के नोट नंबर 24.06 को ध्यान में रखा गया है, जहां से केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क निकाला गया था, को बहुत समय पहले छोड़ दिया गया है और वहाँ स्थित सभी संपत्तियों का या तो निपटान कर दिया गया है या उन्हें पैलेट प्लांट में स्थानांतरित कर दिया गया है। भूमि से संबंधित विवादों और खानों के आत्मसमर्पण के लंबित मुद्दों के कारण, टाउनशिप में इमारतों को शून्य मूल्य तक घटा दिया गया है, लेकिन भूमि का मूल्य लेखा बहियों में दिखाया जाता है। कंपनी का विचार है कि वहाँ का लैका डैम पैलेट प्लांट का मुख्य जल स्रोत है, भूमि का मूल्य पीपीई के तहत दिखाया गया है।

3. इन्वेंटरी:

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के नोट नंबर 20.15 के लिए ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। कंपनी द्वारा रखे गए 1093 लाख रुपये मूल्य के महत्वपूर्ण भंडार और पुर्जों को 31.03.2019 तक वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 7.क.(च) में नामकरण "पूंजीगत यंत्र" के तहत दिखाया गया था। सीएजी ने कंपनी द्वारा किए गए वर्गीकरण पर टिप्पणी की। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा दी गई राय के आधार पर, कंपनी द्वारा गठित तकनीकी समिति ने महत्वपूर्ण पुर्जों के वर्गीकरण के लिए एक रिपोर्ट को सामान्य सूची के रूप में प्रस्तुत किया है क्योंकि वे मौजूदा संयंत्र की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, जिन वस्तुओं को 5 साल से अधिक समय तक विचलित नहीं जाता है, उन्हें इन्वेंट्री से बाहर ले जाया जाता है और कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए रुपये 811.73 लाख की राशि के 100% नुकसानी क्षति का प्रावधान किया गया है।

4. ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू)

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 24.20 पर ध्यान आकर्षित किया गया है। (बीएफयू) जो 2009 से परिचालन में नहीं है, क्योंकि यह इकाई चलाने में आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में नॉन-रिकवरी कोक ओवन प्लांट और फॉर्वर्ड इंटीग्रेशन के रूप में डक्टाइल स्पून पाइप प्लांट स्थापित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया में है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान समय में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से संबोधित किया गया था, और हमारे विचार बनाने में, जबकि हम इन मामलों पर अलग विचार नहीं प्रदान करते हैं हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है:

1. लाभकारी कारोबार वाली संस्था

जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के नोट नंबर 24.36 में शामिल है, कंपनी के वित्तीय विवरणों को लाभकारी कारबार वाली संस्था लेखांकन के आधार का उपयोग करके तैयार किया गया है। लेखांकन के इस आधार का उपयोग तब तक उचित है जब तक प्रबंधन या तो परिसमापन करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के एक हिस्से के रूप में, हम कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में लेखांकन के चलते लाभकारी कारोबारवाली संस्था के आधार के प्रबंधन के उपयोग के साथ सहमति व्यक्त करते हैं।

प्रबंधन ने कोई ऐसी मूर्त अनिश्चितता की पहचान नहीं की है, जो कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हो सकती है, और इसके अनुसार वित्तीय वक्तव्यों में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर, हमने ऐसी किसी अनिश्चितता की पहचान नहीं की है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और उनकी संबंधित मूल्यह्रास / परिशोधन दरों की वहन राशि को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या लागत व्यय; वार्षिक संपत्ति जीवन की समीक्षा; परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से विरत परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण या माप और मान्यता मानदंड के लिए प्रबंधन मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग करने का निर्णय शामिल है।

कंपनी के तुलन पत्र के संदर्भ में भौतिकता और कंपनी की परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपस्करों की उम्र और निर्णय के स्तर और आवश्यक अनुमानों के कारण, हम इसे महत्व का क्षेत्र मानते हैं।

हमने अचल संपत्तियों के जीवन चक्र के स्थान पर नियंत्रणों का आकलन किया, पूंजीकरण प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरणों, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग के साथ सेवा से विरत परिसंपत्तियों के लिए वि-मान्यता मानदंड का परीक्षण किया।

इन प्रक्रियाओं को करने में, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की जिसमें पूंजीकृत लागतों की अंतर्निहित प्रकृति; सक्रिय उपयोग से विरत परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण शामिल है; मूल्यह्रास की गणना में संपत्ति की उपयुक्तता लागू की गई; कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन और प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार कुछ संपत्तियों का उपयोगी जीवन निर्धारित किया गया। हमने देखा है कि प्रबंधन ने पूर्वोक्त निर्णयों की नियमित समीक्षा की है और कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

3. इंड एएस 116 लीज को अपनाना

कंपनी ने चालू वर्ष में इंड एएस 116 लीज अपनाया है। इस लेखा मानक का उपयोग और इसमें रूपांतरित होना जटिल है और हमारे लेखा परीक्षण में ध्यान देने का क्षेत्र है क्योंकि कंपनी के पास विभिन्न संविदात्मक शर्तों के साथ बड़ी संख्या में लीजें हैं।

इंड एएस 116 एक नया लीज़ अकाउंटिंग मॉडल पेश करता है, जिसमें सही उपयोग (आरओयू) परिसंपत्ति और एक बैलेंस शीट पर लीज़ से उत्पन्न लीज़ देयता को पहचानना आवश्यक होता है। अनुबंध / व्यवस्था के अनुसार लीज देयताओं को शुरू में लीज की अवधि के दौरान भविष्य के लीज के भुगतान से छूट देकर मापा जाता है। मानक को अपनाने में महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल हैं, जिसमें छूट दरों का निर्धारण और पट्टे की अवधि शामिल है। इसके अतिरिक्त, मानक परिवर्तन के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है।

इंड एएस 116 के रूप में स्वीकार किए जाने पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

- लीज के लेखांकन मानक के संबंध में नई प्रक्रिया और नियंत्रण का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया (इंड एएस 116);
- अनुबंध के समझौतों और व्यवसाय के हमारे ज्ञान के आधार पर लीज की पहचान कर कंपनी के मूल्यांकन को स्वीकार किया;
- लीज की देनदारियों को निर्धारित करने में लागू छूट दरों की तर्कशीलता का मूल्यांकन;
- परिवर्तन होने पर दिनांक 1 अप्रैल, 2019 तक:
  - ➢ परिवर्तन की विधि और संबंधित समायोजन का मूल्यांकन किया;
  - ➢ सही से उपयोग परिसंपत्ति और लीज देयताओं की गणना में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ा के लिए कंपनी की परिचालन प्रतिबद्धताओं को समेकित कर लीज के आंकड़ा के पूर्णता की जांच की गई।
- प्रतिचयन के आधार पर, हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं कीं:
  - ➢ अंतर्निहित लीज अनुबंधों के साथ प्रत्येक लीज के प्रमुख नियम और शर्तें स्वीकार की; तथा
  - ➢ लीज देनदारियों की गणना का मूल्यांकन किया गया और प्रमुख आंकलनों जैसे कि, छूट दरों, लीज के भुगतान और लीज की अवधि में वृद्धि को चुनौती दी गई।
- परिवर्तन से जुड़े प्रकटीकरण सहित इंड एएस 116 से संबंधित प्रस्तुति और प्रकटीकरण का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

उपरोक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तुति और प्रकटीकरण मानक के अनुसार हैं।

4. निर्धारित लाभ दायित्व

कंपनी में सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के मूल्यांकन को छूट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर सहित विभिन्न बीमांकिक मान्यताओं के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। इन योजनाओं के आकार के कारण, इन धारणाओं में छोटे परिवर्तन अनुमानित परिभाषित लाभ दायित्व पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने सदस्य का आंकड़ा, मान्यताओं के नियमन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को शामिल करने की प्रक्रिया पर प्रमुख नियंत्रण की जांच की है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बीमांकिक मान्यताओं और उन मान्यताओं के अनुमोदन का निर्धारण करने के लिए नियंत्रणों का परीक्षण किया। हमने पाया कि ये प्रमुख नियंत्रण प्रभावी ढंग से परिकल्पित, कार्यान्वित और संचालित किए गए थे, और इसलिए यह निर्धारित किया गया कि हम अपने ऑडिट के उद्देश्यों के लिए इन प्रमुख नियंत्रणों पर निर्भरता रख सकते हैं।

हमने देयताओं और वहाँ की सामग्री के गणना में उपयोग किए गए कर्मचारी के आंकड़ों का परीक्षण किया, हमने वर्ष के दौरान दायित्वों के लिए किए गए कटौतियों, निपटानों, पिछली सेवा लागतों, पुन: माप, भुगतान किए गए लाभों और किसी अन्य संशोधन के उपचार पर भी विचार किया। प्राप्त साक्ष्यों से, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए डेटा और मान्यताओं को सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों के लिए एक्च्यूरियल मूल्यांकन के लिए उपयुक्त माना। इस प्रक्रिया में, हमने आईसीएआई द्वारा जारी एसए 620 के अनुसार 'एक्चुअरी' के मूल्यांकन पर भरोसा किया है।

5. प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

कंपनी के पास विभिन्न मामलों से संबंधित मुकदमेबाजी की ओर स्पष्ट रुख है जैसा कि नोट्स में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

आर्थिक संसाधनों की सामग्री के बहिर्वाह की घटना की संभावना का निर्धारण करने के लिए ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है कि क्या प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए, या एक प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। उचित समझे जाने पर कुछ मामलों में कानूनी निर्णय के साथ प्रबंधन निर्णय का भी समर्थन किया जाता है।

चूंकि मामलों के अंतिम परिणाम अनिश्चित होते हैं और प्रबंधन द्वारा लिए गए दृष्टिकोण उनके सर्वोत्तम निर्णय के आवेदन पर आधारित होते हैं, कानून / विनियमों की व्याख्या से संबंधित सहित कानूनी सलाह, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।

इस मामले की प्रतिक्रिया में हमारी ऑडिट प्रक्रियाएं, अन्य बातों के साथ शामिल हैं,

संबंधित कानूनों और नियमों से संबंधित मुकदमों से जुड़े हुए नियंत्रक घटकों की प्रकृति और संचालन प्रभावशीलता को समझना, मूल्यांकन और परीक्षण करना;

- प्रबंधन के साथ चर्चा किसी भी भौतिक विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति;
- उन मामलों के आसपास प्रबंधन के आंकलन का मूल्यांकन, जिनका खुलासा नहीं किया गया है या आकस्मिक देयता नहीं माना जाता है, क्योंकि सामग्री के बहिर्वाह की संभावना को प्रबंधन द्वारा दूरस्थ माना जाता है; तथा
- वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा।

प्रदर्शन किए गए उपरोक्त कार्यों के आधार पर, मुकदमों के संबंध में प्रबंधन का आकलन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों / अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित संबंधित खुलासों को उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट, अनुबंध की रिपोर्ट से लेकर बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय बयानों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जिनमें अधिनियम की धारा 133 के तहत जारी संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाना है, में वर्णित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए.एस.) शामिल हैं, के अनुसार अन्य व्यापक आय, नकदी प्राप्ति तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य - निष्पादन की सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी का परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने, न्यायोचित एवं दूरदर्शी निर्णय और प्राक्कलन करने के लिए तथा ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करने वाले तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त, कपट या त्रुटि द्वारा, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रकटीकरण के रूप में जारी रखे। जैसा कि लागू है, लेखांकन के आधार का उपयोग करने तथा संबंधित मामलों से है। जब तक प्रबंधन कंपनी संचालन या बंद करने या इसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से सामग्री के गलत विवरण से मुक्त हैं, जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है, और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय भी शामिल है।अन्य मामला उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा उसमें मौजूद सामग्री के किसी गलत विवरण का पता लगा लेगी। गलत वित्तीय विवरण गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते है और व्यक्तिगत रूप से या पूर्ण रूप से महत्त्वपूर्ण माने जाते है, यदि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए हमारे उत्तरदायित्व का विवरण इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के **परिशिष्ट** में शामिल किया गया है, जो हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

अन्य मामला

कंपनी ने अपने ऋणी और लेनदारों से शेष राशि के वित्तीय विवरणों में नोट संख्या **24 में** वर्णित के रूप में शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है। हालांकि, **कोविड -19** महामारी के कारण हमें कोई पुष्टि नहीं मिली है और इसलिए, हमने बहियों में प्रदर्शित होने वाली शेष राशि पर भरोसा किया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के परिप्रेक्ष्य में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप - निर्देशों के तहत, हम अपनी रिपोर्ट **अनुलग्नक - क** में संलग्न कर रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के परिप्रेक्ष्य में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (दि ऑर्डर) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम **अनुलग्नक - ख** में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे। तदनुसार, हमने प्रबंधन द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण पर भरोसा किया है।

ख हमारे विचार से, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन - पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, नकदी प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 नियम, 204 के नियम 7 के अनुसार (लेखा परीक्षा) पढ़ा जाना है, निर्दिष्ट लेखा मानक का पालन करते है।

ङ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों** की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय दक्षता के संबंध में, **अनुलग्नक - ग** में दी गई हमारी रिपोर्ट देखें।

च कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं -

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है - टिप्पणी सं . 24.1 (ख), अन्य टिप्पणियाँ जो स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों का भाग बनती हैं, का संदर्भ लें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, नहीं था।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को अंतरित करने में कोई देरी नहीं की है।

कृते आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या
000111S
ह/-
वि मोहन
साझेदार
सदस्यता संख्या 015809

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25/06/2020
यूडीआईएन : 20015809AAAAAG8703

वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी :

क. वित्तीय विवरणों की सामग्री के ग़लत विवरणों के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वो धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन करते हैं और निष्पादित करते हैं, और उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से कहीं अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी करना शामिल हो सकता है।

ख. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि रिपोर्टिंग मानकों 87 के अनुसार कार्यान्वयन गाइड के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावपूर्ण है।

ग. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

घ. लेखांकन की वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर वर्तमान चिंता के एक विषय के रूप में महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में उन संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे, हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के लिए वर्तमान चिंता का विषय बना रह सकता है।

ङ. खुलासों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को उचित तरीके से दर्शाते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान करते हैं।

भौतिक तथ्य स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में असत्यता का परिमाण है, जो अलग-अलग रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम शासन के शासन के उन आरोपों के साथ संबन्धित संवाद करते हैं, जो अन्य मामलों में, लेखा - परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा - परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपनी लेखा - परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम एक विवरण के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ आरोपित उन संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रक नहीं करता अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ उचित रूप से अतिभार होने के लिए अपेक्षित होंगे।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

कंपनी के सदस्यों के लिए इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के भाग "अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाएं" के अनुच्छेद 1 के संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की इकाई में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। इन्वेंटरी से संबंधित लेन - देन को एक अलग सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं। जिसे प्राइस स्टोर्स लेज़र (पीएसएल) कहा जाता है जो किसी भी लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है। इसी प्रकार उत्पादन विवरण वित्तीय लेखा प्रणाली से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेन - देन के प्रसंस्करण के कोई निहितार्थ (वित्तीय या अन्यथा) नहीं हैं। हालांकि वहाँ खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव (चाहे वित्तीय या अन्यथा) लेखा लेन - देन के प्रसंस्करण की आईटी प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं।
2. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं के अनुसार मौजूदा ऋण / ब्याज / बट्टे खाते में डालना / ब्याज का छूट आदि का पुनर्गठन नहीं है। यह ऋणदाता द्वारा निर्मित है। इसमें कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन नहीं मिला है।

कृते आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या
000111S

ह/-
वि मोहन
साझेदार
सदस्यता संख्या 015809

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25/06/2020
यूडीआईएन : 20015809AAAAAG8703

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

कंपनी के सदस्यों के लिए इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के भाग "अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाएं" के अनुच्छेद 1 के संदर्भित

हम विवरण देते है कि :

i. कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने सभी स्थाई परिसंपत्तियों के लिए परिणामात्मक विवरण और उसकी स्थिति को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का रख - रखाव किया है।

ख. कंपनी के पास अपनी स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन काम नियमित कार्यक्रम है, जिसके द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि में स्थाई परिसंपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता। उक्त कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ स्थाई परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पाई गई। हमारी राय में, कंपनी का आकार और इसकी परिसंपत्तियों के प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की आवधिकता यथोचित है।

ग. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं और कंपनी के अभिलेखों पर हमसे किए गए परीक्षण के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर है।

ii. प्रबंधन द्वारा समुचित अंतराल में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया और देखने में कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पायी गई;

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल बॉडी कॉर्पोरेट को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

iv. हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों को आकर्षित करनेवाले किसी प्रकार के लेनदेन में शामिल नहीं हुआ है।

v. कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2020 तक कोई बेनामी जमा नहीं है और इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के अनुरक्षण विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसे लेख और अभिलेख निर्धारित अनुसार तैयार किया गया है और अनुरक्षित किया गया है।

vii. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं और कंपनी के अभिलेखों पर हमसे किए गए परीक्षण के आधार पर,

क. कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, और सेवा कर, सीमा शुल्क की ड्यूटी सहित निर्विवाद लागू वैधानिक देयताओं के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित की गई राशि उत्पाद शुल्क, जीएसटी, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ प्रयोज्य देय को जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है।

ख. 31 मार्च 2018 पर उनके अदा करने की तारीख से छे महीनों के अंतर्गत कोई निर्विवाद सांविधिक राशि देय नहीं है।

ग. सीमा शुल्क के कोई बकाया नहीं हैं जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं। हालांकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर के निम्नलिखित बकाया राशि को कंपनी द्वारा विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है:

संविधि	देयों की प्रकृति	लाख में राशि	अवधि जिससे राशियां संबंधित हैं	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम,1944	पैलेटों की डीटीए स्वीकृति पर एसएडी का भुगतान न करना	1454.11	2010-11	सीईएसटीएटी
		1248.99	2011-12	
		3145.21	2011-12	
वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	60.77	2012-14	सीईएसटीएटी

viii. वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या ऋणपत्र धारी को कंपनी द्वारा देय कोई ऋण या उधार नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (viii) लागू नहीं होता।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लेख पत्र सहित) या आवधिक ऋण के माध्यम से कोई पैसा जमा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (ix) लागू नहीं होता।

x. हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर उनके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में दिलाया गया है।

xi. अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) के अनुसार दिनांक 5 जून 2015 को कॉर्पोरेट मामलों को मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xii. हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा सूचनाओं के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता।

xiii. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं और कंपनी के अभिलेखों पर हमसे किए गए परीक्षण के अनुसार, संबंधित परतियों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षानुसार

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को प्रकट किया गया है।

xiv. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं और कंपनी के अभिलेखों पर हमसे किए गए परीक्षण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का किसी भी अधिमानी आवंटन या निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र का आबंटन नहीं किया है और इसलिए ऑर्डर के पैराग्राफ 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xv. हमारी राय में हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं और कंपनी के अभिलेखों पर हमसे किए गए परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर - नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xvi. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - IA क के अधीन रजिस्टर किए जाने की ज़रूरत नहीं है।

कृते आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000111S
ह/-
वि मोहन
साझेदार
सदस्यता संख्या 015809

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25/06/2020
यूडीआईएन: 20015809AAAAAG8703

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

कंपनी के सदस्यों के लिए इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के भाग "अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाएं" के अनुच्छेद 3 (ङ) के संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम ") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 तक **केआईओसीएल लिमिटेड (कंपनी)** के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों को उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन संबंधित बोर्ड के निदेशक, सहायक कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो कंपनियां भारत में शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखा - परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपने लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी, तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन / विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूदा भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में या नीतियाँ और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं कि (1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है; (2) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्त एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी के

परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरण पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसन्धि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं जिन्हे पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं, स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है। प्रबंधन ने मालसूची अभिलेख के लिए भौतिक सत्यापन को समाधान किया गया है और उपयुक्त अनुमोदन के बाद भौतिक सत्यापन परिणामों के साथ बहीखातों को समाधान करने के लिए एक वर्ष में पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं। माल और सेवाओं के लिए लेनदारों के संबंध में नियंत्रण खाते और देनदार सिस्टम के बाहर मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है। हालांकि, हमने अन्य प्रक्रियाओं के साथ जांच के माध्यम से जांच नियंत्रण लागू किया, जैसे गतिविधियों का अवलोकन, कम औपचारिक दस्तावेज़ीकरण का निरीक्षण, या कुछ नियंत्रणों के प्रदर्शन के बारे में पर्याप्त सबूत प्रदान करने के लिए नियंत्रण प्रभावी है या नहीं।

राय

हमारी राय में, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की मौलिक आवश्यकता उन लोगों द्वारा प्रभावित प्रक्रिया होती है जो कई तरीकों से संगठन का समर्थन करती हैं, जिससे जोखिम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायता करने में सक्षम बनाता है। अतः हमारी राय में, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2020 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000111S
ह/-
वि मोहन
साझेदार
सदस्यता संख्या 015809

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25/06/2020
यूडीआईएन: 20015809AAAAAG8703

****

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक का दायित्व यह है कि अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अधीन उक्त वित्तीय विवरणों पर भी अपनी राय अभिव्यक्त करनी है। उक्त कथन उनके द्वारा भी दिनांक 25वीं जून, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है।

मैंने, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूर के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। उक्त अनुपूरक लेखापरीक्षा, बिना सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावजों के, स्वतंत्र रूप में किया गया तथा प्रधानतया कंपनी कार्मिकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की पूछताछ और लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मुझसे की गई लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा नहीं पाया गया, जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर या उसके अनुपूरक में कुछ टिप्पणी की जा सके।

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 20/08/2020

भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
(जे. एस. करापे)
वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा के महानिदेशक
हैदराबाद

यथा दिनांक 31 मार्च,2020 को तुलन पत्र

रुपये लाख में

विवरण	नोट सं.	यथा दिनांक 31 मार्च, 2020	यथा दिनांक 31 मार्च, 2019
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3.1	17,618.22	20,042.47
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	3.4	10,201.01	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	2,006.00	356.58
अमूर्त परिसंपत्तियां	3.2	74.48	6.48
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	3.3	84.59	63.81
वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) ऋण	5.1.क	102.96	101.89
ii) अन्य वितीय परिसंपत्तियां	5.2.क	141.71	95.81
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9.क	227.32	542.47
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	227.00	
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**30,683.29**	**21,209.51**
चालू परिसंपत्तियां			
इंवेंट्री	7.क	25,684.48	30,886.63
वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	5.3	-	4,230.89
ii) व्यापार प्राप्य	5.4	12,266.77	6,377.89
iii) नकदी और नकदी समतुल्य	5.5.क	42,980.09	51,519.44
iv)उक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	5.5.ख	110,028.80	101,167.36
v) ऋण	5.1.ख	71.95	67.44
vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5.2.ख	1,258.22	1,149.66
चालू आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	8	3,815.51	3,592.40
अन्य चालू परिसंपत्तियां	9.ख	11,381.51	12,077.37
कुल चालू परिसंपत्तियां		**207,487.33**	**211,069.08**
कुल परिसंपत्तियां		**238,170.62**	**232,278.59**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
शेयर पूंजी	10	62,192.56	62,192.56
अन्य इक्विटी	11	129,400.26	137,203.28
कुल इक्विटी		**191,592.82**	**199,395.84**
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
i) लीज देयताएं	12.1.ग	11,129.85	-
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	12.1.क	64.25	71.71
कर्मचारी हितलाभ बाध्यता	13.1.क	9,106.73	8,540.11
आस्थगित कर देयता (निवल)	6		975.03
कुल गैर चालू देयताएं		**20,300.83**	**9,586.85**
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
i) व्यापार देय	12.2	11,121.47	10,764.37
ii) लीज देयताएं	12.1.घ	1,251.57	-
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	12.1.ख	8,815.85	8,638.67
कर्मचारी हितलाभ बाध्यता	13.1.ख	690.88	604.12
अन्य चालू देयताएं	14	4,397.20	3,288.74
कुल चालू देयताएं		**26,276.97**	**23,295.90**
कुल इक्विटी और देयताएं		**238,170.62**	**232,278.59**
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य टिप्पणियां।	1और 24		

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

एम वि सुब्बा राव
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

एस के गोराई
निदेशक (वित्त)

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे. आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.:000111S)

(वी. मोहन)
साझेदार
साझेदार सदस्यता सं.:015809

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25.06.2020

पी के मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि का विवरण

रु. लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
राजस्व			
अन्य आय	15	193,764.79	188,770.97
अन्य आय	16	11,888.22	12,496.85
कुल राजस्व		**205,653.01**	**201,267.82**
व्यय			
खपत सामग्री की लागत		138,422.78	128,685.35
व्यापारगत माल की खरीद		349.91	-
वस्तुसूचियों में परिवर्तन-पैलेट फीड	17.क	491.89	(225.06)
वस्तुसूचियों में परिवर्तन-तैयार उत्पाद	17.क	139.76	(3,805.79)
उपभोज्य स्टोर पुर्जे और योजक	17.ख	8,253.07	8,807.40
सेवा संविदा की ओर प्रत्यक्ष लागत		698.00	192.94
बिजली और ईंधन		23,426.96	23,793.61
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	18	16,939.90	16,821.26
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	3.1क	2,749.08	1,926.82
अन्य व्यय	19	6,817.16	6,578.85
वित्तीय लागत	20	996.86	80.26
कुल व्यय		**199,285.37**	**182,855.64**
वर्ष का लाभ		**6,367.64**	**18,412.18**
असाधारण मदों व कर से पहले			
असाधारण मदें-व्यय			
कर पूर्व लाभ		**6,367.64**	**18,412.18**
चालू कर	21	2,377.12	4,357.88
पूर्व के वर्ष (निवल)	21	112.12	-
आस्थगित कर	21	(469.25)	2,868.44
कर व्यय/(आय)		2,019.99	7,226.32
वर्ष का लाभ/(हानि)		**4,347.65**	**11,185.86**
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)			
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
लिक्विड म्यूचुअल फंड पर अचेतन लाभ	22	-	-
नियोजन के बाद के अनुलाभ का पुनःमापन दायित्व	22	(27.61)	1,674.92
घटाएं - उक्त पर कर (व्यय) / अनुलाभ	22	6.95	(585.28)
कुल अन्य व्यापक आय		**(20.66)**	**1,089.64**
कुल व्यापक आय		**4,326.99**	**12,275.50**
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस):			
रु..10/- प्रत्येक के सम मूल्य वाले इक्विटी शेयर			
मूल व परिवर्तित		0.70	1.78
प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त शेयरों की संख्या		621925565	629857878
उल्लेखनीय लेखा नीतियां तथा वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अन्य टिप्पणियां	1और 24		

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

एव वि सुब्बा राव
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

एस के गोराई
निदेशक (वित्त)

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे. आनंद एंड पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फॉर्म पंजीकरण सं:000111S)

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25/06/2020

पी के मिश्रा
कंपनी सचिव

(वि. मोहन)
साझेदार
सदस्यता सं.:015809

नकदी प्राप्ति विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए

रु. लाख में

	विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2020 के अंत के आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2019 के अंत के आंकड़े
क	**प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति**		
	सतत प्रचालनों से कर पूर्व लाभ	6,367.64	18,412.18
	निम्नलिखित के लिए समायोजन जोड़ें / (घटाएँ) -		
	मूल्यह्रास – चालू वर्ष	2,749.08	1,926.82
	कार्यशील पूंजी पर ब्याज को छोड़कर वित्तीय लागत	977.16	-
	हानि क्षति का निवल और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	313.58	-
	ब्याज की आय	(10,314.07)	(11,164.67)
	अल्पकालिक पूँजीगत लब्धि – म्युच्युअल फंड	(608.47)	(527.30)
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि	(38.77)	(37.24)
	कार्यशील पूँजी परिवर्तित होने से पहले प्रचालनीय नकदी प्राप्ति	**(553.84)**	**8,609.79**
	इनके लिए समायोजन -		
	वस्तुसूचियों में (बढ़ोत्तरी) / कमी	5,202.15	(7,610.48)
	व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में (बढ़ोत्तरी) / कमी	(5,404.83)	(1,394.53)
	व्यापार तथा अन्य देयों में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(1,419.02)	(12,223.07)
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री / विलोपन / अंतरण	(0.38)	(8.60)
	प्रचालनीय कार्यकलापों से निवल नकदी	**(2,175.92)**	**(12,626.89)**
ख	**निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(444.54)	(1,818.00)
	पूँजीगत चालू कार्य में (बढ़ोत्तरी) / कमी	(1,649.42)	(180.16)
	मीयादी जमा में निवेश से में (बढ़ोत्तरी) / कमी तीन महीनों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त ब्याज	(8,861.44)	51,207.00
	अल्पकालिक पूंजीगत लब्धि - म्युच्युअल फंड	4,230.89	(3,730.20)
	प्राप्त ब्याज पर कर	10,930.61	12,073.73
	अल्पकालिक पूंजीगत लब्धि- म्युच्युअल फंड	608.47	527.30
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	38.77	45.85
	निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी	**4,853.34**	**58,125.52**
ग	**वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति**		
	लाभांश व लाभांश कर का भुगतान	(9,971.92)	(6,043.06)
	इक्विटी शेयरों की वापसी	-	(21,400.00)
	पट्टे की देयता चुकौती	(1,244.84)	-
	वित्त संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी	**(11,216.76)**	**(27,443.06)**
	सार		
	(क) प्रचालनीय कार्यकलापों से निवल नकदी	(2,175.92)	(12,626.89)
	(ख) निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी	4,853.34	58,125.52
	(ग) वित्त संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी	(11,216.76)	(27,443.06)
	नकद व नकदी समतुल्यों में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)	**(8,539.35)**	**18,055.57**
	नकद व नकदी समतुल्यों में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी) :		
	यथा 01.04.2019 (प्रा.शे.) को नकद व नकदी समतुल्य	51,519.44	33,463.87
	यथा 31.03.2020 (अं.शे.) को नकद व नकदी समतुल्य	42,980.09	51,519.44
	नकद व नकदी समतुल्यों में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)	**(8,539.35)**	**18,055.57**

टिप्पणियाँ -:

1. उक्त विवरण को परोक्ष विधि का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है सिवाय निवेश से ब्याज की आय, अल्पकालीन पूँजीगत लब्धि से प्राप्त आय, लाभांश, निवेश / अचल परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री तथा कर को छोड़कर जिन्हें परिसंपत्ति व देयताओं में संबंधित समायोजनों के साथ नकद के वास्तविक संचलन आधार पर विचार में लिया गया है।
2. अवधि के प्रारंभ व अंत के बीच अचल परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत चालू कार्य में परिवर्धनों को निवेश संबंधी कार्यकलाप माना गया है।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

निदेशक मंडल के लिए व उसकी ओर से

ह/-	ह/-	ह/-
एम वि सुब्बा राव	**एस के गोराई**	**पी के मिश्रा**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 25/06/2020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए केआईओसीएल लिमिटेड के नकदी प्राप्ति विवरण की जाँच की है। ये विवरण कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और कंपनी के सदस्यों को दी गई दिनांक 25 जून, 2019 की हमारी रिपोर्ट में शामिल संबंधित कंपनी के लाभ व हानि लेखा और तुलन-पत्र पर आधारित हैं और उनके अनुरूप हैं।

कृते मे. **आनंद एंड पोन्नप्पन**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. -000111S)

ह/-
(वी. मोहन)
साझेदार
सदस्यता सं.:015809

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25/06/2020
यूडीआईएन : 20015809AAAAAG8703

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	शेयर पूंजी	अन्य व्यापक आय	पूंजी प्रतिदान आरक्षित खाता	सामान्य आरक्षितियां	लाभ और हानि खाता में अधिशेष	कुल इक्विटी
शेष यथा 01/04/2018	63,451.38	324.80		144,701.47	6,085.75	214,563.40
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुन: उल्लिखित कुल इक्विटी	**63,451.38**	**324.80**		**144,701.47**	**6,085.75**	**214,563.40**
स्वामी के रूप में अपनी क्षमता से स्वामियों के संव्यवहार						
वर्ष 2017-18 के दौरान अदा किया गया अंतिम लाभांश					(5,012.66)	(5,012.66)
अदा किया गया लाभांश वितरण कर					(1,030.40)	(1,030.40)
वित्तीय वर्ष (2017-18) के प्रारंभ में पुन: उल्लिखित कुल इक्विटी	**63,451.38**	**324.80**		**144,701.47**	**42.69**	**208,520.34**
1,25,88,235 इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद @ रु.170 प्रत्येक अंकित मूल्य @ रु.10 प्रत्येक	(1,258.82)		1,258.82	(21,400.00)		(21,400.00)
वर्ष (2018-19) के लिए लाभ					11,185.86	11,185.86
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)		1,089.64				1,089.64
31.03.2019 को समाप्त वर्ष की कुल व्यापक आय		**1,089.64**				**(9,124.50)**
यथा 31.03.2019 को लाभ और हानि खाते का अधिशेष		1,089.64			11,185.86	(9,124.50)
शेष 31 मार्च, 2019 को	**62,192.56**	**1,414.44**	**1,258.82**	**123,301.47**	**11,228.55**	**199,395.84**
शेष यथा 01/04/2019 को	62,192.56	1,414.44	1,258.82	123,301.47	11,228.55	199,395.84
इंड एएस 116 समायोजन				(2,158.10)		(2,158.10)
स्वामी के रूप में अपनी क्षमता से स्वामियों के संव्यवहार						
वर्ष 2018-19 का लाभांश वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदत्त					(8,271.61)	(8,271.61)
लाभांश संवितरण कर प्रदत्त					(1,700.30)	(1,700.30)
वित्तीय वर्ष (2019-20) के प्रारंभ में पुन: उल्लिखित कुल इक्विटी	**62,192.56**	**1,414.44**	**1,258.82**	**121,143.37**	**1,256.64**	**187,265.83**
वर्ष (2019-20) के लिए लाभ					4,347.65	4,347.65
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)		(20.66)				(20.66)
31.03.2020 को समाप्त वर्ष की कुल व्यापक आय		**(20.66)**			**4,347.65**	**4,326.99**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**62,192.56**	**1,393.78**	**1,258.82**	**121,143.37**	**5,604.29**	**191,592.82**

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

एम वि सुब्बा राव
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

एस के गोराई
निदेशक (वित्त)

पी के मिश्रा
कंपनी सचिव

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे. आनंद एवं पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण:000111S)

(वी. मोहन)
साझेदार
सदस्यता सं.:015809

स्थान:बेंगलूरु
दिनांक: 25.06.2020

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां

पृष्ठभूमि

केआईओसीएल (कंपनी) अनुसूची - क और भारत सरकार का मिनीरत्न उद्यम है जिसका प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में स्थित है और इसका पैलेटीकरण और पिग आयरन यूनिटें मेंगलूरु में स्थित हैं। इस कंपनी की स्थापना 100 % निर्यात उन्मुख यूनिट के रूप में की गई थी और यह प्राथमिक रूप से लौह अयस्क खनन, अनुलाभीकरण और उच्च गुणवत्ता युक्त पैलेटों के उत्पादन के कारोबार में लगी थी। कंपनी ने हाल ही में अपनी विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रचालनीय और अनुरक्षण सेवाओं का प्रावधान करने में विविधीकरण किया है।

1. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1.1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अधिनियम (एक्ट), 2013 की धारा 133 कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और इस अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय ए.एस.) का पालन करते हए तैयार किया गया है।

1.2. ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है -

(i) कुछेक वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है; और

(ii) निर्धारित अनुलाभ योजनाएँ - योजित परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।

1.3. खंड रिपोर्टिंग

प्रचालनीय खंडों की रिपोर्टिंग मुख्य प्रचालनीय निर्णयकर्ता (सीओडीएम) को की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप की गई है। अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी के वित्तीय कार्य - निष्पादन और स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और रणनीति संबंधी निर्णय लेते हैं। तदनुसार, अध्यक्ष - सह प्रबंध निदेशक को कंपनी का मुख्य प्रचालनीय निर्णयकर्ता बनाया गया है।

1.4. विदेशी मुद्रा के लेन - देन

क) कार्यशील तथा प्रस्तुती मुद्रा: कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक परिवेश जिसमें कंपनी प्रचालित होती है (कार्यशील मुद्रा) की मुद्रा का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। भारत जो कि कंपनी का प्राथमिक आर्थिक परिवेश है, वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि कंपनी की कार्यशील और प्रस्तुति मुद्रा है।

ख) लेन-देन और संतुलन: लेन देन की तारीखों में विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा लेन देन को कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादि किया जाता है। कंपनी ऐसी विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचने के लिए जिन्हें बचाव नहीं माना जाता है, कुछेक वायदा संविदाएँ करती है। ऐसी संविदाओं को लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है और उन्हें अन्य लब्धियों (हानि) में शामिल किया जाता है।

1.5. राजस्व का अभिज्ञात

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य में मापा जाता है। राजस्व सभी कर योग्य आपूर्ति, छूट की आपूर्ति, माल और / या सेवाओं के निर्यात और अंतर - राज्य आपूर्ति के करों के कुल मूल्य पर दर्ज किया जाता है, अगर कोई शुल्क सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी अधिनियम के तहत और रिटर्न, व्यापार भत्ते, आयतन और अन्य के शुद्ध छूट।

राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियों में उत्पाद शुल्क और प्राप्तियों का निवल, व्यापार भत्ता, प्रमात्रा तथा अन्य रिबेट, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, विक्रय कर तथा तृतीय पक्षकारों की ओर से प्राप्त की गई राशियाँ शामिल हैं। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती हैं जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि भावी आर्थिक अनुलाभ कंपनी को मिले और नीचे दर्शाए गए अनुसार कंपनी के प्रत्येक कार्यकलापों के विशिष्ट मानदंड को पूरा किया जा सके। कंपनी अपने प्राक्कलन ऐतिहासिक परिणामों, ग्राहक के प्रकार, लेनदेन के प्रकार और प्रत्येक व्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर करती है।

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब अभिज्ञात किया जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जा सकी हैं –

स्वत्व खरीददार को महत्वपूर्ण जोखिमों तथा माल के स्वामित्व के प्रतिफल अंतरित करती है।

- स्वत्व न तो सामान्य रूप से स्वामित्व से जुड़े स्तर में प्रबंधकीय सहभागिता को जारी रखता है, न ही बेचे गए माल पर प्रभावी नियंत्रण रखता है;
- राजस्व की राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है;
- यह हो सकता है कि लेनदेन से संबंधित आर्थिक अनुलाभ स्वत्व को प्राप्त हों; तथा
- लेनदेन के संबंध में उपगत या उपगत होने वाली लागते विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकें।

विक्रय में उत्पाद कर / निर्यात शुल्क और परेषण विक्रय पर भाड़ा, जहाँ कहीं लागू हों, और विक्रय कर / मूल्य वर्धन कर की निवल राशि शामिल हैं। समुद्री नौवहन के संबंध में लदान बिल का जारी करना प्रेषण माना गया है। प्रदान की गई प्रचालन व अनुरक्षण सेवाओं पर सेवा प्रभार को प्रोद्भूत आधार पर पहचाना गया है। ब्याज वसूल करने की निश्चितता के आधार पर प्रोद्भूत आधार पर पहचाना गया है।

कंपनी ने अनुबंधों से राजस्व की पहचान की है जब वह समय के साथ एक ग्राहक को एक निश्चित सेवा स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति को बढ़ाता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है तथा कंपनी के पास अब तक के प्रदर्शन के लिए भुगतान का एक प्रवर्तनीय अधिकार है।

अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष तारीख को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मापा जाता है। किसी भी अपेक्षित नुकसान की समीक्षाधीन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इसके लिए प्रदान किया जाता है।

उगाही की निश्चितता के विषयाधीन प्रोदभूद आधार पर ब्याज की मान्यता की जाती है।

स्क्रैप की बिक्री का हिसाब खरीददारों द्वारा स्क्रैप को उठाने पर किया जाता है।

सेवा कर, निर्यात शुल्क और उपकर के अलावा अन्य सांविधिक शुल्क और कर की वापसी का लेखा संबंधित विभाग के समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने पर किया जाता है बशर्ते कि उनकी अंतिम वसूली के लिए उचित निश्चितता हो।

बीमा और रेल के दावों को प्राप्त करने पर हिसाब में लिया जाता है।

निर्यात प्रोत्साहनों को तब अभिचिति किया जाता है जब राशि की वसूली करना निश्चित हो।

1.6. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को उनके उचित मूल्य पर अभिचिति किया जाता है जहाँ इस बात का उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होंगे और कंपनी सभी संबद्ध शर्तों को पूरा करेगी।

आय से संबंधित सरकारी अनुदान आस्थगित होते हैं और उन्हें ऐसी लागतों के साथ मेल करने के लिए आवश्यक अवधि में लाभ या हानि में अभिचिति किया जाता है जो प्रतिपूर्ति के लिए आशयित हैं और उन्हें अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में गैर - चालू देयताओं में शामिल किया जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल में सीधी - रेखा पद्धति आधार पर लाभ या हानि में जमा किया जाता है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है।

1.7. आयकर

अवधि के लिए आय कर का व्यय या क्रेडिट वह कर होता है जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं जो अस्थाई परिवर्तनों तथा अप्रयुक्त कर हानियों से संबंधित होते हैं, परिवर्तन द्वारा समायोजित लागू आय कर की दर पर आधारित चालू अवधि के कर योग्य आय पर देय होता है।

आय कर में चालू परिवर्तन का परिकलन देश में जहाँ कंपनी प्रचालन होती है और कर योग आय अर्जित करती है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित अथवा बाद में अधिनियमित होने वाले कर नियमों के आधार पर परिकलित होता है। प्रबंधन आवधिक रूप से ऐसी परिस्थितियों के संबंध में कर विवरणों में बताई गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमों का अर्थ - निर्वचन किया जा रहा है। इसमें ऐसे प्रावधान किए जाते हैं और कर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली राशि के आधार पर विनियोजन किया जाता है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार तथा वित्तीय विवरणों में उनकी वहनीय राशियों के बीच होने वाले अस्थाई अंतर पर, देयता विधि का प्रयोग करते हुए आस्थगित आय कर का प्रावधान किया जाता है। बहरहाल, सुनाम के प्रारंभिक अभिचिन से उत्पन्न होने पर, आस्थगित कर देयताओं को अभिचिति नहीं किया जाता। आस्थगित आय कर को तब भी हिसाब में नहीं लिया जाता जब वहऐसे किसी लेनदेन में परिसंपत्ति या देयता के प्रारंभिक अभिचिन से उत्पन्न होता है जो ऐसा लेनदेन लेखागत लाभ को न कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करने वाले कारोबारी संयोजन के अलावा हो। आस्थगित आय कर का निर्धारण ऐसी कर दर (और निधि) का प्रयोग करते हुए किया जाता है जो अधिनियमित है या रिपोर्टिंग अवधि के सारभूत ढंग से अधिनियमित होगी और तब लागू होनी अपेक्षित है जब संबंधित आस्थगित आय कर परिसंपत्ति वसूल की जाती हो या आस्थगित आय कर देयता निपटा दी जाती हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों तथा अप्रयुक्त कर हानि के लिए तभी अधिनियमित किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि ऐसे अस्थाई अंतर तथा हानियों का प्रयोग करने के लिए भावी कर योग्य राशियाँ उपलब्ध होंगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ तब समंजन होती हैं जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समंजित करने के कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होते हैं और जब आस्थगित कर शेष उसी कराधान प्राधिकारी से संबंधित हों।

चालू कर परिसंपत्तियाँ और कर देयताएँ तब समंजन होती हैं जब स्वत्व को समंजन करने का कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह निवल आधार पर निपटान करना चाहता हो या परिसंपत्ति को वसूल करने के बाद देयता को एक साथ निपटाना चाहता हो। चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में अभिचिति किया जाता है सिवाय इस बात के कि वह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में अभिचिति मद से संबंधित हो। इस मामले में कर को क्रमश : अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी अभिचिति किया जाता है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, केवल इस हद तक कि वह अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

1.8. पट्टा

पट्टादार के रूप में. कंपनी की लीज परिसंपत्तियां, बारह महीने या उससे कम (अल्पकालिक पट्टों) और कम मूल्य के पट्टों के साथ पट्टों को छोड़कर अनुबंध के प्रारंभ में उपयोग का अधिकार'(आरओयू) लीज अवधि के दौरान आर्थिक रूप से सभी को काफी लाभ प्रदान करने के बदले में किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार के मानदंडों को संतुष्ट करती हैं ।

इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को सीधी तौर पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

बाजार किराये की दर के आधार पर परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पट्टा देयता का हिस्सा हैं।

पट्टे की कुछ व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू एसेट्स और लीज देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह निश्चित रूप से निश्चित हो कि उनका उपयोग किया जाएगा।

उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि लीज पेमेंट के लिए या उससे पहले लीज पेमेंट के लिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई लीज प्रोत्साहन कम होता है तो वे बाद में लागत कम संचित मूल्यह्रास और नुकसानी क्षति पर मापी जाती हैं।

पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी-रेखा के आधार पर उपयोग की तारीख से शुरू कर संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उपयोग की गई संपत्तियों का मूल्यांकन परिसंपत्तियों के अधिकार का मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी वहन राशि पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत और उच्च मूल्य का उपयोग) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया

जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो काफी हद तक स्वतंत्र हैं उन अन्य संपत्ति से। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिसके पास संपत्ति होती है।

पट्टे की देयता को शुरू में भुगतान नहीं किए गए भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए, पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो छूट दी जाती है। लीज की देनदारियों का उपयोग संपत्ति के संबंधित अधिकार के संगत समायोजन के साथ किया जाता है यदि कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है कि क्या वह किसी एक्सटेंशन या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी।

लीज देनदारी और आरओयू परिसंपत्तियों को अलग-अलग बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टादाता के रूप में: पट्टों जिसके लिए कंपनी पट्टादाता है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तों ने पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक माध्यमिक पट्टादाता होती है, तो यह मुख्य पट्टे और उप पट्टे में अपने हितों का अलग से हिसाब रखती है। उप पट्टा को एक वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि प्रधान पट्टे से उत्पन्न होने वाली सही संपत्ति के संदर्भ में है।

परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है.

1.9. परिसंपत्तियों की अनर्जकता

निष्क्रिय परिसंपत्तियों की जाँच अनर्जकता के लिए की जाती है जब कभी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि वहनीय राशि की वसूली नहीं की जा सकेगी। अनर्जकता हानि को उस राशि की सीमा तक अभिचिति किया जाता है जो परिसंपत्ति की वहनीय राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि वह होती है जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत और प्रयोग मूल्य के अधिक की राशि हो। अनर्जकता का मूल्यांकन करने के लिए, परिसंपत्तियों को ऐसे निम्नतम स्तर में समूहित किया जाता है जहाँ अलग से पहचान करने योग्य नकदी प्राप्ति हों जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह (नकदी सृजित करने वाली इकाइयाँ) से बिल्कुल अलग हों। सुनाम के गैर - वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो अनर्जक होती हैं, को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनर्जकता के संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है। सरकारी अनुदान के माध्यम से अमूर्त संपत्ति का अधिग्रहण नि: शुल्क या नाममात्र राशि के लिए किया जाता है।

1.10. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्राप्ति विवरण में प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ, नकदी और नकदी समतुल्य में हस्तस्थ नकद, मांगे जाने पर वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली राशियाँ, अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक चलनिधि के निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीनों या उससे कम की हों और जिन्हें ज्ञात नकद राशि में आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का कोई उल्लेखनीय खतरा न हो।

1.11. व्यापार से प्राप्य

व्यापार से प्राप्य राशियों को प्रारंभ में उचित मूल्य में और बाद में प्रभावी ब्याज विधि, अनर्जकता के कम प्रावधान का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है।

1.12. वस्तुसूचियाँ

तैयार माल का स्टॉक जैसे पैलेट और पिग आयरन (जिसमें परेषण एजेंटों के पास पड़ा माल भी शामिल है) और अर्धनिर्मित माल का मूल्य निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर तय किया जाता है। लागत में ऐसी वस्तुसूचियों को उनके स्थान पर लाने में कारोबार के सामान्य क्रम में खर्च तथा जहाँ कहीं लागू हो, सामान्य कार्यकलापों में आने वाले उचित ऊपरी व्यय शामिल होते हैं। बहरहाल, सामान्य स्तर की तुलना में वास्तविक उत्पादन असामान्य रूप से कम हो तो निश्चित प्रकृति के खर्चों को ऐसी कमी के अनुपात में कम किया जाता है।

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, उपभोज्य एवं योज्य का मूल्य निम्नतर लागत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर तय किया जाता है। इसकी लागत का परिकलन भारित औसत आधार पर किया जाता है और उसे इसके जारी करने पर राजस्व को प्रभारित किया जाता है। मार्गस्थ सामग्रियों का मूल्य लागत पर तय किया जाता है।

उपोत्पाद का मूल्य प्राक्कलित निवल वसूली योग्य मूल्य पर तय किया जाता है।

वर्षांत में ₹ 1,000.00 प्रत्येक से कम मूल्य वाले भंडार, पुर्जी और उपभोज्य को उपभोग करने पर प्रभारित किया जाता है।

1.13. बिक्री तथा बंद प्रचालनों के लिए धारित अप्रचलित परिसंपत्तियाँ (या निपटान समूह)

अप्रचलित परिसंपत्तियों (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सहायक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी ले जाने की राशी मुख्य रूप से निरंतर उपयोग रे बजाय विक्री लेन - देन के माध्यम से वसूल जाता है और विक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। इन्हें उनकी वहनीय राशि और विक्रय लागत से उचित मूल्य घटाकर प्राप्त राशि से कम राशि पर मापा जाता है सिवाय ऐसी परिसंपत्तियों के जो इस आवश्यकता से विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त हों जैसे आस्थगित कर परिसंपत्ति, कर्मचारी अनुलाभ से मिलने वाली परिसंपत्तियाँ, वित्तीय परिसंपत्तियाँ और बीमा संविदाओं के तहत प्राप्त होने वाले संविदाजन्य अधिकार।

अप्रचलित परिसंपत्तियों (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सहायक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी ले जाने की राशी मुख्य रूप से निरंतर उपयोग रे बजाय विक्री लेन - देन के माध्यम से वसूल जाता है और विक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। इन्हें उनकी वहनीय राशि और विक्रय लागत से उचित मूल्य घटाकर प्राप्त राशि से कम राशि पर मापा जाता है सिवाय ऐसी परिसंपत्तियों के जो इस आवश्यकता से विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त हों जैसे आस्थगित कर परिसंपत्ति, कर्मचारी अनुलाभ से मिलने वाली परिसंपत्तियाँ, वित्तीय परिसंपत्तियाँ और बीमा संविदाओं के तहत प्राप्त होने वाले संविदाजन्य अधिकार।

अप्रचलित परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित तथा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह वाली परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें तुलन - पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग दर्शाया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं को तुलन - पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शाया जाता है।

अप्रचलित परिसंपत्तियों (निपटान समूह के भाग बनने वाली परिसंपत्तियाँ भी) को

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं के कारण होने वाले ब्याज तथा अन्य व्यय निरंतर रूप से अभिचिति किए जाएंगे। अनर्जकता हानि उचित मूल्य में से बेचने की लागत को घटाकर बची राशि से परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बट्टे खाते में डालने के से पहले या बाद में अभिचिति की जाती है।

उचित मूल्य में से परिसंपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री में से घटाने से बची राशि में यदि बाद में कोई बढ़ोतरी होती है, तो उपगत जब ऐसी लब्धि को अभिचिति किया जाता है, परन्तु ऐसी राशि को इससे पहले अभिचिति संचयी अनर्जनक हानि से अधिक नहीं चाहिए। ऐसी लब्धि या हानि जिसे अप्रचलित परिसंपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक इससे पहले अभिचिति नहीं किया गया है, उसे अभिचिति न करने की तारीख पर अभिचिति किया जाता है।

बंद प्रचालन स्वत्व का ऐसा कारक होता है जिसे निपटाया गया है या जिसे बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो एक अलग कारोबार की प्रमुख रेखा या प्रचालनों के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता हो, ऐसे कारोबार या प्रचालन क्षेत्र को निपटान का एक समन्वित योजना का भाग हो अथवा एक सहायक कंपनी हो जिसे दोबारा बेचने के ही उद्देश्य से अर्जित किया गया हो। बंद किए गए प्रचालनों के परिणाम लाभ व हानि के विवरण में अलग से दर्शाए गए हैं।

1.14. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन वर्गों में वर्गीकृत करती है:

i) जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है (अन्य व्यापक आय, या लाभ व हानि द्वारा), तथा

ii) जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने तथा नकदी प्रवाहों के संविदाजन्य शर्तों के लिए स्वत्व के कारोबारी मॉडल पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापित परिसंपत्तियों के लिए, लब्धि और हानि को लाभ या हानि अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाता है। ऋण विलेखों में निवेश करने के लिए, यह बात कारोबार के मॉडल पर निर्भर करती है कि कौन सा निवेश किया जाए। इक्विटी विलेखों में निवेश करने के लिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश का हिसाब रखने के लिए प्रारंभिक अभिचिन के समय अशोध्य चुनाव किया था या नहीं।

मापन

प्रारंभिक अभिचिन में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को उनके उचित मूल्य पर मापती है और यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर न हो तो लेनदेन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण प्रत्यक्ष रूप से किए गए, को विचार में लिया जाता है। लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लेनदेन की लागतों को लाभ या हानि में व्यय पक्ष में दर्शाया जाता है।

ऋण विलेख

ऋण विलेखों का अनुवर्ती मापन परिसंपत्तियों का प्रबंध तथा परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह की विशेषताओं हेतु कंपनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर करता है। जब किसी विलेख को ऋण विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसके मापन के तीन वर्ग होते हैं:

(i) परिशोधित लागत: ऐसी परिसंपत्तियाँ जो संविदाजन्य नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए धारित की गई हैं जहाँ ऐसे नकदी प्रवाह एकमात्र रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान को दर्शाते हैं, उन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण निवेश जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जो प्रतिरक्षा संबंध का भाग नहीं है, उसे लाभ या हानि में अभिचिति किया जाता है जब परिसंपत्ति अभिचिति नहीं की जाती या अनर्जक होती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

(ii) अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य (एफवी ओसीआई): ऐसी परिसंपत्तियाँ जो संविदाजन्य नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए धारित किया गया है, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों नकदी प्रवाह एकमात्र रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान को दर्शाता है, उन्हें अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर मापा जाता है। वहनीय राशि का संचलन ओसीआई द्वारा लिया जाता है सिवाय अनर्जक लाभ व हानि, ब्याज राजस्व तथा विदेशी मुद्रा के लाभ व हानि को अभिचिति करने के, जिन्हें लाभ व हानि में अभिचिति किया जाता है। जब वित्तीय परिसंपत्ति को अनभिचिति किया जाता है, ओसीआई में पहले अभिचिति संचयी लाभ व हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) में अभिचिति किए जाते हैं। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज की आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(iii) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य: ऐसी परिसंपत्तियां जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं उन्हें लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य में मापा जाता है। ऋण निवेश जिसे बाद में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य में मापा जाता है पर लाभ या हानि जो प्रतिरक्षा संबंध का भाग नहीं है, उसे लाभ या हानि में अभिचिति किया जाता है और उसे लाभ व हानि के विवरण में जिस अवधि में वे सृजित होते हैं, उसमें अन्य लाभ / (हानि) में निवल रूप में दर्शाया जाता है।इन वित्तीय परिसंपत्तियों से होने वाली ब्याज की आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य में वित्तीय परिवर्तनों के उचित में परिवर्तनों को लाभ व हानि के विवरण में अन्य लाभ / (हानि) में अभिचिति किया जाता है। एफवीओसीआई में मापित इक्विटी निवेशों पर अनर्जक हानियों (तथा अनर्जक हानियों का व्युत्क्रमण) को उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग से रिपोर्ट नहीं किया जाता।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

कंपनी परिशोधित लागत वाली अपनी परिसंपत्तियों से संबंधित अपेक्षित क्रेडिट हानियों का मूल्यांकन अगाऊ आधार पर करती है। अनर्जकता की कार्यप्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं।

केवल व्यापार प्राप्यों के लिए, कंपनी भारतीय ए.एस. के वित्तीय विलेखों में अनुमत सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाती है जिसमें यह आवश्यक होता है कि जीवनकाल की हानियों को प्राप्यों के प्रारंभिक अभिज्ञात से किया जाना है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की विअभिज्ञात

वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तभी अभिज्ञात किया जाता है जब: -

(i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार अंतरित किए हैं या

(ii) वित्तीय परिसंपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदाजन्य अधिकारों को अपने पास रखा है, परन्तु संविदाजन्य देयता को एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह अदा करने की अपेक्षा करती है।

जहाँ किसी स्वत्व ने परिसंपत्ति को अंतरित किया है, वहां कंपनी इस बात का मूल्यांकन करेगी कि क्या सभी जोखिमों और वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के प्रतिफलों को सारभूत ढंग से अंतरित किया गया है या नहीं। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अभिज्ञात किया जाता है। जहाँ स्वत्व ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के प्रतिफलों को सारभूत ढंग से अंतरित नहीं किया गया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति को अभिज्ञात नहीं किया जाता।

जहाँ स्वत्व ने वित्तीय परिसंपत्ति को अंतरित नहीं किया है और न ही सभी जोखिमों तथा वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के प्रतिफलों को सारभूत ढंग से रखा है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति अनभिचिति की जाती है यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा है। जहाँ कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में समाविष्टि जारी रखने की सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है।

आय का अभिज्ञात

वित्तीय विलेखों से प्राप्त ब्याज की आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए अभिज्ञात किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहनीय राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल द्वारा प्राक्कलित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक ढंग से डिस्काउंट किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर का परिकलन करते समय, कंपनी वित्तीय विलेख के सभी संविदाजन्य शर्तों (जैसे, पुनर्भुगतान, विस्तारण, मांग तथा इसी तरह के विकल्प) पर विचार करते हुए अपेक्षित नकदी प्राप्ति का प्राक्कलन करती है पर अपेक्षित क्रेडिट हानि को विचार में नहीं लिया जाता।

वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ समंजन होती हैं और जहां अभिचिति राशियों का समंजन करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होते हैं और निवल आधार पर निपटान करने का आशय हो अथवा परिसंपत्ति की वसूली कर देयताओं को एक साथ निपटाना हो, तो तुलन - पत्र में निवल राशि दर्शाई जाती है। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं के लिए आकस्मिक नहीं होगा और कारोबार के सामान्य क्रम में प्रवर्तनीय होगा और इसमें चूक होने, कंपनी अथवा प्रति पक्षकार के दिवालिया होने पर प्रवर्तनीय होगा।

1.15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्णस्वामित्व वाली भूमि को ऐतिहासिल का लागत पर लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अन्य सभी मदों को ऐतिहासिक लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो मदों के अधिग्रहण के संबंध में किए जाते हैं।

एक परिसंपत्ति की वहनीय राशि को वसूली योग्य राशि में तुरंत अवलेखित किया जाता है यदि ऐसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि उसकी प्राक्कलित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण वहनीय राशि के साथ प्राप्तियों की तुलना करते हुए किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ / (हानि) में लाभ व हानि में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहनीय राशि में शामिल किया जाता है या जैसा उपयुक्त हो, अलग परिसंपत्ति के रूप में तभी अभिचिति किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि मद से संबंधित भावी आर्थिक अनुलाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब में लिए जाने वाले किसी घटक की वहनीय राशि को स्थानापित करने पर विअभिज्ञात की जाती है। अन्य सभी मरम्मत तथा अनुरक्षण को उपगत होने की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि में प्रभारित किया जाता है।

पीपी और ई के मद की राशि को सरकारी अनुदान के रूप में इंडएएस 20 के अनुसार घटाया जाएगा।

पूँजीगत चालू कार्य में परियोजनाओं पर उपगत लागत तथा व्यवहार्यता / कार्यारंभ की अवस्था के अन्य पूँजीगत कार्यों की लागत शामिल की जाती है। लागत में संबंधित आकस्मिक व्यय भी शामिल होते हैं।

मूल्यह्रास की विधियाँ, प्राक्कलित उपयोगी जीवन तथा अपशिष्ट मूल्य: मूल्यह्रास का परिकलन सीधी रेखा विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है ताकि उनकी लागत, उनके निवल अपशिष्ट मूल्य, उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर अथवा कुछेक पट्टे वाली फिटिंग व उपकरणों के मामले में, अपेक्षाकृत कम पट्टा अवधि का आबंटन किया जा सके।

उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण प्रबंधन के विशेषज्ञ द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट से अधिक होता है ताकि परिसंपत्तियों का वास्तविक उपयोग दर्शाया जा सके। परिसंपत्तियों के अपशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा और समायोजन, यदि उचित हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है।

01.04.2016 से परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)

संयंत्र व मशीनरी	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
पत्तन सुविधाएँ - अनवरत प्रक्रिया	10
पत्तन सुविधाएँ - अनवरत प्रक्रिया नहीं	10
पैलेट संयंत्र अनवरत प्रक्रिया	8
पैलेट संयंत्र - अनवरत प्रक्रिया नहीं	8
कैप्टिव शक्ति संयंत्र	15
धमन भट्ठी यूनिट	10

ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनकी वास्तविक लागत ₹ 5,000 प्रत्येक से अधिक नहीं होती, का मूल्यह्रास और अस्थायी संरचनाओं को ₹ 1 प्रति मद के नाममात्र के मूल्य में पूरी तरह धारित करते हुए प्रदान किया जाता है।

पट्टाधारित भूमि की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। पट्टाधारित भूमि की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के दौरान होता है जिसकी समीक्षा नवीकरण के समय किया जाता है।

1.16. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रक्रम विकास व्यय को आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हैं:

i. साफ्टवेयर को पूरा करने तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो ताकि वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो सके

ii. प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करने, उसका प्रयोग या विक्रय करना चाहता हो

iii. साफ्टवेयर का प्रयोग और विक्रय करने की क्षमता हो

iv. यह प्रदर्शित किया जा सकता हो कि साफ्टवयेयर किस तरह संभावित भावी आर्थिक अनुलाभ सृजित कर सकता है

v. विकास कार्य पूरा करने के लिए और उपलब्ध साफ्टवेयर का प्रयोग या विक्रय करने के लिए समुचित तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन,

vi. साफ्टवेयर के विकास के दौरान होने वाले व्ययों को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। प्रक्रम विकास व्यय को उपगत होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

1.17. निवेश संपत्तियाँ

ऐसी संपत्ति जिसे दीर्घकालीन किराया प्राप्ति अथवा पूंजीगत विनियोजन या दोनों के लिए धारित किया जाता है और जो कंपनी के अधिभोग में नहीं होती है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्ति को प्रारंभिक तौर पर उसकी लागत पर मापा जाता है जिसमें संबंधित लेनदेन की लागत और यथा लागू, उधार लागतें शामिल होती हैं। अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की वहनीय राशि में तभी पूँजीकृत किया जाता है जब इसकी संभावना हो कि ऐसे व्यय से संबंधित भावी आर्थिक अनुलाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसे मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता हो मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी अन्य सभी लागतों को उपगत होने पर खर्च किया जाता है।

जब किसी वस्तुसूची संपत्ति के किसी भाग को स्थानापित किया जाता है तो स्थानापित भाग की वहनीय राशि को विअभिचिहनित किया जाता है।

निवेश संपत्ति का मूल्यह्रास उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा किया जाता है। उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण प्रबंधन के विशेषज्ञ द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

1.18. व्यापार तथा अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कंपनी को प्रदान किए गए ऐसे माल व सेवाओं से संबंधित होते हैं जो अदत्त हैं। ऐसी राशियाँ अरक्षित होती हैं और सामान्य रूप से अभिज्ञात करने से 60 दिनों के भीतर अदा की जाती हैं। व्यापार तथा अन्य देयों को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर उनका भुगतान देय नहीं हो जाता। इन्हें प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर अभिचिति किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

1.19. प्रावधान

कानूनी दावों, सेवा वारंटियों, प्रमात्रा डिस्काउंट तथा प्राप्तियों के प्रावधानों को तब अभिचिति किया जाता है जब कंपनी में विगत की घटनाओं के परिणामस्वरूप कानूनी या निर्धारित देयता विद्यमान हो, ऐसा हो सकता है कि देयता को निपटाने के लिए संसाधनों की बहिर्गमन करना आवश्यक हो और राशि का विश्वसनीय ढंग से प्राक्कलन करना संभव हो। भावी प्रचालनीय हानियों के प्रावधान अभिज्ञात नहीं किए गए।

जहाँ एक ही प्रकार की अनेक देयताएँ हों तो इस बात की संभावना होती है कि निपटान के लिए बहिर्गमन की आवश्यकता हो जिसका निर्धारण समग्र रूप से ऐसी देयता के वर्ग पर विचार करते हए किया जा सकता है। एक ही वर्ग की देयता में शामिल किसी एक मद के संबंध में बहिर्गमन की संभावना बहुत कम होने पर भी उसका प्रावधान किया जाता है।

ऐसे प्रावधानों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान देयाताओं को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन के वर्तमान मूल्य में मापा जाता है। वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने में प्रयुक्त डिस्काउंट दर पूर्व दर कर होता है जो धनराशि के समय मूल्य की बाज़ार के चालू मूल्यांकनों को और देयता संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रतिबिंबित करता है। .

1.20. कर्मचारी अनुलाभ

अल्पकालीन देयताएँ: मजदूरी एवं वेतन, जिसमें मौद्रिक इतर अनुलाभ शामिल हैं, की देयताएँ जिन्हें अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं, में अवधि के अंत के बाद 12 महीनों के भीतर पूरी तरह निपटाने अपेक्षित होते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारी सेवा के संबंध में अभिचिति किया जाता है और देयताओं के निपटाए जाने के बाद अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। देयताओं को तुलन - पत्र में चालू कर्मचारी अनुलाभ देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी अनुलाभ देयताएँ: अर्जित अवकाश और बीमारी छुट्टी जिन्हें अवधि, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, में अवधि के अंत के बाद 12 महों के भीतर पूरी तरह निपटाया जाना अपेक्षित नहीं होता है। इसलिए, उन्हें प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार की प्राप्तियों का प्रयोग करते हुए अनुलाभों को भुनाया जाता है जिनकी शर्तें संबंधित देयता की शर्तों से लगभग मिलती - जुलती हैं। अनुभव समायोजनों के परिणामस्वरूप पुन : मापन तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों को लाभ या हानि में अभिचिति किया जाता है।

देयताओं को तुलन - पत्र में चालू देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि स्वत्व को वास्तविक निपटान की अपेक्षित तारीख से संबंध न रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बाहर महीनों के लिए निपटान को आस्थगित करने का निस्शर्त अधिकार नहीं होगा।

निर्धारित अनुलाभ योजना

उपदान: निर्धारित अनुलाभ उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन - पत्र में देयता या परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य को योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर निर्धारित अनुलाभ देयता अभिचिति की जाती है। निर्धारित अनुलाभ देयता का परिकलन प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकक द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है।

भविष्य निधि: कंपनी की भविष्य निधि कंपनी द्वारा स्थापित न्यास द्वारा संचालित की जाती है जहाँ कंपनी की देयता कर्मचारियों को सहमत हितलाभ प्रदान करने की होती है और बीमांकक जोखिम तथा निवेश जोखिम, यदि कोई जो कंपनी पर अधिरोपित होंगे, को निर्धारित अनुलाभ योजना माना जाता है। ऐसी भविष्य निधि योजनाओं से संबंधित देयता तुलन - पत्र की तारीख में एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए, प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि के आधार पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होती हैं।

भविष्य निधि की ऐसी योजनाओं से संबंधित देयताएँ तुलन पत्र की तारीख में एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए, प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि के आधार पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होती हैं। भारतीय रुपए के मूल्यवर्ग की

निर्धारित अनुलाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का निर्धारण सरकारी बांड जिनकी शर्तें संबंधित देयता की शर्तों के लगभग समान होती हैं, के संदर्भ में प्राक्कलित भावी नकदी प्राप्तियों को भुनाते हुए किया जाता है।

ब्याज की निवल लागत का परिकलन निर्धारित अनुलाभ देयता के निवल शेष और योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में बट्टागत दर लागू करते हुए किया जाता है। इस लागत को लाभ व हानि के विवरण में कर्मचारी अनुलाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकक मान्यताओं से उत्पन्न होने वाले पुन : मापन लाभ व हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में, उनके उपगत होने की अवधि में अभिचिति किया जाता है। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और तुलन - पत्र में धारित अर्जनों में शामिल किया जाता है।

योजना के संशोधनों या कांट - छांट से पैदा होने वाले निर्धारित अनुलाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य के परिवर्तनों को विगत सेवा लागत के रूप में तुरंत लाभ या हानि में अभिचिति किया जाता है।

निर्धारित अंशदान योजनाएँ

ये ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें कंपनी पूर्व - निर्धारित राशि एक अलग निधि को अदा करती है और इसमें अतिरिक्त राशि अदा करने की कोई कानूनी या अनौपचारिक देयता नहीं होती। इनमें सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और राज्य सरकार की कुछेक योजनाओं जैसे कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी पेंशन योजना के प्रति अंशदान शामिल होते हैं। निर्धारित अंशदायी योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में अभिचिति किया जाता है जिसमें कर्मचारी भुगतान को शामिल करने के प्रयोजनार्थ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

1.21. अंशदायी इक्विटी

ईक्विटी शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नए शेयर या विकल्प जारी करने के कारण प्रत्यक्ष रूप से आने वाली वृद्धिशील लागतों को प्राप्तियों से कटौती, निवल कर के रूप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

लाभांश: रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर या उससे पहले उचित रूप से प्राधिकृत तथा जो स्वत्व के विवेक में नहीं है परन्तु रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जिसका वितरण नहीं किया गया है, ऐसे घोषित लाभांश की राशि का प्रावधान किया जाता है।

मूल अर्जन प्रति शेयर: प्रति शेयर मुल अर्जन का परिकलन निम्नलिखित से विभाजित करते हए किया जाता है:

i. कंपनी के स्वामियों के लिए स्रोतजन्य लाभ

ii. वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा जिसे वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों में बोनस के तत्व हेतु समायोजित किया गया और जिसमें राजकोषीय शेयर शामिल नहीं हैं।

परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर: परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर निम्नलिखित को हिसाब में लेने के लिए मूल अर्जन प्रति शेयर के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों को समायोजित करता है:

i. ब्याज तथा परिवर्तित संभावित इक्विटी शेयरों से संबद्ध अन्य वित्त लागतों का आय कर पश्चात् प्रभाव, तथा

ii. अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी परिवर्तित संभावित इक्विटी शेयरों में रूपांतरण को मानते हुए बकाया होते।

1.22. खनन के अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त परिसंपत्तियाँ माना जाता है और उनसे संबंधित सभी लागतों को कुल प्राक्कलित खनन योग्य प्रारक्षणों के वार्षिक उत्पादन आधार पर परिशोधित किया जाता है। यदि खनन अधिकारों को नवीकृत / क्रिस्टलीकृत नहीं किया जाता है तो शेष संबंधी लागतों को नवीकरण / क्रिस्टलीकरण न करने का निर्णय लेने के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

खनन अधिकारियों को अर्जित करने से संबंधित सभी व्यय जिनमें संबंधित पेशेवर शुल्क, खनन पट्टे का विलेख तैयार करने से पहले सांविधिक वन विभाग की स्वीकृति से संबंधित भुगतान भी शामिल होंगे, को अधिग्रहण के अधीन खनन अधिकार माना जाता है और अमूर्त परिसंपत्तियाँ शीर्ष के तहत प्रकट किया जाता है।

इसके बाद होने वाले व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबद्ध भावी आर्थिक अनुलाभों में बढ़ोत्तरी होती है। अन्य सभी व्ययों को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिति किया जाता है।

1.23 असाधारण मदें

कंपनी के वित्तीय कार्य - निष्पादन को अतिरिक्त रूप से समझने के लिए आवश्यक समझे जाने पर असाधारण मदों को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रकट किया जाता है। वे आय या व्यय की ऐसी महत्वपूर्ण मदें होती हैं जिन्हें उनकी प्रकृति और राशि की महत्ता के कारण अलग से दर्शाया जाता है।

2. उल्लेखनीय प्राक्कलन

लेका मानकों और नीतियों के अनुप्रयोग में कंपनी के लिए यह आवश्यक होता है कि भावी घटनाओं के ऐसे प्राक्कलन और मान्यताएँ तय करे जो इसकी रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति और प्रचालनीय कार्य - निष्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विचार - विमर्श किए गए लेखा प्राक्कलन और मान्यताएँ वे होती हैं जिन्हें कंपनी अपने वित्तीय विवरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझती है। लेखा प्राक्कलन को महत्वपूर्ण माना जाता है जब दोनों (क) वस्तुपरकता और निर्णय के स्तर के कारण प्राक्कलनों या मान्यताओं की प्रकृति महत्वपूर्ण होते हैं, तथा (ख) प्राक्कलनों तथा मान्यताओं के परिणामों के औचित्यपूर्ण स्तर के भीतर का प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति या प्रचालनीय कार्य - निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

उपदान की मान्यताएँ

अपने कर्मचारियों तथा निवल आवधिक निर्धारित अनुलाभ लागत / आय के प्रति कंपनी की निर्धारित अनुलाभ देयता के मापन के लिए कुछेक मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ, बट्टा दरों तथा योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति के प्राक्कलन शामिल होते हैं। इन प्राक्कलनों में परिवर्तन करने से योजनाओं की भावी वित्त पोषण संबंधी अपेक्षाएँ तथा व्यापक आय के विवरण में अभिचिति बीमांकक लाभ / हानि प्रभावित हो सकते हैं।

निवल वसूली योग्य मूल्य और ग्राहक की मांग: कंपनी अपनी वस्तुसूची के निवल वसूली योग्य मूल्य तथा मांग की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दर्ज की गई वस्तुसूची निम्नतर लागत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाई जा सके और यह कि अप्रचलित वस्तुसूची को बट्टे खाते में डाला जा सके।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

एम वि सुब्बा राव
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

एस के गोराई
निदेशक (वित्त)

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे. आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.: 000111एस)

पी के मिश्रा
कंपनी सचिव

(वि. मोहन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 015809

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25/06/2020

नोट-3.1

रुपये लाख में

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

क्र. सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
		यथा 01.04.2019 को वहनीय राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धित	बिक्री/समायोजन	यथा 31.03.2020 सकल वहनीय राशि	यथा 01.04.2019 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	यथा 31.03.2020 संचित मूल्यह्रास	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण											
खान व संयंत्र:											
1.	भूमि* - पूर्ण स्वामित्व	2,146.87	-	-	2,146.87	-	-	-		2,146.87	2,146.87
	- पट्टा धारित	1,248.53	-	(591.28)	657.25	-	-	-	-	657.25	1,248.53
2	भवन	4,945.88	-	-	4,945.88	1,840.23	449.07	-	2,289.30	2,656.58	3,105.65
3	संयंत्र एवं मशीनरी	1,8821.45	368.72	(121.42)	19,068.75	6,632.50	1,535.81	(22.67)	8,145.64	10,923.11	12,188.96
4	फर्नीचर एवं जुड़नार - सामान्य	33.32	5.99	(0.04)	39.26	17.48	1.93	-	19.41	19.85	15.83
5	वाहन	119.90	-	0.84	120.74	89.05	5.15	0.84	95.04	25.70	30.85
6	उपकरण	281.86	59.58	(3.58)	337.86	156.13	49.41	(3.30)	202.24	135.62	125.73
7	अन्य										
	सड़क, पुल एवं पुलिया	92.77	-	-	92.77	42.80	5.97	-	48.77	44.00	49.97
	अस्थाई संरचना	1.43	3.80	-	5.23	1.43	1.01	-	2.43	2.80	-
	जल आपूर्ति, सीवरेज व अग्नि रोकथाम प्रणाली	196.21	-	-	196.21	71.04	16.96	-	88.00	108.21	125.17
	वैद्युत संस्थापना	1,181.87	-	-	1,181.87	429.84	106.96	-	536.80	645.07	752.03
	उप योग	**29,070.09**	**438.09**	**(715.48)**	**28,792.70**	**9,280.49**	**2,172.28**	**(25.12)**	**11,427.65**	**17,365.05**	**19,789.59**
टाउनशिप											
1.	भूमि* - पूर्ण स्वामित्व	32.81	-	-	32.81	-	-	-	-	32.81	32.81
	- पट्टाधारित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन	238.85	-	-	238.85	27.74	6.08	-	33.82	205.03	211.11
3	फर्नीचर एवं जुड़नार - सामान्य	7.56	0.24	(0.29)	7.51	7.42	0.04	(0.25)	7.21	0.30	0.14
4	वाहन	8.09	-	-	8.09	6.10	0.51	-	6.62	1.48	1.99
5	उपकरण	7.45	7.72	0.30	15.46	5.46	0.77	0.15	6.38	9.08	1.99
6	अन्य										
	सड़क, पुल व पुलिया	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88	2.88
	वैद्युत संस्थापना	3.26	-	-	3.26	1.62	0.21	-	1.83	1.43	1.64
	जल आपूर्ति, सीवरेज व अग्नि रोकथाम प्रणाली	0.46	-	(0.31)	0.16	0.15	-	(0.15)	-	0.16	0.31
	उप योग	**301.36**	**7.96**	**(0.30)**	**309.02**	**48.48**	**7.62**	**(0.25)**	**55.85**	**253.17**	**252.88**
	कुल योग	**29,371.45**	**446.05**	**(715.78)**	**29,101.72**	**9,328.97**	**2,179.90**	**(25.37)**	**11,483.50**	**17,618.22**	**20,042.47**
	विगत वर्ष	**25,946.99**	**1,793.15**	**708.10**	**29,371.45**	**5,772.09**	**1,925.55**	**708.11**	**9,328.98**	**20,042.47**	**20,174.88**

रु. लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
3.1क: परिसंपत्तियों का विवरण		
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर	2,179.90	1,925.55
परिरंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	560.72	-
अमूर्त परिसंपत्तियां	8.46	1.27
कुल	**2,749.08**	**1,926.82**
3.2 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति-कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	84.21	7.75
कम:वर्ष के दौरान परिशोधन	9.73	1.27
कुल	**74.48**	**6.48**
3.3 : विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति		
अधिग्रहण के तहत खनन अधिकार	84.59	63.81
कुल	**84.59**	**63.81**
3.4 : परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार		
भूमि	10,159.62	-
भवन	41.39	-
कुल	**10,201.01**	**-**
4 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर		
संस्थापन के अधीन मशीनरी	56.23	231.02
कार्य प्रगति पर	1,949.77	125.56
कुल	**2,006.00**	**356.58**
5.1.क : ऋण (गैर चालू)		
अरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना गया		
ऋण प्राप्य - क्रेडिट इन	1,800.00	1,800.00
घटा : हानि भत्ता	1,800.00	1,800.00
कर्मचारियों को अग्रिम		
खरा माना गया - असुरक्षित	102.96	101.89
कुल	**102.96**	**101.89**
5.1.ख : ऋण (चालू)		
कर्मचारियों को अग्रिम		
खरा माना गया - असुरक्षित	71.95	67.44
कुल	**71.95**	**67.44**
5.2.क : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर-चालू)		
जमा - अन्य	141.71	95.81
कुल	**141.71**	**95.81**
5.2.ख : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)		
जमा - बिजली के लिए के. ई. बी.	996.01	993.20
जमा - अन्य	2.78	44.23
वसूली योग्य खाते	259.43	112.23
कुल	**1,258.22**	**1,149.66**
5.3 : निवेश		
तरल म्यूचुअल फंड	-	4,230.89
कुल	**-**	**4,230.89**

रु. लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
5.4 : व्यापार प्राप्य (चालू)		
(i) सुरक्षित जिन्हें खरा माना गया (साख पत्र द्वारा रक्षित)	8752.74	5404.84
(ii) अरक्षित जिन्हें खरा माना गया	3514.03	973.05
(iii) जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(iv) क्रेडिट खराब	-	-
कुल	**12,266.77**	**6,377.89**
5.5.क : नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों के पास शेष		
चालू खाता में	1,157.93	10,128.42
जमा खाता में (परिपक्वता 3 महीनों से कम)	34,770.00	34,164.00
जमा खाता में फ्लेक्सी (परिपक्वता 3 महीनों से अधिक)	4,855.00	5,020.00
	40,782.93	49,312.42
हाथ में नकदी	0.46	0.26
हाथ में स्टैम्प (फ्रैंक न किया गया शेष)	0.03	0.05
अन्य	15.31	11.22
	40,798.73	49,323.95
बैंकों में जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	2,181.36	2,195.49
कुल	**42,980.09**	**51,519.44**
5.5.ख : नकद व नकद समतुल्यों के अलावा बैंक शेष		
(i) अन्य बैंक शेष		
मियादी जमा पर (3 महीनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम)	107,948.00	98,925.71
बैंकों में जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	2,078.96	2,239.43
(ii) अदत्त लाभांश	1.84	2.22
कुल	**110,028.80**	**101,167.36**
6 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		
आईटीअधिनियम के तहत अस्वीकृति के कारण डीटीए,	3,832.20	4,622.36
मूल्यह्रास के कारण डीटीएल	3,605.21	5,597.39
कुल	**227.00**	**(975.03)**
7.क : वस्तुसूचियां		
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित व प्रमाणित)		
प्रचालनों के लिए		
(क) कच्चा माल	3,270.06	3,957.41
जेड़ें : मार्गस्थ कच्चा माल	5,484.20	6,983.24
	8,754.26	10,940.65
(ख) चालू कार्य	1,980.78	2,472.67
(ग) तैयार माल	10,611.58	10,751.34
(घ) भंडार और पुर्जे	3,054.68	4,040.06
जोडें: मार्गस्थ भंडार	20.12	168.67
	3,074.80	4,208.73
(ङ) उपभोज्य एवं योजक	1,263.06	2,513.24
कुल	**25,684.48**	**30,886.63**
8. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		
कर स्रोत पर कटौती	14,806.79	12,056.26
घटाएं : प्रावधान	10,991.28	8,463.86
कुल	**3,815.51**	**3,592.40**
9.क : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		
अचल भंडार - जो न्यूनतम 5 वर्षों से अप्रयुक्त हैं	2134.66	1332.67
अधिशेष भंडार	215.31	197.10

रु. लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
	2349.97	1529.77
घटाएं : अनर्जकता का प्रावधान	2349.97	1529.77
संदिग्ध परियोजनाओं के लिए व्यय		
सामग्री हैंडलिंग सुविधाएं और ठोकुर से रेलवे साइडिंग	376.63	376.63
डक्टाइल आयरन स्पन पाइप प्लांट	65.43	65.43
अन्य	311.84	311.84
	753.90	753.90
घटाएं : अनर्जकता का प्रावधान	753.90	753.90
योजनाबद्ध परिसंपत्तियां (एलआईसी प्रबंधित उपदान कोष)-नेट	227.32	542.47
कुल	**227.32**	**542.47**
9.ख : अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सांविधिक प्राधिकारियों से दावा		
रेलवे और सीमा शुल्क	0.35	-
जीएसटी इनपुट क्रेडिट, संक्रमणकालीन क्रेडिट सहित	3,093.89	2553.93
जीएसटी वापसी दावा	9.34	2506.48
वैट वापसी दावा/ इनपुट क्रेडिट	-	38.06
सीएसटी प्रतिपूर्ति	-	81.22
	3,103.58	5,179.69
अग्रिम		
पूर्तिकर्ता	4,944.31	2,379.36
अन्य	2,783.95	2,649.26
	7,728.26	5,028.62
अन्य	437.24	1,409.31
पूर्वदत्त व्यय	112.43	459.75
कुल	**11,381.51**	**12,077.37**
नोट-10 : शेयर पूंजी		
अधिकृत :	67,500.00	67,500.00
रु. 10/- प्रत्येक के 67,50,00,000 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष रु. 10/- प्रत्येक के 67,50,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता :	62,192.56	62,192.56
रु. 10/- प्रत्येक के 62,19,25,565 इक्विटी शेयर		
कुल	**62,192.56**	**62,192.56**

क) इक्विटी शेयरों से जुड़े निबंधन व अधिकार- कंपनी में केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिनका सम मूल्य रु. 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर पर एक मतदान करने के पात्र होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आंतरिक लाभांश को छोड़कर, आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर निर्भर होता है। कंपनी के परिसमापन पर, शेयरधारक अपने शेयरधारण के अनुपात में, सभी अधिमान राशियों के संवितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

ख) शेयरधारक जो कंपनी में 5% से अधिक के शेयर धारित करते हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरों की संख्या (%)	शेयरों की संख्या (%)
भारत के माननीय राष्ट्रपति	61,60,54,204 (99%)	61,60,54,204 (99%)

रुपये लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
11 : अन्य इक्विटी		
पूंजीगत आरक्षिति		
कंपनी अधिनियम ' 2013 की धारा 69 के संदर्भ में कैपिटल रिडेम्प्शन रिजर्व	1,258.82	1,258.82
सामान्य आरक्षिति		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार	123,301.47	144,701.47
घटाएं:-1,25,88,235 इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद @ रु.170 प्रत्येक	-	(21,400.00)
इंड एएस 116 का प्रभाव (कर का निवल)	(2,158.10)	

रुपये लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
	121,143.37	123,301.47
रोक रखे गए अर्जन		
01.04.2019 से प्रारंभिक शेष	11,228.56	6,085.75
वर्ष का लाभ/ (हानि)	4,347.65	11,185.87
विनियोजन		
घटाएं : डीडीटी सहित वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	-	(6,043.06)
घटाएं : डीडीटी सहित वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश	(9,971.92)	-
	5,604.29	11,228.56
अन्य व्यापक आय जिन्हें अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार रोक रखे गए अर्जन में प्रत्यक्ष रूप से अभिचित किया गया		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1414.44	324.80
जोड़े/(घटाएं) : नियोजन पश्चात के अनुलाभ हितलाभ दायित्व (कर का निवल)	(20.66)	1089.64
	1,393.78	1414.44
कुल	**129,400.26**	**137,203.28**
12.1.क : वित्तीय देयताएं (गैर चालू)		
पूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों तथा अन्य लोगों से जमा राशि		
(i) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	0.07	0.06
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि	64.18	71.65
कुल	**64.25**	**71.71**
12.1.ख : अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)		
आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार और अन्य से सुरक्षा जमा		
(i) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	71.24	96.08
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि	1,151.10	884.99
	1,222.34	981.07
प्रोद्भूत वेतन तथा कर्मचारी अनुलाभ के दावे	5,779.50	6,676.72
व्ययों का दायित्व		
(i) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	16.66	1.77
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि	1,797.35	974.40
	1,814.01	976.17
अन्य	-	4.71
कुल	**8,815.85**	**8,638.67**
12.1.ग : लीज देयता (गैर चालू)		
भूमि	11,112.69	-
भवन	17.16	-
कुल	**11,129.85**	**-**
12.1.घ : लीज देयताएं (चालू)		
भूमि	1,225.78	-
भवन	25.79	-
कुल	**1,251.57**	**-**
12.2 : व्यापार देय		
व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	71.75	72.24
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि	11,049.72	10,692.13
कुल	**11,121.47**	**10,764.37**
(क) माल के लिए	10,205.73	10,039.65
(ख) संकर्म के लिए	766.48	600.81
(ग) सेवाओं के लिए	149.26	123.91
कुल	**11,121.47**	**10,764.37**

रुपये लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
13.1.क कर्मचारी अनुलाभ दायित्व (गैर चालू)		
कर्मचारी अनुलाभ के लिए प्रावधान : गैर चालू		
अन्य अधिवर्षिता अनुलाभ	3,058.80	3,118.54
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति - ईएल	2,858.94	2,646.61
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति - एचपीएल	2,700.19	2,554.37
भविष्य निधि ब्याज गारंटी दायित्व	488.80	220.59
कुल	**9,106.73**	**8,540.11**
13.1.ख : कर्मचारी अनुलाभ दायित्व (चालू)		
कर्मचारी अनुलाभ के लिए प्रावधान: चालू		
अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति - ईएल	595.69	420.39
अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति - एचपीएल	95.19	183.73
कुल	**690.88**	**604.12**
14 : अन्य चालू देयताएं		
प्राप्त अग्रिम	1,483.63	449.26
व्ययों का दायित्व	2,711.39	2,711.40
वारंटों का नकदीकरण लंबित होने के कारण दावा न किए गए लाभांश	1.84	2.23
अन्य	200.34	125.85
कुल	**4,397.20**	**3,288.74**
15 : प्रचालनों से राजस्व (निवल)		
उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)		
पैलेट	187,897.16	182,597.20
पिग आयरन	2.40	3.37
सहायक	167.66	276.15
पिग आयरन की बिक्री	349.97	-
निवल बिक्री	188,417.19	182,876.72
सेवाओं की बिक्री	4,129.68	4,349.53
अन्य प्रचालनीय आय		
प्रावधान जिन्हें रखने की अब आवश्यक्ता नहीं है	506.62	1,162.50
किराया से आय	165.77	148.42
प्रेषण राशि	37.94	37.29
विनिमय भिन्नता	399.33	126.27
अन्य	108.26	70.24
	1,217.92	1,544.72
कुल	**193,764.79**	**188,770.97**
16 : अन्य आय		
ब्याज आय		
बैंकों की जमाराशि को परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया गया	10,314.07	11,164.67
अन्य जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया गया	403.06	331.77
अल्पकालिक पूंजीगत लब्धि-तरल म्यूचुअल फंड	608.47	527.30
अन्य गैर परिचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	38.77	37.24
भाड़ा प्रभार	3.56	0.14
रद्दी की बिक्री	519.55	365.11
अन्य	0.74	70.62
कुल	**11,888.22**	**12,496.85**

रुपये लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
17.क : वस्तुसूचियों में परिवर्तन (बढोत्तरी)/कमी		
तैयार स्टॉक-पैलेट		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	10,751.34	6,945.55
घटाएं: वर्ष के अंत में शेष	10,611.58	10,751.34
	139.76	(3,805.79)
तैयार स्टॉक - पैलेट फीड		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,472.67	2,247.61
घटाएं: वर्ष के अंत में शेष	1,980.78	2,472.67
	491.89	(225.06)
कुल	**631.65**	**(4030.85)**
17.ख : उपभोज्य स्टोर पुर्जे और योजक		
खपत किए गए स्टोर व पुर्जों की लागत	3,051.81	3,921.26
खपत उपभोज्य एवं योजकों की लागत	5,201.26	4,886.14
कुल	**8,253.07**	**8,807.40**
18 : कर्मचारी अनुलाभ व्यय		
वेतन और मजदूरी	13,597.71	14,112.12
भविष्य निधि में अंशदान	1,365.45	1,191.80
उपदान निधि में अंशदान	316.15	561.54
अन्य अधिवर्षिता अनुलाभ के लिए योगदान	927.46	-
स्टाफ कल्याण व्यय	733.13	955.80
कुल	**16,939.90**	**16,821.26**
19 : अन्य व्यय		
किराया	121.99	1,307.05
दर व कर	232.99	254.68
बीमा प्रभार	61.56	69.16
यात्रा व्यय	166.79	184.45
मरम्मत व रख-रखाव		
भवन	343.85	440.91
मशीनरी	1,033.82	1,187.82
अन्य	196.53	132.28
	1,574.20	1,761.01
डाक व टेलीफोन प्रभार	25.95	32.90
विज्ञापन व प्रचार	89.97	86.96
सुरक्षा पर व्यय	1,299.83	932.11
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षा के लिए	7.75	7.00
कराधान मामलों के लिए	1.50	1.25
अन्य सेवाओं के लिए	1.10	0.90
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	1.00	1.00
	11.35	10.15
लागत लेखा परीक्षा शुल्क एवं प्रतिपूर्ति व्यय	0.50	0.50
निर्यात पर डेमरेज	1.60	0.20
पत्तन प्रभार, नमूने का सर्वेक्षण तथा उपकर	1,353.66	1,089.10
बिलों के डिस्काउंट सहित बैंक प्रभार	20.84	30.17
मनोरंजन	9.82	6.13
वन, पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण नियंत्रण के व्यय	79.28	90.56
निदेशकों का बैठक शुल्क	11.05	9.65

रुपये लाख में

विवरण	यथा तिथि 31 मार्च, 2020	यथा तिथि 31 मार्च, 2019
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	331.42	32.51
अधिशेष स्टोर्स, डीडीआर एवं अन्य का प्रावधान	820.20	-
विविध व्यय	604.16	681.56
कुल	**6,817.16**	**6,578.85**
20 : वित्त लागत		
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	19.70	80.26
प्रचालन पट्टा पर ब्याज	938.98	-
आय कर पर ब्याज	38.18	-
कुल	**996.86**	**80.26**
नोट-21 : कर व्यय		
चालू कर	2,377.12	4,357.88
पूर्व के वर्ष (निवल)	112.12	-
आस्थगित कर	(469.25)	2,868.44
कुल	**2,019.99**	**7,226.32**
22 : अन्य व्यापक आय		
मद जो लाभ व हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		
लिक्विड म्यूचुअल फंड पर अनारक्षित लाभ		
निर्धारित अनुलाभ योजना का पुनर्मापन	(172.97)	1980.06
घटाएं: परिसंपत्तियां सीलिंग में बदलाव पैरा 64 (ख) इंड एएस 19 के तहत	145.36	(305.14)
घटाएं : उपरोक्त पर कर (व्यय)/लाभ	6.95	(585.28)
कुल	**(20.66)**	**1,089.64**

नोट 23 - उत्पादन का मूल्य, स्टॉक, खपत, निर्यात व्यय का मूल्य तथा विदेशी मुद्रा अर्जन संबंधी जानकारी

विवरण	31.03.2020 की चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े		
	लौह अयस्क कंसेंट्रेट (रु.लाख में)	"लौह अयस्क पैलेट" (रु.लाख में)	पिग आयरन (रु.लाख में)
वास्तविक उत्पादन	शून्य	187,757.39	-
	(शून्य)	(186,603.61)	-
प्रारंभिक स्टॉक	शून्य	10,751.34	-
	(शून्य)	(6,945.55)	-
अंतिम स्टॉक	शून्य	10,611.58	-
	(शून्य)	(10,751.34)	-
बिक्री (सकल)	शून्य	187,897.16	170.06
	(शून्य)	(182,597.20)	(279.52)

नोट:

क) पिग आयरन में सहायक सामग्री शामिल है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं।

टिप्पणी -22 जारी....

विवरण	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े, 31-03-20-2020			पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े, 31-03-2019		
	प्रमात्रा (मी. टन)	रु. लाख में	%	प्रमात्रा (मी.टन)	रु. लाख में	%
कच्चे माल की खपत						
आयातित : लौह अयस्क	259,320	19,876.22	14.39%	146,250	10,205.38	7.93%
स्वदेशी : लौह अयस्क फाइन (चालू)कार्य)	2,115,680	118,286.37	85.61%	2,091,750	118,568.40	92.07%
कुल	**2,375,000**	**138,162.59**	**100.00%**	**2,238,000**	**128,773.78**	**100.00%**
स्टोर, पुर्जों तथा ईंधन की खपत						
आयातित		6,288.17	34.73%		12,704.85	65.24%
स्वदेशी		11,818.67	65.27%		6,769.89	34.76%
कुल		**18,106.84**	**100.00%**		**19,474.74**	**100.00%**
निम्नलिखित के तहत शामिल -						
स्टोर व पुर्जे		3,060.21			3,921.27	
ईंधन		15,045.57			15,552.36	
कल्याण व्यय		1.06			1.11	
कुल		**18,106.84**			**19,474.74**	
उपभोज्य व योजकों की खपत						
आयातित :						
चूना पत्थर	60,263	822.33	15.81%	54,508	698.38	14.31%
कोयला फाइन	38,353	3,561.93	68.48%	30,718	3,091.83	63.34%
कुल (क)		**4,384.26**			**3,790.21**	
स्वदेशी :						
बेन्टोनाइट	15,614	556.64		17,937	604.42	
कोयला फाइन	1,106	113.80	15.71%	2,562	286.06	22.36%
जला चूना पत्थर	2,442	146.55		3,594	200.79	
चूना पत्थर				-	-	
कुल (ख)		**817.00**			**1,091.27**	
कुल (क + ख)		**5,201.26**	**100.00%**		**4,881.48**	**100.00%**
विदेशी मुद्रा में उपगत खर्च (विप्रेषण आधार पर)						
यात्रा		5.56			11.42	
अन्य व्यय		35.35			581.39	
निर्यात पर डेमरेज					3.81	
सीआईएफ आधार पर निर्यात का मूल्य						
कच्चा माल		19,876.22			15,199.11	
घटक व सहायक पुर्जे		495.89			1,041.22	
घटक व सहायक पुर्जे		9,305.46			17,992.09	
कुल व्यय		**29,718.49**			**34,829.04**	
विदेशी मुद्रा में अर्जन (प्राप्ति आधार पर)						
माल का निर्यात (एफ.ओ.बी.)						
(रुपए लाख में)		157,413.03			124,697.88	
उक्त का समतुल्य (यूएस $ मिलियन में)		222.45			178.45	
कुल अर्जन		**157,413.03**			**124,697.88**	
विदेशी मुद्रा अर्जन का निवल		**127,694.54**			**89,868.84**	

नोट 24: वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग वाले अन्य नोट

1. पूंजी प्रतिबद्धता एवं आकस्मिक /विवादित देयता

क्र.सं.	विवरण	31.3.2020 की स्थिति (रुपये लाख में)	31.3.2019 की स्थिति (रुपये लाख में)
क.	पूंजी खाते में से निष्पादित किए जाने वाले तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल)	5,034.32	4,355.14
ख.	प्रावधान न की गई आकस्मिक देयताएं :		
	1. साख पत्र तथा बैंक गारंटियों इत्यादि के संबंध में बकाया		
	• राजस्व खाते में	840.30	6,782.46
	• पूंजी खाते में	-	-
	2. नामे के रूप में स्वीकृत न किए गए कम्पनी के प्रति दावे		
	• राजस्व खाते में *	50,563.14	51,046.12
	• पूंजी खाते में	14,986.15	15,006.15

(*इसमें लौह अयस्क के आधारभूत मूल्य पर 12% की दर से वन विकास कर (एफडीटी) के रूप में 11,057.62 लाख रुपये की राशि शामिल है। आपूर्तिकर्ता एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के इसके उद्ग्रहण के संबंध में रिट याचिका दायर की गई है। इस मामले का समाधान दिनांक 3.12.2015 के आदेश के माध्यम से कर्नाटक सरकार को वन विकास कर की धनवापसी तीन माह के भीतर किए जाने के निदेश के साथ कर दिया गया है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि कर्नाटक सरकार द्वारा माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख विशेष लीव याचिका प्रस्तुत की गई है। मामला दिनांक 9.8.2019 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था तथा माननीय न्यायालय द्वारा अपील पर सुनवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश पर एनएमडीसी द्वारा पहले संग्रहित की गई 2,617.43 लाख रुपये की राशि को लेखा बहियों में ''अन्य चालू परिसम्पतियों'' के रूप में दर्शाया गया है तथा इसके संबंध में एनएमडीसी को दी गई 2,734.87 लाख रुपये की बैंक गारंटी को आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

3. राजस्व लेखा में अपील के प्रति विवादित देयताएं

- उत्पाद शुल्क 5,848.31 लाख रुपये
- सेवा शुल्क 60.77 लाख रुपये

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सेवा कर के खाते की विवादित देयताओं का समाधान ''सबका विकास योजना, 2019'' के अंतर्गत किया गया है तथा 29.54 लाख रुपये के लिए 8.86 लाख रुपये (अपील दायर करते समय चुकता की गई राशि सहित) का भुगतान विवादित सेवा कर देयता के रूप में किया गया है।

ग. आयकर विभाग की मांग, जो कम्पनी द्वारा विवादित है तथा प्रत्येक मांग के प्रति विरोध सहित निम्नानुसार भुगतान किए गए हैं:

मूल्यांकन वर्ष	विवादित मांग (रुपये लाख में)	चुकता राशि (रुपये लाख में)	31.03.2020 को शेष (रुपये लाख में)	कहां लंबित है
2013-14	440.32	456.22	-	आयकर आयुक्त (अपील)
2014-15	192.96	192.94	-	
2017-18	59.82	207.41	-	

कम्पनी के मूल्यांकन के अनुसार पहले से ही किए गए प्रावधान के अलावा अन्य कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

घ. कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अंतर्गत 383.76 लाख रुपये की राशि की कर मांग के संबंध में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 के लिए तथा 134.36 लाख रुपये कर राशि के संबंध में मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए, मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष बकाया ब्याज सहित, करयोग्य आय के आकलन के प्रति चूक के लिए संशोधन की अनुमति मांगी गई है।

2. कुद्रेमुख खान स्थल पर खनन परिचालन समाप्त किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा लौह अयस्क की प्राप्ति एनएमडीसी खानों से करके उसका परिवहन मंगलौर में स्थित अपने संयंत्र तक के लिए रेल अथवा रेल एवं समुद्री मार्ग से किया जा रहा है।

दूरी आधारित प्रभार (डीबीसी) केवल लौह अयस्क फाइन्स एवं लम्प्स के लिए है जिनका प्रत्यक्ष निर्यात किया जाता है तथा यह तैयार उत्पादों के निर्माण एवं बाद में उनके निर्यात के लिए इस्पात संयंत्रों उपयोग में लाए जाने वाले लौह अयस्क के लिए नहीं है। यह पिग आयरन तथा स्पोंज आयरन उद्योग के लिए भी लागू नहीं है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे की 14,463.93 लाख रुपये की मांग के प्रति, केआईओसीएलद्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के सम्मुख रिट याचिका फाइल की गई थी। यह याचिका अस्वीकृत कर दी गई थी तथा केआईओसीएलने रिट याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए रिट अपील फाइल की थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माने की राशि के अलावा मांग की 50% राशि जमा करने की शर्त के साथ दूरी आधारित प्रभार पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। तदनुसार, 8,325.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया था तथा 6,138.77 लाख रुपये की राशि के प्रावधान बहियों में किए गए हैं।

इसी प्रकार, पूर्वी कोस्ट रेलवे की 10,361.38 लाख रुपये की मांग, जिसका भुगतान मालभाड़ा समझकर पहले से कर दिया गया था, 6,740.94 लाख रुपये आंकी गई है जिसके लिए केआईओसीएल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की थी तथा उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माने की राशि के अलावा मांग की 50% राशि जमा करने की शर्त के साथ दूरी आधारित प्रभार पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। इसके संबंध में आंकी गई देयता के लिए कम्पनी द्वारा 5,188.86 लाख रुपये चुकता कर दिए गए हैं तथा शेष 1,552.08 लाख रुपये की राशि के प्रावधान बहियों में किए गए हैं।

दोनों ही मामले अभी लिस्ट नहीं किए गए हैं। रेलवे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतरण याचिका फाइल की गई है तथा दोनों मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है।

3. कम्पनी द्वारा 1.4.2007 से 21.5.2008 के दौरान कम्पनी की 2006 में कमीशन की गई पानंबूर, मंगलूरु में स्थित निजी रेलवे साइडिंग के माध्यम ले जाए गए 573 रैक्स के संबंध में दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) से 6,877.86 लाख रुपये की राशि के संकुचन प्रभार की धनवापसी का दावा किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा अब तक 2,725.39 लाख रुपये की धनवापसी की गई है जिसमें 206.70 लाख रुपये की दूरी आधारित प्रभार की समायोजित राशि शामिल है। कम्पनी ने शेष 4,152.70 लाख रुपये की राशि ब्याज के साथ धनवापसी के लिए रेलवे दावा ट्रिब्यूनल (आरसीटी), बेंगलूरु से सम्पर्क साधा गया है। ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिनांक 7.12.2018 के आदेश के माध्यम से दावे को स्वीकार किया गया है तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे को दावे का भुगतान 6% ब्याज के साथ आकलन करके करने का आदेश दिया गया है तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा इस आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में 1.4.2019 से 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने ट्रिब्यूनल के इस आदेश के प्रति माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय मे दिनांक 11.4.2019 को मामला संख्या एमएफए/3165/2019 के अंतर्गत याचिका दायर की गई है। कम्पनी ने इस आय को कम्पनी की बकाया प्राप्तियों से संबधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1.5 के अनुसरण में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

कोंकण रेलवे द्वारा कम्पनी को कम दूरी वाले मार्ग अर्थात हसन-मंगलुरू के स्थान पर कोंकण मार्ग से रैको की मूवमेंट के रियायती मालभाड़े का प्रस्ताव दिया गया है जो कम्पनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा कोंकण मार्ग के लिए 110 रैक बुक किए गए थे। बाद में कोंकण रेलवे द्वारा 92 रैक्स पर मालभाड़ा रियायत की अनुमति दी थी तथा 18 रैक्स कम दूरी वाले मार्ग अर्थात हसन-मंगलुरू मार्ग से भेजे गए थे। इस पर कम्पनी द्वारा दक्षिण पश्चिम रेलवे के सम्मुख मालभाड़े की दर में भिन्नता के प्रति 254.45 लाख रुपये की राशि का दावा प्रस्तुत किया गया था। तथापि, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने इस राशि की धनवापसी नहीं की है जिसके लिए कम्पनी ने आरसीटी, बेंगलूरु के सम्मुख 254.45 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया गया है। ट्रिब्यूनल ने इस दावे को खारिज कर दिया है तथा कम्पनी ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के सम्मुख मामले की अपील की गई है जो अभी लंबित है।

पूर्वी कोस्ट रेलवे द्वारा 15.4.2008 से 21.5.2008 की अवधि के दौरान रैक्स ले जाने के संबंध में 30% संकुचन अधिभार के स्थान पर 100% संकुचन अधिभार का संग्रहण किया गया था। कम्पनी ने 26 रैक्स के लिए वसूल किए 70% अधिक अधिभार के लिए 436.83 लाख रुपये की राशि की धनवापसी का अनुरोध किया था। पूर्वी कोस्ट रेलवे द्वारा इस राशि की धनवापसी न किए जाने के कारण कम्पनी ने आरसीटी, भुवनेश्वर के सम्मुख 436.83 लाख रुपये की धनवापी ब्याज के साथ प्राप्त करने का दावा किया है। ट्रिब्यूनल ने इस दावे को खारिज कर दिया था तथा कम्पनी ने इसके प्रति माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के सम्मुख अपील प्रस्तुत की है जो अभी लंबित है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में कुद्रेमुख में 1 जनवरी, 2006 से खनन क्रियाकलाप बंद कर दिए गए थे। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा कुद्रेमुख लौह अयस्क खान के संबंध में अंतिम खान बंदी योजना (आईबीएम) को अनुमोदित किया गया था तथा इसकी सूचना दिनांक 6.5.2005 के पत्र क्रमांक एमएस/सीएमजी/एफई-38-52 के माध्यम से भेजी गई थी। खान को बंद करने के समय कम्पनी द्वारा निदेश जारी किए जाने की प्रार्थना के साथ, अन्यों सहित, खान की संरक्षा एवं स्लोप स्थिरता के उद्देश्य के लिए अपेक्षित 54.01 हेक्टर भूमि के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने की याचिका प्रस्तुत की गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय (दिसम्बर, 2006) में आईआईटी, दिल्ली को अन्यों के साथ साथ स्लोप्स की स्थिरता का पुन: विश्लेषण करने, खान बंदी योजना का खाका तैयार करने, उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन करने तथा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत शर्तें तैयार करने, 'अन-ब्रोकन क्षेत्र में नगण्य अथवा न्यूनतम बाधा उत्पन्न करने' के बुनियादी संगत आर्दश निर्मित करने के लिए वैश्विक निविदा जारी करने के निदेश दिए गए थे।

उपर्युक्त से संबंधित उद्देश्य का व्यय कम्पनी द्वारा चुकता किए गए 1,900 लाख रुपये में से किया जाना था जो कि वर्तमान में तदर्थ अनुपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के पास रखे हुए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1,900 लाख रुपये से अधिक किसी राशि की अपेक्षा होने की स्थिति में एजेंसी अथवा पदनामित अधिकारी को आवश्यक निदेशों के लिए न्यायालय से सम्पर्क करने के निदेश भी दिए गए हैं।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7.2.2014 के पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय खान नियंत्रक, आईबीएम बंगलौर को कुद्रेमुख लौह अयस्क खानों का कब्जा प्राप्त करने के लिए 'पदनामित अधिकारी' नियुक्त किया गया था। तदनुसार, कम्पनी द्वारा दिनांक 3.4.2014 को क्षेत्रीय खान नियंत्रक, आईबीएम, बंगलौर को कुद्रेमुख लौह अयस्क खानों का कब्जा सौंप दिया गया था।

इसके पश्चात, आईबीएम, बंगलौर तथा आईआईटी, दिल्ली के अधिकारियों ने दिनांक 20.5.2014 को खान स्थल की जांच की थी जिसमें आईआईटी दिल्ली ने यह मत व्यक्त किया था कि पर्यावरण एवं संरक्षा कारकों को विचार में रखते खान को बंद करने से संबंधित अवशेष कार्य मूल संकल्पना की तुलना में काफी कम है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा शक्तिप्राप्त केन्द्रीय समिति (सीईसी) चुकता की गई तथा सीएएमपीए के पास रखी 1,900 लाख रुपये की राशि को पर्याप्त समझा गया है। उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी ने 600 लाख रुपये की राशि के प्रावधान भी कर लिए हैं जो खान बंदी से संबंधित व्यय के लिए पर्याप्त होंगे तथा इसके अलावा, अन्य कोई देयता आवश्यक नहीं समझी गई है।

5. दिनांक 1.7.2017 से प्रभावी अधिकारियों का वेतन संशोधन चालू वर्ष में प्रभावी हुआ है। प्रावधानों का पुन:मूल्यांकन कर लिया गया है तथा शेष प्रावधान समाप्त करके उन्हें ''अन्य प्रचालन आय' में अनापेक्षित प्रावधान के अंतर्गत दर्शाया गया है। गैर-अधिशासी कर्मचारियों से संबंधित 1.1.2017 से प्रभावी वेतन एवं भत्तों के वेतन में संशोधन निदेशक मंडल द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिए गए थे तथा तदनुसार प्रावधानों का पुन:मूल्यांकन किया गया है तथा वर्ष के दौरान प्रावधान की गई अतिरिक्त राशियों को ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किया गया है।

6. संयंत्र सम्पति एवं उपकरण (पीपीई) में कुद्रेमुख में स्थित 114.31 हेक्टर माप की वह भूमि शामिल है जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 1.1.2006 से खनन परिचालन बंद कर दिए गए हैं। यह भूमि न तो निवेश सम्पति (इंड एएस40) के अंतर्गत आती है क्योंकि इसका धारण पूंजी संवर्धन के लिए नहीं किया गया है और न ही यह बिक्री के धारित परिसम्पति (इंड एएस 105) के अंतर्गत आती है। इस भूमि से संबंधित निर्णय शक्ति प्राप्त केन्द्रीय समिति (सीईसी) के सम्मुख विचाराधीन है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से पारगमन के साथ 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अंगीकार किया गया है। इंड एएस 101 के प्रावधान के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी प्रत्येक ''सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण'' का वहन मूल्य इंड एएस में पारगमन किए जाने की तिथि से आईजीएएपी के अंतर्गत किए गए मापन के अनुसार स्वीकार किया है तथा इसे कमीशन किए जाने के दायित्वों से संबंधित आवश्यक समायोजनों के पश्चात पारगमन की तिथि की इसकी विचारित लागत का उपयोग किया है।

7. कुछ परिसम्पतियों के अलावा, जिनके संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर दरें उच्चतर मानी गई हैं, स्थिर परिसम्पतियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

सड़कों, पुलों तथा पुलियों, टाउनशिप, फर्नीचर एवं जुड़नार, कम्प्यूटरों, वाहनों के अलावा अन्य परिसम्पतियों को उनके शेष मूल्य पर स्वीकार किया गया है जो तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार उनके शेष उपयोज्यता काल के अवशेष मूल्य से कम करके आंकी गई है। अवशेष मूल्यों की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है । दिनांक 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार संयंत्र के भवनों सहित, जो अतरंग भाग हैं, परिसम्पतियों के अवशेष मूल्यों में पैल्लेट संयंत्र एवं ब्लास्ट फर्नेस यूनिट का अनुमानित काल 8 वर्ष, कैप्टिव पावर संयंत्र का 15 वर्ष तथा ग्राइंडिंग एवं बॉलिंग यूनिट सहित पोर्ट सुविधाओं के लिए 10 वर्ष आंका गया है। तथापि, ब्लास्ट फर्नेस यूनिट का तकनीकी मूल्यांकन समिति वर्ष 2016-17 के दौरान उपयोज्यता काल 1.4.2016 से 10 वर्ष आंका गया है। उपर्युक्त यूनिटों की संयंत्र एवं मशीनरी में वर्ष के दौरान किए गए आवर्धन भी उन्हीं उपयोज्यता कालों के अनुसार सीमित हैं।

अन्य परिसम्पतियों का मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में किए गए निर्देशन के अनुसार किया गया है।

अंगीकार किए गए परिसम्पतियों के मूल्य तथा मूल्यह्रास की दरों की तुलना में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की दरों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

परिसम्पति का स्वरूप	कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार (चालू किए जाने की तिथि से)		केआईओसीएल समिति की प्रस्तावना के अनुसार (01.04.2014 से)	
	उपयोज्यता काल	मूल्यह्रास %	उपयोज्यता काल	मूल्यह्रास %
संयंत्र एवं मशीनरी:				
पीएफ-निरंतर प्रक्रिया	25	3.80	10	9.50
पीएफ-गैर निरंतर	15	6.33	10	9.50
पीपी- निरंतर प्रक्रिया	25	3.80	8	11.88
पीपी- गैर निरंतर	15	6.33	8	11.88
सीपीपी	40	2.38	15	6.33
बीएफयू	20	4.75	10	9.50

अन्य परिसम्पतियों यथा टाउनशिप भवन, सड़के – आरसीसी एवं आरसीसी के अलावा, फर्निचर एवं जुड़नार – सामान्य, फर्नीचर एवं जुड़नार – कैंटीन एवं गेस्ट हाउस, मोटर वाहन, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर – सामान्य एवं कम्प्यूटर – सर्वरों का उपयोज्यता काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अंगीकार किया गया है।

मूर्त स्थिर परिसम्पतियों से संबंधित घटक लेखांकन की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जहां परिसम्पति के किसी भाग की लागत परिसम्पति की कुल लागत के प्रति अधिक महत्वपूर्ण है तथा उस भाग का उपयोज्यता काल प्रधान परिसम्पति के उपयोज्यता काल से भिन्न है तो उस महत्वपूर्ण भाग का निर्धारण मूल्यह्रास प्रभार के लिए अलग से आकलन के लिए उपयोग किया गया है।

8. इंड एएस 16, सम्पति संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख रुपये में)
1	अस्थाई रूप से अनुपयोगी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि	-
2	अभी भी उपयोग में लाई जा रही पूरी तरह से मूल्यह्रासित किसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की सकल वहन राशि	184.77
3	इंड एएस 105 के अनुसार सक्रिय उपयोग से हटाई गई तथा बिक्री के लिए वर्गीकृत न की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि	-
4	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का उचित मूल्य, जब वह सामग्रीगत रूप में वहन राशि से भिन्न हो	82,095.60

9. कुद्रेमुख में खनन क्षेत्र की कुल 4,605.02 हेक्टर भूमि में वन भूमि तथा कम्पनी की फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा 1,220.03 हेक्टर की सरकार की राजस्व भूमि भी शामिल है। क्षेत्रीय खान नियंत्रक आईबीएम, पदनामित द्वारा अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.2006 के आदेशों के अनुपालन में खान बंदी क्रियाकलापों के निर्वाह के लिए दिनांक 3.4.2014 को पूरे खनन पट्टा क्षेत्र का कब्जा प्राप्त किया गया है। तथापि, राजस्व भूमि पर स्थित अवसंरचना एवं भवन तथा कम्पनी की सम्पति की अन्य भूमि के भौतिक कब्जे खान बंदी क्रियाकलाप पूरे होने तक धारण किए जाते रहेंगे। वर्ष 2013-14 तक राजस्व भूमि के भूमि रिकार्ड कम्पनी के नाम से हैं। इसी दौरान कर्नाटक सरकार राजस्व रिकार्ड में से कम्पनी का नाम हटाकर परिवर्तन किए गए हैं। जिसके लिए कम्पनी को बाध्य होकर उक्त राजस्व भूमि के कब्जे से बेदखल किए जाने के कारण सरकार तथा अन्यों के प्रति सिविल जज न्यायालय, मुडीगेरे में निषेधाज्ञा के प्रति अनुरोध फाइल करना पड़ा है। न्यायालय द्वारा इसके लिए दलीलों की सुनवाई की गई थी तथा दिनांक 5.11.2013 को जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों तथा उनके अध्याधीन अन्य प्रत्येक को मुकदमें का निपटान होने तक अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित रूपात्मकता के कार्य पूरे होने तथा कार्यान्वित होने तक किसी भी विधि से कम्पनी को अनुसूचित सम्पति (अर्थात राजस्व भूमि) बेदखल न करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। यह मुकदमा दिनांक 20.11.2017 को खारिज हो गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में आईबीएम के पदनामित अधिकारी द्वारा खान में खान बंदी क्रियाकलापों के लिए कब्जा प्राप्त की गई वन भूमि, राजस्व भूमि, कम्पनी की अपनी स्वयं की भूमि तथा भूमि से युक्त 4,605.02 हेक्टर की सम्पूर्ण भूमि को विचार में लेकर भौतिक कब्जा कम्पनी के पास होते हुए भी कम्पनी द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान विवेकसम्मत विचार से अपनी सभी टाउनशिप परिसम्पतियों का मूल्यह्रास कर लिया गया है।

10. पट्टे :

इंड एएस-116 में पारगमन :

1 अप्रैल, 2019 से कम्पनी द्वारा इंड एएस 116, पट्टे को अंगीकार किया गया है तथा 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टों के लिए संशोधित पूर्वव्यापी विधि तथा प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को धारित आय पर इसके मानक उपयोग किए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं को शेष पट्टा भुगतानों की आवर्धित ऋण दर पर छूट प्रदान करके उनके वर्तमान मूल्य पर तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों को उनके वहन मूल्य, परन्तु प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को कम्पनी की आवर्धित ऋण दर पर छूट प्रदान करके, पर इस प्रकार रिकार्ड में लिया गया है कि जैसे ये मानक पट्टे के प्रारंभ की तिथि से लागू हों।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार तथा उसके संबंध में तुलनात्मकता का पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजन नहीं किया गया है तथा तदनुसार इन्हें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के भाग में शामिल हमारी वित्तीय विवरणों की लेखांकन नीतियों के अनुसार रिपोर्ट किया जाता रहेगा।

पट्टा देयताओं का मापन :

(रुपये लाख में)

विवरण	राशि
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रकटन की गई परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं *	29,808.97
8.20% की समूह की आवर्धित ऋण दर के उपयोग से प्रदान की गई छूट	12,610.40
(घटाएं): व्यय के रूप में सीधी रेखा आधार पर स्वीकृत अल्पकालिक पट्टे	-
(घटाएं): व्यय के रूप में सीधी रेखा आधार पर स्वीकृत न्यून मूल्य पट्टे	-
(घटाएं): सेवा अनुबंधों के अंतर्गत पुन: मूल्यांकन किए गए अनुबंध	-
जोड़ें/(घटाएं): विस्तार एवं समापन के विकल्प के भिन्न उपचार के परिणामस्वरूप समायोजन	-
जोड़ें/(घटाएं): अन्य	65.46
1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पट्टा देयता	12,675.86
जिनमें से	
भूमि	12,610.40
अन्य परिसम्पतियां	65.46

*नोट :- पारगमन तिथि की पट्टा प्रतिबद्धता के अनुमान 2018-19 के वार्षिक लेखों में प्रकटीकरण की गई 29,741.18 लाख रुपये की राशि की तुलना में 29,808.97 लाख रुपये हैं।

पारगमन से नए मानक को अंगीकार करने के परिणामस्वरूप 10,749.05 लाख रुपये की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति तथा 12,675.86 लाख रुपये की पट्टा देयता की स्वीकृति हुई है। मानक को उपयोग में लाए जाने के संचयी प्रभाव से 2,158.10 लाख रुपये की राशि के कर निवल नामे धारित आय में किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष के वित्त पर निम्नानुसार अतिरिक्त प्रभाव हुआ है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति
मूल्यह्रास के लेखे में व्यय	560.72
पट्टा देयताओं पर ब्याज	938.98

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति
पट्टा किराया भुगतान पर उपचय	(1239.45)
कुल	(260.25)

इंड एएस 116 के परिणामस्वरूप परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में वृद्धि हुई है तथा पट्टा भुगतानों के कारण वित्तीय क्रियाकलापों में से नकदी बर्हिप्रवाह में वृद्धि हुई है।

नीचे प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यावहारिक उपायों का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है:-

1. समान प्रकार के आर्थिक परिवेश वाली समान प्रकार की अंत तिथि की समान प्रकार की परिसम्पतियों पट्टा पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर का उपयोग किया गया है।
2. प्रारंभिक उपयोज्यता से 12 माह से कम पट्टा काल की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं देयताओं को पट्टे के रूप में स्वीकृति न दिए जाने की छूट का उपयोग किया गया है।
3. प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि से उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को हटा दिया गया है।
4. पट्टे के संव्यवहारों का मूल मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। तदनुसार, इंड एएस 116 केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए उपयोग में लाया गया है जो पहले इंड एएस 17 के अंतर्गत संज्ञान में लिए गए थे।

   31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के नोट 23.1 में इंड एएस 17 के अंतर्गत प्रकटीकरण किए पट्टा दायित्व तथा 1 अप्रैल 2019 की पट्टा देयता के मध्य के अंतर मुख्यत: इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा देयता के मापन के लिए औचित्यपरक निश्चितता पर उपयोग में लाए जाने वाले विस्तार एवं समापन के विकल्प को शामिल करने तथा इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा के वर्तमान मूल्य पर छूट दिए जाने के कारण है।

   एनएमपीटी पट्टा देयताओं के लिए 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गई आवर्धित ऋण दर की भारित औसत @ 8.20% तथा कार्यालय एवं गेस्ट हाउस के पट्टे के लिए @8.45% है।

   31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के वहन मूल्य के परिवर्तन नीचे दिए गए हैं।

(रुपये लाख में)

विवरण	उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का वर्ग		कुल
	भूमि*	भवन	
1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार उपयोग अधिकार की स्वीकृति	10,686.95	62.10	10,749.05
आवर्धन	-	28.16	28.16
विलोपन	-	(15.48)	(15.48)
मूल्यह्रास	(527.33)	(33.39)	(560.72)
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	10,159.62	41.39	10,201.01

* उपयोग अधिकार वाली भूमि में 99 वर्ष के लिए पट्टाधारित वह भूमि भी है जो कम्पनी द्वारा पट्टा प्रारंभ के समय अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम का भुगतान करके प्राप्त की गई है।

उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास व्यय के कुल योग को लाभ एवं हानि विवरण में मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय में शामिल किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार चालू एवं गैर-चालू पट्टा देयताओं का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति
चालू पट्टा देयताएं	1,251.57
गैर – चालू पट्टा देयताएं	11,129.85
कुल	12,381.42

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं के संचलन का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
1 अप्रैल, 2019 को पारगमन पर स्वीकृत पट्टा देयताएं	12,675.86
आवर्धन	28.16
अवधि के दौरान वित्त लागत उपचय	938.98
विलोपन	(16.74)
पट्टा देयताओं के भुगतान	(1,244.84)
अंत शेष	12,381.42

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं का विवरण गैर-छूट आधार पर नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति
एक वर्ष से कम	शून्य
एक से पांच वर्ष	585.12
पांच वर्ष से अधिक	28,101.06
कुल	28,686.18

पट्टा देयताओं की कभी भी देयता की पूर्ति के लिए चालू परिसम्पतियां पर्याप्त पाए जाने को विचार में लेकर अपनी पट्टा देयताओं से सम्बद्ध महत्वपूर्ण नकदी जोखिम कम्पनी के सम्मुख नहीं है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों के लिए किराया व्यय 206.62 लाख रुपये रिकार्ड किया गया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन पट्टे पर दी गई परिसम्पतियों की किराया आय 152.00 लाख रुपये है।

11. कम्पनी के पास नए मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट से दीर्घकालिक पट्टे पर प्राप्त कुल 386,691 वर्ग मीटर की भूमि के 9 भूखंड का धारण है।

नीचे उल्लिखित भूमि के चार भूखंडों के पट्टों, जो कि कालातीत हो गया है तथा पंजीकरण के लिए लंबित है, को कम्पनी द्वारा मैसर्स एनएमपीटी को पट्टा विस्तार करने का अनुरोध किए जाने तथा इसके संबंध में उनके द्वारा विचार किए जाने एवं वार्षिक पट्टा किराया का भुगतान जारी रखने तथा उसकी पावती एवं स्वीकृति मैसर्स एनएमपीटी द्वारा किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए ''जारी पट्टा'' माना गया है:

क. पोर्ट सुविधाओं के लिए ली गई 213,783 वर्ग मीटर भूमि

ख. लौह अयस्क फाइन्स के भंडारण के लिए ली गई 9,120 वर्ग मीटर भूमि

ग. पैल्लेट भंडारण यार्ड के लिए ली गई 27,008 वर्ग मीटर भूमि तथा

घ. कैप्टिव पावर संयंत्र के लिए ली गई 21,270 वर्ग मीटर भूमि

12. कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 23.1.2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17ए के प्रावधानों के अंतर्गत बेल्लारी जिले की देवाद्री रेंज में 470.40 हेक्टर क्षेत्र को लौह अयस्क एवं मैंगनीस अयस्क खनन पट्टा केआईओसीएल के लिए आरक्षित किया गया है।

कम्पनी खनन पट्टा प्रलेख का अपने पक्ष में पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया कर रही है। इस प्रक्रिया के लिए कम्पनी को पूर्व अपेक्षित सांविधिक क्लीयरेंस जैसे कि खनन योजना, पर्यावरण क्लीयरेंस एवं वन क्लीयरेंस प्राप्त करनी हैं।

अब तक केवल क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, बंगलौर द्वारा खनन योजना के लिए पंजीकरण किया गया है। शेष दो प्रक्रियाओं के संबंध में संबंधित विभागों के साथ प्रक्रिया की जा रही है।

तथापि, खनन अधिकारों के अधिग्रहण से सम्बद्ध व्ययों सहित व्यावसायिक शुल्क, खनन पट्टा प्रलेख के निष्पादन से पूर्व संसाधन शुक्ल की 84.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 63.81 लाख रुपये) की राशि को ''अधिग्रहण के अधीन खनन अधिकार'' माना गया है तथा इसका वर्गीकरण नोट संख्या 3.3 के माध्यम से 'विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां' के अंतर्गत किया गया है।

13. मालसूचियां :

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) – 2, ''मालसूचियों का मूल्यन' के अनुसार मालसूचियों के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्रियां एवं अन्य आपूर्तियों से उत्पन्न तैयार माल को यदि लागत पर अथवा अधिक लागत पर बेचा जाना संभावित है तो उसका प्रलेखन लागत से कम पर नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि सामग्रियों के मूल्य में कमी आने की स्थिति में तथा तैयार माल की लागत निवल प्राप्य मूल्य से बढ़ जाने की स्थिति में सामग्रियों को निवल प्राप्य मूल्य पर प्रलेखित किया गया है।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित मालसूचियों का मूल्यन निवल प्रतिस्थापन लागत पर किया गया है तथा इसका समान प्रभाव वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है:-

(रुपये लाख में)

वर्ग	31 मार्च 2020 की स्थिति	31 मार्च, 2019 की स्थिति
लौह अयस्क (अर्द्ध-तैयार सहित) एवं एडिटिव्स	512.17	288.04
फर्नेस ऑयल	335.17	शून्य
मैंगनीस अयस्क	(0.94)	(21.31)
लाभ पर प्रभाव	846.40	266.73

14. वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि नकदी एवं नकदी समतुल्य के अंतर्गत म्युचुअल फंड में किए गए निवेश की राशि का वर्गीकरण सही नहीं किया गया है। इसका वर्गीकरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार

चालू / गैर-चालू निवेश में किया जाना चाहिए तथा यह टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। कम्पनी ने भी इसके संबंध में विशेषज्ञ का मत प्राप्त किया है तथा पिछले वर्ष के नकदी एवं नकदी समतुल्य के अंतर्गत नोट संख्या 5.3 के प्रति चालू निवेश में लिक्विड म्युचुअल फंड के निवेश का पुन:वर्गीकरण कर दिया है। तदनुसार, 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार इसके लिए वहन राशि शून्य (पिछले वर्ष 4,230.89 लाख रुपये) है।

15. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा वर्ष 2018-19 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी को विचार में लेकर पूंजी कलपुर्जों के वर्गीकरण के संबंध में आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति से परामर्श प्राप्त किया गया है। तदनुसार, समिति द्वारा पूंजी कलपुर्जों की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि ये कलपुर्जे संबंधित संयंत्र एवं मशीनरियों की सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षित कलपुर्जे हैं जिसके लिए इनका वर्गीकरण सामान्य मालसूची के अंतर्गत किया जाना चाहिए। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 971.64 लाख रुपये के कुल कलपुर्जों में से 811.73 लाख रुपये मूल्य के कलपुर्जे ''गैर-चालू परिसम्पतियों'' में अंतरित कर दिए गए हैं क्योंकि ये पिछले 5 अथवा अधिक वर्षों से नोट संख्या 9क के अंतर्गत गैर-संचलन भंडार में थे तथा कम्पनी के व्यवहार के अंतर्गत इनके प्रति क्षमता हानि के लिए 100% प्रावधान किए गए थे। शेष 159.91 लाख रुपये रुपये मूल्य के कलपुर्जे नोट संख्या 7क में मालसूचियां शीर्ष के अंतर्गत ''भंडार एवं कलपुर्जे'' में शामिल किए गए हैं।

16. 5 अथवा अधिक वर्षों से प्रक्रिया न किए गए भंडार कलपुर्जों को गैर-संचलन/अतिरेक भंडार के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसके लिए लेखा बहियों में क्षमता हानि के 100% प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	गैर-संचलन	अतिरेक	कुल
1.4.19 को अथ शेष (क)	1,332.67	197.10	1,529.77
क्षमता हानि के लिए किए गए प्रावधान (ख)	801.99	18.21	820.20
31.3.2020 को अंत शेष (ग=क+ख)	2134.66	215.31	2,349.97

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुसरण में 1.1.2006 से खनन क्रियाकलाप बंद कर दिए जाने के पश्चात से मंगलौर पैल्लेट संयंत्र तथा ब्लास्ट फर्नेस यूनिट द्वारा भी अपेक्षित जल की पूर्ति कुद्रेमुख में लाक्या बांध से की जाती रही है। इस प्रकार, संरक्षा की दृष्टि से एवं जल निकासी व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए बांध के अनुरक्षण क्रियाकलाप अभी भी जारी रखे गए हैं। इस प्रकार से कुद्रेमुख के संस्थापन वर्तमान तिथि के अनुसार कार्यशील स्थिति में हैं।

18. कर्मचारी हित – बीमांकित मूल्यांकन

क. भविष्य में देय उपदान लाभ से संबंधित देयता का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट विधि के उपयोग वर्ष के अंत में निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। कम्पनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की लाइफ एश्योरेंस योजना के अंतर्गत उपदान योजना का परिचालन किया जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी 257वीं बैठक में किए गए संशोधन के अनुसार 20 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिन के वेतन के समतुल्य लाभ प्राप्त करने का पात्र है। इसका भुगतान कम्पनी से अलग होते समय अथवा सेवानिवृति, जो भी पहले हो, के समय किया जाता है। इसके लाभ पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात प्रारंभ होते हैं। तुलन पत्र में निवल स्वीकृत परिसम्पति 227.32 लाख रुपये (पिछले वर्ष 542.47 लाख रुपये) है।

ख. बीमांकित मूल्यांकनों के अनुसार भावी दायित्वों का वर्तमान मूल्य (तुलन पत्र तिथि के अनुसार) निम्नलिखित है:-

- दीर्घकालिक प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति –अर्जित अवकाश 3,454.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,066.96 लाख रुपये)
- दीर्घकालिक प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति – अर्द्ध-वेतन अवकाश 2,795.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,738.09 लाख रुपये)
- भविष्य निधि ब्याज गारंटी दायित्व : 268.21 लाख रुपये (पिछले वर्ष 220.59 लाख रुपये)

कर्मचारी लाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) – 19 के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

19. कम्पनी के 'पैल्लेट' एवं 'पिग आयरन' नामक दो परिचालन घटक है। कुद्रेमुख यूनिट तथा कॉर्पोरेट कार्यालय से संबंधित व्यय पूरी तरह से पैल्लेट घटक में प्रभारित किया जाता है। इंड एएस-108 के अंतर्गत अपेक्षित घटक रिपोर्टिंग परिशिष्ट में दी गई है।

20. कम्पनी वर्ष 2019-20 के दौरान बीएफयू परिचालन फिर से प्रारंभ करना चाहती थी परन्तु पिग आयरन के गैर-किफायती मूल्यों के कारण ब्लास्ट फर्नेस यूनिट (बीएफयू) का परिचालन वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका है। बीएफयू तथा अन्य यूनिटों की परिसम्पतियों के प्रत्येक वर्ग की वसूलीयोग्य राशि उनकी वहन राशि से अधिक है। इस प्रकार वर्ष के दौरान कोई अक्षमता हानि स्वीकृत नहीं की गई है।

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट का उपयोग करने के उद्देश्य से कम्पनी के यूनिट के बैकवर्ड एवं फारवर्ड एकीकरण से संबंधित पूंजी व्यय का परियोजना प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित 255वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। इसके संबंध में लोक निवेश ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में कम्पनी इसके लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया कर रही है।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 14.70 लाख रुपये का व्यय बीएफयू में 2,256.30 मीट्रिक टन पिग आयरन की पूरक सामग्री के संबंध में खुदाई एवं लदाई के लिए किया गया है। 170.06 लाख रुपये मूल्य की 1,946.30 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष 279.52 लाख रुपये मूल्य की 2,081.45 मीट्रिक टन) की उक्त पूरक सामग्री को वर्ष के दौरान बेचा गया था। वर्ष के अंत में कम्पनी के पास 720 मीट्रिक टन (अथ शेष 410 मीट्रिक टन जमा खुदाई किया गया 2,256.30 मीट्रिक टन घटा बेचा गया 1,946.30 मीट्रिक टन)

था। इसके उत्पादन की लागत का लेखांकन चूंकि पूर्व वर्षों में किया गया है अत: वर्ष के अंत में इसकी लागत का मूल्यन शून्य किया गया है, तथापि इसका बाजार मूल्य समान प्रकार के उत्पाद की पिछली बिक्री के अनुसार 54.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 44 लाख रुपये) है। विवेकसम्मत लेखांकन उपाय के तौर पर लेखा बहियों में स्टॉक के लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

21. सेवाओं के अंतर्गत कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुबंध किए गए हैं :-

- एनएमडीसी डोनिमलाई के पैल्लेट एवं बेनिफिकेशन संयंत्र का 31.10.2019 तक परिचालन एवं अनुरक्षण (एनएमडीसी)
- फर्नेस ऑयल टैंकों का पट्टाकरण तथा परिचालन एवं अनुरक्षण (आईओसीएल)
- दक्षिण कलियापानी, उड़ीसा में नए क्रोम अयस्क बेनिफिकेशन संयंत्र (सीओबीपी) के लिए शेष कार्य को पूरा करना (ओएमसीएल)

उक्त अनुबंधों के संबंध में अर्जित राजस्व एवं किए गए व्यय का सार संक्षेप नीचे तालिका में दिया गया है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति		31 मार्च, 2019 की स्थिति	
	अर्जित राजस्व	किया गया व्यय (निवल)	अर्जित राजस्व	किया गया व्यय (निवल)
मैसर्स एनएमडीसी	2,504.21	1,837.05	3,992.84	3,064.96
मैसर्स आईओसीएल	116.10	शून्य	116.10	शून्य
मैसर्स ओएमसीएल	685.87	614.08	91.33	136.12

उपर्युक्त से उत्पन्न राजस्व का लेखांकन ''परिचालनों से राजस्व'' के अंतर्गत तथा वेतनों एवं लाभों सहित किए गए व्ययों का लेखांकन संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।

22. कम्पनी को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के अंतर्गत खनन अंवेषण इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कम्पनी को उद्बुर क्षेत्र ब्लाक, मैसूर जिला, कर्नाटक में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) द्वारा 500.74 लाख रुपये जमा पुनर्भुगतान आधार पर जीएसटी के साथ खनन अंवेषण के कार्य प्रदान किए गए थे। वर्ष के दौरान चरण II तथा III को पूरा किए जाने के राजस्व के रूप में 221.52 लाख रुपये (पिछले वर्ष 149.25 लाख रुपये) सेवाओं की बिक्री शीर्ष के अंतर्गत परिचालानों से प्राप्त राजस्व में लेखाबद्ध किए गए हैं। वर्ष के दौरान मैसर्स एनएमईटी द्वारा नीरूबुद्धिहल लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट ब्लॉक के लिए 157.32 लाख रुपये जमा लागू जीएसटी का अवार्ड प्रदान किया गया है। कुल कार्य आदेश मूल्य के प्रति 20.60 लाख रुपये की राशि का बीजक (पूर्ण किए गए कार्य के प्रति) भेजा गया है तथा इसका लेखांकन सेवाओं की बिक्री शीर्ष के अंतर्गत परिचालनों से प्राप्त राजस्व में किया गया है।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा 9,958.66 लाख रुपये जमा जीएसटी के साथ 10 ब्लॉकों में खनन अंवेषण के कार्य सौंपे गए हैं। 581.39 लाख रुपये की राशि का बीजक (पूर्ण किए गए कार्य के प्रति) भेजा गया है तथा इसका लेखांकन सेवाओं की बिक्री शीर्ष के अंतर्गत परिचालनों से प्राप्त राजस्व में किया गया है।

23. (क) ऊर्जा की उत्पति के लिए किए गए व्यय, जो कि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण लागत है, को लेखांकन के प्रारंभिक शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) भंडार, कलपुर्जों, उपयोज्यताओं तथा योगजों से संबंधित लागतें उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं जिससे इनका लेखांकन प्रारंभिक शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।

24. कम्पनी द्वारा 200.95 लाख रुपये की न्यूनतम राशि के व्यय की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 331.42 लाख रुपये (पिछले वर्ष 32.51 लाख रुपये) का व्यय सीएसआर क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

25. सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत पंजीकृत सूक्षम एवं लघु उद्यमों को वर्ष 2019-20 के दौरान 159.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष170.15 लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है तथा इसे नोट 12.1 तथा 12.2 में शामिल किया गया है।

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत वर्ष के दौरान सूक्षम अथवा लघु उद्यमों को कोई ब्याज चुकता नहीं किया गया है/ देय नहीं है।

उक्त सूचना का निर्धारण ऐसी पार्टियों के संबंध में ही किया गया है जिनके बारे में सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता होने का स्तर कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर संज्ञान किया जा सका है।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा आरएक्सआईएल के साथ सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ व्यापार प्राप्यों की सुविधा के लिए व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) खाता खोला गया है।

26. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के व्यावसायिक क्रियाकलापों के सम्मुख नकदी जोखिम, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं मुद्रा जोखिम जैसे अनेक वित्तीय जोखिम व्याप्त हैं। कम्पनी का वरिष्ठ प्रबंधन कम्पनी के जोखिम प्रबंधन के फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। कम्पनी द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के निर्माण एवं मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख जोखिमों एवं उनकी निवारक कार्रवाईयों का विवरण कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का निर्माण कम्पनी द्वारा अनुभव किए जा रहे जोखिमों को संज्ञान में लेने तथा उनका विश्लेषण

करके यथोचित जोखिम सीमा निर्धारित करने, जोखिमों पर नजर रखने तथा सीमाओं का पालन करने के लिए किया जाता है। बाजार स्थितियों के परिवर्तन एवं कम्पनी के क्रियाकलापों से अनुरूपता के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं व्यवस्था की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन समिति को वित्त टीम एवं संबंधित व्यवसाय डिवीजनों के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त है जिससे कम्पनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलापों का संचलन यथोचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप हो पाता है तथा संज्ञान में लिए गए वित्तीय जोखिमों का मापन एवं प्रबंधन कम्पनी की नीतियों एवं जोखिम लक्ष्यों के अनुसार हो पाता है। क्रियाकलापों का निर्माण निम्नानुसार किया गया है:-

- कम्पनी के वित्तीय परिणामों तथा वित्तीय जोखिमों की स्थिति के प्रति सुरक्षा प्रदान करना।
- इष्टतम लाभ प्राप्त करते हुए बाजार जोखिमों का अनुरक्षण स्वीकार्य मापदंडों के अनुसार अनुरक्षित करना।
- अधिकतम लाभ प्राप्त करते हुए कम्पनी के वित्तीय निवेशों का रक्षित करना।

निवेश समिति कम्पनी की आंतरिक उत्पन्न निधियों में से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रति उत्तरदायी है।

I. नकदी जोखिम का प्रबंधन

नकदी जोखिम वह जोखिम है जो कम्पनी के सम्मुख अपनी वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध दायित्वों के निर्वाह के लिए होता है। कम्पनी अपने नकदीका प्रबंधन इस सुनिश्चय के साथ करती है कि इससे अस्वीकार्य हानियों का वहन किए बिना देयता के समय देयताओं की पूर्ति के लिए निधियां पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा करते हुए कम्पनी सामान्य एवं एवं दबाव स्थितियों को विचार में लेती है। नकदीप्रवाह में सामग्रीगत अथवा संवहनीय कमी आने से कम्पनी की क्रेडिट रेटिंग का अवमूल्यन एवं निवेशक विश्वास क्षीण हो सकता है। नीचे दी गई तालिका में तुलन पत्र तिथि के अनुसार संविदागत रूप से सहमत गैर-बट्टागत नकदीप्रवाहों पर आधारित कम्पनी के वित्तीय दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण दर्शाया गया है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	नोट सं.	वहन राशि	< 12 माह	> 12 माह	कुल
31 मार्च 2020 की स्थिति					
व्यापार प्राप्य	12.2	11,121.47	11,121.47	-	11,121.47
पट्टा देयता	12.1.ग,घ	12,381.42	1,251.57	11,129.85	12,381.42
अन्य वित्तीय देयताएं	12.1.क,ख	8,880.10	8,815.85	64.25	8,880.10
31 मार्च 2019 की स्थिति					
व्यापार देय	12.2	10,764.37	10,764.37	-	10,764.37
पट्टा देयताएं	12.1.ग,घ	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	12.1.क,ख	8,710.38	8,638.67	71.71	8,710.38

II. बाजार जोखिम का प्रबंधन

बाजार जोखिम में मूल्य जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम की व्यापकता होती है। कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्यन न तो लाभ एवं हानि के माध्यम से और न ही अन्य व्यापक आय के माध्यम से करके कोई नियत दर निर्धारित नहीं करती है। तदनुसार, कम्पनी के सम्मुख किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम व्याप्त नहीं है। इसी प्रकार, कम्पनी के पास ऐसे कोई वित्तीय प्रपत्र नही है जिनके लिए मूल्य में अंतर का कोई जोखिम हो।

III. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम कम्पनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है जो किसी ग्राहक अथवा प्रति पक्षकार द्वारा अपने संविदागत दायित्वों को पूरा न करने के कारण उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम की उत्पति नकदीतथा नकदीसमतुल्यों, बैंक तथा वित्तीय संस्थानों में जमा एवं ग्राहकों एवं अन्य प्राप्यों में क्रेडिट जोखिम से होती है। कम्पनी द्वारा विवेकसम्मत क्रेडिट स्वीकृति नीतियों का उपयोग करके, जारी क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी करके तथा प्राप्यों के संग्रह का प्रबंधन करके क्रेडिट जोखिम की व्यापकता को क्षीण किया जाता है।

वित्तीय प्रपत्रों की प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध क्रेडिट जोखिम की अधिकतम व्यापकता वित्तीय विवरणों नोटों में प्रस्तुत वित्तीय प्रपत्र की संबंधित श्रेणी की वहन राशि है। कम्पनी की वित्तीय परिसम्पतियों की प्रमुख श्रेणियां नकद एवं नकद समतुल्य, आवधिक जमा एवं व्यापार प्राप्य हैं। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में से केवल उच्चतर रेटिंग वाले बैंकों / संस्थानों को स्वीकार किया जाता है।

व्यापार प्राप्य

कम्पनी की बिक्रियां साख पत्र / बैंक गारंटी से सुरक्षित होने के कारण व्यापार प्राप्यों से संबंधित क्रेडिट जोखिम की सघनता सीमित है। कम्पनी द्वारा प्राप्यों के प्रति संभावित क्रेडिट हानि का प्रभाव नगण्य करने के लिए मूल्यांकन किए गए हैं।

IV. विदेशी मुद्रा जोखिम

निर्यातोन्मुख यूनिट (ईओयू) होने के कारण कम्पनी के सम्मुख मुख्यत: अमेरिकी डालर (यूएसडी), यूरो (ईयूआर), तथा जापानी येन (जेपीवाई) जैसी विभिन्न मुद्राओं में संव्यवहार किए जाने से विदेशी मुद्रा जोखिम व्याप्त है। विदेशी मुद्रा जोखिम की उत्पति उस मुद्रा में भावी वाणिज्यिक संव्यवहार किए जाने तथा स्वीकृत परिसम्पतियों एवं

देयताओं के प्रति होती है जो कम्पनी कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपये) में नहीं किए जाते हैं। मुद्रा जोखिम से जुड़ी परिसम्पतियों का प्रबंधन विदेशी मुद्रा फारवर्ड कांट्रेक्स (केवल आवश्यकता के आधार पर) करके किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा के प्रति कम्पनी के जोखिम की अभिव्यक्ति भारतीय रुपये में निम्नानुसार प्रस्तुत है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति				
	यूएसडी	ईयूआर	जेपीवाई	जीबीपी	कुल
वित्तीय परिसम्पतियां					
व्यापार प्राप्य	**8,763.16**	**-**	**-**	**-**	**8,763.16**
वित्तीय देयताएं					
दीर्घकालिक ऋण	-	-	-	-	-
व्यापार देय	2.52	-	-	-	2.52
अन्य देयताएं	71.82	-	-	-	71.82
कुल	**74.34**	**-**	**-**	**-**	**74.34**
घटाएं: करंसी फारवर्ड्स	8,382.03	-	-	-	8,382.03
विदेशी मुद्रा जोखिम की निवल व्यापकता	**306.79**	**-**	**-**	**-**	**306.79**
भारतीय रुपये के प्रति 5% के परिवर्तन के साथ कर पूर्व लाभ वृद्धि/(कमी)					
सुदृढ़ता	15.34	-	-	-	15.34
शिथिलता	(15.34)	-	-	-	(15.34)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति				
	यूएसडी	ईयूआर	जेपीवाई	जीबीपी	कुल
वित्तीय परिसम्पतियां					
व्यापार प्राप्य	5,405.26	-	-	-	**5,405.26**
वित्तीय देयताएं					
दीर्घकालिक ऋण	-	-	-	-	-
व्यापार देय	174.21	11.74	-	-	**185.95**
अन्य देयताएं	29.05	-	-	-	29.05
कुल	203.26	11.74	-	-	215.00
घटाएं: करंसी फारवर्ड्स	4,834.55	-	-	-	4,834.55
विदेशी मुद्रा जोखिम की निवल व्यापकता	**367.45**	**11.74**	**-**	**-**	**379.19**

27. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी पूंजी प्रबंधन के लिए अपने तुलन पत्र के निम्नलिखित घटकों पर विचार करती है:

तुलन पत्र में शामिल कुल इक्विटी में धारित लाभ एवं शेयर पूंजी शामिल है। कम्पनी अपनी पूंजी कुशलता का प्रबंधन इस प्रकार से करना चाहती है कि इससे इसकी गोइंग कसर्न की क्षमता सुरक्षित हो सके और हमारे शेयरधारकों को इष्टतम लाभ प्राप्त होने संभव हो सकें। कम्पनी की पूंजी संरचना का आधार अपनी रणनीतियों एवं रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथोचित शेष के प्रमुख कारकों के विवेकसम्मत प्रबंधन करना है। कम्पनी द्वारा पूंजी की राशि के यथानुपात जोखिम एवं बदलते आर्थिक परिवेश एवं अंतर्निहित परिसम्पतियों की जोखिम विशिष्टताओं के अनुसार पूंजी संरचना का प्रबंधन किया जाता है। पूंजी संरचना के अनुरक्षण एवं समायोजन के लिए कम्पनी शेयरधारकों को चुकता लाभांश की राशि, शेयरधारकों के पूंजी लाभ अथवा नए शेयर जारी करने के समायोजन कर सकती है।

निवेशक, क्रेडिटर एवं बाजार विश्वास को बनाए रखने तथा संवहनीय भावी विकास एवं व्यवसाय विकास के उद्देश्य से कम्पनी की नीति कुल इक्विटी पर ध्यान केन्द्रित करके संतुलित एवं सुदृढ़ पूंजी संरचना का अनुरक्षण करने की है। कम्पनी द्वारा इस अनुरक्षण के लिए यथोपित उपाय किए जाते हैं अथवा यदि आवश्यक हो तो पूंजी संरचना में समायोजन किए जाते हैं। कम्पनी अपने महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंधों के प्रति किसी वित्तीय प्रसंविदा के अध्याधीन नहीं है।

प्रबंधन द्वारा पूंजी लाभ एवं साथ ही साथ शेयरधारकों के लाभांश के स्तर की निगरानी की जाती है।

28. उचित मूल्य मापन

i) वित्तीय प्रपत्रों का वर्गवार मापन

(रुपये लाख में)

	31.03.2020			31.03.2019		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसम्पतियां						
ऋण	-	-	174.91	-	-	169.33
व्यापार प्राप्य	-	-	12,266.77	-	-	6,377.89
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	42,980.09	-	-	51,519.44
अन्य वित्तीय परिम्पतियां	-	-	1,11,428.73	-	-	1,06,643.72
कुल वित्तीय परिम्पतियां	-	-	1,66,850.50	-	-	1,64,710.38
वित्तीय देयताएं						
व्यापार प्राप्य	-	-	11,121.47	-	-	10,764.37
पट्टा देयताएं	-	-	12,381.42	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	8,880.10	-	-	8,710.38
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**32,382.99**	**-**	**-**	**19,474.75**

ii) उचित मूल्यन की तारतम्यता

कम्पनी उन वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को, जिनका उचित मूल्य पर अनुवर्ती मापन नहीं किया गया है, वित्तीय विवरणों में उनके अनुमानित उचित मूल्य पर वहन राशि माना गया है।

किसी भी ऐसे वित्तीय प्रपत्र की स्वीकृति एवं मापन उचित मूल्य पर नहीं किया गया है जिनके उचित मूल्य के निर्धारण निर्णय निर्धारण एवं अनुमान के अनुसार आंके गए हैं।

(रुपये लाख में)

विवरण	स्तर - 1	स्तर - 2	स्तर - 3	कुल
वित्तीय परिसम्पतियां				
ऋण	-	-	174.91	174.91
कुल वित्तीय परिसम्पतियां	**-**	**-**	**174.91**	**174.91**

(रुपये लाख में)

31 मार्च 2019 को प्रकटीकरण की गई परिसम्पतियां एवं देयताएं, जिनके उचित मूल्य परिशोधन लागत पर मापन किए गए हैं।

विवरण	स्तर - 1	स्तर - 2	स्तर - 3	कुल
वित्तीय परिसम्पतियां				
ऋण	-	-	169.33	169.33
कुल वित्तीय परिसम्पतियां	**-**	**-**	**169.33**	**169.33**

वर्ष के दौरान ऐसे कोई वित्तीय प्रपत्र नहीं हैं जिनका मापन स्तर 1 तथा स्तर 2 वर्ग के अंतर्गत किया गया हो।

ऊपर संदर्भित वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का वर्गीकरण मूल्यांकन तकनीक के लिए उपयोग में लाई गई इनपुट के के आधार पर तीन वर्गों में किया गया है। इस तारतम्यता से परिसम्पतियों एवं देयताओं के निर्धारण के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्यों को उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त होती है (स्तर 1 मापन) तथा अप्रत्यक्ष इनपुटों को न्यूनतम प्राथमिकता प्राप्त होती है (स्तर 3 मापन)। वर्गों का उपयोग निम्नानुसार किया गया है:

- स्तर1: इस तारतम्यता में उद्धृत मूल्य पर मापन किए गए वित्तीय प्रपत्र शामिल हैं।
- स्तर 2: सक्रिय बाजार में ट्रेड न किए गए वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक से किया जाता है जिससे प्रत्यक्ष बाजार डेटा का उपयोग अधिकतम हो पाता है तथा इकाई विशिष्ट अनुमानों की निर्भरता यथासंभव कम हो जाती है। प्रपत्र के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित यदि सभी महत्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष होती है तो इसे इस स्तर में शामिल किया जाता है।
- स्तर 3: मूल्यांकन तकनीकों से व्युत्पन्न जिसमें परिसम्पति अथवा देयता के लिए शामिल की गई वे इनपुट शामिल हैं जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा के आधार पर नहीं हैं। (अप्रत्यक्ष इनपुट)

मूल्यांकन प्रक्रिया: स्तर 3 के वित्तीय उपकरणों के लिए उचित मूल्यों का निर्धारण वर्तमान मूल्यों पर आधारित होता है तथा प्रयुक्त की गई रियायत दरों का समायोजन प्रति-पक्षकार अथवा स्वयं के क्रेडिट जोखिम के लिए किया जाता है।

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, 12 माह से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा, पूंजी क्रेडिटर्स तथा नकद एवं नकद समतुल्यों को उनके उचित मूल्यों पर विचार में लिया जाता है।

ऋण, सुरक्षा जमा के उचित मूल्यों का आकलन चालू ऋण दर के उपयोग मितीकाटा नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया है। इन्हें अप्रत्यक्ष इनपुटों सहित प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम में शामिल किए जाने के कारण उचित मूल्यों की तारतम्यता के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

गैर-चालू ऋणों के उचित मूल्य चालू ऋण दर के उपयोग से मितीकाटा नकदी प्रवाहों पर आधारित है। इन्हें अप्रत्यक्ष इनपुटों सहित स्वयं के क्रेडिट जोखिम में शामिल किए जाने के कारण उचित मूल्यों की तारतम्यता के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों और देयताओं की वहन राशियां उचित मूल्यों के समान हैं।

29. 31.3.2020 तथा 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा किए जाने के लिए कोई देय राशि अथवा बकाया नहीं हैं।

30. कम्पनी द्वारा अपने देनदारों और लेनदारों से व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, अग्रिमों तथा ऋणों के संबंध में सीधे सांविधिक लेखापरीक्षकों को वर्ष के अंत में शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किए गए हैं।

31. कम्पनी ने बैंकों के साथ समय समय पर निम्नलिखित निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित सीमा प्राप्त करने की व्यवस्था की है।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निधि आधारित	सीमा	प्रयुक्त
1	आईडीबीआई	-	100.00	-

क्र.सं.	बैंक का नाम	गैर निधि आधारित	सीमा	प्रयुक्त
1	आईडीबीआई	एससी/बीजी	3,400.00	शून्य
2	इंडसइंड बैंक	एलसी/बीजी/बीसी/एमएफसी	20,000.00	3,567.98
3	कोटक बैंक	एलसी/बीजी	10,000.00	7.19
4	यस बैंक	एलसी/बीजी	10,000.00	शून्य
5	आईसीआईसीआई बैंक	एल/बीजी/एमएफसी	7,000.00	4,194.30
	कुल		**50,500.00**	**7,769.47**

कुल 7,769.47लाख रुपये की राशि में 133.87 लाख रुपये, 3441.30 लाख रुपये तथा 4,194.30 लाख रुपये एलसी, बीजी तथा एमएफसी के लिए क्रमश: शामिल हैं।

एल: साख पत्र, बीजी: बैंक गारंटी, बीसी: क्रेता क्रेडिट, एमएफसी: मैचिंग फारवर्ड कवर

32. चालू वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रति शेयर 1.33 रुपये (पिछले वर्ष 1.06 रुपये प्रति शेयर) का लाभांश घोषित किया गया है तथा 1,700.31 लाख रुपये के लाभांश वितरण कर सहित 9,971.92 लाख रुपये की राशि चुकता की गई है।

33. मैसर्स एनएमपीटी द्वारा 1,400 लाख रुपये के मूल्य पर 47,500 वर्गमीटर माप के मार्शेलिंग यार्ड की बिक्री के प्रति प्रक्रिया के समय पट्टा किराया, प्रीमियम, मूल्यांकन एवं अन्य प्रभारों के लिए 589.26 लाख रुपये की राशि की कटौती की गई है। एनएमपीटी द्वारा की गई इस कटौती के प्रति कम्पनी ने अपना विरोध मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के अध्याधीन विवेचन की स्थाई तंत्रव्यवस्था के माध्यम से विवेचन के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। विवेचन का न्याय निर्णय फरवरी 2018 में किया गया था तथा कम्पनी को 11.12.2014 से 27.3.2017 की अवधि के लिए पट्टा किराया के 388.66 लाख रुपये के दावे तथा अधिक कटौती के रूप में 2.73 लाख रुपये की राशि की धनवापसी अनुमत्त की गई थी। मैसर्स एनएमपीटी द्वारा इसके प्रति 388.66 लाख रुपये की राशि के संबंध में सीपीएसई विवाद (एएमआरसीडी) की समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्रव्यवस्था के सम्मुख अपील की गई थी। एएमआरसीडी द्वारा मामले पर 8.1.2020 को मैसर्स कॉकोर को बिक्री किए जाने की विचारित तिथि से प्रभावी तिथि से 31.12.2019 तक 7% ब्याज के साथ 236.40 लाख रुपये की राशि तथा 12.61 लाख रुपये के सुरक्षा जमा का भुगतान करने का निर्णय के साथ मामले का निपटान किया गया था।

वर्ष के दौरान मैसर्स एनएमपीटी से 236.40 लाख रुपये की राशि 47.01 लाख रुपये के ब्याज के साथ प्राप्त हो गई है। शेष 66.65 लाख रुपये की राशि को व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है। .

34. पिछले वर्ष के दौरान पूर्व वर्षों से संबंधित विभिन्न आय एवं व्यय की मदें चालू वर्ष की आय एवं व्यय के लिए विचार में ली गई हैं जिनका कोई महत्व नहीं है तथा इन्हें संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

35. कम्पनी द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है जो कराधान कानून(संशोधन) अध्यादेश, 2019 में प्रारंभ किया गया है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा चालू कर एवं अधिनियम में निर्धारित की गई रियायती दरों के आधार पर आस्थगित कर परिसम्पतियों के पुन:मापन के प्रावधानों को स्वीकृति दी गई है। इस रियायती कर संरचना के विकल्प के उपयोग से कम्पनी को 374.01 लाख रुपये के अपने न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट (एमएटी) का पूर्व निश्चय करना पड़ा है।

36. कम्पनी द्वारा कोविड-19 के प्रभाव से तुलन पत्र तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसम्पतियों, व्यापार प्राप्यों, मालसूचियों, निवेशों, अन्य चालू एवं गैर-चालू परिसम्पतियों तथा देयताओं के भुगतान के समय भुगतान करने की अपनी क्षमता तथा तुलन पत्र तिथि को आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाव्यता से संबंधित अपनी नकदी स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है तथा उसके निष्कर्ष यह हैं कि कम्पनी के सम्मुख अपने वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार के सामग्रीगत प्रभाव अथवा समायोजन किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।

प्रबंधन का ऐसा मानना है कि इसके द्वारा लेकर वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान से वित्तीय विवरणों के अनुमोदन तक कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न प्रत्येक ज्ञात संभावित प्रभाव को विचार में लिया गया है। प्रबंधन के मतानुसार व्यवसाय परिचालनों की प्रकृति, विद्यमान ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में इसके व्यवसाय परिचालनों पर कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण किसी प्रभाव, यदि कोई हों, से जोखिम उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जारी लॉकडाउन एवं कार्य समय से संबंधित प्रतिबंधों के बावजूद अप्रैल, मई तथा जून 2020 से वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक कम्पनी द्वारा 0.469 एमएमटी के बिक्री आदेश निष्पादित किए गए हैं तथा 0.438 एमएमटी लौह अयस्क पैल्लेट का कुल उत्पादन किया गया है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव से स्थितियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है जिससे इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के तिथि के अनुसार लगाए गए अनमान भिन्न हो सकते हैं। कम्पनी द्वारा भावी आर्थिक स्थितियों के प्रति किसी प्रकार के सामग्रीगत प्रभाव की निरंतर निगरानी की जाती रहेगी।

किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन को कोविड-19 के प्रभाव से अपनी गोइंग कंसर्न के अनुमानों के प्रति तुलन पत्र तिथि को तथा उसके पश्चात 12 माह की अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई सामग्रीगत प्रभाव प्रतीत नहीं हुआ है।

37. केआईओसीएल द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कम्पनी लिमिटेड (एचपीएफ लिमिटेड) को अंतर कारपोरेट ऋण के रूप में 18 करोड़ दिए गए थे। एचपीएफ लिमिटेड को रूग्न औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जुलाई, 1996 में रूग्न घोषित कर दिया गया था। बहियों में 100% ऋण के प्रावधान किए गए हैं। मैसर्स एचपीएफ द्वारा परिसमापक की नियुक्ति हो जाने की सूचना दी गई है। कम्पनी ने पदधारित परिसमापक के सम्मुख 9.9.2019 को अपने दावे प्रस्तुत कर दिए थे।

38. सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार: प्रमुख प्रबंधन कार्मिक निम्नलिखित हैं:

श्री एम.वि.सुब्बा राव	: अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री विद्यानंद एन	: निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं) 28.2.2020 तक
श्री स्वप्न कुमार गोराई	: निदेशक (वित्त)
श्री टी. सामिनाथन	: निदेशक (वाणिज्य)
श्री के.वी.भास्कर रेड्डी	: निदेशक (उत्पादन एवं परियोजनाएं) 01.03.2020 से
श्री पी. के. मिश्रा	: कम्पनी सचिव

इंड एएस 24 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष 2019-20 के दौरान चुकता की गई कुल प्रतिपूर्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं	विवरण	श्री एम.वि. सुब्बा राव	श्री विद्यानंद एन	श्री स्वप्न कुमार गोराई	श्री टी. सामिनाथन	श्री के. वी. भास्कर रेड्डी	श्री पी. के. मिश्रा
1	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	53.34	61.84	47.04	46.83	3.28	17.44
2	रोजगार पश्चात लाभ	-	20.00	-	-	-	-
3	अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	15.78	-	-	-	-
4	समापन लाभ	-	-	-	-	-	-
5	शेयर आधारित भुगतान	-	-	-	-	-	-
	कुल	**53.34**	**97.62**	**47.04**	**46.83**	**3.28**	**17.44**

39. जहां पुष्टि के लिए आवश्यक हुआ है वहां पिछले वर्ष की प्रस्तुति के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन / पुन: वर्गीकरण / पुन: उल्लेख किया गया है।

40. तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नोटों में दर्शाए गए आंकड़ों को निकटतम हजार रुपये में राउंड ऑफ किया गया है तथा लाख रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

भारतीय ए.एस. 19 द्वारा यथा आवश्यक प्रकटण – कर्मचारी अनुलाभ (टिप्पणी 24 का क्र.सं. 8(क) देखें)

	निर्धारित अनुलाभ योजना - उपदान	दीर्घकालीन उपदान	
		31, मार्च 2020	31, मार्च 2019
I.	**प्रधान बीमांकक मान्यताएँ [भारित औसत के अनुसार]**		
	बट्टे की दर	6.59%	7.43%
	वेतन वृद्धि दर	11.00%	12.00%
	संघर्षण दर	5.00%	5.00%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	6.59%	7.43%
	नियोजन के दौरान मृत्यु दर	मानक भारतीय आश्वस्त जीवन (2006-08)	
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पी.वी.ओ.)**		
	अवधि के प्रारंभ में पी.वी.ओ.	9550.15	11325.96
	ब्याज की लागत	598.33	806.76
	चालू सेवा लागत	357.78	329.19
	विगत सेवा लागत	-	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(941.65)	(935.60)
	दायित्व पर बीमांकक हानि / (लाभ)	171.01	(1976.16)
	अवधि के अंत में पी.वी.ओ.	9735.62	9550.15
III.	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
	अवधि के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10397.75	5751.16
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	654.18	578.30
	अंशदान	-	5000.00
	अदा किए गए अनुलाभ	(941.65)	(935.60)
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)	(1.96)	3.89
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10108.32	10397.75
IV.	**योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति**		
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	654.18	578.30
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)	(1.96)	3.89
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	652.22	582.19
V.	**तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियाँ**		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	9735.62	9550.15
	योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10108.32	10397.75
	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल निर्धारित अनुलाभ दायित्व	(372.70)	(847.60)
	गैर-चालू	8281.58	8223.82
	चालू	1454.04	1326.33
VI.	**लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित राशि :**		
	चालू सेवा लागत	357.78	329.19
	विगत सेवा लागत	-	-
	निवल निर्धारित अनुलाभ दायित्वों पर निवल ब्याज	(55.85)	228.46
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित राशि	301.93	557.65
VII.	**अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित राशि [ओ.सी.आई.]**		
	योजित दायित्वों पर बीमांकक (लाभ) / हानि	171.01	(1,976.16)
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)	1.96	(3.89)
	ओ.सी.आर. में अभिचिह्नित राशि	172.97	(1,980.05)
VIII.	**योजित परिसंपत्तियों के प्रमुख वर्ग (कुल योजित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)**		
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंध की गई निधियाँ	100%	100%
IX	**अगले वर्ष के दौरान अंशदान के लिए उद्यम का सर्वोत्तम प्राक्कलन**	-	-

टिप्पणी : i) बट्टे की दर दायित्व की प्राक्कलित अवधि के लिए यथा तुलन-पत्र की तारीख को भारत सरकार की प्रचलित बाज़ार प्राप्ति पर आधारित है।
ii) वेतन वृद्धि दर का परिकलन पदोन्नति में वरिष्ठता तथा अन्य संबंधित कारक जैसे रोजगार के बाज़ार में मांग-आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

योजना का प्रकार - उपदान

संवेदनशीलता विश्लेषण विधि

विभिन्न परिगणनों में मान्यताओं के सत्य सिद्ध न होने पर, दायित्वों में अपेक्षित संचलन के आधार पर संवेदनशीलता विश्लेषण विधि अभिनिश्चित की जाती है।

विवरण	31, मार्च2020	31, मार्च 2019
क. बट्टे की दर + 50 बीपी	7.09%	7.93%
निर्धारित अनुलाभ दायित्व [पीवीओ]	9,512.56	9,324.18
ख. बट्टे की दर - 50 बीपी	6.09%	6.93%
निर्धारित अनुलाभ दायित्व [पीवीओ]	9,969.11	9,767.64
ग. वेतन वृदधि दर +50 बीपी	11.50%	12.50%
निर्धारित अनुलाभ दायित्व [पीवीओ]	9,780.62	9,589.28
घ. वेतन वृदधि दर -50 बीपी	10.50%	11.50%
निर्धारित अनुलाभ दायित्व [पीवीओ]	9,686.45	9,488.60

निर्धारित अनुलाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 8.83 वर्ष (2018- 19 - 8.74 वर्ष) है। बट्टारहित पेंशन का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण, उपदान तथा नियोजन पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ नीचे दिए गए हैं -

(रु. लाख में)

विवरण	< वर्ष से कम	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	> 5 वर्षों से अधिक	कुल
31 मार्च 2020 निर्धारित अनुलाभ दायित्व (उपदान)	1,454.04	1,275.09	3,848.74	7,406.41	13,984.28
कुल	**1,454.04**	**1,275.09**	**3,848.74**	**7,406.41**	**13,984.28**
31 मार्च 2019 निर्धारित अनुलाभ दायित्व (उपदान)	1,361.72	1,432.36	3,737.13	4,292.21	10,823.42
कुल	**1,361.72**	**1,432.36**	**3,737.13**	**4,292.21**	**10,823.42**

जोखिम एक्सपोज़र : यद्यपि यह निर्धारित अनुलाभ योजनाएँ हैं, तथापि कंपनी के सामने अनेक जोखिम होते हैं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय जोखिम नीचे दिया गया है :

मुद्रास्फीति का जोखिम : सेवानिवृत्ति के बाद की योजना जैसे उपदान, जिसमें भुगतान मुद्रास्फीति से संबद्ध नहीं है, इसलिए इसमें अपेक्षाकृत कम जोखिम है।

अपेक्षित जीवनकाल : सेवानिवृत्ति के बाद की योजना के दायित्व में सदस्य के जीवन के लिए अनुलाभ प्रदान किए जाते हैं, इसलिए यह नियमित रूप से उल्लेखनीय है जहाँ मुद्रास्फीति अपेक्षित जीवनकाल में परिवर्तन की उच्चतर संवेदनशीलता को बढ़ाती है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए खंड-वार रिपोर्टिंग

(₹ लाख में)

विवरण	पैलेट		पिग आयरन		समेकित योग	
	इस अवधि के अंत के आंकड़े		इस अवधि के अंत के आंकड़े		इस अवधि के अंत के आंकड़े	
	"चालू रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2020"	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2019	चालू रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2020	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2019	चालू रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2020	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31-03-2019
राजस्व:						
बाहरी बिक्री (सकल)	187,897.16	182,597.20	520.03	279.52	188,417.19	182,876.72
घटाएँ – उत्पाद शुल्क एवं परेषण बिक्री पर भाड़ा	1,048.34	1,774.97	169.57	43.93	1,217.91	1,818.90
कुल राजस्व	**188,945.50**	**184,372.17**	**689.60**	**323.45**	**189,635.10**	**184,695.62**
परिणाम :						
छूट से पहले खंड परिणाम	(3,394.64)	7,581.78	(1,899.22)	(1,789.45)	(5,293.86)	5,792.33
व्यय घटाने के बाद अनाबंटित आय						
(क) ब्याज की आय					10,314.07	11,164.67
(ख) अल्पकालिक पूंजीगत लब्धि - म्युच्युअल फंड					608.47	527.30
(ग) ओ एंड एम सेवा पर सेवा प्रभार (निवल व्यय)						
- ओ एंड एम - एनएमडीसी					667.17	927.88
- ओएमसीएल -कलियापानी					71.80	
कर पूर्व लाभ					**6,367.64**	**18,412.18**
घटाएँ : आय कर					2,377.12	4,357.88
पूर्व वर्षों (निवल)					112.12	
आस्थगित कर					(469.25)	2,868.44
कर पश्चात् निवल लाभ					**4,347.65**	**11,185.87**
अन्य व्यापक आय					(20.66)	1,089.64
कुल व्यापक आय					**4,326.99**	**12,275.50**
अन्य जानकारी :						
खंड परिसंपत्तियाँ	56,893.28	50,032.24	8,245.77	8,851.03	65,139.05	58,883.27
अनाबंटित परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	173,031.57	173,395.32
कुल परिसंपत्तियाँ					**238,170.62**	**232,278.59**
खंड दायित्व	32,502.63	16,121.64	1,881.72	1,703.04	34,384.35	17,824.68
अनाबंटित दायित्व	-	-	-	-	12,193.45	15,058.07
कुल दायित्व					**46,577.80**	**32,882.75**
पूँजीगत व्यय	306.59	1,188.72	139.46	604.42	446.05	1,793.14
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2,081.36	1,276.31	667.72	650.52	2,749.08	1,926.82
मूल्यह्रास के अलावा नकद-इतर व्यय	822.93	288.04	(2.73)	80.56	820.20	368.60

1. कंपनी मूल रूप से भारत में स्थित है। ग्राहक के स्थान द्वारा खंड राजस्व की जानकारी नीचे टेबल में दी गई है :-

विवरण	2019-20	2018-19
बाहरी बिक्री (सकल)		
देशीय	31,004.16	58,178.84
समुद्रपार	157,413.03	124,697.88
कुल	**188,417.19**	**182,876.72**

2. पैलेट खंड के कारण लगभग ₹ 158,644.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 126,508.17 लाख) का राजस्व कुछ बाहरी ग्राहकों से व्युत्पन्न हुआ है जिन्होंने कुल राजस्व का 10% हिस्सा वैयक्तिक रूप से योगदान दिया है।
3. अनाबंटित परिसंपत्तियों एवं दायित्वों में ऐसी परिसंपत्तियाँ और दायित्व शामिल हैं जिन्हें खंड में आबंटित नहीं किया जा सकता।

निदेशक मंडल के लिए व उसकी ओर से

एम वी सुब्बा राव
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

एस के गोराई
निदेशक (वित्त)

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
मे. आनंद एंड पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(एफआरएन:000111S)

स्थान: बेंगलूरु

पी के मिश्रा
कंपनी सचिव

(वी. मोहन)
साझेदार
सदस्यता सं :015809

दिनांक : 25/06/2020

केआईओसीएल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन : एल13100केए1976जीओआई002974)
पंजीकृत कार्यालय - 560,034 द्वितीय ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु: 560034
टेली फैक्स- 080-25531525, वेबसाइट: www.kioclltd.in, ई-मेल: cs@kioclltd.com

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि केआईओसीएल लिमिटेड (सीआईएन: एल13100केए 1976जीओआई002974) की चौवालीस वें वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित व्यवसाय संव्यवहारों के लिए, दिनांक 29/सितंबर/2020 को दोपहर 12.00 बजे किया जाएगा:

साधारण व्यवसाय:

1. दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित तुलन पत्र को प्राप्त करना, विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 0.70 रूपए प्रति इक्विटी शेयर की दर लाभांश की घोषणा करना।
3. श्री टी. श्रीनिवास (डीआईएन: 07238361), जो इस वार्षिक आम सभा में रोटेशन पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा अर्हता प्राप्त है, द्वारा प्रस्तुत पुन:नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुसार उन्हें नियुक्त करने।
4. श्री एस के गोराई (डीआईएन: 07223221), जो इस वार्षिक आम सभा में रोटेशन पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा अर्हता प्राप्त है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत पुन:नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुसार उन्हें नियुक्त करने।
5. सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक के निर्धारण के उद्देश्य से निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ अथवा किसी आशोधन के बिना पारित करने:-

   "संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139,142 तथा अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हों, के अनुसरण में निदेशक मंडल को एतदद्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क का निर्धारण करने तथा शुल्क का भुगतान करने के लिए प्राधिकार दिया जाता है।"

विशेष व्यवसाय

6. **श्री निर्मलेंदु महापात्र की स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति**

   पर विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

   "यह संकल्प करके कि भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2019 के आदेश क्रमांक एफ.सं.1/10/2015-बीएलए (वाल्युम -IV) के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण मे तथा सूचीबद्धता विनियमों एवं अन्य लागू कानूनों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य एतद्द्वारा श्री निर्मलेन्दु महापात्र (डीआईएन: 07352648) की कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति को, उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा समाप्त नहीं होगा, जारी रखने की सहमति दी जाती हैं।"

7. **श्री रंजीत श्रीनिवास की स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति**

   पर विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

   "यह संकल्प करके कि, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2019 के आदेश क्रमांक एफ.सं.1/10/2015-बीएलए (वाल्युम -IV) के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण मे तथा सूचीबद्धता विनियमों एवं अन्य लागू कानूनों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य एतद्द्वारा श्री रंजीत श्रीनिवास (डीआईएन: 08539909) की कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति को, उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा समाप्त नहीं होगा, जारी रखने की सहमति दी जाती हैं।"

8. **श्री जी. रामासामी की स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति**

   पर विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

   "यह संकल्प करके कि, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22.11.2019 के आदेश क्रमांक एफ.सं.1/10/2015-बीएलए (वाल्युम -IV) के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण मे तथा सूचीबद्धता विनियमों एवं अन्य लागू कानूनों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य एतद्द्वारा श्री जी. रामासामी (डीआईएन: 08632590) की कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति को, उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा समाप्त नहीं होगा, जारी रखने की सहमति दी जाती हैं।"

9. श्री के. वी.भास्कर रेड्डी की निदेशक (उत्पादन एवं परियोजना) के पद पर नियुक्ति

पर विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

"यह संकल्प करके कि, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 7.11.2019 के आदेश क्रमांक एफ.सं.5/2/2015-बीएलए के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण मे तथा सूचीबद्धता विनियमों एवं अन्य लागू कानूनों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य एतद्द्वारा श्री वी.भास्कर रेड्डी (डीआईएन: 08672764) की कम्पनी में निदेशक (उत्पादन एवं परियोजना) के पद पर नियुक्ति को, उनकी नियुक्ति की तिथि अर्थात 1.3.2020 से उनकी सेवानिवृति तक अर्थात 31;1;2023 तक अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा समाप्त होने के अध्याधीन है, जारी रखने की सहमति दी जाती हैं।"

10. श्री विजय कुमार सिंह की सरकार से नामित निदेशक के पद पर नियुक्ति

पर विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

"यह संकल्प करके कि, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 17.3.2020 के आदेश क्रमांक एफ.सं.1/16/2015-बीएलए के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण मे तथा सूचीबद्धता विनियमों एवं अन्य लागू कानूनों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य एतद्द्वारा श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 00592638) की कम्पनी में सरकार से नामित निदेशक के पद पर नियुक्ति को कोटर्मिनस आधार अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा समाप्त होने के अध्याधीन है, जारी रखने की सहमति दी जाती हैं।"

11. लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प (संकल्पों) के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

"यह संकल्प करके कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा148 एवं सम्बद्ध लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (सभी सांविधिक संशोधनों अथवा समयानुसार प्रभावी पुन: प्रवर्तन सहित), निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में कम्पनी की पैल्लेट संयंत्र यूनिट के लागत रिकार्डों की लागत लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त मैसर्स आर.एम. बंसल और कंपनी, लागत लेखाकार, के संबंध कम्पनी के लागत लेखापरीक्षकों को वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रूपए केवल) जमा लागू कर एवं वास्तविक यात्रा तथा फुटकर व्यय का भुगतान करने के निदेशक मंडल के अनुमोदन को एतद्द्वारा एतद्द्वारा प्रमाणित करते हुए अनुसमर्थन किया जाता है।"

आगे यह संकल्प करके कि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा इस संकल्प को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के दौरान उत्पन्न किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान के लिए प्रत्येक क्रियाएं, प्रक्रियाएं एवं संकल्प को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक समझे गए कार्य करने का पृथक पृथक अधिकार प्राप्त होगा।

12. विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना विशेष

संकल्प (संकल्पों) के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

"यह संकल्प करके कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों (एतद्द्वारा "अधिनियम" के नाम से संदर्भित) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा कम्पनी के सदस्य (सदस्यों) को प्रपत्र (प्रपत्रों) का उनके पते पर अथवा इलैक्ट्रानिक अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अथवा सदस्य (सदस्यों) द्वारा समय समय पर वांछित किसी अन्य विधि से डाक अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर अथवा डिलीवरी करने की सहमति प्रदान की जाती है।"

"यह संकल्प करके कि सदस्य (सदस्यों) के अनुरोध पर किसी प्रपत्र (प्रपत्रों) की डिलीवरी विशिष्ट माध्यम से करने का अनुरोध प्राप्त होने की प्रतिक्रिया में कम्पनी द्वारा ऐसी विशिष्ट विधि से प्रेषण की प्रक्रिया तथा/अथवा उससे संबंधित शुल्क प्रभारित, जो डाक विभाग अथवा सेवा प्रदात्ता (प्रदात्ताओं) द्वारा विशिष्ट विधि से प्रपत्रों की डिलीवरी करने के लिए सम्बद्ध संचलन प्रभारों, यदि कोई हों, सहित प्रभारित राशि से अधिक नहीं होगा, किया जा सकेगा।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी का निदेशक मंडल को एतद्द्वारा इस संकल्प (संकल्पों) को प्रभावी एवं अनुकूल स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक समझी गई प्रत्येक क्रिया एवं उपाय करने का प्राधिकार प्रदान किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश के
केआईओसीएल लिमिटेड,

ह/-
(पी.के.मिश्रा)
कम्पनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 10/08/2020

टिप्पणियां:

1. सार्वभौमिक महामारी कोविड-19 के प्रसार को विचार में लेकर कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठनीय दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र (जिन्हें सामूहिक रूप से ''कारपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र'' संदर्भित किया गया है) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसार भी किसी स्थल विशेष पर सदस्यों की स्वयं उपस्थिति के बिना वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य आडियो विजुअल विधियों के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है। इन परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य आडियो विजुअल विधियों के माध्यम से किया जा रहा है।
2. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के नियम 26(4) तथा 36(3) एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटेरिस ऑफ इंडिया द्वारा वार्षिक आम सभा में निदेशक की पुन:नियुक्ति की इच्छा के संबंध में जारी आम सभा के साचिविक मानक से संबंधित विवरण संलग्न है।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य रूप से, बैठक में भाग लेने और मतदान करने के पात्र सदस्य अपने स्थान पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के पात्र होते हैं और प्रॉक्सी के लिए कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि एमसीए परिपत्रों के अनुसार यह एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिससे सदस्यों की स्वयं उपस्थिति की अपेक्षा को समाप्त किया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को संलग्न नहीं किया गया है।
4. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार एजीएम के लिए कोरम के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति का गणन किया जाएगा।
5. संस्थानिक / कारपोरेट शेयरधारकों से अपने निदेशक मंडल अथवा शासी निकाय संकल्प प्राधिकार इत्यादि की स्कैन की गई प्रति भेजने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन्हें प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही एजीएम में उपस्थिति होने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का प्राधिकार दिया गया है। यह संकल्प / प्राधिकार स्क्रूटनाइजर को उनके पंजीकृत ईमेल पते ananthprasad@gurujana.com, shariff@gurujana.com पर तथा इसकी एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com (सीडीएसएल) को मार्क करके भेजी जानी चाहिए।
6. कम्पनी द्वारा 22 (दिन), 2020 (तिथि) 09(माह), 2020 को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया, की सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए 'रिकार्ड तिथि'निश्चित किया गया है ।
7. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त होने वाली लाभांश आय कर योग्य कर दिए गए हैं तथा कम्पनी से शेयरधारकों को चुकता किए जाने वाले लाभांश में से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कटौती करने की अपेक्षा की गई है। विभिन्न वर्गों के अंतर्गत निर्धारित दरें ज्ञात करने के लिए शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 एवं उससे संबंधित संशोधनों से संदर्भ प्राप्त करें। शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि वे अपने पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन) का ब्यौरा कम्पनी के रिकार्ड (यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है) तथा डिपोजिटरीज (यदि शेयरों का धारण डीमेट स्वरूप में किया गया है) के रिकार्ड में अपडेट कर दें । यदि कोई निवासी शेयरधारक, जिसके पास पैन कार्ड है, आयकर के भुगतान के दायरे में नहीं आता है तो वह इसके लिए वार्षिक घोषणा फार्म संख्या 15जी/15एच के माध्यम से करके और इसे ईमेल purnachandra.jena@kioclltd.com के माध्यम से दिनांक 22/09/ 2020 को 05:00 पी.एम. बजे तक भेजकर स्रोत पर कर कटौती न किए जाने का लाभ उठा सकता है। शेयरधारकों से यह अनुरोध कि यदि उनका पर्मानेंट एकाउंट नम्बर पंजीकृत नहीं है तो कर की कटौती 20% की उच्चतर दर पर की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक कर के अध्याधीन लाभ की प्राप्ति भारत एवं उनके निवास के देश के मध्य की गई संधि के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं जो उनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा स्थाई स्थापना एवं लाभग्रहता स्वामित्व न होने की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फार्म 10एफ, अन्य कोई दस्तावेज जो कर संधि लाभ ग्रहण करने के लिए आवश्यक हो, ईमेल पते purnachandra.jena@kioclltd.com पर भेज सकते हैं। यह घोषणा तथा दस्तावेज शेयरधारकों को दिनांक 22/09/ 2020 को 05:00 पी.एम. बजे तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

   आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23डी) के अंतर्गत पंजीकृत म्युचुअल फंड के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति भेजी जानी अपेक्षित है। पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 22/09/ 2020 को 05:00 पी.एम. बजे तक ईमेल पते purnachandra.jena@kioclltd.com पर भेजा जा सकता है।
8. सेबी सूचीबद्धता के यथासंशोधित विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, ट्रांसमिशन अथवा ट्रांसपोजिशन के लिए प्राप्त अनुरोध के मामलों के अलावा सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का अंतरण 1 अप्रैल, 2019 से केवल डिमेट स्वरूप में किया जा सकता है। इसे विचार में लेकर तथा भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुविधा के लिए, भौतिक शेयरों के धारक सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमेट स्वरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करें। सदस्य कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटिड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।
9. हरित प्रयास' में योगदान के उद्देश्य से जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं तो वे अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास और यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास अपने ईमेल पते का पंजीकरण करवा लें।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों, पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन), जनादेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो वे उससे संबंधित विवरण अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास और यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकरण करवा लें।

11. अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने नामांकन का पंजीकरण नहीं किया है उनसे यह अनुरोध है कि वे इसकी प्रस्तुति फार्म संख्या एसएच-13 के माध्यम से कर दें। इससे संबंधित विवरण इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने सदस्य अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं जबकि भौतिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य यह विवरण केआईओसीएल को प्रस्तुत कर सकते हैं।

12. जिन सदस्यों ने एक फोलियो से अधिक शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया है उनसे यह अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाण पत्रों के साथ इन फोलियो का विवरण उनकी धारिता को केवल एक ही समेकित फोलियो में पंजीकृत करने के लिए भेजने की व्यवस्था करें। अपेक्षित परिवर्तन करने के पश्चात ऐसे सदस्यों को समेकित शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

13. संयुक्त धारकों के मामले में जिन सदस्यों के नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम धारक के रूप में दर्शाए गए हैं, केवल उन्हें ही वार्षिक आम सभा में वोट देने पात्रता प्राप्त होगी।

14. अपने खाते से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने अथवा वार्षिक आम सभा में किसी मामले को प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्य अपने अनुरोध कम्पनी के सम्मुख दिनांक 23/09/2020 तक ईमेल पते cs@kioclltd.com पर भेज सकते हैं। इसके संबंध में कम्पनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

15. अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत अनुरक्षित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के रजिस्टर, जिसमें निदेशकों के हित हैं, का अनुरक्षण अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत किया जाता है तथा प्रस्तावित संगम ज्ञापन / संगम अनुच्छेद की प्रस्तुति केवल इलैक्ट्रानिक स्वरूप में सदस्यों की जांच के लिए उपलब्ध करवाई जानी है। उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करने के इच्छुक सदस्य शेयरधारक के नाम, फोलियो नंबर, डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो, कंपनी के धारित शेयरों की संख्या और जांच के लिए अपेक्षित दस्तावेज के विवरण के साथ अपना अनुरोध cs@kioclltd.com पर भेज सकते हैं। अपेक्षित दस्तावेज ईमेल के माध्यम से संबंधित शेयरधारक को भेजा जाएगा।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार विशेष व्यवसायों के संबंध में उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

17. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6)(क) के प्रावधानों के अनुसरण में श्री टी. श्रीनिवास (डीआईएन:07238361), सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा श्री एस.के. गोराई (डीआईएन: 07223221), निदेशक (वित्त), रोटेशन से सेवानिवृत्त एवं अर्हक, द्वारा स्वयं की पुन:नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा सूचीबद्धता विनियम के विनियम 36(3) एवं पुन:नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों से संबंधित साचिविक मानक-2 के प्रावधान / वार्षिक आम सभा में नियुक्ति के लिए प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण इस सूचना का भाग हैं।

18. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठनीय धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसरण में सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी की वार्षिक आम सभा में किया जाता है। आम सभा में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में लेखापरीक्षकों के लिए उचित पारिश्रमिक निश्चित करने का प्राधिकार निदेशक मंडल को प्रदान किया जाता है।

19. सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कृपया यह नोट करें कि उन्होंने यदि कम्पनी अचुकता लाभांश खाते में से अंतरण किए जाने की तिथि से सात निरंतर वर्षों तक लाभांश को भुनाया नहीं है तो ऐसा लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') में अंतरित किया जा सकता है। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयर भी आईईपीएफ के डीमेट खाते में अंतरित किए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने लाभांश के दावे निर्धारित समय सीमा के दायरे में कम्पनी के सम्मुख प्रस्तुत कर दें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश / शेयर आईईपीएफ में अंतरित किए जा चुके हैं, अपने दावे के लिए आनलाइन आवेदन सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण के सम्मुख उनकी वेबसाइट www.iepf.gov.in.पर उपलब्ध आईईपीएफ-5 वेब फार्म में प्रस्तुत कर सकते हैं। कम्पनी द्वारा भी अपनी वेबसाइट www.kioclltd.in. ऐसे सदस्यों से संबंधित विवरण अपलोड किया गया है जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दिए गए हैं।

20. ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों तथा सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 के पत्र के अनुसरण में वार्षिक आम सभा के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का प्रेषण भी केवल उन्हीं सदस्यों को ईमेल के माध्यम से किया जा रहा है जिनके ईमेल पते कम्पनी /डिपोजिटिरियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया यह नोट करें कि यह नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट www.kioclltd.in., स्टॉक एक्सचेंजों यथा एनएसई, बीएसई एवं एमएसईआई की वेबसाइट क्रमश: www.nseindia.com, www.bseindia.com, & www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

21. वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यम से किए जाने के कारण इस नोटिस के साथ रोड मैप संलग्न नहीं किया गया है।

22. ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने से संबंधित अनुदेश नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम – रिमोट एवं स्थल पर वोटिंग सुविधा

1. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 (यथासंशोधित) के विनियम 44 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम की धारा 108 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 के परिपत्रों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा वार्षिक आम सभा में किए जाने वाले व्यवसाय संव्यवहारों के लिए अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य से कम्पनी द्वारा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुबंध करके ई-वोटिंग एजेंसी का प्राधिकार प्रदान किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को वोट डालने एवं वार्षिक आम सभा के दौरान स्थल पर वोटिंग सिस्टम की स्थापना की सुविधा के कार्य सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए जाने हैं। इसके अलावा, वैश्विक महामारी कोविड-19 के व्यापक प्रसार को ध्यान में रखते हुए सदस्यों की वार्षिक आम सभा स्थल पर

स्वयं उपस्थिति अपेक्षित नहीं है तथा वार्षिक आम सभा का आयोजन केवल वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएएम) से ही किया जाना है। इस प्रकार सदस्य आगामी वार्षिक आम सभा में वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से प्रतिभागिता कर सकते हैं।

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसरण में इस वार्षिक आम सभा के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति किए जाने तथा उनके द्वारा सदस्य की ओर से वोट दिए जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य / संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल अथवा शासी कॉर्पोरेट वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाने वाली बैठक में भाग में लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिभागिता करके वे ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।

3. वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही वार्षिक आम सभा में सदस्य इस नोटिस में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करके बैठक के प्रारंभ होने के अनुसूचित समय से 15 मिनट पूर्व तथा 15 मिनट तक प्रतिभागिता कर सकते हैं। वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से वार्षिक आम सभा में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। यह बड़े शेयरधारक (2% अथवा अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा शेयरधरक संबंध समिति के अध्यक्ष के संबंध में लागू नहीं होगी तथा वे वार्षिक आम सभा में पहले आओ पहले पाओ की बाध्यता के बिना भाग ले सकेंगे।

4. वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

5. **उन शेयरधारकों के संबंध में प्रक्रिया जिनके ईमेल पते वार्षिक आम सभा के नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं:**

   क. भौतिक स्वरूप में शेयरधारकों के लिए – कृपया फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की फोटो प्रति (आगे और पीछे), पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की प्रति), आधार (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की प्रति) ईमेल पते **irg@integratedindia.in.** पर भेजने की व्यवस्था करें।

   ख. डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया डीमेट एकाउंट विवरण (सीडीएसएल – 16 डिजिट का लाभग्राही आईडी अथवा एनएसडीएल – 16 डिजिट डीपीआईडी+ सीएलआईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण की प्रति, पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की प्रति), आधार (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की प्रति) ईमेल पते **irg@integratedindia.in.** पर भेजने की व्यवस्था करें।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

(i) वोटिंग की प्रक्रिया दिनांक 26/09/2020 को 09:00 a.m. बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 28/09/2020 को 05:00 p.m. बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक स्वरूप अथवा डीमेट स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) के अनुसार अपने वोट इलैक्ट्रानिक माध्यम से दे सकेंगे। इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल बंद कर दिया जाएगा।

(ii) (जिन शेयरधारकों ने बैठक की तिथि से पूर्व अपने वोट दे दिए हैं वे बैठक के स्थल पर वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

(iii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com. पर लॉग-आन करना चाहिए।

(iv) "Shareholders" माड्यूल पर क्लिक करें।

(v) अब अपना यूजर आईडी एन्टर करें।

   क. सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट लाभग्राही आईडी

   ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी एवं इसके पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

   ग. भौतिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों को कम्पनी में पंजीकृत फोलियो नम्बर एन्टर करना चाहिए।

(vi) इसके पश्चात इमेज सत्यापन के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आपके पास डीमेट स्वरूप में शेयर हैं तथा आपने किसी अन्य कम्पनी के लिए www.evotingindia.com पर लॉग-इन करके वोट दिया है तो आप अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

(viii) यदि आप पहली बार ऐसा उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

डीमेट स्वरूप अथवा भौतिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों के लिए	
पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन कार्ड)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों के अल्फा-न्यूमरिक *पैन दर्ज करें (डीमेट शेयरधारकों तथा भौतिक शेयरधारकों, दोनों, के संबंध में लागू) • उन सदस्यों, जिन्होंने अपने पैन कम्पनी /डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं किए हैं, से यह अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट / उपस्थिति पर्ची पर पैन फील्ड में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें।
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि	लॉगिन के लिए कम्पनी के रिकार्ड में डीमेट खाते में पंजीकृत अपना लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष फार्मेट में) दर्ज करें। • यदि दोनों विवरण डिपोजिटरी अथवा कम्पनी में रिकार्ड नहीं किए गए हैं तो कृपया उपर्युक्त (v) में किए गए उल्लेख के अनुसार अपना मेम्बर आईडी / लाभांश बैंक विवरण के अनुसार अपना फोलियो नम्बर एंटर करें।

(ix) उपर्युक्त विवरण उचित रूप में एंटर करने के पश्चात "SUBMIT" की टैब पर क्लिक करें।

(x) जिन सदस्यों के पास शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में है उनके सम्मुख कम्पनी की सेलेक्शन स्क्रीन प्रस्तुत होगी। तथापि, डीमेट स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों के सम्मुख 'Password Creation' मैन्यू प्रस्तुत होगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड एन्टर करना होगा। कृपया नोट करें कि इसी पासवर्ड का उपयोग आगे भी डीमेट धारकों को अन्य किसी ऐसी कम्पनी के संकल्पों पर वोट देने के लिए करना है जिनमें वे वोट देने के पात्र हैं, जो कि उस कम्पनी द्वारा सीडीएसएल प्लेटफार्म का उपयोग ई-वोटिंग के लिए करने की स्थिति में उपयोगी होगा। हमारा यह सुझाव है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के प्रति पूरी सावधानी बरतें।

(xi) भौतिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य केवल इस नोटिस में उल्लिखित संकल्पों की ई-वोटिंग के लिए ही दिए गए विवरण का उपयोग कर सकते हैं।

(xii) सम्बद्ध उस कम्पनी के नाम के आगे ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसके लिए आप वोट देने जा रहे हैं।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ पर आपके सम्मुख "RESOLUTION DESCRIPTION" प्रस्तुत होगा तथा उसके आगे आपको वोटिंग के लिए "YES/NO" के विकल्प दिखाई देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार हां अथवा न विकल्प का चयन कर सकते हैं। Yes विकल्प के चयन का अर्थ यह है कि आप संकल्प के प्रति सहमत हैं तथा NO विकल्प के चयन का अर्थ विकल्प के प्रति असहमति प्रस्तुत करना है।

(xiv) यदि आप संकल्प से संबंधित विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।

(xv) संकल्प का चयन करने के पश्चात अपनी पसंद के अनुसार अपना वोट देकर आप "SUBMIT" पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सम्मुख एक कंफर्मेशन बॉक्स प्रस्तुत होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक कर दें, यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो "CANCEL" पर क्लिक करके आप वोट में तदनुसार बदलाव कर सकते हैं।

(xvi) संकल्प पर वोट देने के पश्चात जब आप "CONFIRM" पर क्लिक कर देते हैं तो आपको अपने वोट में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xvii) आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" पर क्लिक करके दिए गए वोट का मुद्रण कर सकते हैं।

(xviii) यदि डीमेट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उन्हें अपना यूजर आईडी एंटर करने एवं इमेज सत्यापन कोड के पश्चात फार्गेट पासवर्ड पर क्लिक करके सिस्टम द्वारा मांगा गया विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(xix) शेयरधारक अपने वोट सीडीएसएल की मोबाइल एप्प एम-वोटिंग के उपयोग से भी दे सकते हैं। यह एम-वोटिंग एप्प गुग्गल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। एप्पल एवं विन्डो फोन उपयोक्ता यह एप्प एप्पल स्टोर तथा विन्डो फोन स्टोर से क्रमश: डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल फोन पर वोट देने के लिए मोबाइल एप्प के अनुदेशों का अनुसरण करें।

वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:-

1. वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान ही है।
2. वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम सभा में उपस्थित केवल वही सदस्य वोट दे सकते हैं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों के प्रति वोट नहीं दिए हैं अथवा जिन्हें ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
3. यदि कोई सदस्य वार्षिक आम सभा सभा के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देता है तथा ऐसा सदस्य ने यदि वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम सभा में प्रतिभागिता नहीं की है तो ऐसा सदस्य के वोट को अमान्य कर दिया जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को ही उपलब्ध करवाई गई है।
4. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दे चुके सदस्य वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं। तथा, उन्हें वार्षिक आम सभा वोट देने की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश:-

1. सदस्यों को सीडीएसएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम सभा में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपलब्ध करवाए गए शेयरधारक / सदस्य लॉगिन का उपयोग https://www.evotingindia.com पर करके इसके लिए एस्सेस प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम का यह लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लिए कम्पनी के ईवीएसएन पर उपलब्ध होगा।
2. सदस्यों को यह सुझाव दिया जाता है कि लेपटॉप के उपयोग से बैठक में अच्छी तरह से प्रतिभागिता की जा सकती है।
3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा के उपयोग की अनुमति देनी होगी तथा बैठक के दौरान किसी रूकावट की स्थिति न आने देने के लिए अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग किया जाना चाहिए।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टेबलेट अथवा लेपटॉप पर मोबाइल हॉटस्पाट के माध्यम से प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों के सम्मुख अपने संबंधित नेटवर्क के उतार चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए इस समस्याओं से बचने के लिए बेहतर यह होगा कि वे वाई-फाई अथवा लैन क्नेक्शन का ही उपयोग करें।
5. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करना / प्रश्न करना चाहते हैं उन्हें बैठक के आयोजन की तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने का अग्रिम अनुरोध अपने नाम, डीमेट एकाउंट नम्बर/फोलियो नम्बर, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर के साथ cs@kioclltd.com. को भेज देना चाहिए।

6. ऐसे शेयरधारक, जो वार्षिक आम सभा के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते परन्तु कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बैठक के आयोजन की तिथि से कम से कम 5 पूर्व स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने का अग्रिम अनुरोध अपने नाम, डीमेट एकाउंट नम्बर/फोलियो नम्बर, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर के साथ cs@kioclltd.com. को भेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा इनके उचित उत्तर केवल ईमेल के माध्यम से दिए जाएंगे।

7. बैठक के दौरान केवल ऐसे शेयरधारकों को ही अपने विचार प्रस्तुत करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने स्वयं का पंजीकरण स्पीकर के रूप में करवाया है।

(xx) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा कस्टोडियंस के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) तथा कस्टोडियंस से स्वयं का पंजीकरण 'कारपोरेट' माड्यूल में करने तथा www.evotingindia.com पर लॉग आन करना अपेक्षित है।
- इकाई की मोहर एवं हस्ताक्षर युक्त पंजीकरण फार्म की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com. को ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग करके कम्पलायंस यूजर निर्मित किया जाना चाहिए। कम्पलायंस यूजर अपने उन खातों को लिंक कर सकते हैं जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए जाने वाले खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए तथा खातों के संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात वे वोट दे सकेंगे।
- निदेशक मंडल के संकल्प तथा कस्टोडियन के पक्ष में जारी की गई पावर ऑफ एटोर्नी (पीओए), यदि कोई हो, की एक स्कैन की गई प्रति पीडीएफ फार्मेट में सिस्टम पर संवीक्षक द्वारा छटनी के लिए अपलोड की जानी चाहिए जिससे इसका सत्यापन किया जा सके।
- इसके स्थान पर, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों से अपने संबंधित निदेशक मंडल संकल्प / प्राधिकार पत्र इत्यादि वोट देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ छटनी के लिए ईमेल के माध्यम से संवीक्षक को shariff@gurujana.com ईमेल पते पर तथा यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब के उपयोग से वोट दिया है और इसे सीडीएसएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर छटनी के लिए अपलोड नहीं किया है तो कम्पनी को cs@kioclltd.com को भेजे जा सकते हैं।

  यदि आप ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा किसी प्रकार की शंका है तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') तथा www.evotingindia.com के हैल्प सैक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग का उपयोग कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं अथवा 1800225533 नम्बर पर कॉल कर सकते हैं।

  इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोट देने की सुविधा से संबंधित प्रत्येक शिकायतें श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफललाल मिल कम्पाउंड्स, एन.एम.जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई – 400013 को संबोधित की जाने चाहिए अथवा इसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए अथवा 1800225533 पर फोन करना चाहिए।

अन्य अनुदेश

क) वार्षिक आम सभा में वोटिंग की समाप्ति के पश्चात संवीक्षक द्वारा वार्षिक आम सभा में डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी तथा इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग को अनब्लॉक करके, वार्षिक आम सभा की समाप्ति के पश्चात अधिक से अधिक 48 घंटे में, पक्ष में डाले गए कुल वोटों, यदि कोई हों, की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करके अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी।

ख) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.kioclltd.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तत्काल प्रदर्शित कर दी जाएगी। कम्पनी द्वारा साथ ही साथ एनएसई, बीएसई तथा एमएसईआई को परिणाम प्रेषित किए जाएंगे जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

वार्षिक आम सभा में पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों से संबंधित विवरण

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण में)

निदेशकों के जीवन वृत का संक्षेप सार		
नाम	**श्री टी. श्रीनिवास (डीआईएन: 07238361)**	**श्री एस.के. गोराई (डीआईएन: 07223221)**
जन्म तिथि तथा आयु	01/03/1962 तथा 58 वर्ष	13/01/1963 तथा 57 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	07/09/2015	11/11/2016
शैक्षणिक अर्हता	1. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से एम.फिल 2. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से एम.ए. 3. काकटिया यूनिवर्सिटी, वारांगल से बी.ए.	1. कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.कॉम 2. आईसीएआई से सीए 3. मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव से पीजीडीबीएम
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव का स्वरूप	श्री टी.श्रीनिवास इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। वे सिविल सेवा परीक्षा, 1987 बैच के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (डायरेक्ट भर्ती) हैं। श्री श्रीनिवास ने एमए, एमफिल (जेएनयू, नई दिल्ली), एम.डी.एम (मास्टर इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट) एआईएम, मनीला, फिलिपिंस से की है।	श्री एस.के. गोराई को सीपीएसई/ निजी / एमएनसी कम्पनियों में कार्य का 31 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं निदेशक मंडल कार्य में बहुविध अनुभव प्राप्त है। वे परियोजना मूल्यांकन, परियोजना वित्तीयन, लागत अनुमान एवं परियोजना नियंत्रण, निधियों की उत्पति एवं प्रबंधन तथा कराधान के विशेषज्ञ हैं।
निदेशकों में परस्पर सम्बद्धता का प्रकटीकरण	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।
अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता	एमओआईएल लिमिटेड	शून्य
निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	कम्पनी की सीएसआर, जोखिम प्रबंधन तथा निवेश, परियोजना मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग समिति में सदस्यता
केआईओसीएल के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य

स्पष्टीकरण विवरण

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में]

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 की अपेक्षाओं के अनुसार नीचे प्रस्तुत स्पष्टीकरण विवरण में संलग्न नोटिस की मद संख्या 6,7,8,9,10,11,12 एवं 13 में उल्लिखित संबंधित व्यवसाय के सभी सामग्रीगत तथ्यों से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है:-

मद संख्या 6: - श्री निर्मलेन्दु महापात्रा (डीआईएन 07352648) की कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति, रोटेशन से सेवानिवृत्ति के अंतर्गत नहीं

श्री निर्मलेन्दु महापात्रा (डीआईएन 07352648) आयु 63 वर्ष को 21 अक्तूबर, 2019 से कम्पनी में अपर निदेशक के पद पर नियुक्त करके स्वतंत्र निदेशक के पद पर पदनामित किया गया था। श्री निर्मलेन्दु महापात्र की इस नियुक्ति से उन्होंने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालयीन कार्यों की देख रेख की थी। कम्पनी श्री निर्मलेन्दु महापात्र की उम्मीदवारी की प्रस्तावना स्वतंत्र निदेशक के पद पर, जो रोटेशन से सेवानिवृति के अंतर्गत नहीं है, नियुक्ति के लिए करती है।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण श्री निर्मलेन्दु महापात्र का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत किया गया है:

निदेशकों का संक्षिप्त जीवन वृत	
नाम	**श्री निर्मलेन्दु महापात्र (डीआईएन 07352648)**
जन्म तिथि तथा आयु	25/06/1957 तथा 63 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	21/10/2019
शैक्षणिक अर्हता	उत्कल विश्वविद्यालय से बी.ए. (आनर्स), दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.ए., आईआईएसडब्ल्युबीएम (कोलकाता) से सोशल वर्क्स में डिप्लोमा, एआईएमए (नई दिल्ली) से पीजीडीएम, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से एलएल.बी तथा पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से पीएच.डी
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव का स्वरूप	श्री महापात्र साढ़े तीन दशक के उद्योग अनुभव एवं देश के सबसे बड़े इस्पात संगठन के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशक के पद के कार्यानुभव के साथ एक मानव संसाधन व्यावसायिक हैं। उन्होंने इस्पात उद्योग में कार्य किया है और भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड) और आईआईएससीओ बर्नपुर (डब्ल्यूबी) में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। मानव संसाधन नीतियों के रणनीतिक निर्माण के अलावा, वे विशेष रूप से कार्य बल प्रबंधन, नई परियोजनाओं में मानव संसाधन और मानव संसाधन में आईटी अनुप्रयोगों में कुशल है। उन्होंने दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं- "मार्डनाइजेशन ऑफ एचआर ट्रेडिशन " और "अल्फाबेट्स एंड स्टील सिटी"।
निदेशकों के मध्य परस्पर सम्बद्धता का प्रकटीकरण	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।
अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता	शून्य
निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	श्री निर्मलेन्दु महापात्र सीएसआर एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हैं।
केआईओसीएल के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

मद संख्या 7: - श्री रंजीत श्रीनिवास (डीआईएन: 08539909) की कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति, रोटेशन से सेवानिवृत्ति के अंतर्गत नहीं

श्री रंजीत श्रीनिवास (डीआईएन: 08539909) आयु 44 वर्ष, को 21 अक्तूबर, 2019 से कम्पनी अपर निदेशक के पद पर नियुक्त करके स्वतंत्र निदेशक पदनामित किया गया था। इस नियुक्ति से श्री रंजीत श्रीनिवास द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रभाव से आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय का पदभार सम्हाला है। कम्पनी श्री रंजीत श्रीनिवास की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति की उम्मीदवारी की प्रस्तावना करती है जो रोटेशन से सेवानिवृत्ति के अंतर्गत नहीं हैं।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण श्री रंजीत श्रीनिवास का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत किया गया है:

निदेशकों का संक्षिप्त जीवन वृत	
नाम	**श्री रंजीत श्रीनिवास (डीआईएन: 08539909)**
जन्म तिथि तथा आयु	07/03/1976 तथा 44 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	21/10/2019
शैक्षणिक अर्हता	केरल विश्वविद्यालय से बी.कॉम तथा भारती विद्यापीठ, पुणे से एलएल.बी
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव का स्वरूप	श्री रंजीत श्रीनिवास केरल के विभिन्न न्यायालयों तथा केरल उच्च न्यायालय में प्रैक्टिसिंग वकील रहे हैं।
निदेशकों के मध्य परस्पर सम्बद्धता का प्रकटीकरण	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।
अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता	शून्य
निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	श्री रंजीत श्रीनिवास जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा लेखपरीक्षा एवं स्टेकधारक संबंध समिति के सदस्य हैं।
केआईओसीएल के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

मद संख्या 8: - श्री जी. रामासामी (डीआईएन 08632590) की कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति जो रोटेशन से सेवानिवृति के अंतर्गत नहीं है।

श्री जी. रामासामी (डीआईएन 08632590) आयु 48 वर्ष की कम्पनी में अपर निदेशक के पद पर दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के आदेश के माध्यम से 7 सितम्बर, 2019 से की गई थी तथा उन्हें स्वतंत्र निदेशक के पद पर पदनामित किया गया था। इस नियुक्ति से श्री जी. रामासामी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रभाव से आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय का पदभार सम्हाला है। कम्पनी श्री जी.रामासामी की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति की उम्मीदवारी की प्रस्तावना करती है जो रोटेशन से सेवानिवृत्ति के अंतर्गत नहीं हैं।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण श्री जी. रामासामी का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत किया गया है:

निदेशकों का संक्षिप्त जीवन वृत	
नाम	**श्री जी. रामासामी (डीआईएन 08632590)**
जन्म तिथि तथा आयु	01/06/1972 तथा 48 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	07/12/2019
शैक्षणिक अर्हता	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से विधि स्नातक
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव का स्वरूप	श्री रामासामी व्यवसाय से वकील हैं तथा वे मद्रास उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न निजी सेक्टर के संगठनों के संबंध में विधि परामर्श का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तथा उन्होंने तमिलनाडु एवं दक्षिणी राज्यों के विभिन्न जिलों के ग्रामीण समुदायों के विकास में योगदान दिया है।
निदेशकों के मध्य परस्पर सम्बद्धता का प्रकटीकरण	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।
अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता	शून्य
निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	श्री जी. रामासामी स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षा तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य हैं।
केआईओसीएल के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

मद संख्या 9: - श्री के.वी. भास्कर रेड्डी (डीआईएन 08672764) की कम्पनी में निदेशक के पद पर नियुक्ति जो रोटेशन से सेवानिवृति के अंतर्गत है।

श्री के.वी. भास्कर रेड्डी (डीआईएन 08672764), आयु 57 वर्ष, को कम्पनी में 1 मार्च, 2020 से निदेशक (उत्पादन एवं परियोजना) के वर्ग में अपर निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से श्री के.वी. भास्कर रेड्डी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रभाव से आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय का पदभार सम्हाला है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसरण में श्री के.वी. भास्कर रेड्डी की कम्पनी में निदेशक (उत्पादन एवं परियोजना) के पद पर नियुक्ति की उम्मीदवारी की अनुशंसा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा गई है।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण श्री के.वी. भास्कर रेड्डी का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत किया गया है:

निदेशक का संक्षिप्त जीवन वृत्त	
नाम	**श्री के.वी. भास्कर रेड्डी (डीआईएन 08672764)**
जन्म तिथि तथा आयु	12/01/1963 तथा 57 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	01/03/2020
शैक्षणिक अर्हता	कोथागुदम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से वर्ष 1985 में प्रथम श्रेणी प्रबंधन प्रमाण पत्र के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक तथा आईआईएम, बेंगलूरु से एक्जीयूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम (एमपीटी) का धारण

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव का स्वरूप	श्री के.वी.भास्कर रेड्डी को खनन योजना, खनन परिचालन, संवहनीय विकास तथा सभी सांविधिक अनुपालनों के साथ खनन संरक्षा के कार्यों से संबंधित प्रत्यय पत्र प्राप्त है। कम्पनी के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए खनन उत्पादन में उनका योगदान उल्लेखनीय है जिसमें कुद्रेमुख परियोजना के परिचालन के दौरान उत्पादकता में सुधार के लिए ''हॉटशिफ्ट'' योजना के परिचालन सहित उनके द्वारा काफी योगदान दिया गया है। बल्लारी जिला में देवाद्री लौह अयस्क का संज्ञान करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान में श्री रेड्डी खनन क्रियाकलाप प्रारम्भ करने के लिए देवाद्री लौह अयस्क ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं। वे कम्पनी के नए व्यवसाय वर्टिकल में खनन अंवेषण के प्रभारी हैं।
निदेशकों के मध्य परस्पर सम्बद्धता का प्रकटीकरण	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।
अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता	शून्य
निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	श्री के.वी. भास्कर रेड्डी निम्नलिखित समितियों के सदस्य हैं:- 1. सीएसआर समिति 2. स्टेकधारक संबंध समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निवेश, परियोजना मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग समिति
केआईओसीएल के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	200

मद संख्या 10: - श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन -00592638) की सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्ति, वे रोटेशन से सेवानिवृत्ति के अंतर्गत हैं।

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 17.3.2020 के आदेश एफ.संख्या 1/16/2015-बीएलए के अनुसरण में श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन 00592638) सरकार द्वारा नामित निदेशक के अंतर्गत अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में उनके पद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

इस नियुक्ति से श्री विजय कुमार सिंह कार्यालय के पद का ग्रहण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रभाव से आगामी वार्षिक आम सभा तक ग्रहण करेंगे तथा वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठनीय धारा 161 के अनुसरण में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा श्री विजय कुमार की कम्पनी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्ति की उम्मीदवारी की अनुशंसा की गई है।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण श्री विजय कुमार सिंह का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत किया गया है:

निदेशक का संक्षिप्त जीवन वृत्त	
नाम	**श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 00592638)**
जन्म तिथि तथा आयु	15/11/1964 तथा 55 वर्ष
जन्म तिथि तथा आयु	17/03/2020
नियुक्ति की तिथि	बिहार विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक तथा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री।
शैक्षणिक अर्हता	श्री विजय कुमार पंजाब कैडर में 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे वस्त्र मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा इस्पात मंत्रालय में उनके पास वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त कार्यभार है।
निदेशकों के मध्य परस्पर सम्बद्धता का प्रकटीकरण	निदेशकों के मध्य परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है।
अन्य सूचीबद्ध कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता	1. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. एनएमडीसी लिमिटेड
निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
केआईओसीएल के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य

मद संख्या 11:- लागत लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक का अनुमोदन

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर मैसर्स आर.एम. बंसल और कंपनी, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में कम्पनी की पैल्लेट यूनिट के लागत रिकार्ड की लेखापरीक्षा के कार्य के लिए 50,000/- रूपए (पचास हजार रूपए केवल) जमा लागू कर तथा वास्तविक यात्रा एवं अन्य आउट ऑफ पाकेट व्ययों के पुनर्भुगतान के साथ नियुक्त करने का अनुमोदन दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली (वर्तमान में लागू अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उनसे संबंधित पुन: प्रवर्तनों सहित) लागू अन्य प्रावधानों के अंतर्गत लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुमोदन निदेशक मंडल से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए बाद में कम्पनी के सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करना अपेक्षित है।

तदनुसार इस नोटिस की मद संख्या 11 में प्रस्तुत साधारण संकल्प के सदस्यों की सहमति वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए अपेक्षित है।

इस संकल्प के संबंध में कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 12:- सदस्य की अपेक्षा के अनुसार दस्तावेज विशिष्ट विधि से प्रेषित करने के संबंध में अनुमोदन

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्य को डाक अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के माध्यम से उनके कार्यालय अथवा अथवा पते पर अथवा किए जाने वाले निर्धारण के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम अथवा अन्य माध्यम से नोटिस प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई सदस्य किसी विशिष्ट विधि से ऐसे दस्तावेज की डिलीवरी का अनुरोध यदि करता है तो उसे कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक आम सभा में निर्धारित शुल्क का भुगतान उसे करना होगा। इसके अलावा, सूचीबद्ध कम्पनियों से अपने वित्तीय विवरण भेजे जाने की अपेक्षा की गई है:-

(क) इलैक्ट्रानिक माध्यम से ऐसे सदस्यों को जिनकी शेयरधारिता डीमेट स्वरूप में है तथा जिनके ईमेल पते डिपोजिटरी के पास संचार उद्देश्यों से पंजीकृत हैं;

(ख) यदि शेयरधारित डीमेट के अलावा अन्य स्वरूप में है तो ऐसे सदस्यों को जिन्होंने इलैक्ट्रानिक माध्यम से इसे प्राप्त करने की लिखित सहमति प्रदान की है; तथा

(ग) अन्य सभी मामलों में अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट डिलीवरी की किसी स्वीकृत विधि से भौतिक प्रतियों का प्रेषण करके।

तदनुसार, इस नोटिस की मद संख्या 13 में उल्लिखित विशेष के लिए कम्पनी के सदस्यों को उनके अनुरोध के अनुसार वित्तीय विवरणों सहित नोटिस से संबंधित अन्य दस्तावेजों का प्रेषण करने के संबंध में विशेष संकल्प पारित करने की अपेक्षा की गई है।

इस संकल्प के संबंध में कम्पनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक किसी भी प्रकार से इस संकल्प के प्रति संबंधित अथवा इच्छुक, वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में, सम्बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल इस साधारण संकल्प के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश के प्रभाव से
केआईओसीएल लिमिटेड,

ह/-
(पी.के. मिश्रा)
कम्पनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 10/08/2020

44वीं वार्षिक आम सभा के लिए सूचीबद्ध संकल्प निम्निखित हैं :-

क्र.सं.	संकल्प
	साधारण व्यवसाय
1.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्टों एवं उनके संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अंगीकार करना।
2.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर पर @ 0.70 रूपए की दर से लाभांश दिए जाने की घोषणा करना।
3.	श्री टी.श्रीनिवास (डीआईएन: 07238361) की पुनर्नियुक्ति करना जो निदेशक पद से रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
4.	श्री एस.के. गोराई (डीआईएन: 07223221)
5.	सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण करना
	विशेष व्यवसाय
6.	श्री निर्मलेन्दु महापात्र (डीआईएन: 07352648) को स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त करना।
7.	श्री रंजीत श्रीनिवास (डीआईएन: 08539909) को स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त करना।
8.	श्री जी. रामासामी (डीआईएन: 08632590) को स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त करना।
9.	श्री के.वी. भास्कर रेड्डी, (डीआईएन: 08672764) को निदेशक (उत्पादन एवं परियोजना) के पद पर नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त किए जाने के अंतर्गत है।
10.	श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 00592638) को सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त किए जाने के अंतर्गत है।
11.	लागत लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का अनुमोदन
12.	सदस्य की अपेक्षा के अनुसार दस्तावेज विशिष्ट विधि से प्रेषित करने के संबंध में अनुमोदन

केआईओसीएल के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय
II ब्लॉक, कोरमंगला
बेंगलूरु - 560 034
टेलीफोन नं.: 080 25531461-70, 25535937-40
फैक्स नं.: 080 25532153, 25535941,
25630984
ई-मेल: cs@kioclltd.com

विशाखापत्तनम कार्यालय
डोर नं. 15-15-13/7, फ्लैट नं.: एस-2
सत्य साई निवास, होटल सुप्रीम के पास,
बीच रोड, विशाखापत्तनम-530 002
आंध्र प्रदेश
टेलीफोन/फैक्स नं.: 0891-2739530
ई-मेल: kioclviz@gmail.com

विशाखापत्तनम कार्यालय
डोर नं. 15-15-13/7, फ्लैट नं.: एस-2
सत्य साई निवास, होटल सुप्रीम के पास,
बीच रोड, विशाखापत्तनम-530 002
आंध्र प्रदेश
टेलीफोन/फैक्स नं.: 0891-2739530
ई-मेल: kioclviz@gmail.com

कुद्रेमुख कार्यालय
कुद्रेमुख - 577 142
चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक
टेलीफोन नं.: 08263 254148
फैक्स नं.: 08263 254117
ई-मेल: kagmk@kioclltd.com

ब्लास्ट फर्नेस इकाई
प्लॉट न. 456 & 457, बैकमपाडी औध्योगिक क्षेत्र, पणम्बूर, मंगलूरु – 575 010
टेलीफोन नं.: 0824-2408911
फैक्स नं.: 0824-2409366, 2408944
ई-मेल: mgmp@kioclltd.com

बचेली कार्यालय
क्वार्टर एम. टाइप 111/एफएफ/06
एनएमडीसी बचेली गेस्ट हाउस के पास
बचेलीi – 494 553
दंतेवाड़ा जिला, छतीसगढ़

नई दिल्ली कार्यालय
हिमालया हाउस, 9वां तल, नं. 23
कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001
टेलीफोन नं.: 011 23315665, 23315686
फैक्स नं.: 011 23721696
ई-मेल: kioclnd@kioclltd.com

कालियापानी कार्यालय
डी-24, ओएमसी टाउनशिप
सुकिंदा, दक्षिण कालियापानी जेके रोड,
जाजपुर जिला, ओडिशा – 755 028
ई-मेल: kioclcobplant@gmail.com

संदूर कार्यालय
हाउस नं..163, येदिऊर जेनरल स्टोर, एल. बी. कॉलोनी, कोर्ट रोड
संदूर-583 119. बेल्लारी (जिला)
ई-मेल: smed@kioclltd.com

बगलकोट कार्यालय
डिविजनल ऑफिस, केएसएमसीएल,
सेक्टर-63ए, नवा नगर,
बगलकोट,
कर्नाटक, पिन – 587 103
ई-मेल: bktmed@kioclltd.com

प्लांट लोकेशन

CLIENTELE– OVERSEAS AND DOMESTIC

GLENCORE INTERNATIONAL AG
Kineta
SOMANI GROUP
CARAVEL
सेल SAIL
TATA STEEL
star global
ArcelorMittal
JINDAL SHADEED Shadeed Iron & Steel
AM/NS INDIA
VIZAG STEEL
MERCURIA ENERGY GROUP LTD
RtM
MITSUI&CO.
KAMACHI
SAL STEEL LTD.
SARA GROUP Indian roots. Global reach.
GIMPEX
SHABRO METALLIC PVT LTD
ADITYA BIRLA SWISS SINGAPORE
M E L Mineral Enterprises Limited
AGNI STEELS
World Metals & Alloys (FZC)
tuf TUF GROUP
AVEKS (SUISSE) SA
GROUPS
BST (HK) LTD
ITOCHU
CIEC
SOMANI GROUP

स्कूली बच्चों ने दिनांक 02.10.2019 को कोरमंगला, बेंगलूरु में स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाया।

कोविड-19 (कोरोना वायरस) के लक्षणों के बारे में जागरूकता पैदा करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, केआईओसीएल ने दिनांक 06.03.2020 को बेंगलूरु के मडीवाला मार्केट के विक्रेताओं के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकगणों ने दिनांक 31.10.2019 को निगमित कार्यालय, बेंगलूरु में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई।

बेहतर भविष्य के लिए
जीवन को सही आकार देते हुए

KUDREMUKH

केआईओसीएल लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L13100KA1976G0I002974

II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूरु - 560034

25531461 to 25531466 (6 lines)

kioclltd.in

मुस्कुराते चेहरे हमारे समुदाय की प्रगति के साक्षी हैं...

Crafted & Impressed by Semaphore Technologies Pvt. Ltd.